लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ५६, १९६१ / १८८३ (शक)

[७ से १९ अगस्त १९६१ / १६ से २८ श्रावण १८८३ (शक)]

2nd Lok Sabha

चौदहवां सत्र, १९६१ / १८८३ (शक)

(खण्ड ५६ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड ५६–अंक १ से १०—७ से १६ अगस्त १९६१/१६ से २८ श्रावण १८८३ (शक)]

अंक १ सोमवार, ७ अगस्त, १९६१/१६ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ३, ८३, ४ से ९ और ४५ . . २—२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १० से ४४, ४६ से ८२ और ८४ . . २६—६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ७०, ७२ से १४० और १४२ . ६२—११९

निधन संबंधी उल्लेख ११९

तारांकित प्रश्न संख्या ४४ और ४५ के बारे में . १२०

स्थगन प्रस्ताव

(१) आसाम में पाकिस्तानियों का कथित अनधिकृत प्रवेश १२०—२२

(२) पानशेत में मिट्टी के बाध का टूट जाना . . १२२—२३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
बाढ़ की स्थिति . . १२३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . १२४—३१

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . १३२

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति का प्रतिवेदन और साक्ष्य . १३२

सदस्यों का त्याग पत्र . . . १३३

प्रत्यर्पण विधेयक—पुरःस्थापित . . १३३

शब्दों को निकालने के बारे में १३३

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . १३४—६२

कार्य मंत्रणा समिति—

चौसठवां प्रतिवेदन १६३

दैनिक संक्षेपिका १६४—८०

विषय	पृष्ठ
अंक २—मंगलवार, ८ अगस्त १,९६१/ १७ श्रावण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८५ से ९४ और ११६ . . .	१८१—२०४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९५ से ११५ और ११७ से १५९ . .	२०४—३८
अतारांकित प्रश्न संख्या १४३ से २४०, २४२ से ३३७, ३३९ और ३४१ ,से ३४३	२३८—३३१
अतारांकित प्रश्न संख्या १६३३ के उत्तर में शुद्धि . .	३३१
अतारांकित प्रश्न संख्या ३०७६ के उत्तर में शुद्धि . . .	३३१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३३१—३४
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौसठवां प्रतिवेदन	३३४
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	३३४—७९
दैनिक संक्षेपिका	३८०—९१
अंक ३—बुधवार, ९ अगस्त १९६१/१८ श्रावण १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १६० से १७० . .	३९३—४१३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७१ से २८५ . . .	४१३—७३
अतारांकित प्रश्न संख्या ३४४ से ४२०, ४२२ से ५३१, ५३३ से ५४० और ५४२ से ५६३ .	४७३—५५९
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	५५९—६५
चीनी की स्थिति तथा निर्यात पर नोट के बारे में . .	५६५
ग़ैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पच्चासीवां प्रतिवेदन	५६५
विदेशी मुद्रा स्थिति के बारे में वक्तव्य तथा विदेशी सहायता संबंधी विज्ञप्ति .	५६६
तारांकित प्रश्न संख्या १५७८ के उत्तर में शुद्धि	५६६
समितियों के लिये निर्वाचन	५६६–६७
(१) राष्ट्रीय सेना छात्र दल की केन्द्रीय सलाहकार समिति ।	
(२) केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड ।	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प .	५६७—९४

पृष्ठ

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . . ५९४–६१३

खंड २ से २४ . ६१०–११

पारित करने का प्रस्ताव ६११–१३

चीनी के उत्पादन, वितरण, निर्यात और मूल्य-निर्धारण के बारे में चर्चा . ६१३–१९

दैनिक संक्षेपिका ६२०–३८

अंक ४--गुरुवार, १० अगस्त, १९६१/१९ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २८६ से २८९, ३३१, ३४३ और २९० से २९५ ६३९–६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २९६ से ३३०, ३३२ से ३४२ और ३४४ से ३७० . ६६३–९८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६४ से ५९० और ५९३ से ६९६ ६९८–७५४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ७५४–५५

आयकर विधेयक--

प्रवर समिति का प्रतिवेदन तथा साक्ष्य ७५५

विधेयक पुरःस्थापित--

(१) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक . ७५६

(२) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . ७५६

संघ राज्य क्षेत्र (स्टाम्प और कोर्ट फीस विधियां) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . . . ७५६–५८

खण्ड २ से ६ तथा १ . . ७५८–५९

पारित करने का प्रस्ताव ७५९

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक--

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ७५८–६७

खण्ड २, ३, ४ तथा १ . . . ७६८–६९

नमक उपकर (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव ७६९–७७

खण्ड २, ३, ४ तथा १ . . . . . ७७७

पारित करने का प्रस्ताव ७७७

प्रसूति लाभ विधेयक--

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव. . ७७७–८५

विषय सूची

	पृष्ठ
चीनी के उत्पादन, वितरण, निर्यात और मूल्य निर्धारण के बारे में चर्चा .	७८५–९४
दैनिक संक्षेपिका	७९५–८०४
अंक ५—शुक्रवार, ११ अगस्त, १९६१/२० श्रावण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३७१ से ३७६, ३८२, ३७७ से ३८१, ३८३ से ३८६, ३८८, ३९० और ३९१	८०५–३२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३८७, ३८९ और ३९२ से ४२९ .	८३३–५१
अतारांकित प्रश्न संख्या ६९८ से ८८४, ८८६ से ८९५ .	८५१–९३६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
यान में जगह देने में इंडियन एयरलाइन्स की विफलता .	९३७–३८
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	९३९–४२
प्राक्कलन समिति—	
कार्यवाही सारांश .	९४२
सिख गुरुद्वारा विधेयक—	९४२
राय	
विशेषाधिकार समिति—	
तेरहवां प्रतिवेदन . .	९४२–४३
सभा का कार्य	९४३
ब्रिटेन के योरोपियन आर्थिक समूह में सम्मिलित होने के बारे में वक्तव्य .	९४३–४४
तेल की खोज के लिये प्राकृतिक गैस आयोग तथा फ्रांसीसी पैट्रोल संस्था के बीच हुए करार के बारे में वक्तव्य . .	९४४
संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	९४५
दादरा और नगर हवेली विधेयक—पुरःस्थापित . .	९४५
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव .	९४५–७८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पच्चासीवां प्रतिवेदन	९७८
व्यक्तिगत आय के बारे में संकल्प	९७९–८६
सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पुनः सेवा में लगाये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में संकल्प .	९८६–९८
कार्य मंत्रणा समिति—	
पैंसठवां प्रतिवेदन . . .	९९८
दैनिक संक्षेपिका	९९९–१०१३

पृष्ठ

अंक ६—सोमवार १४ अगस्त, १९६१/२३ श्रावण १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३०, ४३१ और ४३३ से ४४२ . १०१५—३७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . १०३७–३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३२ और ४४३ से ५११ . . १०३८–७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८९६ से ९२६, ९२८ से ९५१, ९५३ से १०९९ और ११०१ से ११०७ . . . १०७२—११६०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापटनम् में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल ११६०–६१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ११६१—६३

अनुदानों की अनुपूरक मांगें, (सामान्य) १९६१-६२, के बारे में विवरण . ११६३

दो सदस्यों की दोष सिद्धि और जमानत पर उनकी रिहाई . ११६३

समिति के लिये निर्वाचन—

भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर ११६३–६४

कार्य मंत्रणा समिति—

पैंसठवां प्रतिवेदन . . . ११६४

संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक, १९६१ . ११६५—८२

विचार करने का प्रस्ताव ११६५—८१

खंड २, ३ और १ . ११८१—८२

पारित करने का प्रस्ताव . ११८१–८२

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . ११८२—९३

प्रवर समिति में सौंपने का प्रस्ताव ११८२—९३

दैनिक संक्षेपिका ११९४—१२०६

अंक ७—बुधवार १६ अगस्त, १९६१/२५ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५१२ से ५१४, ५१६ से ५२३, ५२६, ५२९, ५३०, ५३३ और ५३५ . १२०७—३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५१५, ५२४, ५२५, ५२७, ५२८, ५३१, ५३२, ५३४ और ५३६ से ५६६ . . . . १२३२—५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ११०८ से १२५५, १२५७ और १२५८ . १२५२—१३१२

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव के बारे में —	
गोआ के राष्ट्रीय नेता को दी गई यंत्रणा . . .	१३१२–१३
मास्टर तारा सिंह का आमरण अनशन . . .	१३१३–१४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारतीय जूट मिल संघ द्वारा सामूहिक रूप से मिलें बन्द करना .	१३१४
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	१३१४–१५
गोरेश्वर के दंगों के प्रतिवेदन के बारे में	१३१५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छियास्सीवां प्रतिवेदन . .	१३१५
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ इकतालीसवां प्रतिवेदन	१३१६
आसाम नगरपालिका (मनीपुर संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	१३१६
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . .	१३१६—५२
दैनिक संक्षेपिका . .	१३५३—६१

अंक ८– गुरूवार, १७ अगस्त, १९६१ / २६ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६७ से ५६९, ५७१ से ५७३, ५७५, ५७६, ५७८ से ५८१, ५८३, ५८५, ६१८, ५८६, ५९०, और ५९१	१३६३–८८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५७०, ५७४, ५७७, ५८२, ५८४, ५८७ मे ५८९, ५९२ से ६१७ और ६१९ से ६२६ .	१३८८—१४०४
अतारांकित प्रश्न संख्या १२५९ से १४२४ और १४२६ से १४४२	१४०६—९०
स्थगन प्रस्ताव—	
सोनपुर में गोलीकांड .	१४९०—९२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दिल्ली में बार बार बिजली का बन्द हो जाना	१४९२—९४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१४९४
राज्य सभा से सन्देश	१४९४
सभा का कार्य	१४९४
वेतन में स्वेच्छा से कटौती (कर से विमुक्ति) विधेयक—पुरःस्थापित	१४९५
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव .	१४९५—१५०२
दादरा और नागर हवेली विधेयक	१५०२—१४

विषय	पृष्ठ
विचार करने का प्रस्ताव . . .	१५०२—१३
खंड २ से १४ तथा १ . . .	१५१४
पारित करने का प्रस्ताव .	१५१४
प्रत्यर्पण विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	१५१४—१८
दैनिक संक्षेपिका	१५१९—२९
अंक ९— शुक्रवार, १८ अगस्त, १९६१ / २७ श्रावण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६२७ से ६४१ .	१५३१—५४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६४२ से ६८०	१५५४—७०
अतारांकित प्रश्न संख्या १४४३ से १६०२	१५७०—१६३४
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	१६३४—३६
राज्य सभा से सन्देश	१६३६
राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक सभा-पटल पर रखे गये—	
(१) भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) संशोधन विधेयक	१६३६
(२) विदेशी पंचाट (मान्यता देना और लागू करना) विधेयक .	१६३६
विशेषाधिकार समिति—	
तेरहवां प्रतिवेदन	१६३७—३९
विशेषाधिकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१६३९—४१
प्रत्यर्पण विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव .	१६४२—४३
आयकर विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	१६४३—५०
गैरसरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छियासीवां प्रतिवेदन	१६५०
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (श्री महन्ती का) पुरःस्थापित	१६५०—५१
लोक प्रतिनिधित्व (अनर्हता निवारण) विधेयक (श्री खुशवक्त राय का) पुरःस्थापित	१६५१
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) (श्री नरसिंहन का) पुरःस्थापित . . .	१६५१
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन का)	१६५१

विषय	पृष्ठ
विचार करने का प्रस्ताव . . .	१६५१—५३
सिख गुरुद्वारा विधेयक (सरदार ए० एस० सहगल का)	१६५३—५५
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . .	१६५५
खाद्यान्नों के मूल्य निर्धारण विधेयक (श्री झूलन सिंह का)	१६५५—६८
विचार करने का प्रस्ताव	१६५५—६८
दैनिक संक्षेपिका	१६६९—८०

अंक १०— शनिवार, १९ अगस्त १९६१ / २८ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६८१ से ६९०, ६९३, ६९४ और ६९६	१६८१—१७०१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६९१, ६९२, ६९५, ६९७ से ७२६	१७०१—१६
अतारांकित प्रश्न संख्या १६०३ से १७२४ . .	१७१७—६६
स्थगन प्रस्ताव	१७६६—६८
कथित गुप्तचर का पकड़ा जाना	१७६६—६८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१७६८—६९
सभा का कार्य	१७६९
शिशिक्षु विधेयक—पुरःस्थापित	१७६९
विशेषाधिकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१७६९—७९
आयकर विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	१७७९—८३
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति का प्रतिवेदन .	१७८३
अणुशक्ति विभाग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१७८३—८९
दैनिक संक्षेपिका . . .	१७९०—९७

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक सभा

शुक्रवार, ११ अगस्त, १९६१

२० श्रावण, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आकाशवाणी द्वारा ट्रांस मिटरों की स्थापना

+

†*३७१. **श्री यादव नारायण जाधव :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री दिनेश सिंह :
श्री प्र० गं० देव :
महाराजकुमार विजय आनंद :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ने आकाशवाणी से ५७ ट्रान्समिटर लगाने की व्यवस्था पूर्ण करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन):** नहीं, श्रीमान् । अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ने आकाशवाणी से ५७ ट्रांसमिटर लगाने की व्यवस्था पूर्ण करने का अनुरोध नहीं किया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री यादव नारायण जाधव :** क्या सरकार का ध्यान प्रेस की इस रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है कि व्यवस्था पूर्ण न करने के कारण सरकार को नोटिस दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

983 (Ai) LSD—1.

†**डा० प० सुब्बरायन :** जहां तक मुझे विदित है, हमारे पास ये तरंगायाम हैं और हमारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय आगामी पंचवर्षीय योजना काल में अर्थात्, तृतीय योजना काल में, इन सब तरंगायामों को पूर्ण प्रयोग करने का भरसक प्रयास कर रहा है ।

†**श्री यादव नारायण जाधव :** क्या इसी अवधि में वे स्वीकृति समाप्त न कर देंगे ?

†**डा० प० सुब्बरायन:** हमें बताये बिना वे स्वीकृति समाप्त नहीं करेंगे क्योंकि हम कान्फ्रेंस के सदस्य हैं ।

एक्सप्रेस डाक वितरण पद्धति

\+

*३७२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री नवल प्रभाकर :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री बाजपेयी :
श्री पांगरकर :
श्री चुनी लाल :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग की एक्सप्रेस डाक वितरण पद्धति को जारी रखने या बन्द करने के प्रश्न पर इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह निर्णय क्या है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) तथा (ख). हम एक्सप्रेस डाक वितरण पद्धति को बन्द करने का नहीं बल्कि एक्सप्रेस डाक वितरण की वस्तुओं की मौजूदा वितरण-व्यवस्था में सुधार करके उक्त सेवा में सुधार करने का विचार कर रहे हैं। परीक्षण के तौर पर एक्सप्रेस डाक वितरण की वस्तुओं को बांटने का काम तारघरों के डाक-घरों को स्थानान्तरित कर दिया गया है । इससे न केवल वितरण कार्य में शीघ्रता होने लगी है बल्कि एक्सप्रेस डाक वितरण की अवितरित रह जाने वाली वस्तुओं की दर भी कम हो गई है ।

[इस के बाद उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया ।]

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या यह व्यवस्था सभी डाकघरों में की गई है अथवा थोड़े से डाकघरों में ?

†**डा० प० सुब्बरायन :** हमने इसे प्रयोग रूप में लागू किया है । क्योंकि यह सफल सिद्ध हो रही है, इसे हम अन्य डाकघरों में भी लागू करेंगे ।

†**श्री विभूति मिश्र :** गांव के डाकघरों के लिये, जो २००० जनसंख्या वाले क्षेत्रों में खोले गये हैं, क्या व्यवस्था की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० प० सुब्बरायन : कठिनाई यह है कि गांव के डाकघरों में डाक पहुंचाने वाले चपरासी कम हैं और इसलिये वहां यह व्यवस्था बाद में लागू की जायेगी ।

श्री म० ल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि एक्सप्रेस डिलिव्री की व्यवस्था मे सुधार करने के फलस्वरूप क्या इसकी फीस भी बढ़ा दी गई है ? यदि हां, तो कितनी और क्यों ?

†डा० प० सुब्बरायन : नहीं श्रीमान् । ऐसा कुछ नहीं हुआ है ।

†श्री म० ल० द्विवेदी : क्या उन्हें विदित हुआ है कि फीस चार आने ली जायेगी ?

†डा० प० सुब्बरायन : हम इस पर विचार कर रहे हैं, परन्तु किया कुछ नहीं है। अभी पहिले वाली ही फीस है ।

†श्री त्यागी : इन प्रयोगों का क्या परिणाम रहा ? क्या डिलिव्री का काम आसान हो गया है या इसमें अब भी देर लगती है ?

†डा० प० सुब्बरायन : मैं ने मुख्य प्रश्न के उत्तर में ही बताया था कि अब डिलिव्री में काफी सुधार हो गया है और इसके बारे में थोड़ी शिकायतें आई हैं ।

†श्री अमजद अली : अभी तक एक्सप्रेस डिलिव्री व्यवस्था बड़े डाकघरों में और प्रमुख नगर डाकघरों में ही लागू हुई है । क्या यह व्यवस्था अर्ध-नगरीय डाकघरों में भी लागू की जायेगी ?

†डा० प० सुब्बरायन : मैं कह चुका हूं कि यह सरकार की इच्छा है ।

†श्री रघुनाथ सिंह : क्या यह मितव्ययीय है या नहीं ? यदि इससे हानि होती है तो कितनी ?

†श्री विश्वनाथ राय : क्या देश के किसी ग्रामीण क्षेत्र में यह व्यवस्था लागू की गई है ?

†डा० प० सुब्बरायन : प्रयोग केवल उन्हीं स्थानों पर किया जाता है जहां हमारे पास कई डाकिये है ।

केन्द्र में सड़क बोर्ड

+

†*३७३. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री कोडियान :
श्री पांगरकर :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्र में सड़क बोर्ड की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार किस नतीजे पर पहुंची है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). प्रस्ताव विचाराधीन है। संभवत: कोई निश्चय करने में कुछ समय लगेगा क्योंकि इसमें राज्य-सरकारों सहित विभिन्न प्राधिकारियों से परामर्श करना है।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या राज्य सरकारों से अपने विचार भेजने को कहा गया है और यदि हां, तो क्या किसी राज्य सरकार ने अपने मत भेजे हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : हम यह कार्य कर रहे हैं। हम राज्य सरकारों से पूछ रहे हैं कि वे इससे कहां तक सहमत हैं।

†**श्री कोडियान** : क्या माननीय मंत्री हमें मोटे तौर पर यह बता सकते हैं कि भारतीय सड़क कान्ग्रेस ने इस बारे में क्या प्रस्ताव दिया है ?

†**श्री राज बहादुर** : प्रस्ताव में सड़क तथा सड़क परिवहन व्यवस्था के समन्वय, विस्तार तथा रख रखाव का उल्लेख है। उसे ध्यान रखते हुये लगभग रेलवे बोर्ड के आधार पर एक केन्द्रीय प्राधिकार बनाने का विचार है परन्तु इसमें यह अन्तर होगा कि राज्य बोर्ड भी हो सकते हैं। सड़क परिवहन और सड़कों का विषय समवर्ती सूची में है और उसकी कार्यपालिका शक्ति राज्य सरकारों के पास है। स्वभाविक है कि प्रस्ताव के बारे में कोई ठोस कार्यवाही करने से पहले बहुत कुछ करना है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यह प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार का है या राज्य सरकार का है ? राज्यों की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**श्री राज बहादुर** : यह न तो राज्य सरकारों ने प्रस्तुत किया है और न केन्द्रीय सरकार ने। यह तो भारतीय सड़क कांग्रेस नामक एक निकाय ने रखा है जिसमें राज्य सरकारों के प्रमुख इंजिनीयर हैं। उन्होंने यह प्रस्ताव १९४३ में रखा था। उन्होंने इसे १९६१ में अपने भोपाल में अधिवेशन में दोहराया है।

†**श्री तंगामणि** : क्या आज कल कोई राज्य सड़क बोर्ड काम कर रहे हैं और यदि हा, तो वे किन किन राज्यों में हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : उस रूप में नहीं जिसमें भारतीय सड़क कांग्रेस के संकल्प में प्रस्ताव किया गया है।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : वर्तमान प्रबन्ध क्या है ? सरकार विभिन्न नियमों और विभिन्न राज्य परिवहन प्राधिकारों द्वारा दिये गये आदेशों का जो कभी कभी एक दूसरे के प्रतिकूल होते हैं, समन्वय कैसे करती है ? इस प्रकार की प्रतिकूलता की एक घटना हाल में ही ग्रांड ट्रक रोड पर भरे खुले मोटर ठेलों तथा अन्य वस्तुओं को ले जाने के सम्बन्ध में हुई थी।

†**श्री राज बहादुर** : अन्तर्राज्यीय सड़क परिवहन समन्वय के लिये अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग है जिसकी रचना मोटर गाड़ी एक्ट के संबंधित उपबन्धों के अन्तर्गत होती है। जहां तक अन्तर्राज्यीय सड़क परिवहन का सम्बन्ध है, यह मुख्य कर राज्य का विषय है। नीतियों तथा प्रोग्रामों का यथासंभव समन्वय राज्यों की स्वतन्त्रता को ध्यान रख कर परिवहन विकास परिषद् नामक एक निकाय और अन्तर्देशीय जल परिवहन नामक एक उपनिकाय तथा सड़क मंत्रणा समिति द्वारा किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सिलीगुड़ी रेल दुर्घटना

+

†*३७४. श्री सुबोध हंसदा :
श्री नेंक राम नेगी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेम बरुआ :
श्री साधन गुप्त :

क्या **रेलवे** मंत्री २० अप्रैल, १९६१ को लोक सभा में दिये गये विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलीगुड़ी रेल दुर्घटना के सम्बन्ध में जांच समाप्त हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) दुर्घटना का मुख्य कारण क्या था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** :(क) हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). सरकारी रेलवे निरीक्षक की अस्थायी उपपत्तियों के अनुसार, दुर्घटना कुछ अपरिचित व्यक्तियों द्वारा एक जोड़ से फिश प्लेटों तथा फिश बोल्टों के हटाये जाने और पटरियों में पांच इंच का अन्तर किये जाने के कारण हुई थी ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : ऐसी दुर्घटनायें प्राय: होने के कारण, सरकार इन्हें रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : हम सभी सावधानी बर्तते हैं । परन्तु दुर्घटनायें होती ही हैं ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : ठीक कितने व्यक्ति मरे ? क्या सरकार ने पीड़ितों को कोई प्रतिकर दिया है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : दुर्घटनास्थल पर ३० व्यक्ति मर गये और ९१ व्यक्ति घायल हुए । बाद में पांच और मर गये । कोई प्रतिकर नहीं दिया गया है । परन्तु ७,७६० रु० का प्रसिदत: भुगतान किया गया है । एक दावा आयोग नियुक्त किया गया है और दावे मांगे गये हैं । १,२४,९७८ रु० के ४३ दावे आये हैं । अभी तक कोई भी दावा नहीं निपटाया गया है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : प्रारम्भिक जाच की उपपत्ति से ऐसा प्रतीत होता है कि जान्कर गड़बड़ी की गई है । क्या यह पता लगाने के लिये और जांच की जा रही है कि क्या गड़बड़ी साधारण डाकुओं द्वारा की गई थी ? क्या दुर्घटना के साथ डकैती डालने का भी कोई प्रयत्न किया गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** गवर्नमेंट रेलवे पुलिस सिलीगुड़ी ने मामला दर्ज किया है। अब यह पश्चिम बंगाल के उप-महानिरीक्षक के हाथ में है। वह मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं।

†**श्री विश्व नाथ राय :** दुर्घटना के कारणों को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार दुर्घटना के इन कारणों की दैनिक देखभाल और पता लगाने का प्रबन्ध कर रही है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** यह एक असाधारण दुर्घटना है जो कुछ लापता व्यक्तियों द्वारा जोड़ों के हटाये जाने से हुई थी। रात्रि में गश्त लगाने वाली हमारी टुकड़ियां हैं। हमारे गेंगमेन हैं जो गश्त लगाने का काम करते हैं।

भारत-पाक रेल सेवा

†*३७५. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री आसर :
श्री प० ला० बारूपाल :

क्या **रेलवे** मंत्री १ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत-पाक रेल सेवा के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) किये गये करार की शर्तें क्या हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं जानना चाहता हूं कि अभी यह प्रश्न किस स्तर पर है और क्या सरकार ने यह निश्चय किया है कि किस अन्तिम समय तक इसको अन्तिम रूप दे दिया जाएगा ?

श्री शाहनवाज खां : यह उसी स्तर पर है जिस पर पहले था।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरा प्रश्न यह था कि यह प्रश्न किस स्तर पर है, अभी तक यह बातचीत कहां टिकी हुई है, कितने अंशों में हमें इसमें सफलता मिली है और कितने स्तर इस प्रकार के हमें अभी पार करने को बाकी हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जितना पहले पार्लियामेंट को मालूम था, वही है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : माननीय रेल मंत्री जी कुछ इसका उत्तर देना चाहते हैं अगर आप उनको ऐसा करने का अवसर दे दें।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : में कोई नई बात नहीं बता सकता हूं। यह उसी जगह पर हैं जहां पर यह पहले था।

†**श्री त्यागी** : क्या मैं यह समझ लूं कि अभी तक प्रश्न अन्तिम रूप से समाप्त नहीं कर दिया गया है? मेरा यह विचार था कि संसद् के विचारों के रुख के पश्चात् सरकार इस प्रश्न को समाप्त करने के बारे में, विशेषकर पाकिस्तानी अधिकारियों के रवैये को देखते हुये, निश्चय करेगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि यह उस स्थान पर है जहां यह था तो मा० सदस्य क्यों इसे किसी न किसी तरह से हटाने का प्रयत्न करते हैं?

†**श्री त्यागी** : विचार भी हो सकता है छोड़ दिया जाय। इससे अनावश्यक तौर पर कठिनाइयां पैदा होती हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि क्या यह पूर्णतया छोड़ दिया गया है।

†**श्री जगजीवन राम** : जब मैं यह कहता हूं कि यह वहीं है जहां था, तो इसका यह अर्थ है कि यह वहीं है।

†**श्री हेम बरुआ** : पिछले अवसर पर यह पता चला था कि सरकार पश्चिम बंगाल सरकार के साथ बातचीत कर रहीं थी और पश्चिम बंगाल की सरकार ने कुछ आपत्तियां उठाई थीं। उस बातचीत का क्या बना? वह किस स्थिति में है? क्या कुछ आपत्तियां की गई हैं। क्या यह वहीं पर है?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह उत्तर दे चुके हैं।

†**श्री जगजीवन राम** : न्यूनाधिक यह उसी स्थिति में है। हमने विविध राज्य सरकारों को पूछा है और उन के उत्तर हमारे पास आ गये हैं।

श्री न० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में वार्ता किस सरकार की ओर से गतिरोध पर है, हमारी ओर से या पाकिस्तान की ओर से?

उपाध्यक्ष महोदय इसका जवाब दिया जा चुका है। बार बार इसको दोहराया नहीं जाना चाहिये।

श्री जगजीवन राम : मैं आनरेबल मैम्बर से कहूंगा कि वह पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्ज़ को देख लें, उनको जवाब मिल जाएगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न संख्या ३८२ को भी प्रश्न संख्या ३७६ के साथ ले लिया जाए।

†**सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री नाथी)** : जी हां।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : दोनों का इकट्ठा उत्तर दे दिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

सिन्धु जल सन्धि

+

*३७६. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से १९६० की सिन्धु जल सन्धि पर हस्ताक्षर किये गये हैं तब से अब तक उसे व्यवहार में लाने की क्या स्थिति है ;

(ख) इसके उपबन्धों को उचित रूप से लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई या की जायेगी ;

(ग) क्या अब तक कोई झगड़ा या मतभेद पैदा हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उसे निवटाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) तथा (ख). सिन्ध जल सन्धि, १९६० पर १९ सितम्बर १९६० को कराची में हस्ताक्षर हुए थे, और इसका अनुसमर्थन नई दिल्ली में १२ जनवरी, १९६१ को हुआ था, जिस समय अनुसमर्थन के अधिकार पत्रों का भारत तथा पाकिस्तान के प्रतिनिधयों के बीच विनियमन हुआ था। तब से, सिन्ध जल सन्धि, १९६० के कार्यान्वन के लिये बनाये गये स्थाई सिन्ध कमीशन की तीन बैठकें हुई है। जैसाकि सन्धि में दिया गया है, स्थाई सिन्ध कमीशन ने अपनी प्रथम वार्षिक रिपोर्ट दोनों सरकारों को ३१ मई, १९६१ को प्रस्तुत करी।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

स्थायी सिन्धु आयोग

†*३८२. श्री नाथ पाई :
श्री दामानी :
श्री आसर .

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्धु जल समझौते के अधीन निर्मित स्थायी सिन्धु आयोग की बैठक ९ मई, १९६१ को रावलपिंडी में हुई थी ;

(ख) क्या उसने सरकार को कोई प्रतिवेदन किया है ;

(ग) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) क्या प्रतिवेदन की कोई प्रति पटल पर रखी जायेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां ।

(ख) जी, हां। अनुमान है कि मा० सदस्य ३१ मार्च १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये आयोग के वार्षिक प्रतिवेतन का उल्लेख कर रहे हैं ।

(ग) और (घ). वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रख दी गई। देखिये एल० टी० ३०८१/६१]**

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या यह सन्धि होने के बाद कुछ पानी हटा लिया गया है ?

†**श्री हाथी** : जहां तक पानी की मात्रा का प्रश्न है, यह सन्धि की शर्तों के अनुसार किया गया है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत सरकार ने कच्छ को सिंध वाटर्ज़ देने की एक प्रतिज्ञा की थी और ऐसा एक प्रस्ताव मौजूद था । मैं जानना चाहता हूं कि अब जो संधि हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसके बाद हमने क्यों उस क्षेत्र को पानी देने से इन्कार कर दिया है जबकि सरकार के पहले के निश्चय के अनुसार उसे पानी मिलना चाहिये था ?

†**श्री हाथी** : मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई आपत्ति नहीं है । यह प्रश्न स्थायी सिन्धु आयोग के बारे में है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न की गई सन्धि और उसके अनुपालन के बारे में है। इस बारे में नहीं है । कि इसमें क्या बात शामिल नहीं की गई है ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : पिछले सत्र में भी इसका उत्तर नहीं दिया गया । अब मैंने इसे दूसरे सत्र में पूछा है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे इसका खेद है ।

†**श्री वी० चं० शर्मा** : भारत ने अब तक इस आयोग को कितनी राशि दी है और आगामी वर्षों के लिये हमारी सरकार ने क्या देने के लिये वचन दिये हैं ?

†**श्री हाथी** : सिन्धु आयोग के गठन का यह अर्थ है कि दोनों सरकारों द्वारा एक एक आयुक्त नियुक्त किया जाये । भारत सरकार ने एक आयुक्त नियुक्त कर दिया है और पाकिस्तान सरकार को अभी नियुक्ति करनी है । दोनों आयुक्तों को मिलकर सिन्धु जल आयोग बनेगा । जहां तक भारत का संबंध है, हमें आयुक्त के कर्मचारीवृन्द, उपआयुक्त और प्रविधिक कर्मचारियों का व्यय उठाना होगा । इस निदेशालय के यथार्थ बजट के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

†**श्री दामानी** : क्या आयोग सन्धि के कार्य संचालन और प्रगति से संतुष्ट है ?

†**श्री हाथी** : जैसा कि मैंने प्रश्न के उत्तर में बताया है, पुष्टि १२ जनवरी को की गई थी । प्रतिवेदन ३१ मार्च तक है । मुश्किल से २ या १½ महीनों का समय बीच में है । अतः इस स्थायी आयोग को प्रतिवेदन देने के लिये कोई बात नहीं थी ।

†**श्री आसर** : क्या आयोग बातचीत या बैठकों के द्वारा आयोग की प्रक्रिया का फैसला कर लिया गया है, यदि नहीं, तो प्रक्रिया कब निर्धारित की जायेगी ?

†**श्री हाथी** : प्रक्रिया निर्धारित कर ली गई है । परन्तु व्योरे के बारे स्थायी सिन्धु आयोग की तीन बैठकों में चर्चा की गई थी ।

†**श्री महन्ती** : सिन्धु आयोग ने सिन्धु नदी के किन नदी क्षेत्रों की जांच की है। और जल के वितरण के बारे में क्या सिफारिशें की गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी** : प्रतिवेदन की तिथि १२ जनवरी से ३१ मार्च तक से पूर्व सन्धि की पुष्टि के पश्चात् आयोग द्वारा कोई जांच की जाने की सूचना नहीं मिली है।

श्री म० ला० द्विवेदी : इस सन्धि के पालन के फलस्वरूप क्या भारत को अतिरिक्त कुछ पानी मिल सकेगा ?

†**श्री हाथी** . अवश्यमेव; सन्धि में यह उपबन्ध है। हमें अधिकाधिक जल मिलेगा।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : भारत ने अब तक कितनी राशि दी है और क्या पश्चिम पाकिस्तान में कोई निर्माण आरम्भ किया गया है या नहीं ?

†**श्री हाथी** : जैसा कि सभा को विदित है, पहली किश्त दे दी गई है। १० वार्षिक किश्तें देनी हैं। हमने ८३ लाख रुपये* दिये हैं।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : दूसरे भाग की क्या हालत है, क्या कोई निर्माण आरम्भ किया गया है या नहीं।

†**श्री हाथी** : हमें कोई सूचना नहीं है कि क्या कोई निर्माण आरम्भ किया गया है या नहीं।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : अनुच्छेद ७ (क) में लिखा है कि पाकिस्तान को बाढ़ संबंधी चेतावनियां भेजने के लिये भारत में वायरलैस स्टेशन स्थापित करेगी। इन वायरलैस स्टेशनों का कौन संचालन करेगा ?

†**श्री हाथी** : वायरलैस स्टेशनों की स्थापना का उपबन्ध बाढ़ संबंधी चेतावनी देने के लिये है और जब कभी भारी वर्षा होती है बाढ़ सम्बन्धी सूचनायें देनी पड़ती हैं और कौन सरकार व्यय बर्दाश्त करेगी इसका अन्तिम रूप से अभी फैसला नहीं किया गया है।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : इन वायरलैस स्टेशनों को कौन चलायेगा ?

† **श्री त्यागी** : क्या हमने जो राशि दी है वह पाकिस्तान में किये गये वास्तविक निर्माण से अलग है ? अर्थात क्या हम देते ही रहेंगे चाहे वहां कोई निर्माण हो या न हो ?

†**श्री हाथी** : जी, नहीं। सन्धि में भुगतान का तरीका दिया गया है और भुगतान दस वर्षों में पूरा करना है। सन्धि में यह भी उपबन्ध है कि यदि वे अवधि बढ़ाना चाहें तो हमें उसके अनुसार कमी करने का हक़ है।

† **श्री त्यागी** : क्या हम देते ही रहेंगे ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पहले ही पूछ लिया था और अब पुनः वही प्रश्न पूछ रहे हैं।

†**श्री त्यागी** : उत्तर स्पष्ट नहीं है। क्या हम देते ही रहेंगे चाहे वे इसका उपयोग निर्माण कार्य के लिए न करते हों और इसका उपयोग अन्यत्र करते हों ? क्या तब भी हम देते रहेंगे ?

---

*बाद में इसे शुद्ध करके ८ करोड़ ३० लाख रुपये किया गया।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी :** इस की जांच करना आयोग का काम नहीं है और हमारे पास आयोग से ऐसा कोई प्रतिवेदन नहीं आया है। मैं ने अभी जो उत्तर दिया था उसमें कुछ संशोधन करना चाहता हूं। मैं ने बताया था कि ८३ लाख रुपये दिये गये थे परन्तु वास्तव में यह राशि ८ करोड़ ३० लाख की है ८३ लाख की नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय चीनी परिषद्

+

†*३७७. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री पांगरकर :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री राजेन्द्र सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४६९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय चीनी परिषद् का सदस्य बनने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार किस नतीजे पर पहुंची है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) और (ख). जी, हां। हम अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार में शामिल हो गये हैं।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** इस करार में शामिल होने से हमें किस प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे ?

†**श्री अ० म० थामस :** सब से पहले तो हमें इस करार में शामिल होना है क्योंकि यह अमरीका को हमारे निर्यात का मामला है? वे चीनी केवल शामिल होने वाले देशों से ही ले सकते हैं। फिर हमें, अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार के अधीन १५०,००० मीट्रिक टन का अभ्यंश मिलता है। हम उसको शामिल होने वाले देशों को निर्यात कर सकेंगे, अर्थात् यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार में शामिल हों, तो करार के आयात करने वाले देशों को चीनी भेज सकेंगे।

†**पंडित कृ० चं० शर्मा :** अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार में शामिल होने के पश्चात् कुल कितना निर्यात हम कर सकेंगे ?

†**श्री अ० म० थामस :** यह इस बात पर निर्भर होगा कि हमारे पास इस वर्ष के निर्यात के लिये शेष कोटा लगभग ३०,००० टन है। अगले वर्ष के लिये सितम्बर में दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय चीनी सम्मेलन होगा, और तब इन अभ्यंशों पर पुनर्विचार किया जायेगा। हम विश्व बाजार को निर्यात करने के लिये अधिक अभ्यंश की मांग कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार के सदस्य बनने से विश्व बाजार को चीनी का हमारा निर्यात सीमित हो जायेगा और यदि हां, तो सही स्थिति क्या है ?

†**श्री अ० म० थामस** : इस से विश्व बाजार या निर्बाध बाजार को हमारा निर्यात सीमित हो जायगा, अर्थात १५०,००० मीट्रिक टन तक । परन्तु इस करार द्वारा नियत इस अभ्यंश के अन्दर अमरीका को होने वाला हमारा निर्यात नहीं आएगा, अर्थात् उसे इस करार के खंड १३ के अन्तर्गत छूट है। परन्तु अमरीका के लिये यह बंधन है कि वह केवल करार के सदस्य राष्ट्र से ही आयात कर सकता है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या करार के सदस्य बनने का यह अर्थ हो सकता है कि अमरीका हमारे निर्यात के लिये नकद दाम न देकर वहां से गेहूं का फालतू निर्यात कर दे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : नहीं, इसकी कीमत नकद डालरों में मिलेगी ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या करार के अन्य सदस्य ईरान और पाकिस्तान भारत से कोटा स्वीकार करके इस करार के अनुसार उसे इन्कार कर सकते हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : नहीं, पाकिस्तान उस करार में शामिल नहीं है ।

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : ईरान की क्या स्थिति है ?

†**श्री अ० म० थामस** : ईरान करार में शामिल नहीं हुआ ।

†**श्री स० का० पाटिल** : जब तक किसी देश के पास निर्यात करने को कुछ नहीं वह इस करार में शामिल नहीं होगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : अन्तर्राष्ट्रीय चीनी परिषद् में शामिल होने में सरकार ने क्यों इतना विलम्ब किया और पहले शामिल क्यों नहीं हुए ताकि हम अधिक चीनी का निर्यात कर सकते ?

†**श्री स० का० पाटिल** : हम बहुत पहले अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार के सदस्य थे परन्तु तब हमारे पास २० वर्ष तक निर्यात करने के लिये कुछ नहीं था, अतः हम इसमें शामिल नहीं हुए। परन्तु अब जब हम निर्यात कर सकते हैं फिर इस में शामिल हो गये हैं।

†**श्री विभूति मिश्र** : यह इंटरनेशनल शुगर काउंसिल अपने विभिन्न सदस्य देशों में पैदा की जाने वाली चीनी की कीमत तै करती है। मैं जानना चाहता हूं कि इस कीमत को तै करने का क्या सिद्धान्त है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मूल्य बाजार के मूल्य हैं और वहां जो मूल्य होते हैं हमें उनको स्वीकार करना पड़ता है ।

†**श्री विश्व नाथ राय** : भारत में चीनी का बहुत उत्पादन होता है इस दृष्टि से क्या यह करार किये जाने के पश्चात् यथासमय, निर्यात के लिये भारत का अभ्यंश बढ़ा दिया जाएगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० का० पाटिल**: मैं कल कह चुका हूं कि भविष्य में ५ लाख टन से अधिक निर्यात का हमारा इरादा नहीं है। यदि यह सीमित है तब निश्चय ही हम अमरीका को निर्यात और अन्तर्राष्ट्रीय अभ्यांश के बीच इसे कर लेंगे।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार के जो देश सदस्य नहीं हैं उनके लिये निर्यात भावों का कैसे निश्चय किया जाता है। और क्या यह भाव निर्धारण केवल भारत सरकार के द्वारा किया जाता है या उन देशों के द्वारा? यदि हां, तो इस का क्या कारण है कि ईरान ने प्रति टन २४ पौंड की पेशकश की और वित्त मंत्रालय ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, अतः वह निर्यात नहीं हो सका।

†**श्री अ० म० थामस** : अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार में शामिल होने से पूर्व हम ईरान, पाकिस्तान, मध्य पूर्व के देशों, मलाया और इस प्रकार अन्य देशों को, जो इस करार के सदस्य नहीं हैं, और जो चीनी का आयात करते हैं, कितना भी निर्यात कर सकते थे। करार में शामिल होने से पूर्व भी हमने इन देशों को लगभग एक लाख टन का निर्यात किया था।

इन्टीग्रल कोच फैक्टरी, पेरम्बूर में रेल कारों का निर्माण

†*३७८. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री नेकराम नेगी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन्टीग्रल कोच फैक्टरी, पेरम्बूर में रेल कार तथा अन्य प्रकार के यात्री डिब्बों के निर्माण का प्रस्ताव किस स्थिति पर है?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: ३६ ब्राड गेज और ४४ मीटर गेज रेल कारों के लिये एक विकास आर्डर इन्टीग्रल कोच फैक्टरी, पेरम्बूर को मार्च १९६१ में दिया गया था।

ब्राड गेज की तीसरी श्रेणी के डिब्बों के अतिरिक्त, फैक्टरी ने ब्राड गेज की तीसरी श्रेणियों के स्लीपर डिब्बे और तीसरे दर्जे के माल और ब्रेक डिब्बे बनाए हैं। इस समय फैक्टरी ब्राड गेज की प्रथम श्रणी के डिब्बे बना रही है।

तीसरी योजना अवधि के अन्दर ब्राड गेज की मिली जुली पहली और तीसरी श्रेणियों के डिब्बे, ब्राड गेज बिजली बहुएकक डिब्बे तथा मीटर गेज के डिब्बे बनाने का भी कार्य क्रम बनाया गया है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : रेल कारों की हमारी वार्षिक आवश्यकता क्या है और क्या वह आवश्यकता इस फैक्टरी के द्वारा पूरी की जायेगी?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : वार्षिक आवश्यकतायें कहीं अधिक हैं, परन्तु तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर हमने वहां ३७२३ डिब्बे बनाने का कार्यक्रम बनाया है।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : तीसरी श्रेणी की गाड़ियों या जनता गाड़ियों में तीन पंक्ति वाले डिब्बों के स्थान पर दो पंक्ति वाले डिब्बे जारी करने के बारे में सरकार के निर्णय की दृष्टि से, पैराम्बूर में कितने डिब्बे बनाये गये हैं और गाड़ियों में चलाये गये हैं।

---

†भूल अंग्रेजी में

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** हम दो पंक्ति वाले तथा तीन पंक्ति वालें दोनों डिब्बे बना रहे हैं। दो पंक्ति वाले डिब्बों की संख्या लगभग २५ होगी; शेष तीन पंक्ति वाले डिब्बे होंगे, और तीन पंक्ति वाले १२५ डिब्बे बनाये गये हैं।

†**श्री तंगामणि :** कब तक इन ८० रेल कारों के तैयार हो जाने की संभावना है और क्या ये कारें उन क्षेत्रों को दी जायेंगी जहां पुरानी कारें प्रयोग में लाई जा रही हैं, उदाहरणार्थ नीदामंगलम-मन्नार गूड़ी क्षेत्र ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** ८० नहीं, बल्कि १९७ रेल कारों के निर्माण का हमारा कार्यक्रम है और यह १९६४-६५ में आरम्भ किया जायेगा।

†**श्री तंगामणि :** क्या ये कारें नीदामंगलम-मन्नारगुड़ी क्षेत्र में उपलब्ध की जायेंगी ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अभी यह कहना कठिन है कि ये किन क्षेत्रों को दी जायेंगी। मा० सदस्य इस प्रश्न को बाद में उठा सकते हैं।

†**श्री तंगामणि :** मा० मंत्री ने कहा है कि ४४ मीटर गेज और ३६ ब्राड गेज रेल कारें इन क्षेत्रों के लिये बनाई जायेंगी और इन के लिये मार्च १९६१ में आर्डर दिये जा चुके हैं। ८० रेल कारों का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ? मैं उनके बड़े कार्यक्रम के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। क्या वे इस वर्ष के अन्दर इन ८० कारों का निर्माण कर रहे हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** मार्च १९६१ में आर्डर दिया गया था, परन्तु वास्तविक कार्य १९६४-६५ में आरम्भ किया जायेगा क्योंकि हमारे पास दूसरे काम पूरे करने को हैं।

†**श्री दामानी :** पिछले वर्ष स्थानीय आवश्यकता के लिये कितने डिब्बे बनाये गये थे और कितने निर्यात के लिये थे ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** सब स्थानीय उपयोग के लिये हैं।

†**श्री हेडा :** मा० उपमंत्री ने उत्तर दिया है कि रेल कारों का निर्माण कार्य १९६४-६५ में आरम्भ किया जायेगा। क्या उन मार्गों पर जहां ये रेल कारें इस समय चल रही हैं, क्या वहां चलने वाली रेल कारों की वर्तमान संख्या कायम रखी जायेगी या इसे समाप्त कर दिया जायेगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** हमने १२० मीटर गेज कारों, ६७ ब्राड गेज और १० नैरो गेज कारों के निर्माण का कार्यक्रम बनाया है। निसंदेह इन से रेल कार की सेवा में वृद्धि होगी।

†**श्रीमती कृष्णा मेहता :** क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो नये डिब्बे लगाये गये हैं उन डिब्बों के अन्दर जो बन्द करने का बोल्ट होता है वह कई डिब्बों में टूट गया है और उसकी जगह जो चीज लगाई गई है वह ठीक न होने से अक्सर दर्वाजा खुल जाता है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** क्या प्रश्न इन्टीग्रल कोच फैक्टरी के डिब्बों की सिटकिनी के बारे में है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह कार्रवाई के लिये सुझाव है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० चं० सामंत :** मा० मंत्री ने बताया है कि रेल कारों और डिब्बों की मांग संभरण की अपेक्षा अधिक है। क्या तीसरी योजना अवधि में इस कोच फैक्टरी का विस्तार किया जायेगा या दूसरी फैक्टरी स्थापित की जायेगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** हमने पहले ही दूसरी पारी शुरू कर दी है। उत्पादन लक्ष्य ३५० था, दूसरी पारी चलने के पश्चात् हाल ही में हमने बढ़ा कर ६४० कर दिया है। हमें दो पारियों के लिये ७०० का उत्पादन करना है जिसे हम अति शीघ्र पूरा कर लेंगे।

दिल्ली में घरेलू कामों के लिये गैस का उपयोग

†

†*३७९. **श्री राधा रमण :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री हेडा :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री वाजपेयी :
श्री चुनी लाल :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के लिये कोई ऐसी योजना अन्तिम रूप से स्वीकार कर ली है जिसके अधीन भोजन बनाने और औद्योगिक कार्यों के लिये गैस, अंशतः अथवा पूर्णतः कोयले साफ्ट कोक तथा अन्य ईंधन का स्थान ले लेंगी तथा इस प्रकार कोयले की कमी से प्रायः जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है वह नहीं होने पायेगी ;

(ख) यदि हां, तो यह योजना किस प्रकार की है ; और

(ग) इसे किस प्रकार और कब क्रियान्वित करने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता जाता है।

विवरण

नगर आयोजना संगठन ने दिल्ली में घरेलू ईंधन के तौर पर गैस के उपयोग के बारे में अध्ययन करके 'दिल्ली के लिये गैस' नाम से एक प्रतिवेदन तैयार किया है। प्रतिवेदन में दिल्ली में वर्तमान घरेलू ईंधन के संबंध में गैस और सौफ्ट कोक के लाभ हानि का विश्लेषण है और इस में यह तर्क किया गया है कि मंहगे वाणिज्यिक ईंधन के स्थान पर सौफ्ट कोक और कोयले का गैस प्रयोग में लाया जाना चाहिये; और ये दोनों चीज़ें कोयले के कार्बनीकरण के उप-उत्पाद हैं। इस के लिये हार्ड कोक को लाने और इसे लाने के लिये कम व्यय करने की जरूरत है ताकि दोनों उप-उत्पाद अर्थात् गैस और सौफ्ट कोक का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। इससे दिल्ली में सब आय वर्गों में घरेलू ईंधन का व्यय कम होने में सहायता मिलेगी।

२. प्रतिवेदन संबद्ध प्राधिकारियों को उनके विचारार्थ तथा कार्यवाही के निमित्त भेज दिया गया है।

†**श्री राधा रमण :** विवरण में कहा गया है कि नगर आयोजना संगठन ने इस योजना के लाभ हानि का विश्लेषण करके अधिकारियों को अपना प्रतिवेदन दे दिया है। इस संगठन ने क्या सिफारिशें की हैं और क्या इस योजना को कार्यरूप में लाने के लिये मशीनरी का आयात करना पड़ेगा ? यदि हां तो संगठन द्वारा बताई गई योजना पर कितनी लागत आएगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री करमरकर : संगठन ने इस परियोजना के आर्थिक पहलुओं का हिसाब लगाया है। संक्षेप में, इसका यह अभिप्राय है कि हार्ड कोक का आयात किया जाए और तब उससे सौफ्ट कोक एवं गैस बनाया जाए। उपभोक्ता के लिये यह सस्ता पड़ेगा ऐसा अनुमान है।

मशीनरी के आयात के बारे में मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

†श्री राधा रमण : सौफ्ट तथा हार्ड कोक प्राप्त करने में दिल्ली के नागरिकों को प्रतिवर्ष जो कठिनाई होती है उस का ध्यान करते हुए क्या प्रतिवेदन प्राप्ति के पश्चात् सरकार इस योजना को चलाने और शीघ्र इस को कार्य रूप में लाने का विचार कर रही है?

†उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्य के लिये सुझाव है।

†श्री यादव नारायण जाधव : प्रतिवेदन में बताया है कि गैस और सौफ्ट कोक के उपयोग से सब आय वर्गों में दिल्ली में घरेलू ईंधन का व्यय कम होने में सहायता मिलेगी। कितने प्रतिशत ईंधन व्यय कम हो जायेगा?

†श्री करमरकर : दिल्ली में घरेलू ईंधनों पर इस समय औसतन मासिक व्यय लगभग ११ रुपये मासिक होता है। इसमें कमी करके ७.५ रुपये मासिक तक हो सकता है। यह अनुमान है।

यंत्रीकृत कृषि फार्म

†*३८०. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कोडियान :
श्री आसर :
श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंहजी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २४ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के सूरतगढ़ यंत्रीकृत कृषि फार्म के नमूने के अन्य फार्मों की स्थापना के प्रश्न पर इस बीच अन्तिम रूप से विचार किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चय किया गया है; और

(ग) क्या ऐसे नये फार्मों की स्थापना के लिये कृषि उपकरण प्राप्त करने के लिये रूस के साथ बातचीत की गयी है?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) और (ख). राजस्थान में जेतसर में सूरतगढ़ फार्म के नमूने पर दूसरा यंत्रीकृत फार्म स्थापित करने का विचार है। संचालन संबंधी ब्योरे का परीक्षण किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

†श्री दी० चं० शर्मा : दूसरा यंत्रीकृत फार्म राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है?

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : क्योंकि वहां स्थान उपलब्ध है । किन्हीं किसानों को हटाने का कोई प्रश्न नहीं है । किसी दूसरे स्थान पर ३०,००० एकड़ सिचाई वाली भूमि अधिग्रहण करने के लिये हमें कम से कम २०,०००–३०,००० किसानों को हटाना पड़ता है, जो पहले से भूमि में खेती कर रहे हों, जब कि यहां भूमि बेकार पड़ी है और बंजर पड़ी है । उस क्षेत्र में बहुत शीघ्र राजस्थान नहर आ रही है । अतः हमने सोचा कि हम उस क्षेत्र में दूसरा यंत्रीकृत फार्म आरंभ कर सकते हैं ।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या सूरतगढ़ के यंत्रीकृत फार्म में अभी तक कोई लाभ हुआ है या यह घाटे की परियोजना है ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : नहीं श्रीमान्, इसमें लाभ हो रहा है ।

†श्री कासलीवाल : इस प्रकार का यंत्रीकृत फार्म चलाने का अब तक कुछ अनुभव अवश्य हो गया होगा । क्या इस फार्म को चलाने में कोई छोटे या बड़े नुक्स पाये गये हैं और यदि हां, तो क्या उन की ओर ध्यान दिया जाएगा और स्थापित किये जाने वाले दूसरे फार्म में उन को ठीक किया जाएगा ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : जब हम इतनी बड़ी योजना का यंत्रीकृत फार्म चलाते हैं तो बहुत से छोटे का और बड़े नुक्स होते हैं विशेषकर राजस्थान और पंजाब सरकार के बीच जल के लिये हमेशा झगड़ा बना रहता है । हम उनको जल आवंटन करने को कहते हैं । ऐसी छोटी चीजें किसानों के भाग्य की बात हैं । जब वे ऐसे काम आरंभ करते हैं तो उन्हें बहुत कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ता है ।

†श्री रंगा : क्या सरकार ने प्राक्कलन समिति की उपपत्तियों और सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है, जिसने सूरतगढ़ के फार्म के संचालन की विस्तारपूर्वक जांच की है विशेषकर उन की इस आलोचना के बारे में कि कुल व्यय का २५ प्रतिशत व्यय केवल कर्मचारियों के ऊपर किया जा रहा है ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : जी, नहीं । मैंने प्राक्कलन समिति का समूचा प्रतिवेदन पढ़ा है । हमने इसकी ओर ध्यान भी दिया है । आलोचना का बड़ा अंश फार्म के संचालन के बारे में नहीं बल्कि कुछ प्राक्कलनों के बारे में है । हमने इमारत के निर्माण पर जितना रुपया खर्च किया है उससे अधिक उपबंध किया था । वह भरुभूमि क्षेत्र है जहां पीने के जल के लिये भी हमें दूर के स्थान से रेलवे गाड़ी के द्वारा पानी लाना पड़ता है । अतः किसी ठेकेदार ने टेंडर नहीं दिया और इमारत बनाना स्वीकार नहीं किया । हमने निर्माण कार्य के लिये ६० लाख रुपये का उपबंध किया था ; हमने केवल १२ या १५ लाख रुपया खर्च किया है । इसमें हमारा दोष नहीं है, किन्तु उस क्षेत्र के हालात ही ऐसे हैं ।

†श्री कोडियान : भाग (ग) का उत्तर 'नहीं' है क्या मैं यह समझूं कि इस नये यंत्रीकृत फार्म के लिये अपेक्षित सब भारी उपकरण भारत में तैयार किया जाता है ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : नहीं, इसका यह अर्थ नहीं है । प्रश्न यह था कि क्या हमने मशीनरी के लिये रूस से प्रार्थना की थी, और हमने इन्कार कर दिया । हम अपना फार्म स्वयं चला सकते हैं यदि वित्त मंत्री हमें अपेक्षित विदेशी मुद्रा दें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इस प्रकार के यंत्रीकृत फार्म की स्थापना को सरकार अभी भी प्रयोगात्मक समझती है या क्या इसे कृषि के आयोजित कार्यक्रम का भाग स्वीकार कर लिया गया है ?

†उपाध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या दूसरे फार्म की स्थापना अभी प्रयोगात्मक आधार पर है या इसे नीति के तौर पर स्वीकार कर लिया गया है ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : इस उद्देश्य के लिये नियुक्त समिति ने यह स्थान चुना । हम कार्य-संचालन के ब्योरे का परीक्षण कर रहे हैं और उन के बारे में राज्य सरकार के साथ चर्चा कर रहे हैं । प्रस्ताव यह है कि यह केन्द्रीय वित्त और प्रविधिक सहायता के साथ यह राज्य सरकार दे दें और उन्हें इसको चलाने को कहें । अभी तक हमें राज्य सरकार की प्रतिक्रिया मालूम नहीं हुई है ।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

†उपाध्यक्ष महोदय : अभी हम उस स्थिति में नहीं पहुंचे कि कह सकें कि यह नीति का मामला है ।

†श्री आप्टर : इस फार्म के लिये मशीनरी खरीदने पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च आएगी ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : फार्म पूरा करने और सब सामान खरीदने पर १ करोड़ रुपये की जरूरत है ।

†श्री त्यागी : सूरतगढ़ फार्म पर विदेशी मशीनरी समेत कुल कितनी पूंजी लगी है और पिछले वर्ष कितना शुद्ध लाभ हुआ है ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : यदि माननीय सदस्य पर्याप्त पूचना दें तो मैं विस्तारपूर्वक उत्तर देने को तैयार हूं । परन्तु गेहूं के मामले में लागत प्रति एकड़ २२० रुपये होती है जो प्रमुख फसल है जब कि हमें ३०० रुपये प्राप्त होते हैं । दूसरी सर्वोत्तम फसल धान की है ।

†श्री त्यागी : आवर्त्तक लागत कितनी है ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : लागत में खेती की लागत, सब चीजों का अवक्षयण व्यय एवं पूंजी नियोजन का ब्याज शामिल होते हैं ।

†श्री अ० चं० गुह : क्या व्यवस्था व्यय भी शामिल है ?

†पंडित कृ० चं० शर्मा : क्या सरकार ने किसानों को कृषि विशेषज्ञों के तौर पर प्रशिक्षण देने के हेतु फार्म के साथ एक कृषि संबंधी प्रौद्योगिकी संस्था लगाने की कोई व्यापक योजना बनाई है ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : वहां हमारी वर्कशाप चल रही है ....

†पंडित कृ० चं० शर्मा : वर्कशाप नहीं । मैं प्रौद्योगिकी संस्था पूछ रहा हूं ।

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : एक फार्म में हमें प्रौद्योगिकी संस्था की आवश्यकता नहीं होती । हमारी एक कुशल वर्कशाप वहां है जिसमें अपने लोगों को प्रशिक्षण देने के लिये आवश्यक लोग हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तिरुमल राव** : प्राक्कलन समिति ने त्रुटिपूर्ण खेती के कराण धन की भारी हानि और बाढ़ आदि के जो नुक्स बताये हैं उन को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने यह निश्चय किया है कि दूसरा फार्म आरंभ करने से पूर्व वे इस व्यवस्था को पूरा करें ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री रंगा ने भी ऐसा ही प्रश्न पूछा था ।

†**श्री प्र० के० देव** : क्या सरकार इन फार्मों को देश के दूसरे भागों में भी स्थापित करने का विचार करती है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** . इसका कारण बता दिया गया है ।

बम्बई पत्तन के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ का प्रतिवेदन

+

†*३८१. { **श्री हेम बरुआ** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री पांगरकर :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह १६ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ, श्री पोस्थूमा, ने इस बीच बम्बई पत्तन के आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** :(क) और (ख). श्री पोस्थूमा ने अपनी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ को दे दी है जिसने अभी तक उसे औपचारिक तौर पर भारत सरकार को पेश नहीं किया है । जब औपचारिक तौर पर रिपोर्ट आ जाएगी तब ब्यौरा मालम हो जाएगा ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के इस विशेषज्ञ द्वारा बनाई गई योजना मूल योजना से कुछ सुधार करके बनाई गई है या क्या यह सर्वथा नई योजना है ?

†**श्री राजबहादुर** : श्री पोस्थूमा ने, जहां तक बम्बई की जरूरत का सवाल है, नवीन आधुनिकीकरण योजना का परीक्षण किया था जो न्यूनतम योजना से भिन्न है । उन्होंने उस पर विचार किया था ।

†**श्री हेम बरुआ** : मूल योजना बम्बई पत्तन के आधुनिकीकरण की निम्नतम योजना थी । क्या संयुक्तराष्ट्र संघ के इस विशेषज्ञ ने इस मूल योजना का पुनर्निरीक्षण करके उसमें सुधार किया है, अथवा सर्वथा नवीन योजना बनाई है ?

†**श्री राज बहादुर** : यह सर्वथा नवीन योजना है और न्यूनतम योजना से अलग है । जहां तक इसमें दो गोदियों--अलैग्जेंडर गोदी को विक्टोरिया या प्रिंस आफ वेल्स गोदियों में से किसी एक के साथ मिलाने और कुछ बर्थों को बढ़ाने का सम्बन्ध है श्री पोस्थूमा ने इस का परीक्षण किया है । उनके निर्णय हमें तभी मालूम हो सकते हैं जब हमारे पास प्रतिवेदन या उसकी प्रति संयुक्त राष्ट्र संघ से आ जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : संयुक्त राष्ट्र संघ को श्री पोस्थूमा की योजना भेजने का प्रयोजन यही हो सकता है कि योजना के लिये उस संघ की वित्तीय सहायता मिलने की कोई सम्भावना हो, परन्तु जब सरकार को यह आशा है कि उनके पास अध्ययन के लिये प्रतिवेदन की प्रति आयेगी क्योंकि श्री पोस्थूमा ने मूल योजना में कुछ न्यूनताएं बताई हैं, जो हमारे विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई थी और इसलिये हमें इसका परीक्षण करके यह निश्चय करना होगा कि क्या यह योजना चल सकती है या नहीं ?

†**श्री राज बहादुर** : जहां तक श्री पोस्थूमा की हैसियत का सवाल है, वह संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञ के तौर पर आया था अतः स्वभावतः उसे अपनी रिपोर्ट राष्ट्र संघ को पेश करनी है । हमें औपचारिक रूप से रिपोर्ट राष्ट्र संघ की ओर से आएगी । जहां तक उसके द्वारा बताई गई कमियों या न्यूनताओं का सम्बन्ध है, प्रतिवेदन प्राप्त किये बिना मुझ से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि मैंने उस के ब्यौरे का अध्ययन किया है ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस नई स्कीम से वहां पर और कितने जहाजों के आने की क्षमता हो जायगी ।

श्री राज बहादुर : यह माडर्नाइज़ेशन स्कीम है । उसमें लगभग आठ नई बर्थ् स बढ़ाने का सवाल था । अब उनमें से पास्थुना साहब कितनी मानेंगे, कितनी नहीं, यह तो उनकी रिपोर्ट पर है । अन्त में हमारे टैक्निकल एक्सपर्ट यूनाइटिड नेशन्ज़ के एक्सपर्ट् स की रिपोर्ट पर क्या विचार बनाते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, यह तो भविष्य में पता चलेगा ।

अर्जेन्टाइना द्वारा भारतीय सवारी गाड़ियों का क्रय

+

†*३८३. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री प्र० चं० देव :
महाराज कुमार विजय आनन्द :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अर्जेन्टाइना के अधिकारियों ने इन्टीग्रल कोच फैक्टरी से सवारी डिब्बों की खरीद के लिये भारत की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का क्या नतीजा निकला है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या हम अन्य देशों को डिब्बों का निर्यात कर रहे हैं और यदि हां तो किन देशों को ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : हमने किसी देश को वास्तव में किसी डिब्बे का निर्यात नहीं किया है, परन्तु हम इस तलाश में हैं कि हम किस देश को निर्यात कर सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की ओर से ऐसी कोशिश की गई कि जिससे दूसरे देशों में हमारे कोच जा सकें। यदि हां, तो क्या ?

श्री शाहनवाज़ खां : जी हां, कोशिश तो बहुत की गई। अरजेन्टाइना ने जब ग्लोबल टेंडर्ज़ मांगे, तो हम लोगों ने भी टेंडर दिये। हमारे रेलवे एक्सर्ट्स की टीम वहां गई और उन्होंने उनको बताया कि हमारे कोचिज़ किस किस्म के हैं। हमने उन को यहां आने का निमन्त्रण दिया।

श्री विभूति मिश्र : माननीय मंत्री ने कहा है कि बहुत से देशों में कोशिश कर रहे हैं। वे कौन कौन से देश हैं, जहां कोशिश कर रहे हैं कि कोचिज़ भेजे जा सकें ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया तो है।

श्री विभूति मिश्र : उन्होंने अरजेन्टाइना के बारे में बताया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि और कौन से देशों में कोशिश की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : और देश अगर न हों, तो वह क्या बतायें ?

श्री शाहनवाज़ खां : जिन जिन देशों को ज़रूरत होती है, वे टेंडर मांगते हैं और हम उन को टेंडर भेज देते हैं।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या अर्जनटाइना के अतिरिक्त और किसी देश को टेंडर दिये गये हैं ?

†**श्री शाहनवाज़ खां :** अर्जनटाइना के इलावा पाकिस्तान को भी हमने टेंडर दिये हैं।

***श्री रघुनाथ सिंह:** पाकिस्तान में हिन्दुस्तान ने कोच के वास्ते टेंडर दिया था। क्या कारण है कि हिन्दुस्तान का टेंडर सैंकण्ड आया ?

श्री शाहनवाज़ खां : मेरे मुअज़िज़ दोस्त की इन्फ़र्मेशन बिल्कुल ग़लत है। पाकिस्तान को कोचिज़ की ज़रूरत थी और उसने ग्लोबल टेंडर मांगे थे। हिन्दुस्तान ने भी और लोगों के साथ टेंडर सबमिट किये थे।

श्री रघुनाथ सिंह : हमारा टेंडर सैकण्ड क्यों हुआ और दूसरे देशों का फ़र्स्ट क्यों हुआ ? क्या कारण था ?

श्री शाहनवाज़ खां : इस बारे में पता नहीं है।

†**श्री आचार :** जब रेल कारों का प्रश्न पूछा गया था, मा० मंत्री ने बताया था कि वे मांग पूरी नहीं कर सके थे। अब वह कहते हैं कि वे निर्यात करने की सोच कर रहे हैं। हम किस प्रकार के डिब्बों का निर्माण करने का विचार कर रहे हैं ? निर्माण करने की सोचने की बजाये हम उन डिब्बों का क्यों निर्माण नहीं करते जिनकी हमें जरूरत है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य तर्क में पड़ रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

तीसरी योजना में उत्तर प्रदेश में नई रेलवे लाइन बनाना

*३८४. { श्री भक्त दर्शन :
श्री कालिका सिंह :

क्या रेलवे मंत्री २७ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ११२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में नई रेलवे लाइनें बनाने के बारे में उत्तर प्रदेश से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन प्रस्तावों का विवरण पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) इन प्रस्तावों के बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) अभी नहीं ।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता ।

†श्री भक्त दर्शन : क्या उत्तर प्रदेश ने अपने प्रस्ताव भेजने में इतना विलम्ब होने का कोई कारण नहीं बताया है, क्या उनको भेजने का उनका कोई इरादा नहीं है ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।

†श्री च० द० पांडे : जहां तक मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश सरकार ने रायपुर से हलद्वानी तक की लाइन को सर्वाधिक प्राथमिकता दी है । उस परियोजना का सर्वेक्षण किया गया है और एक समय मंजूर की गई थी, परन्तु वह पिछले दस वर्षों से निलम्बित है। क्या सरकार इस परियोजना के पक्ष में विचार करेगी जो सीमा प्रतिरक्षा के लिये अत्यन्त अनिवार्य है ?

†उपाध्यक्ष महोदय : यह अच्छा सुझाव है ।

†पं० श्री च० द० पांडे : यह एक प्रार्थना है ।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में प्रार्थना नहीं की जाती और आश्वासन नहीं मांगे जाते । केवल तथ्य पूछे जाते हैं ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नहीं भेजा गया है या क्या ये प्रस्ताव पेश कर दिये गये हैं और रेलवे मंत्रालय या सरकार ने निर्णय नहीं किया है ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : सब राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि वे अपने प्रस्ताव भेज दें । इस सरकार से तीसरी योजना के लिये कोई प्रस्ताव नहीं आये हैं ।

†श्री भक्त दर्शन : क्या अकेले उत्तर प्रदेश ने ही प्रस्ताव नहीं भेजे हैं, और भी कोई ऐसा राज्य है जिसने प्रस्ताव नहीं भेजे ?

†उपाध्यक्ष महोदय : इस से माननीय सदस्य को क्या संतोष प्राप्त होगा ? उन के अपने राज्य से प्रस्ताव नहीं आये, इतना काफी है ।

†श्री बाँगशी ठाकुर : क्या सरकार हमें यह बता सकती है कि किन राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों ने अपने अपने क्षेत्रों में नई रेलवे लाइनों के लिये प्रस्ताव भेजे हैं और वे प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : तीसरी योजना सभा के सामने पेश की जा चुकी है। माननीय सदस्य उसके पृष्ठ ५४८ पर देख सकते हैं।

†**श्री विश्वनाथ राय** : कुछ वर्ष पूर्व उस समय के रेलवे मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने रुद्रपुर से खाड्डा तक बरास्ता देवरिया, बामरिया और पडरौना एक नई रेलवे लाइन बनाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो उत्तर दिया था, उस की दृष्टि से मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस दिशा में कोई कार्यवाही की गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश ने भी प्रस्ताव भेजा था ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : तीसरी योजना तैयार हो चुकी है और इस की प्रतियां सदस्यों को दे दी गई हैं। वे उसको देख सकते हैं।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : माननीय मंत्री द्वारा मेरे प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि कुछ रेलवे लाइनों का काम तीसरी योजना में आरम्भ किया जायेगा, जिनका सुझाव उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया था। यहां दिये गये आश्वासन के बावजूद उनको तीसरी योजना में शामिल करने के लिए क्यों कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : इस मामले पर २७ मार्च को विस्तार पूर्वक चर्चा की गई थी ; उसके पश्चात् कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : हम पुनः इस पर चर्चा करेंगे जब तीसरी योजना पर विचार किया जायेगा।

भारत से निर्यात की जाने वाली चाय के भाड़े की दरें

†*३८५. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से विदेशों को निर्यात की जाने वाली चाय के भाड़े की दरों में सम्बन्धित स्टीमर कम्पनियों द्वारा वृद्धि कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार का क्या रुख है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). जी, हां। तथापि उपलब्ध सूचना के अनुसार, चाय पर केवल भारत/आस्ट्रेलिया व्यापार पर ही और कोई दूसरे व्यापार पर नहीं, भाड़ा दरों में वृद्धि हुई है। मलाबार पत्तन से आस्ट्रेलिया तक भाड़ा दरों में वृद्धि सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त होने पर मामला सम्बद्ध नौवहन सम्मेलन के साथ उठाया गया, जिसने बताया कि यह वृद्धि न केवल मलाबार से आस्ट्रेलिया तक अपितु लंका और स्ट्रेट्स जैसे दूसरे स्थानों से आस्ट्रेलिया तक सब माल ढोने के किराये की दरों में हुई सामान्य वृद्धि का अंग है और आस्ट्रेलिया में उतारने चढ़ाने की लागत में, कर्मचारियों के वेतन में तथा सामान्य संचालन व्यय में लगातार वृद्धि होने के कारण ऐसा करने की जरूरत पड़ी।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : हमारे सामान्य चाय निर्यातों को, यूरोपीय सामान्य बाजार में ब्रिटेन के प्रस्तावित प्रवेश के कारण, गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार चाय भाड़ा के प्रश्न पर विचार करने के लिए इन जहाज समवायों को मनाने के लिए प्रयत्न करने के हेतु कोई सक्रिय कार्यवाही करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चाय की भाड़ा दरों में लगातार वृद्धि हो रही है, न केवल हमारे पत्तनों से बल्कि लंका और स्ट्रेट्स के पत्तनों से भी, मैं समझता हूं कि जहां तक चाय पर भाड़ा दर के प्रश्न का सम्बन्ध है, चाय के हमारे प्रतियोगिता भाव पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता ।

दुर्गापुर तापीय विद्युत् केन्द्र

+

†*३८६. { **श्री अरविंद घोषाल :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री न० म० देव :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १० मई, १९६१ को दुर्गापुर तापीय विद्युत् केन्द्र का संख्या १ विद्युत् जनित्र खराब हो गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके खराब होने के क्या कारण हैं;

(ग) संयंत्र की स्थापना के बाद से यह कितनी बार खराब हो चुका है;

(घ) उक्त खराबी से कितनी हानि हुई; और

(ङ) विद्युत् केन्द्र की उत्पादन क्षमता पर इन खराबियों से क्या प्रभाव पड़ा है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी, हां ।

(ख) सुपरहीटर ट्यूब में अधिक लीकेज के कारण ।

(ग) ९ ।

(घ) इन खराबियों के बारे में आवश्यक मरम्मत सम्बन्धित ठेकेदारों द्वारा अपने खर्च पर की गयी, अतः निगम को कोई प्रत्यक्ष हानि नहीं हुई ।

(ङ) यह यूनिट ५०/५५ किलोवाट के उत्पादन पर चल रहा था । प्रत्येक खराबी की अवधि में इस हद तक उत्पादन पर असर पड़ा ।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : आरम्भ होने के कितने दिन बाद यह संयंत्र खराब हो गया ?

†**श्री हाथी :** वास्तव में यह परीक्षणात्मक रूप से चल रहा था ।

†**श्री अरविन्द घोषाल :** यह मशीन की खराबी के कारण है या इसको ठीक तरह न संभालने के कारण ?

†श्री हाथी : उसमें कुछ खराबियां थीं और वह मैंने बतला दी हैं । जेनरेटर को कुछ क्षति पहुंचा । परन्तु ठेकेदारों ने सेटों का हस्तान्तरण नहीं किया था । वे उन ही के पास थे और उनका परीक्षण किया जा रहा था । अतः ठेकेदारों को लागत सहन करनी पड़ी ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** इस बात को देखते हुए कि दुर्गापुर में ये सभी ९ खराबियां मशीनों की खराबी के कारण हुई हैं और ये सभी मशीनें पश्चिम जर्मनी की दो या तीन फर्मों ने संभरित की हैं,

---

†मूल अंग्रेजी में

क्या सरकार इस मामले पर गंभीरता से विचार करेगी कि क्या वह इस विद्युत् परियोजना के लिये भविष्य में इन फर्मों से मशीनों का आयात करती रहे ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह एक सुझाव है ।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :** क्या ठेके की शर्तों में किसी एक विशेष अवधि तक भविष्य में होने वाली खराबी के लिये क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है अथवा हम ने बिना किसी बात के वह ले ली हैं ?

†**श्री हाथी :** हम ने अभी उन्हें नहीं संभाला है । एक विशेष अवधि के लिये गारंटी है और यदि उस अवधि में कोई खराबी हो जाती है तो लागत को वही सहन करेंगे ।

†**श्री अरविन्द घोषाल :** क्या वहां कोई परामर्शदाता इंजीनियर है और यदि हां, तो इस खराबी के बारे में उसकी क्या राय है ?

†**श्री हाथी :** इस बारे में जांच करने के लिये हम ने एक समिति नियुक्त की है । यह दामोदर घाटी निगम के साथ नहीं था, यह ठेकेदारों के साथ था । उन्होंने अभी इनको संभलवाया नहीं है अतः यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता कि यह इंजीनियर की गल्ती है या नहीं ।

इन्टीग्रल कोच फैक्टरी में पहले दर्जे के डिब्बों का निर्माण

†*३८८. **श्री अगाडी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुगन्धि :
श्री बोडयार :
श्री न० म० देव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल से इन्टीग्रल कोच फैक्टरी में नये प्रकार के पहले दर्जे के डिब्बे भी बनने लगे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन डिब्बों की विशेषतायें क्या हैं;

(ग) ऐसे प्रत्येक डिब्बे की अनुमानित लागत क्या है;

(घ) इस डिजायन की खोज किसने की; और

(ङ) ये डिब्बे किन गाड़ियों में लगाये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८३]**

(ग) इसकी अनुमानित लागत १,८५,००० रुपये है ।

(घ) इसका डिजाइन इन्टीग्रल कोच फैक्टरी और रिसर्च डिजाइन्स एण्ड स्टेण्डर्ड आरगेनाईज़ेशन द्वारा तैयार किया गया ।

मूल अंग्रेजी में

(ङ) अभी तक ५३ डिब्बे ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस, हावड़ा–दिल्ली–कालका मेल, दून एक्सप्रेस, सप्ताह में दो बार चलने वाली नई दिल्ली–हावड़ा/मद्रास एयर-कन्डीशन्ड डीलक्स एक्सप्रेस की एक रेक, मद्रास–मंगलौर मेल, फ्रन्टीयर मेल, काश्मीर मेल, श्रीनगर एक्स्प्रेस, लखनऊ एक्सप्रेस और अमृतसर मेल में लगाये गये हैं।

†**श्री तंगामणि :** इस वर्ष जो डिब्बे बनाये जा रहे हैं क्या वे भी इसी तरह के होंगे, बरामदे वाले और गलियारे वाले ?

†**श्री सें वें० रामस्वामी :** जी, उसी प्रकार के।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या मंत्री महोदय को यह बात बताई गयी है कि बरामदे वाले प्रथम श्रेणी के सोने वाले डिब्बों में यात्रियों के लिए बहुत कम जगह रहती है ? चार बर्थ वाले डिब्बे में सफर करना असुविधाजनक होता है क्योंकि शीत काल में यात्रियों को अपना पूरा बिस्तर आदि ले जाना पड़ता है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न क्या है ?

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्योंकि इसमें बड़ी भीड़भाड़ रहती है, क्या वे इसे अधिक चौड़ा बनायेंगे ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** जी, नहीं। ऐसा नहीं है। काफी लम्बे विवेचन के बाद यह डिजाइन तैयार किया गया था और सभी सम्बन्धित मामलों पर विचार किया गया है। अब भी कुछ सुझाव दिये गये हैं और इन सब को भविष्य में बनने वाले डिब्बों में अमल में लाया जायेगा। परन्तु मूल डिजाइन को बदलने का कोई इरादा नहीं है।

†**श्री यादव नारायण जाधव :** क्या पंजाब मेल में भी ये कुछ डिब्बे लगाये जायेंगे ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** मैंने बताया है कि पंजाब में जाने वाली मेल में डिब्बे लगाये गये हैं।

†**श्री रंगा :** क्या ये डिब्बे केवल प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिये कुल क्षमता को बढ़ाने के लिये हैं या बहुत पुराने प्रथम श्रेणी के डिब्बों को बदलने के लिये ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** जी, दोनों।

†**श्री नंजप्पा :** इन डिब्बों के बारे में और विशेषत: दरवाजे पर लगे शावर के बारे में यात्रा करने वाली जनता की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** वह यह बात स्वयं मन्त्री महोदय को बतायें।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** प्रतिक्रियायें अनुकूल नहीं हैं। जहां तक शावर का सम्बन्ध है, इसको स्थानान्तरित करने के कुछ प्रस्ताव हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न संख्या ३९०।

†**श्री अ० मु० तारिक :** एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं सूची के अनुसार चलूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

गोदावरी घाटी परियोजना

†*३९०. { श्री हेडा :
श्री रामी रेड्डी :
श्री सरजू पांडेय :

क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोदवारी घाटी परियोजना कब मंजूर की गयी थी;

(ख) इस परियोजना का प्रथम प्रक्रम कब आरम्भ किया गया था और कब समाप्त हुआ :

(ग) दूसरा प्रक्रम कब आरम्भ किया जाना था;

(घ) दूसरे प्रक्रम का क्षेत्र कितना है तथा यह प्रस्तावित परियोजना से किस प्रकार भिन्न है; और

(ङ) यह परियोजना किस प्रक्रम पर है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) गोदवारी उत्तर नहर परियोजना की प्रथम प्रावस्था पर पम्पिंग योजना समेत हैदराबाद सरकार की अनुमति २२-२-१९४९ को प्राप्त हो गयी थी ।

(ख) कदम बांध पर कार्य १९४९ में आरम्भ हुआ था और १९५८ में समाप्त हुआ । तथापि, पूरा होने के शीघ्र बाद ही बांध में दरार पड़ गयी । बांध को पुन: बनाने का कार्य अभी जारी है और इसके शीघ्र पूरा होने की सम्भावना है ।

(ग) भूतपूर्व हैदराबाद राज्य द्वारा दूसरी प्रावस्था के लिये कोई कार्यक्रम तैयार किये जाने के बारे में भारत सरकार को पता नहीं है ।

(घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ८४]

(ङ) ४१ टी० एम० सी० फुट पानी को इस्तेमाल करने वाली पुनरीक्षित पोचमपाद परियोजना जिसको अब गोदावरी नहर (पोचमपाद) नाम दिया गया है, राज्य सरकार से हाल ही मे प्राप्त हुई है और उसकी जांच की जा रही है ।

†श्री हेडा : क्या पोचमपाद परियोजना गोदावरी घाटी परियोजना की वित्तीय प्रावस्था का संशोधित रूप है ?

†श्री हाथी : अब आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया है कि यह परियोजना गोदावरी उत्तर नहर परियोजना है । यह संशोधित परियोजना है ।

†श्री हेडा : इस परियोजना को गोदावरी घाटी कहा जाता था न कि उत्तर नहर घाटी परियोजना और जो परिवर्तन किया गया है वह केवल यह है कि बायीं नहर की बजाय इसमें दायीं नहर का प्रस्ताव है ।

†श्री हाथी : नवीनतम पत्र यह है कि उन्होंने इसको गोदावरी नहर (पोचमपाद) परियोजना नाम दिया है ।

†श्री रामी रेड्डी : संशोधित परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त करने, इसका परीक्षण करने और अन्तिम निर्णय करने में केन्द्रीय सरकार को कितना समय लगेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हाथी : इसका यथा सम्भव शीघ्र परीक्षण किया जायेगा ।

तीसरी योजना में नयी रेल लाइनें

†*३९१. श्री कोडियान:
श्री अ० क० गोपालन:
श्री नारायणन कुट्टि मेनन:
सरदार इकबाल सिंह:
श्री न० म० देव:
श्री तंगामणि :
श्री डामर:

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन-कौनसी नई रेल लाइनें बनायी जाने वाली हैं;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में नयी लाइनों के लिये कितनी रकम रखी गयी है; और

(ग) क्या तेल्लीचेरी-कुर्ग मैसूर लाइन, जिसका सर्वेक्षण बहुत पहले ही पूरा हो चुका है, तीसरी योजना में शुरू की जायेगी ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) अन्तिम स्थिति तृतीय पंचवर्षीय योजना के परिवहन तथा संचार सम्बन्धी अध्याय में दी गयी है ।

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना में रेलवे विकास कार्यक्रम की १३२५ करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत में नयी लाइनों के अधीन १४७ करोड़ रुपये भी शामिल हैं। रेलवे कार्यक्रम की कुल प्राक्कलित लागत रेलवे आवंटित की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि से अधिक है ।

(ग) इस प्रस्ताव को तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये अनुमोदित नहीं किया गया है ।

†श्री कोडियान : समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए हैं कि इस बात को देखते हुए कि नई रेलवे लाइनों के सम्बन्ध में दक्षिण की उपेक्षा की गयी है ३५ करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन किये जाने की सम्भावना है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या दक्षिण के लिये कोई आवंटन किया गया है ?

†श्री शाहनवाज खां : जैसा माननीय सदस्य को भली भांति ज्ञात है, दक्षिण भारत में कई नई रेलवे लाइनों पर योजना आयोग विचार कर रहा है ।

†श्री तंगामणि : नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिये आवंटित इस १४७ करोड़ रुपये की धनराशि में से कितनी रकम दक्षिण रेलवे के लिये पृथक् रखी गयी है ?

†श्री शाहनवाज खां : इसका उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गुना—मक्सी लाइन

†*३८७. श्री कुन्हन:
श्री त० ब० विट्ठरल राव:

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुना-मक्सी रेलवे लाइन के निर्माण में जुलाई, १९६१ के अन्त तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) जुलाई, १९६१ के अन्त तक इस सम्बन्ध में कितनी राशि व्यय की गयी है; और

(ग) क्या पश्चिम भारत को कोयले के परिवहन के सम्बन्ध में होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार इसके निर्माण में शीघ्रता करना चाहती है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) अन्तिम स्थान सर्वेक्षण पूरा हो गया है। निर्माण प्राक्कलन रेलवे द्वारा तैयार किया जा रहा है। अभी लाईन का निर्माण आरम्भ नहीं हुआ है।

(ख) जी, कुछ नहीं।

(ग) संसाधन उपलब्ध होने पर, प्राक्कलनों के मंजूर हो जाने के बाद लाईन का निर्माण यथा सम्भव शीघ्र किया जायेगा।

खायी जाने वाली स्वदेशी गर्भ निरोधक औषधियां

†*३८९. श्रीमती मैमूना सुल्तानाः : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खायी जाने वाली स्वदेशी गर्भ निरोधक औषधियों की देशव्यापी खोज का काम तेजी से करने का निश्चय किया है।

(ख) अभी तक कितनी गर्भ निरोधक औषधियों की खोज की जा चुकी हैं; और

(ग) इनमें से प्रत्येक औषधि से कितना प्रभाव होता है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). मेटाक्सीलोहाईड्रोक्विनोन नामक औषधि का अखिल भारत स्वच्छता तथा लोक-स्वास्थ्य संस्था, कलकत्ता में पता लगाया गया है। यह पता लगा है कि इससे गर्भाधान की दर में ५० प्रतिशत की कमी होती है। वालण्टियरों पर, जिन पर परीक्षण किया गया है, इसके प्रयोग का कोई बुरा असर नहीं पड़ा है और कोई गलत प्रयोग की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

मेटाक्सीलोहाईड्रोक्विनोन के अतिरिक्त कई और देशी औषधियों का पता लगाया गया है जिनका प्रजनन-निरोधक प्रभाव पड़ता है। इन औषधियों के बारे में अनुसन्धान जारी है और परिणाम प्रतीक्षित हैं।

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अंशदायी स्वास्थ्य योजना

†*३९२. श्री वाजपेयी : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंशदायी स्वास्थ्य योजना दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के वर्ष कर्मचारियों पर लागू करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस योजना से सम्भवतः कितने कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरमकर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हल्दिया में बन्दरगाह का विकास

†*३९३. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री बै० च० मलिक :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया में सहायक बन्दरगाह के विकास के लिए विश्व बैंक से कोई ऋण मागा गया था ;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक की इस विषय में क्या राय है ; और

(ग) क्या भारत सरकार ने हल्दिया परियोजना के लिए वित्तीय या तकनीकी सहायता किन्हीं अन्य संस्थाओं से मांगने के विषय पर विचार किया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, हां । कलकत्ता पत्तन के बारे में तृतीय योजना की कुछ मदों के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा को पूरा करने के लिये पिछले वर्ष विश्व बैंक को दिये गये आवेदन-पत्र में हल्दिया पत्तन के लिये, जो अंशतः तृतीय योजना में शामिल है, आवश्यक विदेशी मुद्रा को भी शामिल किया गया है ।

(ख) बैंक की प्रतिक्रिया यह है कि स्थान के अन्तिम रूप से मंजूर किये जाने और इस स्थान को सुविधाय देने का निर्णय करने से पूर्व पत्तन की जगह जल की स्थिति का अधिक क्रमबद्ध सर्वेक्षण करना आव यक होगा । तथापि, यह सोचने का पर्याप्त कारण है कि जब परियोजना के पूरे विवरण तैयार किये जायें, तब बैंक परियोजना के पक्ष में विचार करेगा । इतने समय में, कलकत्ता पत्तन के लिये द्वितीय योजना में, जिसके बारे में हाल ही में विश्व बैंक से वार्ता की गयी थी, हल्दिया पत्तन के बारे में इंजीनियरिंग और जलीयित अध्ययन करने लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा का उपबन्ध किया गया है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मध्य प्रदेश के लिए रिहान्ड की बिजली

†*३९४. **श्री विद्याचरण शुक्ल:** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री रिहान्ड की बिजली के बारे में १६ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रिहान्ड की बिजली का कितना हिस्सा मध्य प्रदेश को दिया जाये इस प्रश्न के निर्णय में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस प्रश्न के निबटारे में किन मुख्य बातों के कारण देर लग रही है ; और

(ग) इसके कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी):** (क) और (ख). २८ अगस्त, १९६० को हुई केन्द्रीय ज़ोनल परिषद् की बैठक में यह निर्णय हुआ कि इस मामले को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री आपस में सुलझाने का प्रयत्न करें। अभी दोनों मुख्य मंत्रियों के लिये मिलना संभव नहीं हुआ है ।

(ग) निश्चित रूप से यह कहना संभव नहीं है कि यह मामला कब सुलझाया जायेगा ।

पश्चिम बंगाल में उद्योगों के लिए बिजली की आवश्यकताएं

*†३९५. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:**
श्री स० मो० बनर्जी:
श्री मुहम्मद इलियास:

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में उद्योगों के लिए बिजली की न्यूनतम आवश्यकता दामोदर घाटी निगम तथा उस क्षेत्र की सरकारी बिजली परियोजनाओं से पूरी नहीं हो रही है ;

(ख) पश्चिम बंगाल में तीसरी पंचवर्षीय योजना उद्योगों के लिए कितनी अतिरिक्त बिजली की जरूरत होगी और दामोदर घाटी निगम तथा अन्य बिजली स्त्रोतों से कितनी मांग पूरी नहीं हो सकेगी ; और

(ग) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में भावी औद्योगिक विस्तार बिजली की इस संकटपूर्ण कमी के कारण ठप्प हो जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी):** (क) से (ग). तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में कुल बिजली की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दामोदर घाटी निगम के क्षेत्रों समेत बिहार और पश्चिम बंगाल में विद्युत् की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिये और स्थिति को संभालने के लिये उठाये जाने वाले पगों के बारे में एक समिति नियुक्त की गयी है ।

हावड़ा और वाल्टेयर के बीच रेल सेवाओं का चालू होना

*†३९६. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण पूर्व रेलवे सेक्शनों में हावड़ा से वाल्टेयर तक ३२५-अप और ३२५-डाउन गाड़ियां फिर से चालू करने का अंतिम निर्णय कर लिया है ;

---

†मूल अंगेजी में

(ख) यदि नहीं, तो ये दो गाड़ियां कब से चलाने का अधिकारियों का विचार है ; और

(ग) क्या यात्रियों की असुविधा की ओर रेलवे अधिकारियों का ध्यान दिलाया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रोमस्वामी)**: (क) और (ख). २२-५-५९ से पूर्व गाड़ी संख्या ३२५ अप/३२६ डाउन खडगपुर और वाल्टेयर के बीच चल रही थी । २२-५-१९५९ से इन गाड़ियों का सफर खडगपुर और खुरदा रोड के बीच काट लिया गया । खडगपुर-खुरदा रोड सेक्शन पर इन गाड़ियों के पुनः चलाने के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है और इस प्रश्न पर तभी विचार किया जा सकता है जब इस सेक्शन पर किये जा रहे विभिन्न इंजीनियरिंग कार्य पूरे होने पर पर्याप्त लाईन क्षमता उपलब्ध हो और इस सेक्शन पर अतिरिक्त लाईन के लिये यातायात औचित्य हो ।

(ग) खुरदा रोड और खडगपुर के बीच ३२५-अप/३२६ डाउन पैसेंजर गाड़ियों के पुनः चलाने के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । स्थान उपलब्ध होने पर इस सेक्शन पर वर्तमान गाड़ियों पर भार में वृद्धि कर दी गयी है और हाल ही की गणना से भीड़ भाड़ का पता नहीं चलता ।

संविहित केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्

†*३९७. **श्री मे० क० कुमारन**
श्री नंजप्पा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविहित केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् बनाने की कोई योजना सरकार के सामने है ; और

(ख) यदि हां, तो वह योजना किस प्रक्रम पर है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

त्रिपुरा में राज्य परिवहन

†*३९८. **श्री दशरथ देव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार त्रिपुरा में राज्य परिवहन चालू करने की किसी योजना की छानबीन कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी या की जाने वाली है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ख). इस प्रदेश में सड़क परिवहन सेवायें चलाने के लिये राज्य परिवहन उपक्रम स्थापित करने के लिये त्रिपुरा प्रशासन से प्राप्त योजना का परीक्षण किया जा रहा है ?

नौवहन विकास निधि के लिए ऋण

†*३९९. **श्री मुरारका** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जहाजी कम्पनियों को नौवहन विकास निधि से दिये गये ऋणों की वापसी की शर्तें सरल बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो किस रूप में सरल बनाने का विचार है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी, हां ।

(ख) नौवहन कम्पनियों को दिये गये ऋण के लिये इस समय पुनर्भुगतान की अवधि को बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

थियेटर रोड़ डाकखाना, कलकत्ता

†*४००. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान १४ जून, १९६१ के स्टेट्समैन (दिल्ली) में प्रकाशित उस चित्र की ओर दिलाया गया है जिसमें कलकत्ते में थियेटर रोड़ डाकखाने के कर्मचारी छत की दरारों से गिरने वाले बरसाती पानी से अपने को बचाने के लिये हाथ में छाता लेकर काम करते हुए दिखाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह डाकखाना किराये की इमारत में है ;

(ग) यदि हां, तो छत की मरम्मत कराने के लिए पहले क्या कार्यवाही की गयी ; और

(घ) क्या मरम्मत अब हो चुकी है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० सुब्बरायन): (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) मकान मालिक से छत की अच्छी तरह मरम्मत कराने के लिये कई बार कहा गया । जुलाई, १९५९ में उसने कुछ मरम्मत कराई थी परन्तु वर्ष १९६० की वर्षा ऋतु में पानी फिर गिरने लगा । इस मामले पर मकान मालिक से फिर बातचीत की गयी ।

(घ) मकान मालिक ने जून, १९६१ में बड़ी मात्रा में मरम्मत कराई है और पानी गिरना बन्द हो गया है ।

गन्ने की उत्पादन लागत

†*४०१. **श्री सुगन्धी :**
श्री अगाड़ी :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री ४ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलग अलग क्षेत्रों में गन्ने की उत्पादन लागत मालूम करने के लिए नियुक्त उप-समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो गन्ना पैदा करने वाले विभिन्न क्षेत्रों में लागत का ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो यह रिपोर्ट संभवतः कब पेश की जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि उपमंत्री (श्री भो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, पंजाब, बम्बई और मैसूर के राज्यों में गन्ने की खेती की लागत के मूल्यांकन करने की योजना जारी है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में प्राथमिक रिपोर्ट मिल गई है और परीक्षणाधीन है।

(ग) आन्ध्र प्रदेश, पंजाब और बम्बई के राज्यों में सर्वेक्षण पूरा हो गया है। आन्ध्र प्रदेश के बारे में रिपोर्ट लगभग तैयार है और बम्बई और पंजाब के बारे में तैयार की जा रही है। मैसूर में सर्वेक्षण-कार्य प्रगति पर है।

विमान और उसके पुर्जों का निर्माण

†४०२. **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ३ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४४०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने स्वामित्व और प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन डमडम में विमान पुर्जे और अन्य सभी सम्बद्ध उपकरण के लिए निर्माण एकक चालू करने के सम्बन्ध में इस बीच कोई निर्णय किया है और

(ख) यदि हां, तो क्या इस आशय की कोई घोषणा की गई है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) और (ख). विमानों अथवा अतिरिक्त पुर्जों के लिए डमडम में सरकारी प्रबन्ध में कोई निर्माण एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है जैसाकि प्राक्कलन समिति ने अपनी ६२वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी. विमानों के पुर्जों और स्टोरों के देश में निर्माण के विकास के प्रश्न के सम्बन्ध में प्रमुख रूप से सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ बातचीत की जा रही है।

केन्द्रीय उर्वरक संग्रह

†*४०३. **श्री राजेश्वर पटेल**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान केन्द्रीय उर्वरक संग्रह (पूल) के स्थान पर एक स्वायत्तशासी निगम स्थापित करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) और (ख). उर्वरक वितरण जांच समिति ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि तृतीय योजना में, क्योंकि प्राप्त किये जाने वाले और वितरण किये जाने वाले उर्वरकों की मात्रा बहुत अधिक है और वे अधिकांशतः नये प्रकार के उर्वरक हैं, इन उर्वरकों को लोकप्रिय बनाने और वितरण पद्धति में सुधार करने के लिये एक पक्का प्रयत्न किया जाना है। समिति ने सिफारिश की है कि कृषि विभाग के निर्देश और पर्यवेक्षण में काम करने के लिये एक स्वायत्त केन्द्रीय विपणन निगम का संगठन किया जाये।

यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कैन्सर के इलाज के लिये औषधि

†*४०४. **श्री प्र० गं० देव :**
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमरीकी सर्जन-जनरल डा० टेरी के इस वक्तव्य के बारे में जानकारी है कि उन्होंने कैन्सर के इलाज के लिए एक औषधि ढूंढ निकाली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). सरकार ने ९ जून, १९६१ के "टाइम" एशिया संस्करण में प्रकाशित इस समाचार को देखा है । १० दिसम्बर, १९६० के परपयूज़न कान्फ्रेंस की "कैंसर केमोथिरेपी रिपोर्ट्स" में "मेथोट्रीक्सेट" औषधि के बारे में विस्तृत क्लिनिकल अध्ययन के बारे में बताया गया है । इसका सार सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८५]**

मदुरै में बस व रेलगाड़ी की टक्कर

†*४०५. **श्री तंगामणि** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २२ फरवरी, १९६१ को या उसके आस पास मदुरै नगर सीमा में एक रेलवे फाटक पर, जहां कोई आदमी नहीं था, एक सवारी गाड़ी की सिटी बस के साथ टक्कर हो गयी थी जिसके परिणाम स्वरूप दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी और कई घायल हो गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या मृत व्यक्तियों के परिवारों को क्षतिपूर्ति दी गयी है ; और

(ग) लेवल क्रासिंग पर उपयुक्त फाटक और गेटमैन रखने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) २७-२-६१ को (२२-२-१९६१ को नहीं) लगभग १३ ५५ बजे जब गाड़ी संख्या १८७ मदुरै-रामेश्वरम् डाउन पैसेंजर मदुरै ईस्ट और सिलेमान स्टेशनों के बीच चल रही थी, एक बिना व्यक्ति वाले लेवल क्रासिंग पर एक नगर बस गाड़ी से टकरा गयी । इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप, बस के दो यात्री मारे गये और आठ अन्य सख्त घायल हुए ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) दरवाजा और गेटकीपर की व्यवस्था करने के प्रश्न पर मदुरै नगरपालिका से पत्र-व्यवहार किया जा रहा है ।

मिट्टी के बांध

†*४०६. **श्री अमजद अली** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में बनाये गये मिट्टी के कई बांध टूट गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो १९६० और १९६१ में मिट्टी के ऐसे कितने बांध टूट गये हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ये बांध कम मजबूती की बुनियाद, मिट्टी बैठ जाने, फालतू पानी के बहने का ठीक रास्ता न होने, पानी रिसने, जमीन धंसने, दोषपूर्ण डिजाइन और निर्माण के कारण टूट गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो मिट्टी के बांध तैयार करने में ये दोष दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) ऐसे कुछ मामले हैं ।

(ख) वर्ष १९६१ में एक मिट्टी का बांध टूट गया है । वर्ष १९६० में कोई खराबी नहीं हुई ।

(ग) जी, नहीं । प्रत्येक मामले में कारण भिन्न थे । हाल में पनसेट में बांध टूटने के मामले में आवश्यक जांच पूरी होने के बाद ही खराबी के कारणों का पता चलेगा ।

(घ) डिजाइन बनाते समय और निर्माण करते समय सभी आवश्यक पग उठाये जा रहे हैं ताकि उनमें कोई खराबी न रहे और स्थिति की समय-समय पर देखभाल की जाती रहे ।

वनस्पति में रंग मिलाना

†*४०३. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पांगरकर :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री चुनी लाल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति में रंग मिलाने के लिए परीक्षण पूर्ण हो चुके हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें रंग मिलाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है या की जाने वाली है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अखिल भारतीय सामुदायिक विकास प्रशिक्षण संस्था, मसूरी

*४०८. **श्री भक्त दर्शन:**
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री १ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय सामुदायिक विकास प्रशिक्षण संस्था को मसूरी से अन्यत्र ले जाने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वैज्ञानिक अनुसधान तथा सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति): (क) और (ख). सामुदायिक विकास की क्षेत्रीय अध्ययन एवं अनुसन्धान संस्था को मसूरी से राजेन्द्रनगर (आन्ध्र प्रदेश) ले जाने और मसूरी में प्राप्त सुविधाओं को मंत्रालय के दूसरे समुचित कार्यक्रमों के प्रयोग में लाने के सम्बन्ध में निर्णय ले लिया गया है ।

होटल वित्त निगम

†*४०९. **श्री सुबोध हंसदा:**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नेक राम नेगी :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने होटल उद्योग के विकास के लिए एक होटल वित्त निगम स्थापित करने की योजना पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). सरकार ने अभी तक होटल वित्त निगम स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया है । तथापि होटलों में आवास बढ़ाने के लिये मार्गोपाय ढूंढने के प्रश्न पर सरकार समय समय पर ध्यान देती रहती है ।

विदेशी जहाज कारखानों में विशिष्ट प्रशिक्षण

†*४१०. **श्री नेक राम नेगी:**
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड के नौजवान प्रविधिक कर्मचारियों को विदेशी जहाज कारखानों में विशिष्ट प्रशिक्षण तथा प्रस्तावित दूसरे जहाज कारखाने के लिये तैयारियां की जा रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). जहां तक हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापटनम का सम्बन्ध है, इसमें प्रमुख पदों के लिये पूरी संख्या में प्रविधिक व्यक्ति हैं । तथापि, यार्ड के एक पदाधिकारी को हाल ही में जहाजों में रोशनदान और वातानुकूलन व्यवस्था में उच्च प्रविधिक प्रशिक्षण के लिये मेसर्ज़ फेयरफील्ड इंजीनियरिंग एण्ड शिपबिल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, ग्लासगो, ब्रिटेन भेजा गया है । मितसुबिशी टाइप के जहाजों का निर्माण आरम्भ करने के लिये, जिसके लिये यार्ड ने मेसर्ज़ मितसुबिशी हैवी इन्डस्ट्रीज़ रिश्रारगेनाइज्ड लिमिटेड, कोबे, जापान के साथ समझौता किया है, शिपयार्ड का विचार इस फर्म में ६ से ९ महिने के प्रशिक्षण के लिये दो पदाधिकारी भेजने का है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक दूसरे शिपयार्ड के लिये प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता का सम्बन्ध है, सरकार इस प्रश्न की जांच कर रही है ।

भारत-अमरीका विमान सेवायें

†*४११. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री पुन्नूस :
श्री आसर :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री प्र० च० बरुआ :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री सरजू पांडेय :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री चुनीलाल :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल में भारत और अमरीका की सरकारों के बीच दोनों देशों के बीच असैनिक विमान यातायात सेवाओं के सम्बन्ध में बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या नतीजा निकला ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी, हा । वार्ता वाशिंगटन में २४ अप्रैल से ११ मई, १९६१ तक हुई थी ।

(ख) वार्ता अपूर्ण रही और उसके शीघ्र ही पुनः आरम्भ किये जाने की संभावना है । इस समय इसका ब्योरा बताना जन-हित में नहीं है ।

चिनाब पर सलाल पनबिजली परियोजना

†*४१२. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने **जम्मू में रियसी के पास चिनाब पर सलाल पन-**बिजली परियोजना काश्मीर सरकार से अपने **हाथ में ले ली है; और**

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्योरा **क्या है और** केन्द्रीय सरकार उस पर कितनी रकम खर्च करेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार ने परियोजना को अपने अधिकार में नहीं लिया है परन्तु इसकी जांच केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग द्वारा की जायेगी । जांच पूरी होने के बाद ही परियोजना का ब्योरा पता लग सकेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में चेचक के रोगी

*४१३. श्री नवल प्रभाकर:
श्री दी० चं० शर्मा:
श्री म० ला० द्विवेदी:

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत ६ मास में दिल्ली में बहुत से लोग चेचक से पीड़ित हुए;

(ख) यदि हां, तो वर्ष १९६० की तुलना मे चेचक से पीड़ित लोगों की संख्या क्या थी; और

(ग) इस बीमारी की रोक-थाम के लिये क्या कदम उठाये गये ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) से (ग). अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख). १९६० और १९६१ के अन्तर्गत जनवरी से जून तक संघ क्षेत्र दिल्ली में अभिलिखित चेचक के रोगियों की संख्या इस प्रकार है :

मास	१९६०	१९६१
जनवरी	१०१	२४५
फरवरी	७५	१४९
मार्च . . .	७८	१०५
अप्रैल .	१७४	१८७
मई	१९०	१२७
जून	९७	५१
योग . . .	७१५	८६४

(ग) इस बीमारी की रोक-थाम के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये :—

१. जैसे ही कोई रोगी स्वास्थ्य विभाग के नोटिस में आता है उसे संक्रामक रोग अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है जहां ऐसे रोगियों के भर्ती करने तथा उनके इलाज की समुचित व्यवस्था कर दी गई है ।

२. इस रोग से प्रभावित बस्ती की पूरी छानबीन की जाती है कि कहीं यहां कोई दूसरा रोगी तो नहीं है। यदि किसी रोगी का पता लग जाता है तो उसे भी अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है ।

३. संक्रमित स्थानों के निःसंक्रमण करने की आवश्यक व्यवस्था कर दी गई है ।

४. रोगी के परस्पर सम्पर्क में आये व्यक्तियों तथा पास-पड़ोस के दूसरे लोगों को भी शीघ्र टीके लगा दिये जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

५. इस रोग के टीके लगाने तथा इसके लिये निरोधी उपायों को बरतने के हित में निम्न प्रकार से व्यापक प्रचार किया जा रहा है :—

(क) समस्त सिनेमा घरों में प्रत्येक शो में सिनेमा स्लाइड

(ख) स्थानिक दैनिक पत्रों में छपवाना

(ग) स्टेन्सिलों की मदद से दीवारों पर लिखना

(घ) पैम्फलेट वितरण

(ङ) टीके की लोक-प्रियता के लिये दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में गायक मण्डलियों का फिरना

(च) डुगडुगी पिटवाना

६. निगम क्षेत्र में ५० टीका-केन्द्रों में टीके लगाने की व्यवस्था कर दी गई है। नवम्बर १९६० से १७० वैक्सीनेटर घर-घर पर लोगों को टीके लगा रहे हैं। अब तक १६ लाख टीके लगाये जा चुके हैं।

कलकत्ता बन्दरगाह पर दुर्घटना

†*४१४. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १० मई, १९६१ को संख्या ४ कलकत्ता अवतरणी (जेटी) में एक दुर्घटना हुई थी जिसके कारण दो मजदूर मर गये और कई को चोट पहुंची;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के कारण क्या थे और उसके लिए कौन उत्तरदायी था;

(ग) भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और हताहतों को क्षतिपूर्ति देने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८६]**

बिजली के इंजन

†*४१५. **श्री कुन्हन :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री नेक राम नेगी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री चुनीलाल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १५०० वाल्ट डी० सी० का बिजली वाला पहला इंजन चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स से पूर्व निर्धारित समय पर तैयार हो कर निकल चुका है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो देर के क्या कारण हैं; और

(ग) पहला इंजन संभवतः कब चालू होगा ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) १५०० वाल्ट डी० सी० का प्रथम बिजली का इंजन तैयार हो गया है और वह निकलने के लिये तैयार है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) चित्तरंजन से भेजे जाने के एक महीने बाद इंजन चालू किया जायेगा ।

विजयवाड़ा में यातायात का रुक जाना

†*४१६. श्री प्र० चं० बरुग्रा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा में यातायात में काफी बड़ी रुकावट पैदा हो गयी थी जिससे विजयवाड़ा के दक्षिण में कोयले और दूसरे माल की ढुलाई में अड़चन होती है;

(ख) यदि हां, तो वहां कोयले के कितने माल-डिब्बे रुके पड़े हैं;

(ग) स्थिति सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) क्या गुडुर और विजयवाड़ा के बीच दुहरी लाइन आंशिक रूप से पूरी हो चुकी है; और

(ङ) उसके कारण स्थिति कहां तक सुधर गयी है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). विजयवाड़ा में न यातायात रुका है और न ही कोयले की ढुलाई में अड़चन हुई है ।

(घ) और (ङ). द्वितीय योजना-काल मे स्वीकृत गुडूर और विजयवाड़ा के बीच आंशिक रूप से ९३ मील की दुहरी लाइन में से ८७.५ मील को दोहरा किया जा चुका है और दोहरी की गयी लाइन का अधिकतम प्रयोग किया जा रहा है ।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवायोजना की कार्य प्रणाली की जांच के लिए समिति

†*४१७. { श्रीमती मैमूना सुल्तान :
डा० क० ब० सेनन :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा नयी दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना की कार्य-प्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति बनायी गई है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सामने विचारणीय विषय क्या है और उसके सदस्य कौन हैं; और

(ग) यह समिति संभवतः कब तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगी ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ८७]

(ग) अक्तूबर, १९६१ में ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनाज का श्रेणीकरण

†*४१८. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री अनाज के श्रेणीकरण के बारे में १६ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४८ के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धान, चावल और गेहूं के वर्गीकरण के लिए जो प्रमाण तैयार किये गये हैं क्या वे राज्य सरकारों और दूसरे संगठनों को बताये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितनों ने अपनी राय भेजी है और क्या राय जाहिर की है; और

(ग) दूसरे अनाजों के लिए इसी तरह के प्रमाप तैयार करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस):** (क) जी, हां ।

(ख) केवल कुछ ही उत्तर प्राप्त हुए हैं जो सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ८८]**

(ग) ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी और दालों के लिये भी स्टैण्डर्ड बना लिया गया जिसे शीघ्र ही परिचालित कर दिया जायेगा ।

रेलों से कोयला लाना ले जाना

†*४१९. **श्री मुरारका :**
श्री हेम राज :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, १९६१ के आरम्भ से बंगाल और बिहार कोयला क्षेत्रों से कोयला ढोने के लिये कितने अतिरिक्त माल-डिब्बे चालू किये गये हैं;

(ख) क्या यह वृद्धि कोयला ढुलाई के गत्यावरोध को दूर करने के लिये पर्याप्त है;

(ग) क्या निकट भविष्य में और अधिक वृद्धि करने का विचार है; और

(घ) क्या मुगलसराय से ऊपर कोयला ढुलाई में शीघ्रता करने के लिये कुछ प्रदेशों में लाइन को दोहरा बनाने के लिए कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) जुलाई, १९६१ से उत्तर रेलवे के स्टेशनों के लिये बंगाल और बिहार के कोयला क्षेत्रों से कोयले के परिवहन का लक्ष्य २०० माल-डिब्बे प्रतिदिन बढ़ाने का फैसला किया गया है ।

(ख) यद्यपि इस वृद्धि से आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती, इससे मुगलसराय के रास्ते इन कोयला-क्षेत्रों से लक्ष्य-स्थानों तक कोयले की परिवहन स्थिति में पर्याप्त मात्रा में सुधार की आशा है।

(ग) निकट भविष्य में और वृद्धि की सम्भावना नहीं है ।

(घ) उपरोक्त मुगलसराय मार्ग पर क्षमता में वृद्धि करने के लिये लाईनों को दोहरा करने के निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैं :

सेक्शन	दोहरी की जाने वाली लम्बाई
१. इलाहाबाद—कानपुर प्रावस्था २	५५ मील
२. टूंडला—गाजियाबाद (अंशतः) .	६३ मील
३. वाराणसी—जफाराबाद . . .	३२ मील
४. मुरादाबाद—सहारनपुर प्रावस्था १ और २. . .	६१ मील
५. मुरादाबाद—सहारनपुर प्रावस्था ३	५९ मील

†मूल अंग्रेजी में

जहाजों से कोयले की ढुलाई

†*४२०. **श्री मुहम्मद इलियास:** क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मई से देश के विभिन्न भागों को जहाजों से कोयला पहुंचाने का काम शुरू हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितना कोयला जहाजों द्वारा पहुंचाया जा चुका है; और

(ग) जहाज़ और रेल के भाड़े में कितना अन्तर है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) जी, हां ।

(ख) १ मई, १९६१ से लेकर ३१ जुलाई, १९६१ तक लगभग ३.८३ लाख टन ।

(ग) रेल-एवं-समुद्र मार्ग और अखिल रेल मार्ग द्वारा कोयले के परिवहन पर भाड़ा की दरों में अन्तर को समान करना सम्भव नहीं है क्योंकि वह प्रत्येक मामले में मार्ग और दूरी पर निर्भर करता है ।

"हल्दिया" जहाज का दोषपूर्ण निर्माण

†*४२१. **श्री राधा रमण :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री आसर :
श्री प्र० चं० देव :
डा० राम सुभग सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री हेम बरुआ :

क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड में अभी हाल में बनाया गया हल्दिया जहाज दोषपूर्ण पाया गया और वह समुद्र में चलने के लिये अयोग्य घोषित किया गया ;

(ख) यदि हां, तो वह दोष किस प्रकार का है और उस जहाज में कुल कितनी रकम लगी है; और

(ग) यह दोष दूर करने के लिये और उसे फिर समुद्र में चलाने लायक बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हीराकुद जलाशय

†४२२. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने यह मालूम करने के लिये प्रविधिक जांच शुरू की है कि जुलाई की बाढ़ में हीराकुद जलाशय में बाढ़ का पानी इकट्ठा करने के लिये पर्याप्त व्यवस्था की गयी थी;

(ख) क्या यह सच है कि हीराकुद प्रशासन ने झील को बहुत अधिक भर दिया था और सम्भावित बाढ़ के लिये बहुत कम गुंजाइश रख छोड़ी थी; और

(ग) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम निकला ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी):** (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, नहीं । केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने प्रविधिक जांच आरम्भ नहीं की है क्यों कि इस मामले में उड़ीसा बाढ़ जांच समिति कार्य कर रही है ।

(ख) हीराकुद जलाशय के लिये स्थिर भण्डार स्तर आर० एल० ५९० है जो पिछले दो वर्षों के वर्षा काल में आर० एल० ६१० रखा गया ताकि बिजली घर के ४ यूनिट वर्तभार भार को पूरा कर सकें । इस वर्ष जुलाई की बाढ़ के दौरान उड़ीसा सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस जलाशय का स्तर आर० एल० ६१० से कुछ अधिक था क्योंकि डेल्टा वाले क्षेत्र को सहायता देने के लिये कुछ पानी रखा गया था । ११ जुलाई, १९६१ को बाढ़ के दौरान अधिकतम स्तर ६२९.६ रहा जबकि इसकी पूरी क्षमता का स्तर ६३०.० है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कलकत्ता के बड़े डाक घर में न बाँटे गये पार्सल

†*४२३. **श्री अमजद अली :** क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के बड़े डाक घर में बड़ी संख्या में पार्सल पड़े हैं जो अभी तक बांटे नहीं गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो सम्बद्ध लोगों को पार्सल बांटने में इतना विलम्ब होने का क्या कारण है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस विलम्ब का कारण यह है कि कलकत्ता के बड़े डाक घर तथा सीमा शुल्क अधिकारियों ने भिन्न प्रकार का तरीका अपनाया है; और

(घ) यदि हां, तो पार्सलों के तुरन्त बांटे जाने और सीमा शुल्क विभाग में परीक्षण की अवधि घटाने के बारे में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन):** (क) उत्तर नकारात्मक है ।

(ख) कलकत्ता के बड़े डाक घर में २२९ पार्सलों में से २०७ रोक लिये गये हैं क्योंकि प्रेषिती नोटिस मिलने के बाद भी उनको लेने नहीं आये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जी, नहीं। कलकत्ता के बड़े डाक घर में कोई चुंगी जांच नहीं होती। परन्तु कलकत्ता विदेशी डाक घर में होती है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद्

†*४२४. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :

क्या स्वास्थ्य मन्त्री १ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसन्धान परिषद् द्वारा आयुर्वेद के विद्यार्थियों के लिये बनाये गये पाठ्यक्रम और पाठचर्या पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) और (ख). केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसन्धान परिषद् द्वारा बनाये गये अध्ययन के पाठ्यक्रम और पाठचर्या का अभी परीक्षण किया जा रहा है।

उकई परियोजना

†*४२५. श्री दी० चं० शर्मा : क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री २७ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ११२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने उकई परियोजना सम्बन्धी जांच के बारे में अपना प्रतिवेदन विचार और मंजूरी के लिये केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को पेश कर दिया है;

(ख) क्या इस पर विचार किया जा चुका है; और

(ग) क्या इसे मंजूर कर लिया गया है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग). मामला सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

विदेशी विमान समवायों को भारत होकर विमान चलाने की अनुमति

†*४२६. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न विदेशी विमान समवायों को बरास्ता भारत प्रति सप्ताह कितनी उड़ानों की अनुमति दी जाती है;

(ख) क्या अमरीकी विमान समवाय अधिक उड़ानों की जांच कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) विदेशी विमान समवाय भारत को और भारत के रास्ते प्रत्येक दिशा में प्रति सप्ताह १०८ उड़ाने करती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). दोनों देशों की राष्ट्रीय विमान कम्पनियों द्वारा अतिरिक्त उड़ानों के प्रश्न को भारत और अमरीका के बीच अप्रैल-मई, १९६१ में वाशिंगटन में हुई विमान-वार्ता के दौरान उठाया गया था। वार्ता अपूर्ण रही और शीघ्र ही उसके पुनः आरम्भ किये जाने की संभावना है। इस प्रक्रम पर ब्योरा बताना जनहित में नहीं है।

नार्वे का मत्स्यपालन प्रतिनिधिमंडल

†*४२७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री ग्रोध हैसेन के सभापतित्व में नार्वे का एक मत्स्यपालन प्रतिनिधिमंडल इस वर्ष मई के पहले सप्ताह में भारत आया था ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिनिधिमंडल के साथ किन किन मामलों पर बातचीत की गई थी ; और

(ग) उस प्रतिनिधिमंडल के परामर्श से परियोजनाओं का जो ब्योरा बनाया गया है वह क्या है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). भारत-नार्वे मत्स्यपालन परियोजना की गतिविधि को बढ़ाने के प्रश्न पर नार्वे के मत्स्यपालन प्रतिनिधिमंडल के साथ विचार किया गया था। अभी ब्योरे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

रेलवे के माल डिब्बों द्वारा अधिक भार ढोया जाना

†*४२८. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस प्रस्ताव पर कि प्रत्येक रेलवे माल डिब्बे में उसकी सामान्य वहन क्षमता से कुछ अधिक भार ढोया जाना चाहिये; भारत सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के क्या कारण हैं ;

(ग) इस प्रस्ताव का ब्योरा क्या है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है ; और

(घ) प्रति वर्ष अनुमानतः कितना भार ढोये जाने की संभावना है तथा उसका परिणाम क्या होगा एवं कितनी आय होन का अनुमान है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) १ मई, १९६१ से प्रस्ताव क्रियान्वित किया जा चुका है।

(ख) उपलब्ध वैगनों द्वारा अधिकतम परिवहन के लिये।

(ग) १ मई, १९६१ से बड़ी लाइन के माल डिब्बों में सामान्य व्यापारी माल को निर्धारित ढोने की क्षमता से २ टन अधिक लादने की आज्ञा दे दी गयी है जब कि पहले १ टन की अनुमति थी। प्रस्तर धातु, बजरी, लौह अयस्क, चूना मिट्टी आदि जैसी वस्तुओं के मामल में जिनके लिये अधिक भार क्षमता पर शुल्क लिया जाता है, निर्धारित क्षमता से २ टन अधिक माल भरने की अनुमति दी जाती है क्योंकि भाड़ा निर्धारित क्षमता और २ टन अधिक पर लिया जाता है। खाद्यान्न

†मूल अंग्रेजी में

के परिवहन के मामले में खाद्य मंत्रालय से निर्धारित ढुलाई क्षमता से २ टन अधिक तक सरकारी खाद्यान्न लादने का अनुरोध किया है । अन्य वस्तुओं के मामले में इस अनुमति का पूरा उपयोग करना उपभोक्ताओं पर है ।

(घ) ढोये जाने वाले अतिरिक्त भार और उससे रेलवे को होने वाली आय का प्राक्कलन करना संभव नहीं है । तथापि, वे वैगन जिनमें प्रस्तर धातु, रेत आदि भरा हो, लगभग वर्तमान भार से ४–५ प्रतिशत अधिक भार ले जा सकेंगे ।

कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना का विस्तार

†*४२९. { **श्री मुहम्मद इलियासः**
श्री प्र० चं० बरुआः

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना का विस्तार करना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो इस विस्तार योजना का कितना आवर्तक व्यय होगा ; और

(ग) इन स्थानों पर इस योजना का लाभ उठाने वाले लोगों की संख्या क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) मामला विचाराधीन है ।

(ख) लगभग ६० लाख प्रति वर्ष ।

(ग)

बम्बई . .	१,७६,४००
कलकत्ता . .	२,१६,२००
मद्रास	४६,२००

दिल्ली में चिड़ियाघर

†६६८. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :
श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १८ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २४५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में चिड़ियाघर के निर्माण में अभी तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) उसका निर्माण कार्य कब तक समाप्त होने की संभावना है ; और

(ग) उसका निर्माण यथाशीघ्र समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिए परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ८९**]

---

†मूल अंग्रेजी में

बर्दवान–आसनसोल–गया–मुगलसराय सेक्शन का विद्युतीकरण

†६९९. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :

क्या रेलवे मंत्री १९ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९९४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बीच में बर्दवान-आसनसोल-गया-मुगलसराय सेक्शन के विद्युतीकरण के कार्य में क्या अग्रेतर प्रगति हुई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : विवरण संलग्न है ।

विवरण

बर्दवान-मुगलसारय लाइन पर निम्नलिखित सेक्शनों में उनके सामने लिखी तारीखों को बिजली से रेलों का चलना प्रारंभ हो गया है :

१. दुर्गापुर (वारिया)–आसनसोल . .	मार्च, १९६१
२. आसनसोल–कुमारढुबी . .	अगस्त, १९६०
३. कुमारढुबी–धनबाद . . (प्रधानकान्त-पथरडीह को सम्मिलित करके)	नवम्बर, १९६०
४. धनबाद-गोमोह	फरवरी, १९६१

शेष सेक्शनों के, अर्थात् गोमोह–गया–मुगलसराय और बर्दवान–दुर्गापुर, निम्न प्रकार चालू हो जाने की आशा है यदि डाक तथा तार और विद्युत संभरण अधिकारी अपने हिस्से का कार्य समय के अन्दर पूरा कर लें :

गोमोह–कोडरमा	अगस्त, १९६१
कोडरमा–गया	अक्टूबर, १९६१
गया–मुगलसराय	मार्च, १९६२
बर्दवान–दुर्गापुर	कार्य के तीसरी योजना अवधि के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए जाने की आशा है ।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम

†७००. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम को अधिक सरल और प्रभावपूर्ण बनाने की दृष्टि से संशोधित करने का प्रस्ताव किस अवस्था में है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम, १९५८ में केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् और कलकता नगर-निगम आदि द्वारा सुझाए गए संशोधनों के संबंध में राज्य सरकारों/प्रशासनों से प्राप्त टिप्पणों की जांच की जा रही है ।

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे द्वारा कोयले का वहन

†७०१. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनीलाल:

क्या **रेलवे** मंत्री ३ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८६५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ के लिए कोयले के वहन के लिए क्या लक्ष्य निश्चित किया गया है ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए कितने माल-डिब्बे आवण्टित किए गए हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). मगलसराय से आगे के स्थानों को कोयला भेजने का लक्ष्य अप्रैल, १९६१ से जून, १९६१ के दौरान १९०० माल डिब्बे प्रतिदिन था । यह लक्ष्य बढ़ाकर जलाई, १९६१ से २१०० माल डिब्बे प्रतिदिन कर दिया गया है परन्तु शर्त यह है कि ये अतिरिक्त २०० माल डिब्बे उन स्टेशनों को नहीं भेजे जाने चाहिएं जिनको छिऊकी, कानपुर और आगरा ईस्ट बेंक मार्ग से होकर भेजा जाता है । ११ जुलाई, १९६१ के बाद से बढ़ाए गए लक्ष्य के बराबर कोयला जाने लगा है ।

बांसवाड़ा को चम्बल की बिजली

†७०२. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल:

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री ३ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बांसवाड़ा को चम्बल की बिजली देने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). मामले की राजस्थान सरकार द्वारा जांच की जा रही है ।

नागार्जुनसागर परियोजना के लिए दिए गए ऋण पर ब्याज

†७०३. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :
श्री अगाडी:
श्री सुगन्धि :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री ३ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागार्जुनसागर परियोजना के लिये दिये गये ऋण पर ब्याज के भुगतान की शर्तें अन्तिम रूप से निश्चित कर दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केरल में मीटर लाइन के मालडिब्बों का कारखाना

†७०४. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल:

क्या **रेलवे** मन्त्री ३ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल सरकार की मीटर लाइन के माल डिब्बों के निर्माण के लिए सरकारी उद्योग क्षेत्र में क्विलोन में एक कारखाना खोलने के लिये अनुमति की प्रार्थना पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) सरकार ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया ।

रेलवे वर्दी समिति का प्रतिवेदन

†७०५. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :
सरदार इकबाल सिंह:
श्री अ० मु० तारिक:

क्या **रेलवे** मन्त्री ३ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच में रेलवे वर्दी समिति के प्रतिवेदन की जांच समाप्त कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). रेलवे वर्दी समिति के प्रतिवेदन की जांच अभी जारी है ।

विश्व कृषि मेले के लिए हिमाचल प्रदेश की सहकारी समितियों से प्राप्त वस्तुएं

†७०६. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा विश्व कृषि मेले में प्रदर्शित किये जाने के लिये हिमाचल प्रदेश की सहकारी समितियों से हजारों रुपये की वस्तुएं एकत्रित की गई थीं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार एकत्रित कुल राशि कितनी है ;

(ग) मेले में प्रदर्शित वस्तुओं की संख्या और मूल्य क्या हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि प्रदर्शिनी की वस्तुओं से प्राप्त राशि के काफी भाग का दुरुपयोग किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सहकारी समितियों से ६००० रुपए (लगभग) के उत्पाद एकत्रित किए गए थे। ऐसी वस्तुओं की एक सूची संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९०]**

(घ) और (ङ). वे उत्पादन प्रदर्शन के लिये थे बिक्री के लिए नहीं। इसलिए कोई राशि प्राप्त नहीं हुई थी। प्रदर्शिनी की समाप्ति पर पता चला कि १०३·४४ रुपए की वस्तुएं विभाग को लौटाई नहीं गई हैं। इस मामले की जांच की जा रही है।

हिमाचल प्रदेश में सहकारी समितियां

†७०७. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में अभी तक कितनी सहकारी समितियां स्थापित की गई हैं;

(ख) क्या उनकी नियमित रूप से जांच की जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) १०५९।

(ख) और (ग). जी हां, इस प्रयोजन के लिये बनाए गए वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार, उन मामलों को छोड़ कर जिन में रेकार्ड तुरन्त उपलब्ध न हों अथवा संचार साधन कट गए हों।

पठानकोट जंकशन के लिए मास्टर प्लान

†७०८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पठानकोट स्टेशन के लिए कोई मास्टर प्लान तैयार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसे कब क्रियान्वित किया जाएगा; और

(ग) कार्य की समाप्ति के लिए कितने समय की आवश्यकता है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग). प्रश्न उपन्न नहीं होते।

दिल्ली में पंचायतें

†७०९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में कुल कितनी पंचायतें कार्य कर रही हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितनी पंचायतों ने अपने पंचायतघर बना लिये हैं; और

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना में अभी तक कितने पंचायत घरों का निर्माण हुआ है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) २०५।

(ख) १४ (५० गांवों में सामुदायिक केन्द्रों को पंचायत घरों के रूप में काम में लाया जा रहा है। गांवों में ५९ चौपालों को भी पंचायतघरों के रूप में काम में लाया जा रहा है।)

(ग) १२।

गुरुदासपुर जिले (पंजाब) में डाकघर

†७१०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के गुरुदासपुर जिले में इस समय कितने डाकघर किराए की इमारतों में हैं; और

(ख) सरकार द्वारा १९५९-६० के दौरान कितने किराए का भुगतान किया गया ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)** : (क) २८, जिसमें एक वह डाकघर भी सम्मिलित है जो किराए से मुक्त इमारत में है।

(ख) ९,०३०·६६ रुपए।

मध्य प्रदेश में टेलीग्राफ कार्यालय

†७११. **श्री पांगरकर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में तार कार्यालयों की जिलेवार संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार १९६१-६२ में उनकी संख्या जिलेवार बढ़ाने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो वे कहां कहां स्थापित किये जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)**: (क) से (ग). ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९१]**

मध्य प्रदेश में पुल

†७१२. **श्री पांगरकर**: : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में वर्ष १९६१-६२ में कितने पुलों के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई है;

(ख) ये पुल किन किन स्थानों में निर्मित किए जायेंगे; और

(ग) इन में से प्रत्येक पुल पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बराबुर)** : (क) से (ग). चालू वर्ष १९६१–६२ में अभी तक पुल के कोई भी प्राक्कलन मंजूर नहीं किए गए हैं, परन्तु राष्ट्रीय राजपथों के विकास के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में निम्नलिखित पुल-कार्यों का उपबन्ध है :—

क्रमांक	कार्य	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)
१.	राष्ट्रीय राजपथ संख्या ६ पर कुम्हारी नदी पर एक पुल का निर्माण .	६.००
२.	राष्ट्रीय राजपथ संख्या २६ पर मील ९४/३, ९४/५, १०१/५ और १११/३ पर टूटे हुए पुलों का निर्माण	२.००
३.	सागर-नरसिंहपुर राष्ट्रीय राजपथ संख्या २६ पर (करनजी, बिजौरा, देवरी आदि) पुलों का निर्माण . .	७.००
४.	दण्डकारण्य परियोजना में राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४३ पर पुलों का निर्माण	१०.००
	योग	२५.००

महाराष्ट्र में सार्वजनिक टेलीफोन

†७१३. **श्री पांगरकर:** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में इस समय (जिलेवार) कितने सार्वजनिक टेलीफोन हैं;

(ख) क्या सरकार १९६१–६२ में उनकी संख्या (जिलेवार) बढ़ाने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो ये कार्यालय किन स्थानों में खोले जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन्)** : (क) से (ग). ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९२]**

पूर्व रेलवे पर स्टेशनों का विद्युतीकरण

†७१४. **श्री पांगरकर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे में वर्ष १९६०–६१ में कितने रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाई गई है; और

(ख) कितने स्टेशनों पर अभी बिजली लगाई जानी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) २६ स्टेशन ।

(ख) ३१-७-६१ को पूर्व रेलवे के ५०९ स्टेशनों में से २५१ स्टेशनों में बिजली लगाई जा चुकी है । इस समय १८ और स्टेशनों पर बिजली उपलब्ध है जिन पर विद्युतीकर का कार्य जारी है ।

†मूल अंग्रेजी में

मध्य रेलवे में रेलवे क्वार्टर

†७१५. **श्री पांगरकर :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे में १९६०–६१ में रेलवे कर्मचारियों के लिए कितने क्वार्टरों का निर्माण किया गया है; और

(ख) इस अवधि में कितने क्वार्टर आवण्टित किये गये ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां):** (क) १९६०–६१ में तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए १४५२ क्वार्टरों, रेलवे सुरक्षा दल के ४८२ कर्मचारियों के लिए ६ बैरकें और २६ अफसरों के क्वार्टरों का निर्माण कार्य समाप्त हुआ ।

(ख) इस अवधि में उपरोक्त में से तीसरी और चौथी श्रेणियों के लिए १४०९ क्वार्टर, रेलवे सुरक्षा दल के लिए ६ बैरकें और २६ अफसरों के फ्लैट आवण्टित किये गये ।

दीवा-पनवेल-यूरन लाइन

†७१६. { **श्री पांगरकर:**
श्री आसर :

क्या **रेलवे** मंत्री १ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच में रेलवे बोर्ड द्वारा दीवा–पनवेल–यूरन लाइन के प्राक्कलन मंजूर कर लिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त लाइन के निर्माण-कार्य के कब तक प्रारम्भ किये जाने की आशा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) जी, हां ।

(ख) निर्माण प्रारम्भ करने के लिए प्रारम्भिक व्यवस्था की जा रही है और वास्तविक निर्माण-कार्य वर्षा के पश्चात् प्रारम्भ होगा ।

हल्दिया पत्तन

†७१७. **श्री न० म० देव :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हल्दिया पत्तन के निर्माण से खड़गपुर (पश्चिम बंगाल) नगर और रेलवे बस्ती प्रभावित होगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** चूंकि हल्दिया परियोजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और हल्दिया को रेलवे लाइन ले जाने के प्रश्न का अभी तक निर्णय नहीं किया गया है इसलिए अभी यह नहीं कहा जा सकता कि हल्दिया पत्तन के निर्माण का खड़गपुर नगर और रेलवे बस्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैसूर में चीनी की मिलें

†७१८. **श्री अगाड़ी :**
श्री सुगन्धि :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य के बेलारी जिले में कमालपुरम् में और बीदर जिले में बीदर में सहकारी उद्योग क्षेत्र में चीनी की मिलों के लिए लाइसेंस दिये जाने के लिए कोई सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है; और

(ग) वह निर्णय क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) हां, श्रीमान् । मैसूर सरकार ने कमालपुरम् और बीदर में सहकारी चीनी के कारखानों की स्थापना की सिफारिश की है।

(ख) और (ग). देश में चीनी के आवश्यकता से अधिक उत्पादन को देखते हुए यह निर्णय किया गया है कि फिलहाल चीनी उद्योग में अग्रेतर क्षमता के लिए लाइसेंस न दिये जायें। कमालपुरम् और बीदर सहकारी समितियों के प्रार्थनापत्रों पर, अन्य लम्बित प्रार्थनापत्रों के साथ, उस समय विचार किया जायेगा जब नई क्षमता के लिए पुनः लाइसेंस देने का निर्णय कर लिया जायेगा।

पर्यटन निगम

†७१९. **श्री दिनेश सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन के लिए एक स्वायत्तशासी निगम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्ताव अभी विचाराधीन है, इसलिए ब्यौरा देना सम्भव नहीं है।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन

†७२०. **श्री दिनेश सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा यात्री परिवहन को प्राथमिकता दी जाती है अथवा माल परिवहन को;

(ख) क्या यात्रियों की संख्या और माल के बीच कोई निश्चित अनुपात है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) से (ग). इण्डियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन द्वारा यात्रियों के लिए अनुसूचित सेवायें परिचालित की जाती हैं। निगम डाक का वहन भी करता है। सामान्य वाणिज्यिक माल को निम्नतम प्राथमिकता दी जाती है, खराब होने वाली वस्तुओं और आवश्यक औषधियों को छोड़कर। अनेक सेवाओं में प्रकाशकों के साथ पूर्वकरार द्वारा रक्षित कोटे के आधार पर अखबार भी ले जाये जाते हैं।

यात्रियों और माल के लिए कोई निश्चित अनुपात नहीं है और वह स्थान की उपलब्धता और मांग पर निर्भर है। गत दो वर्षों में माल का औसत उड़ान किये गये राजस्व टन मील के २५ प्रतिशत और ३० प्रतिशत के बीच रहा है और यात्रियों तथा उनके सामान का लगभग ६४ प्रतिशत से ६७ प्रतिशत रहा है।

नगला डाकघर से लापता राशि

†७२१. **श्री कुन्हन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, १९६१ में चण्डीगढ़ के नगला डाकघर की तिजोरी से लगभग ३०,००० रुपये गायब हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या अपराधी पकड़ लिये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) हां, श्रीमान्। वास्तविक राशि २५,८१०.८८ रुपये है।

(ख) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९३]**

(ग) मामले की अभी तक पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नए जन्मे बच्चों की मृत्युयें

†७२२. **श्री कुन्हन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० में दिल्ली और नई दिल्ली के अस्पतालों में नये जन्मे कितने बच्चों की मृत्यु हुई;

(ख) क्या ऐसी मृत्युओं की संख्या में वर्ष १९५९ की तुलना में वृद्धि हुई है; और

(ग) कितने व्यक्तियों के विरुद्ध, यदि कोई हों, लापरवाही के लिए कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) दस।

(ख) जी, नहीं।

(ग) किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि वे मृत्यएं कर्मचारियों की लापरवाही के कारण नहीं हुई थीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

तांबे के तार की चोरी

†७२३. **डा० सामन्तसिंहार** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में कितने तांबे के तारों की, वर्ष-वार और सर्किल-वार, चोरी हुई;

(ख) इन चोरियों के विरुद्ध क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) इन कदमों का क्या प्रभाव पड़ा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६४**]

बर्मा के लिए भारतीय डाक्टर

†७२४. **श्री प्र० गं० देव :**
डा० राम सुभग सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मी सरकार ने भारतीय डाक्टरों की भरती के लिए भारत सरकार की सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो डाक्टरों की सेवा की शर्तें क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) बर्मी सरकार डाक्टरों की भरती किन शर्तों पर करना चाहती है इसके सम्बन्ध में भारत सरकार और बर्मी सरकार के बीच बातचीत चल रही है ।

फुलेरा के लोको शेड में चोरी

†७२५. **श्री वारियर :**
श्री कोडियान :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फुलेरा (छोटी लाइन) के रेलवे लोको-शेड में चोरियां, आदि के बारे में कोई शिकायत मिली है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने फुलेरा में लदान करने और माल उतारने वाले ठेकेदार के खिलाफ शिकायत की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) से (ग). हां, श्रीमान् । अक्टूबर, १९६० में सरकारी रेलवे पुलिस, फुलेरा को फुलेरा में लोको फोरमेन के पास पक्का कोयला और राख मिलने की सूचना मिली थी । अतः एक छापा मारा गया था जिसमें लोको फोरमेन के मकान से कोयला और राख पकड़ा गया । फोरमेन के खिलाफ मुकद्दमा न्यायालय में लम्बित है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कदाचित्, इस मामले के परिणामस्वरूप फुलेरा के लोको फोरमेन ने शिकायत की थी और आरोप लगाया था कि फुलेरा में कोयला उतारने चढ़ाने, राख के गड्ढे को साफ करने राख उठाने वाले ठेकेदार का एजेन्ट कोयला और राख की बड़ी मात्रा में चोरी कर रहा है। वह कोयला के वेगन समय पर नहीं खाली करता जिससे संविदा की शर्तों के अनुसार कोयला का स्टाक नहीं बन पाता। जांच से इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।

राज्यों में कृषि संस्थायें

७२६. **श्री क० भे० मालवीय:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रत्येक राज्य में एक कृषि संस्था खोलने की किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख): (क) और (ख). प्रत्येक राज्य में एक कृषि संस्था खोलने की कोई भी योजना भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। परन्तु राज्यों में चालू कृषि अनुसन्धान संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए और/या नयी संस्थायें खोलने के लिए एक परियोजना दूसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर दी गई है और तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह चालू रखी जा रही है। इस उक्त परियोजना में, ऐसे राज्यों में जहां अभी कोई ऐसी संस्था नहीं है, नई अनुसन्धान संस्थायें खोलने, और/या जहां ज़रूरी समझा जायेगा वहां पर वर्तमान संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने की योजना है। अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना के अधीन राज्य सरकारें स्वयं योजनायें तैयार करती हैं। भारत सरकार एक स्वीकृत आधार के अनुसार केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है।

बैठने या सोने की जगह रिजर्व कराना

७२७. **श्री क० भे० मालवीय :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन स्टेशनों से जहां से वापसी टिकट खरीदे जाते हैं वापसी यात्रा के लिये बैठने अथवा सोने का स्थान रक्षित नहीं किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो यह कब तक किया जायेगा ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) जी नहीं। वर्तमान आदेश के अनुसार वापसी यात्रा के लिए पहले और वातानुकूल दर्जे में आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए एक ओर की यात्रा के दुगने किराये के अतिरिक्त जिन स्टेशनों से ये टिकट खरीदे जाते हैं वहां से तार देने के लिए २ रुपए लिये जाते हैं।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता।

इन्दौर में सोने की जगह रिजर्व कराना

७२८. **श्री क० भे० मालवीय:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्दौर स्टेशन से दिल्ली और बम्बई जाने के लिये प्रायः सोने की जगह का रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है ;

(ख) जून मास में कितने लोगों को उक्त दोनों स्थानों को जाने के लिये रिजवशन नहीं मिला ।

(ग) क्या सरकार इस स्टेशन के लिये कोई रिजर्वेशन कोटा निर्धारित करेगी ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाजखां): (क) जी नहीं ?

(ख) फ्रंटियर मेल से बम्बई के लिए पहले दर्जे के १६२ यात्रियों में से ६ और जनता एक्सप्रैस के शयन-यान में दिल्ली के लिए तीसरे दर्जे के ८२ यात्रियों में से २३ को छोड़कर इन्दौर स्टेशन पर सभी गाड़ियों में दूसरे सभी यात्रियों की आरक्षण की मांग पूरी की गयी ।

(ग) और (घ) . पहले दर्जे की शायिकाओं का कोटा पहले से नियत है। तीसरे दर्जे के शयन-यान में इस स्टेशन का कोटा नियत करने के प्रश्न पर पश्चिम रेल-प्रशासन विचार कर रहा है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रकाशन

७२९. श्री क० भे० मालवीय : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् अपने प्रकाशन बेचती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन प्रकाशनों को खरीदने के लिये पास बनवाने पड़ते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो लोगों को इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार क्या पग उठायेगी ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख): (क) जी हां ।

(ख) से (ग). परिषद् के प्रकाशन कुछ स्थानीय पुस्तक विक्रेताओं पर उपलब्ध हैं ।

कृषि भवन नई दिल्ली में स्थित परिषद् के कार्यालय से प्रकाशनों के खरीदने के लिए ऐसा प्रबन्ध कर दिया गया है जहां पर किसी भी पास की आवश्यकता नहीं है ।

रेलवे सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन

७३०. श्री क० भे० मालवीय : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न रेलों के सेवा आयोगों द्वारा अपने विज्ञापन केवल अंग्रेजी में ही छपाये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ विज्ञापन हिन्दी में भी छपाये जाने की व्यवस्था की जाएगी ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठता ।

रेलवे के डिब्बों में सूचनायें

७३१. श्री क० भे० मालवीय : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ रेल डिब्बों में रेलवे की सूचनायें अंग्रेजी व अन्य भारतीय भाषाओं में तो होती हैं किन्तु हिन्दी में नहीं होतीं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के डिब्बों में हिन्दी में भी कुछ सूचनायें लिखवाने का प्रबन्ध किया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क), (ख) और (ग). इस सम्बन्ध में जो वर्तमान आदेश है, उसमें यह कहा गया है कि गाड़ी के डिब्बों में जो सूचनाएं लिखी जाती हैं, वे सब हिन्दी में भी लिखी जायें। रेल प्रशासनों से कहा गया है कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन करायें ।

दिल्ली के उपनगरीय स्टेशन

७३२. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के जो उपनगरीय स्टेशन हैं उन पर न तो मुसाफिरों के लिए कोई छाया की व्यवस्था है और न ही उचित प्लेटफार्म हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कदम जल्द ही उठाना चाहती है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और उसका स्वरूप क्या होगा ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी नहीं। सभी उपनगरीय स्टेशनों पर पटरी के बराबर या ऊंचे प्लेटफार्म बने हुए हैं और कुछ स्टेशनों पर शेड भी बने हुए हैं।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) और (घ). जिन उपनगरीय स्टेशनों पर शेड नहीं है, वहां निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शेड बनाने का विचार है, बशर्ते इस काम के लिए धन उपलब्ध हो।

दिल्ली दुग्ध वितरण योजना के डिपुओं से घी की बिक्री

७३३. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि दिल्ली दुग्ध वितरण योजना द्वारा तैयार किया गया घी सब दूध के डिपुओं पर मिले ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का स्वरूप क्या है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) और (ख). दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बनाया गया घी उसके मिल्क डिपुओं से बेचने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इन डिपुओं का काम अंश-कालिक कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है और वे दो घण्टे के लिए प्रातः और/या मध्याह्न बाद कार्य करते हैं और वे सारे शहर में फैले हुए हैं। इसके साथ ही घी का वर्तमान उत्पादन सीमित है और सब डिपुओं की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकेगा।

नर्सों के लिए रेलवे रियायत

†७३४. **श्री चुनी लाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे किन कारणों से उन नर्सों तथा विद्यार्थी नर्सों (लड़कियों) को, जिन्हें रियायती टिकटों पर यात्रा करने का अधिकार है, अपने घर जाने के लिए सीधे रास्ते के बजाये अन्य रास्ते से—जो व्यक्तिगत सुरक्षा के कारण चुना गया हो—और डाक या एक्सप्रेस रेलगाड़ियों से यात्रा करने की अनुमति नहीं देती ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : अन्य रियायतों की भांति नर्सों तथा नर्स-विद्यार्थियों को युक्तियुक्त सीधे रास्ते से विशिष्ट स्टेशनों के बीच यात्रा करने की रियायत दी जाती है। यह रियायत डाक या एक्सप्रेस रेलगाड़ी से यात्रा करने के लिए केवल ४८० किलीमीटर (पूर्ववत् ३०० मील) से अधिक की दूरी के लिए दी जाती है । ये प्रतिबन्ध लम्बी यात्रा करने वाली गाड़ियों में थोड़ी दूरी के यात्रियों की भीड़ कम करने के लिए और अनिच्छित लाभों को रोकने के लिए लगाए गये हैं। निजी मामलों में सम्बन्धित रेलवे प्रशासनों द्वारा ये हटाये जा सकते हैं जब कि ऐसा किया जाना उचित हो ।

तृतीय योजना में खाद्यान्न का लक्ष्य

†७३५. श्री दी० चं० शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने तृतीय पंचवर्षीय योजना में पंजाब के लिए खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य आवश्यक आवंटन निर्धारित कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) और (ख). हां । तृतीय योजना में पंजाब के लिए अधि-उत्पादन का लक्ष्य १८·५० लाख ट न रखा गया है और खाद्यान्न का कुशल उत्पादन ७८·५० लाख टन है । अधि-उत्पादन का यह लक्ष्य निम्नलिखित योजनाओं से पूर्ण होने की आशा है :—

बड़ी सिंचाई
छोटी सिंचाई,
उर्वरक तथा खाद,
हरी खाद,
उन्नत बीज,
भूमि संरक्षण,
भूमि अधिग्रहण, और
सूखी खेती ।

राज्य योजना में विकास की विभिन्न मदों के लिए नियत की गईं धन राशियां, जिनका प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है, निम्न हैं :—

	करोड़ रु०
(१) भूमि विकास सहित कृषि उत्पादन	११·३३
(२) छोटी सिंचाई	७·५२
(३) भूमि संरक्षण	१·८९
	२०·७४

†मूल अंग्रेजी में

नार्वे-भारत करार

†७३६. श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री कोडियान :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्वे-भारत करार की अवधि तीसरी बार बढ़ाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या करार में कोई परिवर्तन किया गया है ; और

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो सहायता उपलब्ध की जायेगी वह ठीक किस किस्म की होगी ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) से (ग). भारत-नार्वे करार की अवधि बढ़ाने के प्रश्न पर भारत और नार्वे की सरकारों में पत्र व्यवहार हो रहा है। अभी ब्योरा नहीं बताया जा सकता क्योंकि ये अभी निश्चित नहीं हुआ है ।

बिहार में रेलवे डाक सेवा के मुख्यालय का स्थान

†७३७. श्री श्रीनारायण दास : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत बड़ी संख्या में बिहार के विधान-सभा सदस्यों ने बिहार राज्य मे रेलवे डाक सेवा के मुख्यालय के स्थान, विद्यामान कार्यालयों तथा अनुभागों को, जो आजकल गया के रेलवे डाक सेवा 'सी' डिवीजन के अन्तर्गत हैं, बनाये रखना और आजकल बिहार परिमंडल के अन्तर्गत सभी अनुभागों के मुख्यालयों को जो कलकत्ता में हैं, उनके रेस्ट स्टेशनों को हटाने के बारे में मंत्री को ज्ञापन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस पर विचार किया था ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) हां । एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था जिस पर १५८ विधान-सभा सदस्यों के हस्ताक्षर थे और जिसमें पश्चिम बंगाल में हावड़ा तथा माधोपुर के बीच डब्लू बी–८ सेक्शन खुलने और बिहार से आसनसोल रेलवे डाक सेवा का हटाकर पश्चिम बंगाल सर्किल में ले जाने का विरोध किया गया था । उसमें सी-३ और सी-१२ सेक्शनों के मुख्यालयों को जो दोनों ही हावड़ा और गया के बीच काम करते हैं, कलकत्ता से हटाकर गया ले जाने, डब्लू बी-७ (हावड़ा-पुरी) और सी-६ (पटना-बरकाकाना) सेक्शनों के इलाकों को क्रमानुसार रांची और टाटानगर तक बढ़ाने की भी प्रार्थना की गयी थी । अन्त में उसमें टाटानगर रेलवे डाक सेवा तथा सकरीगलीघाट व मनिहारीघाट में रास्ते के डाक कार्यालयों को हटा कर बिहार सर्किल मे ले जाने की प्रार्थना थी ।

(ख) हां ।

(ग) कार्य तथा प्रशासन की दृष्टि से प्रस्तावों को संभव नहीं समझा गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सिंचाई–क्षमता के उपयोग के लिए प्रत्येक परियोजना संबंधी समिति

†७३८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री १ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई-क्षमता का अधिकतम प्रयोग करने के लिए राज्य सरकारों ने प्रत्येक परियोजना पर समितियां बनाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमत्री (श्री हाथी) :** जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय सड़क कांग्रेस की रिपोर्ट

†७३९. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बीच भारतीय सड़क कांग्रेस की रिपोर्ट मिल गई है ;

(ख) यदि हां, तो कांग्रेस की मुख्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ९५]**

चीनी का मूल्य

†७४०. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री खुशवक्त राय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कारखानों तथा गन्ना-उत्पादकों के बीच चीनी के मूल्यों को बांटने के लिये मूल्य-संबंध सूत्र का संशोधन करने के बारे में प्रशुल्क आयोग की रिपोर्ट मिल गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) रिपोर्ट विचाराधीन है । आयोग की सिफारिशों पर विचार किये जाने और उनपर निश्चय होने के बाद रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रावी नदी पर बांध

†७४१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपर बारी दोआब नहरों के पानी का प्रयोग करने के लिये रावी नदी पर बान्ध बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में पंजाब सरकार से कोई योजना प्राप्त हुई है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उसपर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) रावी नदी पर थेइन गांव के पास बान्ध बनाने का पंजाब सरकार का प्रस्ताव है ।

(ख) परियोजना की रिपोर्ट पिछले दिनों ही मिली है ।

(ग) 'थेइन बान्ध' में रावी नदी पर एक भण्डार जलाशय निर्माण सम्मिलित है जिसकी कुल भण्डार क्षमता लगभग २० लाख एकड़ फीट होगी जिसमें १५·५ लाख एकड़ फीट का विद्यमान जलाशय सम्मिलित है । एकत्रित जल का प्रयोग पंजाब, राजस्थान और जम्मू तथा काश्मीर राज्यों में सिंचाई के लिये होगा ।

इस परियोजना की मुख्य विशेषताओं में पूर्व-बलित सीमेंट कंक्रीट वप्र बान्ध (आर० सी० कंक्रीट बट्रेस डेम)' 'रेडियल गेट' द्वारा नियंत्रित अधिप्लवन-मार्ग (ओवरफ्लो स्पिल वे), और बाद में विद्युत् संयंत्र लगाने के लिये नदी का निकास और जल-निर्गम द्वार सम्मिलित हैं ।

(घ) परियोजना की रिपोर्ट पर अभी विचार किया जायेगा ।

रावी तथा ब्यास को मिलाना

†७४२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रावी नदी को ब्यास नदी से मिलाने का कोई विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव किस स्थिति में है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) और (ख). माधोपुर ब्यास सम्पर्क, जिससे ब्यास नदी का लगभग १०,००० घन फुट पानी मिलता है, पूरा हो गया है । रावी-ब्यास नामक दूसरे जलमार्ग की पंजाब सरकार जांच पड़ताल कर रही है । सूचना मिली है कि इस योजना की व्यापक जांच पड़ताल हो रही है ।

उत्तर रेलवे पर यात्री सुविधायें

†७४३. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर रेलवे पर १९६१–६२ में दी जाने वाली यात्री-सुविधाओं पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) संलग्न सूची में ब्योरा दिया हुआ है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९६]**

†मूल अंग्रेजी में

रिवाड़ी-भटिण्डा लाइन पर लाइन का पुर्ननिर्माण

†७४४. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे की रिवाड़ी-भटिण्डा लाइन का पुर्ननिर्माण करने का प्रोग्राम निश्चित हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) इस सेक्शन की १८६.४० मील की कुल लम्बाई में से ६९.२३ मील लाइन पुनः डाली जा चुकी है और ८३.४७ मील लम्बी लाइन पर काम हो रहा है। ३३.७० मील लम्बी शेष लाइन को तीसरी योजना काल में पुनः बनाने का विचार है ।

कलकत्ता के चारों ओर वृत्ताकार रेलवे

†७४५. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री टी० चं० शर्मा :

क्या रेलवे मंत्री १ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६८७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता के चारों ओर वृत्ताकार रेलवे लाइन बनाने की योजना में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : कोई प्रगति नहीं हुई है ।

कोयला-खान क्षेत्रों में नई रेलवे लाइनें

†७४६. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री जांगड़े :

क्या रेलवे मंत्री १ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७२४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला-खान क्षेत्रों में तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में नई रेलवे लाइनें बनाना निश्चित हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक

†७४७. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक का नियमित लेखा परीक्षण नहीं होता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) हाल लेखा परीक्षण कब हुआ था ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति): (क) नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) ६ मई, १९६१ को ।

लिंग परिवर्तन

७४८. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में अब तक सफल लिंग परिवर्तन के कितने मामलों का पता लगा है ; और

(ख) क्या सरकार ऐसे लिंग परिवर्तनों और उनके कारणों की गवेषणा कर रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) जी नहीं । विदेशों में की गई गवेषणा के आधार पर लिंग परिवर्तन के कारणों से सम्बन्ध एक नोट संलग्न है ।

विवरण

मनुष्य में लिंग परिवर्तन से होने वाली लिंग असामान्यताओं के विश्लेषण से तीन वर्गों भिन्न का पता चलता है । कार्यकारण संबंध, व्यक्तिगत जीवन के विकास इतिहास के उद्भव में प्रव्यंजना के उद्भवकाल तथा प्रौढ़ व्यंजना के लाक्षणिक प्रकार में इन तीनों वर्गों में भिन्नता है ।

असामान्यतायें

प्रथम वर्ग:

अण्डे अथवा मुक्त कोशा में क्षति होने के परिणाम स्वरूप आद्यरोही कोशा में जो त्रुटिपूर्ण विकास होताहै , उससे ये असामान्यतायें पैदा हो जाती है । पुजननग्रन्थि लिंग भेद की अवधि से पूर्व मौलिक गोनिया के पूर्णत: छुप जाने की हालत में जेनेटिक-मैल्स स्यूडोफीमैल्स हो जाते हैं । यदि गोनिया की संख्या पर्याप्त घटती ही है तो जेनेटिक फीमेल्स या तो स्यूडोमेल्स में विकसित हो जाते हैं अथवा उभयलिंगों में ।

दूसरा वर्ग.

ये असामान्यतायें माताओं की उस पैतृक विशेषता पर निर्भर करती है जो 'उनके' भ्रौणभेद के तुरन्त पश्चात् उनसे गर्भ परीक्षण के सामान्य मध्यक कार्यों का प्रतिविधान करवाती है । इस प्रकार जनन की दृष्टि से पुरुषभ्रूण पुरुष कूट-उभयलिंगों (स्यूडो हार्माफ्रोडाइट्स) में विकसित हो जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तीसरा वर्ग

ये असामान्यतायें पुन्सकारी हारमोन की उत्पत्ति के साथ उपवृक्क अतिवृद्धि (अड्रेनल हाइपर-प्लासिया) में उपद्रव के रूप में विकसित हो जाते हैं। प्रव्यंजना पांचवें महीने 'या उसके बाद से' ही शुरू होती है। जनन की दृष्टि से स्त्रीतत्व (फीमेल इंडिविजुअल्स) स्त्रीकूट उभयलिंगों (फीमेल स्यूडोहर्माफ्रोडाइट्स) में विकसित हो जाते हैं।

हरिद्वार में कुम्भ मेला का प्रबन्ध

†७४९. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२ में होने वाले कुम्भ मेला में रेल से हरिद्वार आने वाले तीर्थ यात्रियों की भीड़ को संभालने के प्रबन्ध के प्रस्ताव हाथ में ले लिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)**: (क) हां, श्रीनमान्।

(ख) किये जाने वाले प्रबन्ध का ब्योरा तैयार किया जा रहा है।

उदयपुर में लक्ष्मी विलास महल

†७५०. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उदयपुर में मेवाड़ के महाराज के लक्ष्मी बिलास महल को पर्यटन विभाग द्वारा प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). भारत सरकार ने उदयपुर (मेवाड़) में लक्ष्मी बिलास महल उदयपुर के महाराना होटल के रूप में प्रयोग करने के लिये खरीद लिया है। मूल्य ७.०० लाख रु० निश्चित हुआ है।

जलमग्न तथा कन्द्रा भूमि को कृषि योग्य बनाना

†७५१. **श्री गोरे** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जलमग्न भूमि को कृषि योग्य बनाने की कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में कुल कितने एकड़ जलमग्न तथा कन्द्रा भूमि कृषि योग्य बनाई जायेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा शीघ्र सभापटल पर रख दी जायेगी।

गेहूं का न्यूनतम मूल्य

†७५२. **श्री वी० बं० शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने भारत सरकार से गेहूं का न्यूनतम मूल्य शीघ्र निर्धारित करने का अनुरोध किया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई हैं या की जायेगी ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). कटाई के मौसम के आरंभ में पंजाब सरकार ने सुझाव दिया था कि इस वर्ष गेहूं की फसल अत्यधिक अच्छी होने के कारण भारत सरकार को गेहूं का खरीद-मूल्य निर्धारित कर देना चाहिये और और कृषकों के हितों की रक्षा के लिये गेहूं के मूल्यों का समर्थन करने के लिये तैयार हो जाना चाहिये। मामले की ध्यानपूर्वक जांच की गई। गेहूं के आवागमन पर खण्डीय प्रतिबन्धों को हटाने के अतिरिक्त आटा मिलों को बाजार से गेहूं खरीदने की अनुमति दी गई थी तथा गेहूं के स्टाक पर बैंकों द्वारा ऋण देने पर लगे प्रतिबन्ध हटा लिये गये थे। इन उपायों का वांछित फल रहा है और सरकार के लिये बाजार में जाना आवश्यक नहीं समझा गया ।

जमाये हुए तेलों का उपभोक्ताओं पर प्रभाव

†७५३. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या स्वास्थ्य मंत्री २४ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमाये हुये तेलों का उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय का ब्योरा क्या है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). पोषण अनुसंधान प्रयोगशाला ने जमाये हुये तेल की चिकनाई तथा दूसरे प्रकार की चिकनाई एवं तेलों का जो प्रयोग बन्दरों पर किया है उसके परिणाम यह हैं :—

(१) जमाये हुये तेल की चिकनाई को यदि समान्य अथवा कम स्तर पर (खाद्य सामग्री में १० से १५ प्रतिशत) खाया जाये तो सीरियम कोलेस्टोरोल नही होता।

(२) यदि यह अधिक मात्रा में लगभग ४० प्रतिशत तक खाई जाये तो सीरियम कोलोस्टोरोल काफी मात्रा में हो सकता है ।

(३) यदि २० से ३० प्रतिशत जमाये हुये तेल की चिकनाई के स्थान पर उद्जनित तेल का प्रयोग किया जाये जो कि पोल्यूनसेचुएरेटिड चिकनाई एसिड काफी मात्रा में रखता है, तो सीरियम कोलोस्टोरोल में काफी मात्रा में कमी हो जाती है ।

(४) अनुभव से यह भी पता चला है कि जमाये हुये तेल की चिकनाई यदि दिन के सभी खानों में बराबर मात्रा में खाई जाये तो इस से सीरियम कोलोस्टोरोल काफी मात्रा में कम हो जाता है जब कि यदि एक ही बार के खाने में लिया जाये तो सीरियम कोलोस्टोरोल काफी मात्रा में हो सकता है ।

(५) इस समय इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है कि अकेले जमाये हुये तेल की चिकनाई की अधिक मात्रा के सेवन करने से कारोनरी हृदय रोग होता है। केवल इतना कहा जा सकता है कि यदि बहुत आधिक मात्रा में जमाये हुये तेल की चिकनाई ली जाये तो इससे कोटोनरी हृदय रोग हो सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अमृतसर तथा पठानकोट के बीच बम विस्फोट

†७५४. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या रेलवे मंत्री २४ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३१६ के उत्तर में के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस ने उसके बाद से अमृतसर तथा पठानकोट के बीच रेलवे लाइन पर होने वाले बम बिस्फोटों के कारणों के बारे में पता किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) तथा (ख) जी हां, । पुलिस की खोजों के बावजूद भी इस मामले का कुछ पता नहीं लग सका है ।

गन्ना उत्पादन

†७५५. श्री दी० चं० शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिएकड़ उत्पादन के आधार पर जो अनुमान लगाया गया है उस से इस बात का पता चलता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में गन्ने के उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है तो यह बृद्धि अच्छे किस्म के उर्वरक के संभरण एवं उसके प्रयोग के फलस्वरूप हुई हैं अथवा किसानों को जो अच्छे किस्म का बीज देने के कारण हुई है; और

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में गन्ने के उत्पादन में जो कमी अथवा वृद्धि हुई है उसी के अनुरूप इसके मूल्य में भी कमी अथवा वृद्धि हुई है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वे० कृष्णप्प) : (क) जी हां । पहली पंच वर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में यह उत्पादन जो १३ . १ टन था अब बढ़कर दूसरी योजना के अन्त में १४ . ८ टन हो गया है ।

(ख) इस वृद्धि का कारण अच्छी किस्म का उर्वरक बीज दोनों ही हैं जो किसानों को दिये गये थे ।

(ग) भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाता है इसलिये मूल्यों में कमी अथवा वृद्धि का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

परिवहन तथा सचालकों को उधार की सुविधाए

†७५६. श्री दी० चं० शर्मा : क्या परिवहन तथा सचार मंत्री १ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४५८ के उत्तर के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन संचालकों को उधार देने की सुविधाओं की व्यवस्था करने की योजनाओं के बारे में कितनी प्रगति हुई है तथा उसके बारे में क्या अंतिम निर्णय किया गया है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर): गैर सरकारी क्षेत्र के परिवहन संचालको को उधार देने सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये राज्यकीय परिवहन वित्तीय निगमों की स्थापना सम्बन्धी योजना पर २८ और २९ जलाई, १९६१ को दिल्ली में होने

†मूल अंग्रेजी में

वाली सड़क-तथा अन्तरदेशीय जल परिवहन परामर्श समिति की बैठक में विचार किया गया था। यह बताया गया कि राज्यीय वित्तीय निगम अधिनियम १९५१ में संशोधन करने का प्रश्न वित्त मंत्रालय विचाराधीन है, इस संशोधन का उद्देश्य यह होगा कि इस से "सड़क परिवहन उद्योग" और "अन्तर्देशीय जल परिवहन उद्योग" को राज्यीय वित्तीय निगमों से उधार मिल सके। इस लिये इस समिति ने यह सिफारिश की कि राज्य परिवहन वित्त निगम की अलग से स्थापना करने की कोई आवश्यकता नहीं है बल्कि राज्य वित्तीय निगम अधिनियम में इस प्रकार का संशोधन होना चाहिये कि न केवल सड़क परिवहन उद्योग के ही बल्कि सड़क परिवहन आपरेटरों की ४ वित्तीय सहायता करने वाले सभी संगठनों को राज्यीय वित्त निगमों से सहायता मिलने लगे। यह भी सिफारिश की गयी थी कि राज्य सरकारें अपने यहां उधार-क्रय समवायों की अपने यहां स्थापना करें और राज्यीय वित्त निगमों से लाभ उठायें। इस समिति की सिफारिशों की ओर वित्त मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया गया है।

एशिया तथा सुदूर-पूर्व के लिये आर्थिक आयोग की पर्यटन सम्बन्धी गोष्ठी

†७५७. **पंडित द्वा० ना० तिवारी:**
श्री रामकृष्ण गुप्त:
श्री चुनीलाल:

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के सहयोग से एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग की पर्यटन की वृद्धि के लिये जो १२ दिवसीय गोष्ठी नई दिल्ली में बुलाई थी उस की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उन सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उन को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां। उस गोष्ठी की सिफारिशों को बताने वाला विवरण सभापटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी०—३०८२/६१**]।

(ख) तथा (ग). यह प्रतिवेदन औपचारिक रूप से एकफे की ओर से भारत सरकार को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी इस एकफे गोष्ठी की कुछ सिफारिशों पर अमल होना शुरू हो गया है। लेकिन यह काम लम्बा है और इस को क्रियान्वित करने में काफ़ी समय लगेगा।

उत्तर प्रदेश में चीनी का स्टाक

†७५८. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :**
श्री सरजू पांडेय :
डा० रामसुभग सिंह :
श्री प्र० गं० देव :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के उस वक्तव्य की ओर

†मूल अंग्रेजी में

आकर्षित किया गया है जिसमें उन्हों ने कहा है कि चीनी के स्टाक की निकासी के बारे में उत्तर भारत की मिलों के साथ भेदभाव की नीति अपनाई जाती है ;

(ख) क्या यूनाइटेड चीनी मिल मज़दूर फेडरेशन ने भी अपने ज्ञापन में इस भेदभाव का उल्लेख किया है ; और

(ग) यदि हां, तो वास्तविक स्थिति क्या है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म०थामस): (क) राज्य सरकार से जो पूछताछ की गई है उस से ज्ञात हुआ है कि मुख्य मंत्री ने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया था। उन्हों ने तो केवल इतना ही कहा था कि चूंकि उत्तर प्रदेश में देश के अन्य भागों की अपेक्षा अधिक उत्पादन होता है अतः उत्तर प्रदेश का आवंटन एक दूसरे ही आधार पर निर्धारित किया जाये।

(ख) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के पास ऐसा ज्ञापन कोई नहीं आया है।

(ग) भारत सरकार देश के भीतर २ लाख टन चीनी प्रति मास बेचने की अनुमति देती है। देश की सभी मिलों के उत्पादन को ध्यान में रख कर इस का आवंटन किया जाता है। आजकल प्रत्येक राज्य के लिये कोटा निर्धारित है। राज्य के कोटे की पूर्ति यदि उस राज्य में उत्पादित चीनी से पूरी नहीं होती तो उस राज्य को चीनी के अतिरिक्त कोटा में से चीनी दे दी जाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार के चीनी कारखानों से सरकार द्वारा नामांकित व्यक्तियों को तथा अन्य दूसरे राज्यों को चीनी दे दी जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि इन राज्यों से निर्धारित कोटा की अपेक्षा मांग कम होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि निर्यात के लिये तथा कुछ आकस्मिक कठिनाइयों के लिये चीनी इन कारखानों से ले ली जाती है और इस प्रकार उन मिलों से लिये जाने वाले आंकड़ों में परिवर्तन हो जाता है। अतः उत्तर प्रदेश की मिलों अथवा उत्तर भारत की मिलों के साथ कोई भेद-भाव नहीं किया जाता।

सिंगरेनी कोयला खान

†७५९. **श्री त० ब० विट्ठल राव**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून १९६० के महीने में सिंगरेनी कोयला खान को प्रतिदिन औसतन कितने वैगनों का संभरण किया गया था ;

(ख) कम्पनी ने कितने वैगनों की मांग की थी ;

(ग) मुंडामारी तक रेलवे साइडिंग लाने के काम में कितनी प्रगति हुई है ; और

(घ) ३१ जुलाई, १९६१ को पिट हैड पर कितना स्टाक था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें वें० रामस्वामी)**: (क) २५६।

(ख) २८९ प्रतिदिन।

(ग) मुंडामारी तक रेलवे साइडिंग बना दिया गया है और ४-३-१९६१ से उस पर काम भी शुरू हो गया है।

(घ) ३१ जुलाई, १९६१ को पिट हैड पर १९२४८ टन माल था।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे कर्मचारियों के लिये पेंशन एवं उपदान

†७६० { श्री कुन्हन :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कितने रेलवे कर्मचारियों ने मार्च १९६१ के अन्त तक पेंशन एवं उपदान योजना को स्वीकार किया है ;

(ख) १ अप्रैल १९५९ से ३१ मार्च १९६० तक रेलवे ने अपने अंश के रूप में भविष्य निधि योजना में कितनी राशि दी ;

(ग) सेवानिवृत्त होने वाले कितने व्यक्तियों को जिन्हों ने इस दौरान में पेंशन लेने की अपनी इच्छा प्रकट नहीं की थी उपदान दिया गया ; और

(घ) सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों को जिन्हों ने कि इस दौरान में पेंशन लेने की इच्छा प्रकट की थी पेंशन के रूप में कितनी धनराशि दी गई ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) ४५४७१ ।

(ख) ६,८१,४१,४२३ रुपये ।

((ग) ३,१०,१२,४९७ रुपये ।

(घ) ९७,४८,१७५ रुपये ।

रेलों में विभागीय भोजन की व्यवस्था

†७६१. **श्री हेमराज** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभागीय भोजन व्यवस्था योजना में स्टेशनों पर काम करने वाले कर्मचारियों से काम करने के दौरान में हुई वस्तुओं की टूट फूट के पैसे लिये जाते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन की रेढ़ी एवं हमाम जल्दी ठीक नहीं किये जाते ; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खांज़)** : (क) जी नहीं । उसी स्थिति में पैसे लिये जाते हैं जब यह निश्चित हो जाता है कि कर्मचारी की लापरवाही से वस्तुओं की हानि हुई है ।

(ख) रेढ़ी एवं हमाम की तुरन्त मरम्मत करने की व्यवस्था है ।

(ग) प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए इस के उत्तर की आवश्यकता नहीं है ।

पोंग में व्यास का बांध

†७६२. **श्री हेमराज** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोंग में व्यास पर बांध बनाने के लिये स्थान के बारे में अन्तिम निर्णय हो गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके दोनों ओर के टीले छिद्रपूर्ण हैं ; और

(ग) इस बांध की ऊंचाई कितनी होगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) कांगड़ा जिले के पोंग नामक गांव के पास, जो तलवाड़ा से ५ मील और जलंधर-पठानकोट सैक्शन पर स्थित मुकारियन रेलवे स्टेशन से २४ मील दूर है, व्यास पर बांध बनाने का निश्चय किया गया है ।

(ख) मिट्टी के टीले तो दुर्भेद्य हैं लेकिन रेतीले टीले छिद्रपूर्ण हैं । परियोजना में रेतीले टीलों के लिये उचित व्यवस्था कर दी गई है ।

(ग) नदी की सतह से लगभग ३४० फुट ऊंचा ।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के वरसोई स्टेशन के निकट रेल का पटरी से उतरना

†७६३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १२ मई, १९६१ को सिलगुरी जाने वाली जनता फास्ट गाड़ी का इंजिन पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के वरसोई स्टेशन के निकट पटरी पर से उतर गया था और ड्राइवर की चतुरता से गंभीर दुर्घटना होते होते बच गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस दुर्घटना का क्या कारण था ; और

(ग) क्या उस ड्राइवर को उसकी चतुरता के लिये कोई इनाम दिया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें रामस्वामी)** : (क) तथा (ख). ११-५-१९६१ को १०.०० बजे के लगभग जबकि २१ अप पैसेंजर गाड़ी वरसोई स्टेशन के निकट पहुंची तो गैंगमैन द्वारा शोर मचाने पर प्लेटफार्म से पूर्व ही गाड़ी को तुरन्त ही रोक लिया गया गैंगमैन ने देखा कि रेल की पटरियां नीचे धंस गई थी ।

(ग) जी नहीं ।

मलाया के परिवहन मंत्री का दौरा

†७६४. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलाया के परिवहन मंत्री इस वर्ष मई जून में एक सप्ताह के लिये भारत आये थे ;

(ख) यदि हां, तो वह कहां कहां गये ; और

(ग) उनके इस दौरे का उद्देश्य क्या था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) उन्होंने दिल्ली, बम्बई, मद्रास दार्जलिंग और कलकत्ता में रेलवे संस्थान और निर्माण केन्द्रों को देखा ।

(ग) उनके दौरे का उद्देश्य यह देखना था कि भारतीय रेलों ने एवं उत्पादन इकाइयों ने कितनी प्रगति की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

लेडी हार्डिंग मेडीकल कालेज तथा अस्पताल कर्मचारी संघ के सदस्यों द्वारा भूख हड़ताल

†७६५. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
श्री नवल प्रभाकर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा अस्पतलाल कर्मचारी संघ के कुछ सदस्यों द्वारा इस मई के महीने में भूख हड़ताल की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थी ; और

(ग) इन मांगों के बारे में सरकार का निर्णय क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां ।

(ख) संघ की मुख्य मांगें ये हैं :—

(१) संघ को मान्यता दी जाये (२) लगभग १२ वर्ष पूर्व जिन कर्मचारियों को अलग किया गया था उन्हें फिर से काम पर लिया जाये और (३) लेडी हार्डिंग मेडीकल कालेज तथा अस्पताल के प्रांगण में रात्रि पाठशाला का निर्माण ।

(ग) लेडी हार्डिंग मेडीकल कालेज तथा अस्पताल के प्रशासन बोर्ड ने संघ को मान्यता प्रदान कर दी है । निकाले गये कर्मचारियों को फिर से काम पर लेने का प्रश्न विचाराधीन है । ऐसा प्रस्ताव है कि किसी उचित स्थान पर रात्रि पाठशाला बनाई जाये ।

कैंसर के लिये अनुसन्धान केन्द्र

†७६६. **श्री कोडियान :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैंसर के बारे में पूर्ण रूप से अनुसन्धान करने के लिये केन्द्र खोलने सम्बन्धी कार्यक्रम जो कि प्रवीण व्यक्तियों के अभाव के कारण स्थगित कर दिया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में फिर से क्रियान्वित किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी विस्तृत बातें क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) तथा (ख). नये कैंसर अनुसन्धान केन्द्र खोलने का कोई विचार नहीं है ।

बाढ़ नियंत्रण योनाजओं के लिये केरल राज्य को सरकार की वित्तीय सहायता

†७६७. **श्री कोडियान :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिये केरल सरकार ने किस प्रकार की एवं कितनी वित्तीय सहायता सरकार से मांगी थी ;

(ख) किस प्रकार की एवं कितनी सहातया दी गई ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) किन किन योजनाओं के लिये सहायता दी गई ; और

(घ) इन योजनाओं को कार्यान्वित करने में कितनी प्रगति हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में में केरल राज्य सरकरा ने ७८.६ लाख रुपये की बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिये सरकार से सहायता मांगी थी ।

(ख) दूसरी योजना के दौरान में राज्य को ४१ लाख रुपये की सहायता दी गई ।

(ग) जिन बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिये धन दिया गया वे ये हैं :—

(१) काडालुंडी में पलस्तर और बांध बनाना

(२) मुरियाड मुरकांड नहर को गहरा तथा चौड़ा करना

(३) चालकुडी नदी पर बांध बनाना

(४) अचनकोहल नदी को को गहरा तथा चौड़ा करना

(५) मचियाली-थोडू का सुधार

(६) कोटूकल चैनल का सुधार

(७) करवन्नूर उत्तरी बांध का सुधार

(८) पम्बा मनीमाला कटाव

(९) किलीगर में बाढ़ नियंत्रण कार्य

(१०) त्रीयाम बांध को नियमित बनाना ।

(घ) उपरोक्त १० योजनाओं में से ४ का (क्रम संख्या १, ३, ६ और ७) काम पूरा हो गया है और शेष योजनाओं का काम प्रगति कर रहा है ।

कुल्लूर और वल्लापट्टनम परियोजनाएं

†७६८. { **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री कोडियान :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ६ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १७८१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुल्लूर तथा वल्लापट्टनम परियोजनायें तीसरी पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित कर ली गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन में से प्रत्येक योजना के लिये कितनी राशि रखी गई है ; और

(ग) परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) 'कुल्लूर' नाम की कोई परियोजना अलग से नहीं है । यह तो वह स्थान है जहां कि वल्लापट्टम परियोजना बनाई जाने वाली है । अभी तक वल्लापट्टनम को तीसरी योजना में शामिल करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) वल्लापट्टनम परियोजना के अन्तर्गत वल्लापट्टतम नदी पर एक बांध बनाने की योजना है ताकि केरल के कन्नोर ज़िले में ४०,०००एकड़ भूमि की सिंचाई हो सके तथा इस योजना पर लगभग ४४० लाख रुपये व्यय होंगे ।

लेडी हार्डिंग मेडीकल कालेज तथा अस्पताल के कर्मचारियों की छटनी

†७६९. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा अस्पताल के कुछ कर्मचारियों की अभी हाल में छटनी की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि उस संस्था के कर्मचारियों को ओवर टाइम की बकायाराशि नहीं दी गई है, और

(घ) यदि हां तो इस के क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** :(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस संस्था के कर्मचारियों को आजकल ओवर टाइम देने की अनुमति नहीं है। ड्राइवरों को अवश्य दिया जाता है लेकिन उसका भुगतान नियमित रूप से हो रहा है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अवकाश-गृह

७७०. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन-किन स्थानों पर 'अवकाश-गृह" (होली डे होम) बनाये गये हैं ; और

(ख) इन 'गृहों' से प्रति वर्ष कितने रेलवे कर्मचारी लाभ उठाते हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) विभिन्न रेलों में निम्नलिखित स्थानों पर अवकाश-गृह बनाये गये हैं :—

रेलवे	अवकाश गृह कहां बनाया गया है
मध्य	मथिरान
पूर्व	हज़ारीबाग रोड पुरी वैद्यनाथ धाम मसूरी

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे	अवकाश गृह कहां बनाया गया है :
उत्तर	वगोन मसूरी शिमला पहलगाम
दक्षिण	कुटाल मैसूर यरकांड
दक्षिण-पूर्व	रांची पुरी
पश्चिम	बांदरा (बम्बई)
सभी रेलों के लिये	पहलगाम, कश्मीर

(ख) १९६०–६१ में लगभग ३००० कर्मचारी इन अवकाश-गृहों में ठहरे ।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ नगरों को मिलाने वाली नई रेलवे लाइन

७७१. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के जिला भिन्ड से इटावा तक रेलवे लाइन बनाकर और चम्बल तथा जमुना पर पुल बना कर तथा इस लाइन को आगे फरुखाबाद और शाहजहांपुर तक ले जाकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को मिलाने तथा दोनों राज्यों में सीधे व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने के लिये प्रस्तावित रेलवे लाइन बनाने में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस रेलवे लाइन को बढ़ाने के बारे में इटावा (उत्तर प्रदेश) के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पेश की गई रिपोर्ट पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) तीसरी आयोजना की अवधि में जिन नयी लाइनों के निर्माण का अनुमोदन आयोजना आयोग ने किया है उनकी सूची में यह सुझाव शामिल नहीं है। इसलिये निकट भविष्य में इस लाइन के निर्माण की कोई संभावना नहीं है ।

(ख) सरकार को इस तरह की किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है ।

भारत में बाल पथ प्रदर्शन चिकित्सालय

†७७२. **श्री स० च० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने बाल पथ प्रदर्शन चिकित्सालय हैं ;

(ख) वे कहां कहां स्थिति हैं और किन संस्थाओं से सम्बद्ध हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उनमें कितने मामले पंजीयित किये गये हैं और कितनों की सफल चिकित्सा हुई है; और

(घ) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसे कितने अन्य चिकित्सालय खोले जायेंगे ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) (ख) और (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपयुक्त समय पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) तीसरी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सहायता से किसी बाल पथ प्रदर्शन चिकित्सालय की स्थापना करने की कोई योजना नहीं है ।

फलोत्पादन के विकास के लिये उत्तर प्रदेश को ऋण

७७३. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २८ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४११७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१–६२ के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार को फलोत्पादन कार्य के विकास व प्रसार के लिये ऋण या अनुदान देने के जिस प्रश्न पर विचार किया जा रहा था, उसके बारे में क्या निश्चय किया गया है ;

(ख) अब तक जो भी ऋण या अनुदान इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की सरकार को दिया गया है वह किस प्रकार व्यय किया गया है ; और

(ग) क्या इसका विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :(क) से (ग) चालू विधि के अन्तर्गत राज्य प्लान योजनाओं के लिये वित्त सहायता पृथक योजनाओं के लिये नहीं दी जाती है, लेकिन इसका सम्बन्ध विकास के मुख्य शीर्षकों से है उदाहरणार्थ कृषि उत्पादन (जिस में फल उत्पादन का विकास भी शमिल है) ।

अलीगंज स्टेशन का नाम बदलना

७७४. **श्री भक्त दर्शन:** क्या रेलवे मंत्री २३ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ५९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर उस स्टेशन के पास स्थित बुधनपुर गांव के नाम पर "बुधनपुर" रखने के जिस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा था, उसके बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार से परामर्श किया जा रहा है ।

मलाया में दक्षिण पूर्वी एशियाई कृषि अनुसन्धान और प्रशिक्षण संस्था

†७७५. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व एशियाई कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्था की मलाया में स्थापना करने के लिये भारत का सहयोग प्राप्त किया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह संस्था किसके तत्वाधान में आरम्भ की जा रही है और इस संस्था की सफलता के लिये भारत सरकार क्या सहायता और सहयोग दे रही है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी हां ।

(ख) यह संस्था संयुक्त राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन के तत्वाधान में स्थापित की जायेगी । नवम्बर, १९६१ में खाद्य और कृषि संगठन के ग्यारहवें संत्र में इस संस्था को खोलने के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय होने के पश्चात् ही यह निर्णय किया जायेगा कि खाद्य तथा कृषि संगठन के सदस्यों को कितनी सहायता देनी होगी ।

सिंधु जल संधि के अधीन दिये गये जल का उपयोग

†७७६. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिन्धु जल संधि के अधीन देश में उपयोग किये जल का पंजाब और राजस्थान की सरकारों द्वारा पूरी तरह उपयोग नहीं किया जा रहा है ;

(ख) इसका क्या कारण है, और

(ग) क्या इन राज्यों को इस सम्बन्ध में कोई अनुदेश किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). सिंधु जल संधि १९६० के अधीन मुक्त किये जल का राज्य सरकारों द्वारा उस सीमा तक उपयोग किया जा रहा है जितना कि उनकी नहर प्रणाली द्वारा उपयोग हो सकता है । पूर्वी नदियों के जल के पानी का पूरा उपयोग करने के लिये पंजाब और राजस्थान की सरकारों ने कुछ परियोजनायें जिनमें व्यास बांध योजना और राजस्थान नहर परियोजना शामिल है अपने हाथ में ली हैं। इनके समाप्त होने पर राज्य सरकारों द्वारा पूर्वी नदियों के अधिकांश जल का उपयोग करना संभव हो सकेगा । तब तक जल का सीमित मात्रा में ही उपयोग हो सकेगा ।

(ग) राज्य सरकारों से यह निवेदन किया गया है कि वर्तमान व्यवस्था के अधीन वह अधिकतम जल का उपायोग करें ।

मोगा लेवल क्रासिंग पर उठने वाला फाटक

†७७७. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोगा नगर पालिका ने रेलवे अधिकारियों से यह निवेदन किया है कि तीसरी योजना में उपबंधित ऊपरी पुल के बनने तक वे मुख्य बाजार के लेवल क्रासिंग पर उठने वाला फाटक (लिफ्ट बैरियर) की व्यवस्था कर देवें ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या रुख है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है और उत्तरी रेलवे से यह कहा गया है कि वे लिफ्ट बैरियर की तत्काल व्यवस्था करें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तीसरी योजना में पंजाब के लिये भूमि परिरक्षण योजनाय

७७८. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पंजाब सरकार ने तीसरी योजना अवधि में भूमि परिरक्षण के सम्बन्ध में कुछ योजनायें प्रस्तुत की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी योजनायें स्वीकृत की गयी हैं और तीसरी योजना की अवधि के लिये कुल कितनी राशि दी गयी है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) और (ख). तीसरी योजना के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत योजनायें तथा उनके लिये दी गई राशि को बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **(परिशिष्ठ १, अनुबन्ध संख्या ९७)** कुछ मामलों को छोड़ कर अन्य मामलों में भारत सरकार को विस्तृत योजनायें प्रस्तुत नहीं की गयी हैं।

लोक स्वास्थ्य इंजीनियर पथ प्रदर्शन पुस्तिका

†७७९. **श्री पांगरकर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ६ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से लोक स्वास्थ्य इंजीनियरों के लिये पथ प्रदर्शन पुस्तिका का मसविदा तैयार करने के निमित्त विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके विस्तृत विवरण क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

औषधि अधिनियम के अधीन होमियोपैथिक औषधियों का नियंत्रण

†७९०. **श्री कोडियान** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा होमियोपैथिक दवाओं पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखा जाता है, यद्यपि औषधि अधिनियम के अन्तर्गत औषधि की परिभाषा के भीतर होमियोपैथिक दवायें भी आ जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां। केवल औषधि अधिनियम के संगत उपबंधों के अधीन ऐसी औषधियों पर होमियोपैथिक औषधियों का लेबल लगाना होता है।

(ख) औषधि नियमों के द्वारा ऐसी औषधियों को जो कि होम्योपैथिक प्रणाली के अन्तर्गत आती हैं औषधि अधिनियम के आयात, निर्यात, वितरण और बिक्री सम्बन्धी उपबंधों से छट दे दी गयी है। होम्योपैथिक औषधियों की उस विधि से जांच नहीं की जा सकती है जिस विधि से एलोपैथिक प्रणाली की औषधियों को जांच की जाती है। होम्योपैथिक औषधियों में सक्रिय पदार्थ बहुत कम मात्रा में उपस्थित रहता है, अतः होम्योपैथिक औषधियों को उस परीक्षा प्रणाली के द्वारा इतनी सरलता से परीक्षा नहीं की जा सकती है जिसके द्वारा आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की औषधियों की परीक्षा की जा सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

वस्तु विनिमय के आधार पर चीनी का निर्यात

†७८१. **श्री दामानी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्तु विनिमय के आधार पर चीनी का निर्यात करने का निश्चय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके विस्तृत विवरण क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) और (ख). यह निश्चय किया गया है कि वस्तुविनिमय के आधार पर चीनी का निर्यात न किया जाय ।

महाजनों का विस्थापन

†७८२. **श्री दामानी :**
श्री प्र० चं० बरुवा :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहकारिता आन्दोलन से गांवों में कर्ज देने के क्षेत्र में महाजनों को विस्थापित करने में सहायता मिली है; और

(ख) यदि हां, तो इसने किस सीमा तक महाजनों का स्थान लिया है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):** (क) जी, हां ।

(ख) देश में ऋण की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अभी हाल किसी सर्वेक्षण के अभाव में, सही आंकड़े देना सम्भव नहीं है। तथापि १९५७ से १९६० के चार वर्षों के दौरान भारत रक्षित बैंक द्वारा कुछ चुने हुए जिलों में किये गये ग्रामीण ऋण अनुसरण सर्वेक्षण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि समग्र देश में किसानों द्वारा सहकारिताओं से लिये गये ऋण का अनुपात जो कि १९५१–५२ में ३ प्रतिशत था वह १९५९–६० में बढ़ कर १७ से २१ प्रतिशत तक हो गया ।

पटना में डाक वितरण

७८३. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना शहर में डाक पहुंचाने का काम प्राइवेट ठेकेदार अपनी गाड़ियों से करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि प्राइवेट ठेकेदारों ने डाक पहुंचाने के काम के लिए जो गाड़ियां रखी हुई है वे पुरानी और बुरी हालत में हैं जिससे डाक बहुधा समय पर नहीं पहुंच पाती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्राइवेट ठेकेदार उचित दर से ज्यादा पैसा सरकार से लेते हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराना चाहती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

परिवहन तथा संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :(क) जी, हां।

(ख) प्राइवेट ठेकेदारों की गाड़ियां पुरानी हैं और कुछ समय से डाक पहुंचाने का कार्य थोड़ा अनियमित हो गया है।

(ग) लगभग एक रुपया प्रति मील की दर से दी जाने वाली रक़म अधिक नहीं समझी गई है।

(घ) जैसा कि समझौते में दिया हुआ है, गाड़ियों को देरी से चलाने के लिए ठेकेदार के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जा रही है। कोशिशों के बावजूद भी यथोचित दरों पर कोई उपयुक्त ठेकेदार न मिलने के कारण विभाग अपनी विभागीय सेवा चालू करने की संभावना पर विचार कर रहा है।

कृषि स्नातक

†७८४. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालेजों से निकले हुए अधिकांश कृषि स्नातक ग्रामीण विचारधारा के नहीं होते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करना चाहती है; और

(ग) क्या सरकार ने कृषि कालेजों में प्रवेश के लिये किसान परिवारों के युवकों को पूर्ववर्तिता देने पर विचार किया है?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) से (ग). यह ज्ञात नहीं है कि कितने प्रतिशत कृषि स्नातक गांवों के हैं। प्रत्येक राज्य को यह अधिकार है कि वह कृषि कालेज में प्रवेश के लिये अर्हतायें विहित करे या किसी विशेष क्षेत्र के लिये स्थानों का संरक्षण करे। जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, वह किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय के युवकों को पूर्ववर्तिता नहीं दे सकती है क्योंकि कोई भी कृषि कालेज सीधे उसके अधीन नहीं है।

चम्पारन (बिहार) में गलगंड रोग

†७८५. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, १९६१ में केन्द्रीय सरकार के एक चिकित्सा वैज्ञानिक दल ने, गलगंड की बीमारी के सम्बन्ध में बिहार के चम्पारन जिले की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो दल की यात्रा का क्या नतीजा निकला; और

(ग) क्या दल ने गलगंड की बीमारी नष्ट करने के लिये किसी उपयुक्त औषधि का सुझाव दिया है?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** (क) जी, हां।

(ख) जांच से दल इस नतीजे पर पहुंचा कि चम्पारन जिले में गलगंड का कारण भोजन में आयोडीन की कमी है।

(ग) दल ने यह सिफारिश की है कि भारत के रोगग्रस्त क्षेत्रों को गलगंड से बचाने के लिये वहां के निवासियों को निरंतर नियमित रूप से आयोडीन वाला लवण दिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

वंशधारा परियोजना का स्थान

†७८६. **श्री चिन्तामणि पाणिग्राही** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री १४ मार्च, १९६१ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र सरकार द्वारा चुने गये स्थान में वंशधारा परियोजना को आरम्भ करने के विरोध में उड़ीसा सरकार का कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो वह कौन सा स्थान है जहां आंध्र सरकार ने परियोजना की नींव डाली है;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई विरोध प्रगट किया है; और

(घ) यदि हां, तो वह विरोध किस प्रकार का है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). आंध्र प्रदेश ने यह सूचना दी है कि उन्होंने वंशधारा के पास नेराड़ी नामक स्थान में एक योजना का उद्घाटन किया है। राज्य सरकार से कहा गया है कि वह योजना को क्रियान्वित करने से पहिले उड़ीसा तथा भारत सरकार की सहमति प्राप्त कर लेवे।

(ग) भारत सरकार को इस सम्बन्ध में उड़ीसा की सरकार से कोई विरोध पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बम्बई में पीलिया फैलने की जांच

†७८७. **श्री आसर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल के महीनों में बम्बई नगर और निकटवर्ती क्षेत्रों में जोर का पीलिया फैला था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पीलिया के बढ़ने के सम्बन्ध में कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

बर्मा से चावल

†७८८. **श्री आसर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा सरकार ने भारत सरकार से यह आवेदन किया है कि वे समझौते के अनुसार चावल तत्काल प्राप्त करें;

(ख) यदि हां, क्या भारत सरकार ने चावल की निकासी की कोई व्यवस्था की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके विस्तृत विवरण क्या हैं?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** :(क) जी नहीं। हम समझौते के अनुसार चावल की समस्त राशि लेने को तैयार हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

शांताक्रुज स्टेशन के निकट गाड़ी का पटरी से उतरना

†७८९. **श्री आसर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १७ मई, १९६१ को पश्चिम रेलवे के शांताक्रुज रेलवे स्टेशन के निकट एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इससे जान तथा माल की हानि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके विस्तृत विवरण क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां ।

(ख) रेलवे कर्मचारियों की गलती ।

(ग) और (घ). कोई व्यक्ति आहत नहीं हुआ है । अनुमान है कि रेलवे संपत्ति को लगभग ३००० रु० की हानि हुई है ।

कल्याण के निकट मालगाड़ियों का पटरी से उतरना

†७९०. **श्री आसर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९ मई, १९६१ को मध्य रेलवे के कल्याण स्टेशन के निकट मालगाड़ी के चार डिब्बे पटरी से उतर गये;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) माल तथा रेलवे सम्पत्ति की कुल कितनी हानि हुई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) १९-५-१९६१ को लगभग १.४५ बजे जबकि एक्स ३० अप मालगाड़ी, मध्य रेलवे के बीच कल्याण और बोगीवली स्टेशनों के बीच अप स्थानीय लाइन में चल रही थी, दो खाली डिब्बे पटरी से उतर गये और उलट गये ।

(ख) माल गाड़ी के स्क्रू कपलिंग के शैवल के टूट जाने के कारण गाड़ी के पृथक हो जाने के पश्चात् प्रभावों के कारण ।

(ग) माल को कोई हानि नहीं हुई । यह अनुमान किया गया है कि रेलवे सम्पत्ति को लगभग ६००० रु० की हानि हुई ।

परिवहन तथा संचार मंत्रालय के सचिव की विदेश यात्रा

†७९१. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवहन तथा संचार मंत्रालय के सचिव ने अभी हाल विदेशों की यात्रा की है ;

(ख) यदि हां, तो उनके मिशन के विस्तृत विवरण क्या हैं ; और

(ग) उनको अपने मिशन में क्या सफलता मिली ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (ग). परिवहन मंत्रालय के सचिव १९ मई, १९६१ को दो दलों के नेताओं के रूप में वाशिंगटन गये । उनमें से एक दल का उद्देश्य कुछ राष्ट्रीय दलों के विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से वार्ता करना था और दूसरे दल का उद्देश्य तीसरी योजना में शामिल की गयी, कलकत्ता बन्दरगाह के विकास की योजनाओं के लिये, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से ऋण प्राप्त करना था। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से वार्ता २२ मई को आरम्भ हुई और ८ जून को समाप्त हुई। इन वार्ताओं के फलस्वरूप भारत सरकार और संघ के बीच एक समझौता किया गया जिसके अनुसार ६०० लाख डालर का ब्याज रहित ऋण दिया गया जिस पर केवल $^{3}/_{4}$ प्रतिशत सेवा प्रभार दिया जायेगा और यह ऋण ५० वर्षों में चुकाया जायेगा । अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से कलकत्ता पत्तन के विकास के लिये दूसरे ऋण के संबंध में वार्ता १ जून, १९६१ को आरम्भ हुई तथा २१ जून, १९६१ को समाप्त हुई इसके परिणामस्वरूप कलकत्ता पत्तन के आयुक्तों को २१० लाख डालर का ऋण देने का समझौता किया गया ।

इस ऋण पर ५ $^{3}/_{4}$ प्रतिशत सूद होगा । यह राशि २०वर्ष में चुकायी जायेगी तथापि ५ वर्ष की अवधि की अनुमति दी गई है ।

उन्होंने न्यूयार्क, टोरेंटो, लंडन, फ्रेंकफोर्ट और पेरिस में भारत सरकार के पर्यटन कार्यालयों का भी निरीक्षण किया ।

पम्बा जल-विद्युत् योजना

†७९२. **श्री मे० क० कुमारन :**
श्री कोडियान :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने भारत सरकार से यह निवेदन किया है कि वे पम्बा जल-विद्युत् योजना के लिये विदेशी सहायता प्राप्त करें ; और

(ख) यदि हां, भारत सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां ।

(ख) पम्बा जल-विद्युत् परियोजना को विदेशी सहायता के कई स्रोतों से आवश्यक विदेशी विनिमय देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

केरल में समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकने का कार्य

†७९३. **श्री मणियंगाडन :**
श्री मे० क० कुमारन :
श्री कुन्हन :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १५ नवम्बर, १९६० को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को केरल की सरकार से राज्य में समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकने के कार्य के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने उस प्रस्ताव पर विचार किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कुछ उपक्रमों द्वारा रेलवे में भोजन व्यवस्था के ठेके

†७९४. **श्री यादव नारायण जाधव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिवाड़कर एन्ड कम्पनी और सदाशिव एण्ड कम्पनी दोनों का स्वामी एक ही है ; और

(ख) कितने स्टेशनों में उपयुक्त उपक्रमों को रेस्तरों, चाय की दुकानों, फलों की दुकानों इत्यादि के ठेके दिये गये हैं, उन स्टेशनों के नाम क्या हैं तथा वे संस्थापन किस प्रकार के हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). यह ज्ञात हुआ है कि मध्य रेलवे में दिवाड़कर एंड कम्पनी नाम की फर्म के पास भोजन व्यवस्था संबंधी कोई ठेका नहीं है । मैसर्स सदाशिव एंड कम्पनी तथा उनके भागीदारों के पास इस प्रकार के ठेके है :

मैसर्स सदाशिव एंड कं०	. नासिक रोड में सामिष और निरामिष उपहारगृह और मनमाड़ में निरमिष उपहारगृह, मिठाई, खाना और फलों की दुकान ।
श्री जी० जे० दिवाड़कर . (उक्त फर्म के भागीदार)	. नासिक रोड में चाय, काफी, मिठाई और फलों की दूकान ।

प्रादेशिक चीनी अनुसंधान केन्द्र

७९५. { **श्री विभूति मिश्र :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार का विचार तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रादेशिक चीनी अनुसन्धान केन्द्रों को खोलने का है ; और

(ख) यदि हां, तो ये केन्द्र किन जगहों पर खोले जायेंगे ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख).. तीसरी पंच-वर्षीय योजना में प्रादेशिक चीनी अनुसन्धान केन्द्रों के खोलने का कोई उपबन्ध नहीं है । तथापि राष्ट्रीय चीनी संस्था के कार्य की अनुपूर्ति के लिये ऐसे केन्द्रों के खोलने का एक प्रस्ताव चीनी उद्योग विकास परिषद् के विचाराधीन था । इस मामले का निर्णय चीनी की प्रादेशिक समस्याओं तथा राष्ट्रीय चीनी संस्था कहां तक प्रादेशिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, पर निर्भर होगा ।

त्रिपुरा भूमि सुधार

†७९६. **श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में किसी की जोत की भूमि में पेड़ गिराने के लिये पिछले तीन वर्ष में कितने मकदमे चलाये गये ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या नये त्रिपुरा भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत रैयत को अपनी जोत की भूमि पर अधिकार दिये गये हैं ; और

(ग) क्या अधिनियम की ऐसी व्यवस्थाओं को देखते हुए रैयत के विरुद्ध चलाये गये मुकदमों को वापस लिया जायेगा ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क)

१९५८–५९	१९५९–५०	१९६०–६१
६३	११६	४८

(ख) जी, हां । परन्तु रैयत को पेड़ गिराने और उनका उपयोग करने का अधिकार देने वाली अधिनियम की धारा को अभी तक लागू नहीं किया गया है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

गिराना कोओपरेटिव शुगर फैक्टरी, मालेगांव

†७९७. **श्री यादव नारायण जाधव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नासिक ज़िले की गिराना कोओपरेटिव शुगर फैक्टरी, लिमिटेड (डाभाडी), मालेगांव को उसके सदस्यों के अतिरिक्त अन्य गन्ना-संभरणकर्ताओं को उनके गन्ने का प्रतिटन कितना मूल्य अदा किया गया था ;

(ख) क्या गन्ने के मूल्य में से प्रबन्धकर्त्ताओं ने अन्य व्यय के खाते, इत्यादि में कोई और कटौती की थी ;

(ग) क्या किसी अन्य निजी या सहकारी चीनी फैक्टरी ने गन्ने के प्रति टन मूल्य में से कोई कटौती की थी ; और

(घ) यदि हां, तो किस दर पर और किस प्रयोजन से ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) १९६०–६१ में ५१.२० रुपये प्रति मैट्रिक टन ।

(ख) जी, हां । फैक्टरी ने ट्रकों द्वारा संभरित गन्ने को उतारने की मद में ३५ नये पैसे प्रति मैट्रिक टन की दर से कटौती की थी । जिन संभरणकर्ताओं ने अपना माल स्वयं उतारा था, उनके मूल्य से कुछ भी नहीं काटा गया ।

(ग) और (घ). सूचना संग्रह की जा रही है ।

केरल को केन्द्रीय अभ्यंश के चावल का संभरण

†७९८. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल की सस्ते गल्ले की दूकानों को दिये जाने वाले चावल के साप्ताहिक राशन को दोगुना करने के प्रश्न पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल को दिये जाने वाले चावल के केन्द्रीय अभ्यंश में वृद्धि की जायेगी;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(घ) इस वर्ष के पहले छः महीनों में केरल को किया जाने वाला मासिक आवंटन कितना है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (ग). हाल की बाढ़ों के कारण विपत्ति-ग्रस्त जनता को सहायता पहुंचाने की दृष्टि से, केरल सरकार ने प्रत्येक कार्ड पर मिलने वाले चावल का साप्ताहिक राशन दो एडांगाम्पीज़ से बढ़ा कर तीन एडांगाम्पीज़ कर दिया है और भारत सरकार ने इसके लिये केन्द्रीय स्टॉक में से २०,००० टन चावल अधिक देने की बात मान ली है ।

(घ) १९६१ में केरल सरकार को जनवरी से मई तक प्रति माह औसतन १०,००० टन, और जून में १९,००० टन चावल दिया गया था । दिसम्बर, १९६० में १९६१ के लिए अग्रिम अभ्यंश के रूप में दिया गया ७,००० टन चावल इसमें शामिल नहीं है ।

ट्रेन का पटरी से उतरना

†७९९. **श्री आसर :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनमाड–भुसावल सैक्शन में पिम्परखेडा स्टेशन के निकट ३० मई, १९६१ को बम्बई जाने वाली पठानकोट एक्सप्रेस के तीन डिब्बे पटरी से उतर गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी को चोट आई थी; और

(ग) यदि हां, तो दुर्घटना का क्या कारण था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां; २९-५-१९६१ को (३०-५-१९६१ को नहीं) ।

(ख) जी, हां ।

(ग) दुर्घटना किसी अज्ञात व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा पटरी में गड़बड़ी करने के कारण हुई थी ।

भेजे जाने वाले माल का ग़लत विवरण

†८००. **श्री कुन्हन** : क्या रेलवे मंत्री १६ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल भेजने वाले के विरुद्ध माल का ग़लत विवरण देने के लिए उत्पादन शुल्क अधिनियम की धारा ३४ के अन्तर्गत उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा की जाने वाली जांच-पड़ताल पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया; और

(ग) माल भेजने वाले का क्या नाम है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) श्री एच० एन० जायसवाल, हैदराबाद ।

परिवार नियोजन

†८०१. **श्री कुन्हन** : क्या स्वास्थ्य मंत्री १६ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन कार्यक्रम को लोक-प्रिय बनाने के लिये १०४ व्यावसायिक संस्थाओं में से प्रत्येक को जो १,००० रुपये दिये गये थे उनके व्यय का क्या ब्यौरा है;

(ख) क्या राज्य सरकार के प्रशासकीय चिकित्सा अधिकारी को कोई निदेश दिये गये हैं; और

(ग) क्या इसका पता लगाने का कोई तरीका है कि वह राशि नियमानुसार व्यय की जा रही है या नहीं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) सम्बन्धित राज्य सरकारों के अधिकारियों की सिफारिश पर व्यावसायिक संगठनों, इत्यादि को १,००० रुपये प्रति वर्ष का सांकेतिक अनुदान दिया जाता है, यदि उनके पास अपना कोई चिकित्सा या स्वास्थ्य-केन्द्र होता है । वे व्यावसायिक संगठन भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सूची में सम्मिलित गर्भ-निरोधक साधनों को खरीदकर अपने चिकित्सा या स्वास्थ्य केन्द्रों के जरिये ३०० रुपये से अधिक और ५०० रुपये प्रति माह से कम आय वाले लोगों को नि:शुल्क और ५०० रुपये प्रति माह से अधिक आय वाले लोगों को लागत पर देते हैं ।

(ख) सांकेतिक अनुदान की मंजूरी होते ही सम्बन्धित राज्य सरकार के प्रशासकीय चिकित्सा अधिकारी को सूचित कर दिया जाता है। प्रशासकीय चिकित्सा अधिकारी के अधीन काम करने वाले राज्य परिवार नियोजन अधिकारी ही गर्भ-निरोधक साधनों के उचित वितरण समेत समूचे परिवार नियोजन कार्यक्रम का अधीक्षण करते हैं। सामान्यतया प्रशासकीय चिकित्सा अधिकारी इस सम्बन्ध में स्थानीय चिकित्सा-प्रशासकीय अधिकारी—जैसे सिविल सर्जन या जिला चिकित्सा-स्वास्थ्य अधिकारी—से विवरण मांग लेता है और राज्य परिवार नियोजन अधिकारी उन व्यावसायिक संगठनों के चिकित्सा या स्वास्थ्य केन्द्रों की जांच करता रहता है ।

(ग) प्रत्येक व्यावसायिक संगठन को इस बात का एक प्रमाणपत्र जुटाना पड़ता है कि मंजूरशुदा राशि उसी प्रयोजन में लगाई गई है जिसके लिये मंजूर की गई थी । उस प्रमाणपत्र पर राज्य परिवार नियोजन अधिकारी के हस्ताक्षर रहते हैं । भारत सरकार के अधीन प्रादेशिक परिवार नियोजन अधिकारी भी व्यावसायिक संगठनों को दी गई राशियों के उचित उपयोग पर नजर रखेंगे ।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स

†८०२. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों में चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के कुछ कर्मचारियों को रेलवे सेवा नियम के अन्तर्गत नौकरी से निकाला गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने स्थायी थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) और (ख). केवल एक कर्मचारी को सेवा से निकाला गया था, और वह स्थायी था।

दक्षिण रेलवे के रायचूर-मद्रास सैक्शन में ट्रेन-दुर्घटना

†८०३. **श्री अगाड़ी :**
श्री सुगन्धि :
श्री वोडयार :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ११ मई, १९६१ को या उसके आसपास दक्षिण रेलवे के मद्रास–रायचर सैक्शन में जक्कालाचेरूवू और गूटी स्टेशनों के बीच कोई दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना किस प्रकार की थी;

(ग) क्या उसका कारण पता लगाने के लिये कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, उसका क्या परिणाम हुआ ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). ११-५-१९६१ को ८ बज कर ३५ मिनट पर, जब १५७२-अप माल गाड़ी वन्नाडोडी–जक्कालाचेरूवू स्टेशनों के बीच गूटी–मन्दालुर सैक्शन में जा रही थी, तब मोटर कार नम्बर ए० पी० जी० २२१, जिसमें ४ सवारियां थीं, उससे एक ऐसी रेलवे चौकी पर टकरा गई जिस पर कोई आदमी तैनात नहीं था।

(ग) और (घ). विभागीय जांच समिति की उपपत्तियों के अनुसार, दुर्घटना का कारण यह था कि मोटर कार के चालक ने उस चौकी के पास ट्रेन को आते देख कर भी पटरी को पार करने की कोशिश की।

दक्षिण रेलवे के लेविल क्रासिंग

†८०४. **श्री सुगन्धि** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के कितने लेविल क्रासिंग (फाटकों) पर चौकीदार रखे जाते हैं और कितनों पर नहीं; और

(ख) १९५८–५९, १९५९–६०, और १९६०–६१ में अभी तक चौकीदार वाले फाटकों और बिना चौकीदार वाले फाटकों पर कितनी-कितनी दुर्घटनायें हुईं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क)

बिना चौकीदारों वाले रेलवे फाटकों की संख्या . . .	४,१५६
(पशुओं के लिये बने फाटकों और पगडंडियों की संख्या ८४१ है, जो इसके अतिरिक्त है)।	
चौकीदारों वाले फाटकों की संख्या	२,३७८

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दुर्घटनाओं की संख्या :

वर्ष	बिना चौकीदारों वाले फाटकों पर	चौकीदारों वाले फाटकों पर
१९५८–५९	२२	६
१९५९–६०	१६	१
१९६०–६१	२५	४
१९६१–६२ (३०-६-६१ तक)	४	१

कुष्ठ चिकित्सा के लिये पंजाब को केन्द्रीय सहायता

†८०५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार को १९६०–६१ और १९६१–६२ के दौरान कुष्ठ रोग की रोकथाम और चिकित्सा के लिये अभी तक कितनी वित्तीय सहायता दी गई ; और

(ख) क्या राज्य के किसी गैर-सरकारी संगठन को भी सीधे-सीधे कोई सहायता दी गई, और यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) वर्ष १९६०–६१ में पंजाब सरकार को केन्द्र की ओर से "रोग नियंत्रण की लोक स्वास्थ्य योजनाओं" के अन्तर्गत समूहों के आधार पर १४·८८ लाख रुपये तक की सहायता दी गई है, जिसमें निकुष्ठ यंत्रण योजना भी शामिल है । एक ही समह के अन्दर राज्य सरकार अपनी सुविधानुसार व्यय का विनियमन कर सकती है । १९६१–६२ की विभिन्न योजनाओं के लिये अभी तक आवंटन नहीं किये गये हैं ।

(ख) १९६०–६१ में पंजाब की निम्नलिखित गैर-सरकारी कुष्ठ संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी गई :–

संगठन का नाम	राशि
१. सुबाथु लैप्रोसी होम एण्ड हास्पिटल, सुबाथु	१०,००० रुपये
२. भारतीय लाचार सेवा दल, लुधियाना	१०,००० रुपये

बर्ष १९६१–६२ में अभी तक कोई सहायता नहीं दी गई है ।

योग-अभ्यास

†८०६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २८ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४०६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या योग-अभ्यास के फलस्वरूप शरीर में होने वाले परिवर्तनों का ठीक-ठीक महत्व आंकने के लिये और आगे अध्ययन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). जैसा कि अतारांकित प्रश्न संख्या ४०६५ के भाग (ग) के उत्तर मे बताया गया था, योग सम्बन्धी गवेषणा के लिये योगी लोग तैयार नहीं हो रहेहैं। इस अध्ययन के लिये योगी नहीं मिल रहे हैं।

फिरोजपुर ज़िले में परिवार नियोजन केन्द्र

†८०७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के फिरोजपुर ज़िले में १९५६–६१ के दौरान कितने परिवार नियोजन केन्द्र खोले गये और वे कहां-कहां हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : फिरोजपुर जिले में १९५६—६१ के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर ९ परिवार नियोजन केन्द्र खोले गये थे :—

(१) फिरोजपुर
(२) पत्तो हीरासिंह
(३) चन्ना
(४) फजिल्का
(५) ज़ीरा
(६) खुई खेरा
(७) चाक-शेरा कलां
(८) कोट इसे खान
(९) भाग-पुराना

फिरोजपुर में रेलवे क्वार्टर

†८०८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिरोज़पुर (पंजाब) में १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१–६२ के दौरान रेलवे कर्मचारियों के लिये कितने क्वार्टर बनाये गये ; और

(ख) तृतीय योजना काल में कितने क्वार्टर बनाये जायेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) (१) १९५९–६० के दौरान तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिये ८ क्वार्टर, चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये ४ क्वार्टर और सैनिकों के लिये २५ बैरिकें।

(ख) तृतीय योजना काल में निधियों की सुलभता देखते हुए, तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिये १५० क्वार्टर और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये ७५ क्वार्टर बनाने का विचार है।

पंजाब राज्य के लिये दुग्ध-संभरण

†८०९. **सरदार इकबाल सिंह** :
श्री बलजीत सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के प्रत्येक वर्ष में राज्य के बाहर से कितना दुग्ध चूर्ण खरीदा ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) राज्य और केन्द्र ने दुग्ध चूर्ण की लागत का कितना-कितना अंश दिया ; और

(ग) राज्य में ज़िलावार खपत कितनी हुई ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). पंजाब सरकार ने १९५७–५८ में 'पंजाब युद्धोपरान्त सेवा पुनर्निर्माण निधि' में से टीन बन्द दुग्ध की ७२ पेटियां खरीदीं, जिनका मूल्य ३,६५२.५८ रुपये था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में संयुक्त राष्ट्र के 'यूनीकेफ' अधिकारियों की ओर से दुग्ध की निम्नलिखित मात्रा दान के रूप में दी गई थी :—

१९५६–५७	.	.	.	३५०८५ पौंड
१९५७–५८	.	.	.	१०९९९८ पौंड
१९५८–५९	.	.		१४५०१७ पौंड
१९५९–६०	.	.	.	२४९९६८ पौंड
१९६०–६१	.	.	.	५८७१९० पौंड

(ग) 'पंजाब युद्धोपरान्त सेवा पुनर्निर्माण निधि' परिवारों से खरीदा गया दुग्ध-चूर्ण जलंधर, हिसार, लुधियाना, गुरदासपुर और कांगड़ा जिलों के भूतपूर्व सैनिकों के गर्भवती और प्रसूता माताओं और गोद के बच्चों में बांटा गया था। यूनीकेफ द्वारा दिया गया दुग्ध गर्भवती माताओं और कमजोर बच्चों में बांटा गया था। १९६०–६१ में 'यूनीकेफ' का दुग्ध पंजाब के रोहतक, धर्मशाला, पटियाला और लुधियाना जिलों के स्कूलों के जरिये १४ वर्ष से कम अवस्था के ७७८७ विद्यार्थियों में बांटा गया था।

दक्षिण अमरीका से पर्यटक

†८१०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० और १९६०–६१ में अभी तक दक्षिण अमरीका से कितने पर्यटक भारत आये ; और

(ख) इस काल में उनसे कितनी आय हुई ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख) पर्यटकों सम्बन्धी आंकड़े कैलेण्डर वर्ष-वार आधार पर संकलित किये जाते हैं।

दक्षिण अमरीका से १९५९ और १९६० में आये पर्यटकों की संख्या और उनसे प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा का भारत के रक्षित बैंक ने यह हिसाब लगाया है :—

वर्ष	पर्यटकों की संख्या	आय
१९५९	४८९	६.३३ लाख रुपये
१९६०	६५१	७.५८ लाख रुपये (अस्थायी)

पंजाब में डाक तार सम्बन्धी सुविधायें

†८११. **सरदार इकबाल सिंह: क्या परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के शहरी, देहाती और पिछड़े क्षेत्रों में १९६१–६२ के दौरान डाक और तार सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार-कार्यक्रम अब अन्तिम रूप से तय हो चुका है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९८]।

पूर्वी प्रादेशिक रेलवे उपकरण सलाहकार समिति

†८१२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में पूर्वी प्रादेशिक रेलवे उपकरण सलाहकार समिति की कोई बैठक हुई थी ; और

(ख) उसके निर्णयों का क्या ब्यौरा है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, हां, २५-५-६१ को।

(ख) बैठक में किये गये निर्णयों का विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९९]

पान-अनुसंधान केन्द्र

†८१३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान एक पान-अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का क्या ब्यौरा है ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) और (ख). ऐसा कोई प्रस्ताव तो नहीं है, लेकिन अभी इस समय आन्ध्र प्रदेश, मद्रास और मध्य प्रदेश में पान की लता सम्बन्धी अध्ययन की तीन योजनायें चल रही हैं। उनका उद्देश्य यह है कि पान-लता के रोगों को नियंत्रित करने के उपयुक्त उपाय निकाले जायें। आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश राज्यों के लिये पान-लता के सुधार की एक सहयोजित योजना तैयार करने का एक प्रस्ताव है। विशेषज्ञ समिति ने अभी यह योजना तैयार नहीं की है, इसलिये उसका ब्यौरा नहीं बताया जा सकता।

विशेष प्रकार के बाजरे के बीज

†८१४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में बारमेर के डआरवारी किसानों ने बाजरे की एक विशेष किस्म के बीज का पता चलाया है, जिसे टिड्डियां न खा सकती हैं और न नष्ट ही कर सकती हैं ;

(ख) क्या सरकार को ऐसी कोई सूचना मिली है ;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ; और

(घ) सरकार इस किस्म को किस ढंग से प्रचारित करना चाहती है ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) से (ग). सरकार को टिड्डियों से प्रभावित बाजरे के बारे में ऐसी कोई सूचना नहीं मिली।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में हिरन

†८१५. **श्री सुबिमन घोष** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में हिरनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनकी वृद्धि को रोकने और उनकी संख्या कम करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ;

(ग) क्या उनकी संख्या कम करने के लिए शेर मंगाए गए थे ; और

(घ) यदि हां, तो कितने शेर मंगाए गए थे और क्या यह तरीका प्रभावोत्पादक सिद्ध हुआ है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी, हां ।

(ख) हिरनों की संख्या कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं ;

(१) खेती के क्षेत्रों में हिरनों का गश्ती दलों द्वारा मारा जाना ;

(२) अण्डमान प्रशासन ने एक हिरन की पूंछ पेश किए जाने पर ५० नए पैसे का पुरस्कार देने की घोषणा की है ।

(ग) और (घ). जी, नहीं । परन्तु द्वीपसमूह में चीतों को रखने का प्रयत्न किया गया था परन्तु वह सफल नहीं हुआ क्योंकि चीते जिन्दा न रह सके ।

बालीगंज स्टेशन को नया रूप दिया जाना

†८१६. **श्री सुविमन घोष** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन के बालीगंज स्टेशन को उपनगरीय और दूरगामी रेलगाड़ियों के लिए उपयुक्त बनाने के लिए नया रूप देने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई प्रारंभिक कदम उठाए गए हैं और उसकी अनुमानित लागत क्या है ; और

(ग) यह कार्य कब तक प्रारंभ एवं समाप्त होने की आशा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) हां, श्रीमान्, केवल उपनगरीय रेलगाड़ियों और मालगाड़ियों के आने जाने के लिए । स्टेशन को दूरगामी रेलगाड़ियों के उपयुक्त बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) बालीगंज को नया रूप देने की योजना तैयार कर ली गई है । प्राक्कलन योजना के अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने के पश्चात् तैयार किया जाएगा ।

(ग) कार्य प्राक्कलन के मंजूर किए जाने पर तुरन्त प्रारंभ कर दिया जाएगा और उसके बाद उसके पूरा होने में लगभग २ से ३ वर्ष लगेंगे ।

पूर्व रेलवे में उल्टाडंगा में टर्मिनल स्टेशन

†८१७. **श्री सुबिमन घोष** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन में उल्टाडंगा माल स्टेशन के निकट अथवा उस स्थान के आसपास एक टर्मिनल स्टेशन खोलने का कोई प्रस्ताव है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उपरोक्त स्थान में टर्मिनल स्टेशन खोलने के पहलू पर विचार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) और (घ). चितपुर क्षेत्र में (लॉकगेट के पास) एक टर्मिनल स्टेशन बनाने के प्रस्ताव की जांच की गई थी परन्तु उसको आवश्यक न समझते हुए ही स्वीकार नहीं किया गया।

केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत् बोर्ड का वार्षिक अनुसन्धान सम्मेलन

†८१८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत बोर्ड का चार दिवसीय वार्षिक अनुसन्धान सम्मेलन ५ जून, १९६१ और आगे के दिनों में कलकत्ता में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो कार्यसूची के मुख्य विषय क्या थे ; और

(ग) सम्मेलन में क्या मुख्य सिफारिशें और विचार व्यक्त किए गए थे ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस सम्मेलन में चर्चा किए गए मुख्य विषय ये थे :

(१) आदर्श प्रयोगों के सिद्धान्त तथा व्यवहार ;
(२) हाइड्रॉलिक वर्क्स ;
(३) विद्युत ;
(४) जल विज्ञान ;
(५) मृदा विज्ञान और मृदा यांत्रिकी[1];
(६) नहरों के बहाव और डिजाइन के सिद्धान्त ;
(७) सिंचाई के तरीके ;
(८) नौपरिवहन के तरीके ; और
(९) जल उपयोग परियोजनायें ;

(ग) अनुसन्धान समिति ने बोर्ड द्वारा विचार और क्रियान्वयन किए जाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए थे ;

(१) जल के सुरंग में प्रवेश करने अथवा निकलने में प्रवेग वितरण का पता लगाने के लिए प्रतिमान अध्ययन के बजाए विश्लेषणात्मक तरीकां का प्रयोग किया जाना चाहिए ।

(२) गुरुत्व विश्लेषण के सरल और सही ढंग से किए जाने के लिए प्रतिमान अध्ययन के लिए फ्रीज माडेल टेक्नीक ।

(३) नदी से अभ्रक अलग करने और निर्माण कार्य के लिए अभ्रक युक्तरेत के प्रयोग के लिए बेल्ट कन्वेयर टेक्नीक जिससे सार्फरत प्राप्त करने के लिए परिवहन तथा अन्य आकस्मिक व्यय की बचत की जा सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Sooil Science and Soil mechanism.

(४) जलाशयों और नहरों में से भाप बनकर उड़ जाने वाले जल के सही निर्धारण के लिए उचित तरीका निकालना ।

(५) मिट्टी और सीमेंट के ब्लाकों और इकहरी टाइल के पलस्तर के रूप में सस्ते प्लास्टर की व्यवहार्यता का पता लगाना और उनका यथाशीघ्र प्रमापीकरण ।

(६) हाइड्रॉलिक टरबाइनों की, भारत में किए जाने वाले आधरूप एवं आदर्श परीक्षणों के आधार पर, जिसके लिए देश में हाइड्रॉलिक यंत्रों के विकास और निर्माण के लिए ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि से उपयुक्त उपकरण की व्यवस्था की जानी चाहिए, कार्यक्षमता का निर्धारण ।

(७) विद्युत प्रणाली के डिजाइन और नक्शे में राज्य विद्युत बोर्डों को विद्युत प्रणालियों की निरन्तर आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए और देशी विद्युत उद्योग की कम चीजों का प्रमापीकरण करने और उत्पादन लागत कम करने में सहायता करने की दृष्टि से टाइपों और वर्गक्रमों के प्रभापीकरण का प्रयत्न करना ।

(८) अनुसन्धान केन्द्रों से पायलट ट्यूब आदि जैसे सामान्य औजारों का निर्माण करने, उनका प्रमापीकरण करने, उत्पादन के लिए उपयुक्त ड्राइंग बनाने और उनका देश की विभिन्न व्यापार संस्थाओं, जो उनका निर्माण करने में समर्थ हैं ; को संभरण करने की प्रार्थना की गई है ।

(९) फसल की किस्म निश्चित करने के लिए मिट्टी की नमी के सही निर्वचन के लिए पानी की किस्म और मिट्टी से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने के लिए भरसक प्रयत्न किए जाने जाहिए ।

यूगोस्लाविया कम्पनी द्वारा लाइटहाउस टेंडर[1] का निर्माण

†८१९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा एक लाइटहाउस टेंडर के निर्माण के लिए यूगोस्लाविया की एक कम्पनी को व्यादेश दिया गया है ;

(ख) क्या उस व्यादेश को पूरा किया जा चुका है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी लागत क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ख). हां, **श्रीमान्** । यूगोस्लाविया के मेसर्स टिटोवो ब्रोडोग्रेडीलिस्टे (टिटो का नावागंण) के साथ एक लाइट-हाउस टेंडर के निर्माण के लिए ४ मई, १९६१ को ठेका किया गया है और निर्माताओं को वह जहाज **जून**, १९६३ तक दे देना होगा ।

(ग) लाइट हाउस टेंडर की कुल लागत लगभग १·५ करोड़ रुपए होगी ।

पंजाब के गांवों में बिजली का लगाया जाना

†८२०. { **श्री दलजीत सिंह** .
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने १९६१-६२ में अभी तक गांवों के विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Lighthouse tender

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) उत्तर नकारात्मक है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें

†८२१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: कि १ जनवरी, १९६१ से ३० जून, १९६१ तक की अवधि में (महीनावार) ऐसी कितनी सड़क: दुर्घटनायें हुईं जिनमें दिल्ली परिवहन की बसें अन्तर्ग्रस्त थीं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजबहादुर)** : ७९७ जैसा कि नीचे: दिया गया है :—

महीना	दुर्घटनाओं की संख्या
जनवरी	१५३
फरवरी	१४०
मार्च	१२९
अप्रैल	११५
मई	१४१
जून	११९
योग	७९७

बिना टिकट यात्रा

†८२२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९६१ से ३० जून १९६१ तक कितने बिना टिकट यात्री पकड़े गए;

(ख) गत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में यह संख्या कम है या अधिक; और

(ग) कौनसी रेलवे पर सर्वाधिक बिना टिकट यात्री पकड़े गए ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख). १ जनवरी १९६१ से ३० जून, १९६१ तक ५०,६०,५२४ बिना टिकट यात्री पकड़े गए जबकि १९६० की उसी अवधि में ४७,९५,४१५ यात्री पकड़े गए थे ।

(ग) उत्तर रेलवे ।

पंजाब से स्लीपरों का सभरण

†८२३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब १९६१–६२ में स्लीपरों का सम्भरण कर सका है; और

(ख) यदि हां, तो कितने स्लीपरों का ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग

८२४. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में कितने अनुभाग हैं और उनमे से कितनों में हिन्दी जानने वाले व्यक्ति बहुसंख्या में हैं; और

(ख) ऐसे अनुभागों की संख्या कितनी है जिन्हें टिप्पण (नोट) और पत्रों के प्रारूप (ड्राफ्ट) हिन्दी में लिखने की अनुमति दी गयी है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) (१) २१२

(२) १३७ अनुभागों में हिन्दी जानने वाले कर्मचारी काफी अनुपात में हैं, लेकिन यह कहना कठिन है कि किस हद तक वे हिन्दी में प्रभाव रूप में नोट और ड्राफ्ट लिख सकते हैं ।

(ख) धीरे धीरे हिन्दी में नोटिंग और ड्राफ्टिंग करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे है ।

मालडिब्बों का उपलब्ध न होना

†८२५. **श्री रामम्** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रामपुर के अर्हती संघ से मालडिब्बे उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में कोई याचिका प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी शिकायतों की जांच की है; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे उपमत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) वह शिकायत अधिमान्यता 'ई' के माल के लदान के लिए माल डिब्बों के सम्भरण मे होने वाले विलम्ब के सम्बन्ध में है । रविवार के दिन माल का लदान अधिमान्यता का विचार न करते हुए रजिस्ट्रेशन की तारीख के अनुसार होता है । रामपुर में अधिमान्यता 'ई' के माल के लदान की स्थिति पर्याप्त सन्तोषजनक है और मुरादाबाद डिवीजन के अन्य स्टेशनों की तुलना में अधिक अच्छी है । रामपुर में अधिमान्यता 'ई' के माल के लदान के लिए जनवरी से २५ जुलाई, १९६१ तक की अवधि में ८०० मालडिब्बों का सम्भरण किया गया था ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्

८२६. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा कितनी पत्र-पत्रिकायें प्रकाशित की जाती हैं;

(ख) उन पत्र-पत्रिकाओं पर अलग-अलग कितना वार्षिक व्यय आता है;

(ग) इनमें से कितनों का हिन्दी संस्करण भी छापा जाता है; और

(घ) जिनका हिन्दी संस्करण नहीं छापा जाता उनका हिन्दी संस्करण निकालने के लिए क्या सरकार कोई विशेष कदम उठायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) और (ख). एक विवरण नत्थी है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १००]**

(ग) एक "खेती", "इण्डियन फार्मिंग" का हिन्दी संस्करण ।

(घ) समस्त अन्य जरनल वैज्ञानिक जरनल हैं । अभी इन के हिन्दी संस्करण निकालने का प्रस्ताव नहीं है ।

कृषि तथा पशु-पालन कार्यों में प्रशिक्षण सुविधायें

८२७. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि और पशु-पालन कालेजों में प्रशिक्षण सुविधायें बढ़ाने के लिये राज्य सरकारों को कोई आर्थिक सहायता देती है ;

(ख) यदि हां, तो इस साल अब तक कितनी आर्थिक सहायता दी जा चुकी है ;

(ग) १९६० में इन कालेजों से कितने स्नातक प्रशिक्षित होकर निकले; और

(घ) तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितने स्नातकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) चालू विधि के अन्तर्गत, राज्य प्लान योजनाओं के लिए वित्त सहायता, पृथक् योजना के लिये मंजूर नहीं की जाती है, लेकिन ये विकास के कुछ मुख्य शीर्षकों से सम्बन्धित है:— उदाहरणार्थ कृषि उत्पादन (जिसमें कृषि शिक्षा भी शामिल है), पशु पालन, डेरी तथा मछली उद्योग (जिसमें पशु चिकित्सा की शिक्षा शामिल है) आदि । आम तौर पर ये विशेष सहायता वित्तीय वर्ष के अंत में स्वीकृत की जाती है । फिर भी, यू० एस० ए० सरकार के टैक्निकल कोपरेशन प्रशासन से प्राप्त सामग्री के रूप में, जुलाई, १९६१ के अन्त तक राज्यों को १४,६९६ रुपये की एक सहायता दी गई है ।

(ग) सन् १९६० मे, देश के समस्त कृषि तथा पशु-चिकित्सा कालिजों से २०९० कृषि स्नातक और ८३१ पशु-चिकित्सा स्नातक परीक्षायें पास करके निकले ।

(घ) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में २०,००० कृषि स्नातक और ६,८०० पशु-चिकित्सा स्नातकों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है ।

केन्द्रीय नारियल अनुसंधान केन्द्र

८२८. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय नारियल अनुसन्धान केन्द्र भारत में कहां-कहां खोले गये है;

(ख) ये क्या क्या अनुसन्धान कार्य करते हैं;

(ग) सरकार को इन पर कितना वार्षिक व्यय करना पड़ता है, और

(घ) इनके द्वारा किये गये अनुसन्धानों का उपयोग कैसे किया गया ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) (१) कायांगुल्म (केरल राज्य)

(२) कासरगोड (केरल राज्य)

(ख) कायांगुल्म का केन्द्रीय नारियल अनुसन्धान केन्द्र नारियल के नाशीकीट तथा बीमारियों से सम्बन्धी खोज करने में लगा हुआ है । कासरगोड का केन्द्रीय नारियल अनुसन्धान केन्द्र मौलिक

अनुसन्धान में लगा हुआ है जैसे नारियल का परिचय और उसकी अन्य स्थानीय किस्मों का अध्ययन करना, प्रसंकरकरण, कृष्य और खादों का प्रयोग इत्यादि ।

(ग) १९५६-५७ से १९६०-६१ तक के पांच वर्षों में इन दो केन्द्रों पर वर्ष के अनुसार हुआ व्यय निम्न प्रकार है:—

वर्ष	राशि
१९५६-५७ . . .	५,५८,८०० रुपये
१९५७-५८ . .	४,३०,६९० रुपये
१९५८-५९	५,९२,३३१ रुपये
१९५९-६०	८,५०,३७३ रुपये
१९६०-६१	८,२७,७८५ रुपये

(घ) इन केन्द्रों पर किये गये अनुसन्धान के परिणामों को समिति के प्रकाशन, प्रचार और प्रदर्शन के कार्य के द्वारा, किसानों को अपनाने के लिए कहा जाता है और उगाने वाले व्यक्तियों द्वारा अनुभव की गई विशेष समस्याओं पर सलाह दी जाती है ।

प्रादेशिक वन अनुसंधान केन्द्र

८२९. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रादेशिक वन अनुसंधान केन्द्र कहां कहां खोले गये हैं; और

(ख) इन केन्द्रों द्वारा किये गये कार्यों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दक्षिण में एक प्रादेशिक वन अनुसन्धान केन्द्र स्थापित किया गया है, जिस में दो यूनिट हैं अर्थात् दक्षिण वन अनुसन्धान केन्द्र, कोयम्बटूर और वन अनुसंधान प्रयोगशाला, बंगलौर ।

(ख) **दक्षिण वन अनुसंधान केन्द्र, कोयम्बटूर**

यह केन्द्र वन के वनवर्धन और जीव विज्ञानीय पहलुओं पर अनुसंधान करने के लिए दिसम्बर १९५९ में स्थापित किया गया था । इसकी चार शाखायें हैं अर्थात् (१) वन वर्धन तथा भूमि विज्ञान (२) कीट विज्ञान, (३) कवक विज्ञान और (४) वनस्पतिविज्ञान ।

मद्रास और केरल राज्यों में कुछ प्रदेशों का सर्वे, एक जड़ी बूटी संग्रहालय बनाने के लिए नमूनों का संग्रह और मुख्य रूप से यूक्लिपटस की विभिन्न जातियों पर अंकुरण अध्ययन का कार्य किया गया है । कुछ स्थानीय जातियों पर जीवर्तु निरीक्षण आरम्भ किया गया है वन के कुछ मुख्य जातियों के बीजों और फलों के हानिकारक कीटों का अध्ययन भी किया जा रहा है ।

वन अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर

इस केन्द्र का न्यूक्लस अक्तूबर, १९५६ में बनाया गया था, जबकि मैसूर सरकार की वन अनुसन्धान प्रयोगशाला को भारत सरकार ने ले लिया था । इस केन्द्र का पूरा स्टाफ मार्च, १९५९ में स्वीकृत किया गया । इस केन्द्र का सम्बन्ध वन उपयोगिता से है और इसकी चार शाखायें हैं अर्थात् (१) इमारती लकड़ी का उपयोग, (२) लकड़ी का परिरक्षण, (३) रासायनिक तथा छोटे

वनउत्पाद और (४) सन्दल स्पाइक रोग। इमारती लकड़ी उपयोग शाखा में, लकड़ी के अनेक यान्त्रिक गुणों, जिनका सम्बन्ध उसकी उपयोगिता से है, का अध्ययन किया जा रहा है। कुछ जातियों के अण्वीक्ष-सूप तैयार किये गये और लकड़ी के कई नमूनों को पहचाना गया। लकड़ी की जातियों की जैसे यूक्लिपटस सिट्रीओडोरा (Eucalyptus citriodora) के यान्त्रिक गुणों का अध्ययन किया गया। कुछ मुख्य व्यापारिक लकड़ियों (लगभग ४० जातियां) के नीरंजन का अध्ययन किया गया। उन यान्त्रिक गुणों का भी परीक्षण किया गया, जिनमें पिछेकालोबियम् सामान और अरोकारिया कोकी (Pithecolobium saman and Araucaria cooki) के हवा का प्रभाव न होना शामिल है।

लकड़ी परिरक्षण शाखा के अन्तर्गत, दक्षिण भारत की कुछ मुख्य व्यापारिक इमारती लकड़ी का (१) असक्यू (ascu) और (२) क्रीओसोटे (creosote) से परिरक्षणों के रूप में उपचार किया गया और परीक्षण-कक्ष में समय के साथ साथ उनकी अवन्नति का अध्ययन आरम्भ किया और जारी रखा गया।

रासायनिक और छोटे वन उत्पाद शाखा में कुछ मुख्य सुरभिपादप, जैसे विटीविरिया ज़िजानिओइडस (Vetiveria zizanioides), अर्टेमिसिया पेल्लन्स (Artemisia pallens) पौगोस्टेमोन पाट्चौली (Pogostemon patchouli) और औसिमम किलिमन्डस्केरिकम (Ocimum kilimandscharicum), के कृष्य और जुताई सम्बन्धी अध्ययन किये गये और इन पौधों के लिए बहुत अच्छी स्थितियां उत्पन्न की गईं। यूक्लिपट्स सिटीओडोरा (जिसमें आरोमेटिक अलकोलकोहल सिट्रोनिलोल (aromatic alcoalcohal citroneilol) शामिल है की कुछ किस्मों के स्थान के लिए क्रमबद्ध खोज भी आरम्भ की गई थी। मैसूर राज्य में होने वाले डिओपाइरोस टुपरा (Diospyros tupra) (जोकि बीड़ी बनाने के काम आता है) के पत्तों के अनुपयोगिता के कारणों को जानने का भी अध्ययन किया जा रहा है।

सन्दल स्पाइक शाखा में, सन्दल वृक्ष (सन्टालुम अलयम्) (Santalum almum) की समस्याओं पर खोज की गई। स्पाइक बीमारी के कारण जानने और उसके नियंत्रण और उन्मूलन के लिये खोजें की गईं और जारी रखी गईं। सन्दल के बीमारी विरोधी तन्तुओं को ढूंढने के प्रयोग भी आरम्भ किये गये।

हिन्दी में तार

८३०. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **परिवहन तथा संचार**मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली मई, १९६१ तक देश में ऐसे कितने तार घर थे जहां हिन्दी में तार लिये जाते हैं; और

(ख) इस साल के अन्त तक ऐसे कितने तारघर होंगे जिनमें हिन्दी के तार लिये जाने की व्यवस्था की जायेगी ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १,८३८

(ख) लगभग ३७०।

प्रोटीन बनाना

८३१. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री एन० डब्ल्यू० पाइरी ने भारत में प्रोटीन तैयार करने की संभावना का अध्ययन किया था;

(ख) क्या उन्होंने प्रोटीन सम्बन्धी अन्वेषण करने के लिए एक योजना सुझाई है; और

(ग) इस योजना के बारे में सरकार का निर्णय क्या है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) हां । कोलम्बो योजना के अधीन श्री एन० डब्ल्यू० पाइरी, एफ० आर० एस०, जो ब्रिटेन में रोथमस्टेड एक्सपेरिमेंटल स्टेशन पर जीवनरसायन विभाग के अध्यक्ष हैं, फरवरी-मार्च, १९६१ में ६ सप्ताह के लिए भारत आये थे । भारत में बहुतायत से पैदा होने वाले पत्तों से मानव भोजन के लिए प्रोटीन तैयार करने की सम्भावनाओं का अन्वेषण करने के लिए उन्होंने कई स्थानों का दौरा किया और भारत सरकार को एक रिपोर्ट दी है ।

(ख) श्री पाइरी ने सुझाव दिया है कि विभिन्न प्रकार के पत्तों के साथ, खाद डाल कर और फसल अदल बदल कर पत्तों की प्रोटीन प्राप्यता (प्रति एकड़ प्रति मास) निश्चित करने के लिए प्रयोगशाला स्तर पर उनके द्वारा बताये ५ केन्द्रों पर अनुसन्धान किया जाये । उन्होंने पांच केन्द्रों में से एक केन्द्र पर प्रारम्भिक संयंत्र द्वारा अध्ययन करने की भी सिफारिश की है ।

(ग) सरकार ने श्री पाइरी की यह सिफारिश स्वीकार कर ली है कि भारत में बहुतायत से पैदा होने वाले पत्तों से बड़े पैमाने पर प्रोटीन तैयार करने की क्षमताओं का अनुसन्धान लाभदायक होगा । श्री पाइरी द्वारा बताये गये विभिन्न केन्द्रों पर अनुसन्धान संस्थाओं से श्री पाइरी के तरीकों पर अनुसन्धान कर सकने की सम्भावना जानने के लिए पत्र लिख लिये गये हैं । कृषि विभाग, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) राज्य सरकारें आदि जो इन संस्थाओं का नियंत्रण करती हैं, को भी पत्र लिख लिये गये हैं ।

दिल्ली के चिड़िया घर के लिये जर्मन सलाहकार

†८३२. **श्री सुगन्धि :**
श्री अगाड़ी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ३ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४४४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के चिड़ियाघर का नक्शा तैयार करने के लिए नियुक्त किये गये जर्मन सलाहकार श्री कार्ल हैगेनबेक की नियोजन की शर्तें क्या हैं और नियोजन की अवधि कितनी है;

(ख) उन्हें विदेशी और भारतीय मुद्रा में कितना वेतन दिया जाता है;

(ग) क्या उपरोक्त कार्य के लिए किसी अन्य भारतीय अथवा अन्य विदेश के वास्तुवेत्ता से कोई योजनायें आमंत्रित की गईं थीं; और

(घ) इस जर्मन सलाहकार का प्रवरण करने के लिए क्या विशेष परिस्थितियां थीं ?

†**कृषि मंत्री (श्री डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) जर्मन विशेषज्ञ श्री कार्ल हैगैनबेक और भारत सरकार के बीच हुए करार के अन्तर्गत श्री कार्ल हैगेनबेक को अपने वास्तुवेत्ता श्री फ्रिट्ज़ कीब

---

†मूल अंग्रेजी में

की सहायता से भारत सरकार को दिल्ली के चिड़ियाघर की स्थापना के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए निम्नलिखित शर्तों तथा निबन्धनों पर अधिकतम एक महीने की अवधि के लिए रखा गया है :

(१) हैम्बर्ग (जर्मनी) से नई दिल्ली तक आने और वापस जाने के लिए प्रथम श्रेणी का विमान भाड़ा ।

(२) दोनों में से प्रत्येक को ५० रुपये का दैनिक भत्ता, हैम्बर्ग से नई दिल्ली आने और वापस जाने की विमान यात्रा के दिनों को सम्मिलित करके ।

(३) श्री हैगेनबेक को १,५०० रुपये की पिण्डराशि का भुगतान और उनके वास्तुवेत्ता को १००० रुपये का ।

(४) मुख्यालय में कार्य के लिए आन्तरिक परिवहन ।

(५) चिकित्सा सुविधायें ।

(६) प्रशासकीय पत्रों, टेलीफोन आदि का व्यय ।

(७) विशेषज्ञ तथा वास्तुवेत्ता को अपना कार्य करने में सहायता करने के लिए स्थानीय कर्मचारियों, टेक्नीकल, प्रशासकीय एवं श्रमिक, जिसमें क्लैरिकल, सचिवालयिक तथा अन्य आवश्यक सहायता सिम्मलित है, की सेवायें ।

(८) उपयुक्त कार्यालय भवन ।

श्री हैगेनबेक द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक प्रतिवेदन की जांच करने के पश्चात् विशेषज्ञ को निम्नलिखित की तैयारी के लिए नियोजित करने का निर्णय किया गया :

(१) चिड़ियाघर का सामान्य नक्शा जिसमें सड़कें और रास्ते, पशुओं के अहाते, इमारतें, जलमार्ग (तालाब और नहरें) प्राकृतिक वातावरण की विशेषतायें, नालियां, जलसंभरण प्रणाली और व्याख्यात्मक नोट हों ।

(२) सामान्य नक्शे की विस्तृत योजनायें और विवरण; और

(३) १८ प्रमुख पशु अहातों (४ टाइप डिजाइनों को सम्मिलित करके) और संस्थापनों के विस्तृत डिजाइन ।

उपरोक्त सेवाओं के लिए विशेषज्ञ को निम्नलिखित भुगतान किये जायेंगे ।

(१) उनसे सामान्य नक्शे आदि और व्याख्यात्मक नोटों की प्राप्ति पर ४६,००० डूशमार्क (अथवा ५२,१५४ रुपए ३ आने) ;

(२) सामान्य नक्शे की विस्तृत योजनाओं और विवरणों की प्राप्ति और संपरिवर्तनों सहित अथवा बिना संपरिवर्तनों के स्वीकृति के पश्चात् ४६,००० डूशमार्क (अथवा ५२,१५४ रूपए ३ आने) ; और

(३) पशुओं के अहातों अथवा संस्थायनों के लि डिजाइन प्राप्त हो जाने और स्वीकार कर लिये जाने के पश्चात् ८४,००० डूशमार्क (अथवा ९,५३३ रुपय ७ आने) ।

विशेषज्ञ को करार के अनुसार कार्य समाप्त करने में लगभग एक वर्ष लगा ।

(ख) विदेशी मुद्रा में	भारतीय मुद्रा में
१,००,४०० डूशमार्क (अथवा १,१३,८४१ रुपये ८१ न० पैसे) प्रविधिक सेवाओं के लिये और ७.७० डूशमार्क (अथवा ८ रुपये ७५ नये पैसे) डाक व्यय के लिये ।	१५,६२८ रुपये यात्रा व्यय, दैनिक भत्ता और पिण्ड राशि भुगतान के लिये ।

(ग) चिड़ियाघर के प्राणिकीय भाग की स्थापना के संबंध में जांच करने और प्रतिवेदन देने के लिए कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कोलम्बो के चिड़ियाघर के मेजर वेनमैन की सेवायें अक्टूबर, १९५५ में एक महीने के लिए प्राप्त की गई थीं । चूंकि उनकी सेवायें अग्रेतर नहीं प्राप्त की जा सकी इसलिए श्री कार्ल हैगेनबेक नियुक्त किए गए ।

(घ) भारत सरकार चिड़ियाघर को अत्यन्त आधुनिक एवं वैज्ञानिक लाइनों पर बनाना चाहती थी । इसके लिए एक ऐसे चिड़ियाघर विशेषज्ञ द्वारा मौके पर टेक्नीकल पथ-प्रदर्शन आवश्यक समझा गया जिसे चिड़ियाघर के निर्माण, पशुओं के अहातों की रूपरेखा और वन्यपशुओं, विशेषकर मांसभक्षियों, को अर्ध-प्राकृतिक परिस्थितियों में रखने का समुचित ज्ञान हो; बॉन और लन्दन स्थित भारतीय दूतावासों से सुझाव मांगे गये थे । बॉन भारतीय दूतावास ने श्री कार्ल हैगेनबैक की सिफारिश की और उन्हें नियुक्त कर लिया गया । श्री कार्ल हैगेनबेक इस विषय के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान हैं ।

सहायक खाद्य पदार्थ

†८३३. **श्री शूलन सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले पांच वर्षों में सहायक खाद्य पदार्थों का उत्पादन और उनकी खपत बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) इस अवधि में ऐसे खाद्य पदार्थों का कितना उत्पादन हुआ और इन पांच वर्षों से पहल के पांच वर्षों में कितना उत्पादन हुआ था ; और

(ग) क्या ऐसे खाद्य पदार्थों के उत्पादन से देश में खाद्यान्न के उत्पादन की कमी किसी हद तक दूर हुई है और उनका इस अवधि में आयात कम हुआ है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख): "सहायक खाद्य पदार्थों' शब्दों का तात्पर्य सामान्य खाद्यान्नों से भिन्न अनेक वस्तुओं से है और उनका प्रयोग जड़ों, कन्दों, पत्ते की तथा अन्य सब्जियों, फलों, दूध और डेरी उत्पादों, मांस, मछली और अंडों, पौधा खाद्यों तथा खमीर, सामुद्रिक घासपात, कुकुरमुत्ते आदि और कुछ अन्य विधायित खाद्यों (विशेषकर खाने योग्य मूंगफली का आटा, भारतीय बहुप्रयोजन खाद्य, वनस्पति दूध आदि जैसे रक्षित खाद्य), जो खाद्य-वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विदों द्वारा तैयार किए गए हैं, के लिए किया जाता है । यद्यपि पहली और दूसरी योजनाओं में "सहायक खाद्य पदार्थों" की खपत बढ़ाने के लिए कोई संयुक्त कार्यक्रम नहीं था फिर भी पशु पालन, गव्य व्यवसाय, कुक्कुटपालन और मत्स्यपालन के लिए पृथक-पृथक कार्यक्रम थे । औद्यानिकी के लिए भी दूसरी योजना में अखिल भारतीय आधार पर कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे । एक विवरण संलग्न है जिसमें इन कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप कुछ प्रमुख वस्तुओं के उत्पादन में हुई वृद्धियां दिखाई गई हैं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०१]** जहां तक ऊपर निर्दिष्ट विधायित खाद्यों का संबंध है, उनका उत्पादन अभी तक प्रयोगशाला के पैमाने पर ही किया गया है और उनका प्रयोग परीक्षणों और लोकप्रिय बनाने के कार्यक्रमों में ही किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सहायक खाद्य पदार्थों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से तीसरी पंच वर्षीय योजना में ही ये कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। परन्तु तीसरी पंच वर्षीय योजना में भी उतना धन उपलब्ध नहीं है जितने की मूलतः कल्पना की गई थी। उपलब्ध धन से मुख्यतः खाने योग्य मूंगफली का आटा और भारतीय बहुप्रयोजन खाद्य के (अबतक से अधिक बड़े पैमाने पर) उत्पादन के लिए संयंत्र स्थापित करने, खराब होने वाले खाद्यों के संरक्षण, विजलीयन आदि के (औद्योगिक एवं घरेलू पैमाने के) तरीकों से संबंधित जानकारी का प्रचार करने और इस संबंध में प्रदर्शन यूनिटों की स्थापना करने, चावल के उबालने के लिए उन्नत तरीकों आदि का प्रचार करने का प्रस्ताव है। प्रचार, प्रदर्शन, विस्तार एककों, वैज्ञानिक भोजन व्यवस्था में प्रशिक्षण आदि द्वारा लोगों की खाने की आदतों को भी धीरे धीरे बदलने के प्रयत्न किए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पशुपालन, गव्य व्यवसाय, कुक्कट पालन, मत्स्यपालन आदि के विकास के लिए पृथक पृथक कार्यक्रम पहले की तरह जारी रहेंगे। कुछ राज्य सरकारों ने भी तीसरी योजना में सहायक खाद्यों के अधिक उत्पादन के लिए थोड़े थोड़े उपबन्ध किए हैं।

(ग) चूंकि पहली दो योजनाओं में कोई संयुक्त कार्यक्रम नहीं था इसलिए उसके परिणामों का मूल्यांकन अभी नहीं किया जा सकता है। सहायक खाद्यों के विकास और उनको लोकप्रिय बनाने के कार्य को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों को मूलतः खाद्यान्न की कमी, यदि कोई हो, को दूर करने का उपाय नहीं माना जाता है वरन् उनका उद्देश्य भोजन संबंधी आदतों में विविधता लाना और उसके पोषकतत्व को बढ़ाना है। यह एक दीर्घकालीन लक्ष्य है जो कुछ वर्षों में नहीं प्राप्त किया जा सकता परन्तु आशा है कि इन कार्यक्रमों का तीसरी पंचवर्षीय योजना में खाद्य समस्या पर महत्वपूर्ण असर होगा।

इमारती लकड़ी का निर्यात

८३४. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडेमान के जंगलों से इस साल कितने रुपये की इमारती लकड़ी बाहर भेजी गई ; और

(ख) इस साल अब तक कितने एकड़ ज़मीन को साफ किया गया ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) सन् १९६०–६१ में अन्डेमान प्रशासन ने द्वीपों से ३९,२३,४०५ रुपये की इमारती लकड़ी (लट्ठे और चीरी हुई) का निर्यात भारत को किया। इस वर्ष अप्रैल से जून की अवधि में भारत को ६,३५,०६३ रुपये की इमारती लकड़ी का निर्यात किया गया।

(ख) १९६०–६१ में नई बस्ती बसाने के लिए २१७५ एकड़ भूमि के क्षेत्र को साफ किया गया।

केन्द्रीय भारतीय तम्बाकू समिति

८३५. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष अब तक केन्द्रीय भारतीय तम्बाकू समिति द्वारा किये गये अनुसन्धानों का क्या ब्यौरा है ; और

(ख) इस समिति द्वारा उस समय कितनी योजनायें चलाई जा रही हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) चालू तम्बाकू मौसम अभी (जुलाई १९६१) आरम्भ हुआ है। जुलाई १९६९ से जुलाई १९६१ तक की अवधि में भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति

के द्वारा किये गये अनुसन्धानों का ब्यौरा बताने वाला एक विवरण नत्थी है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ३०८३/६१]**

(ख) ३२।

केन्द्रीय भारतीय गन्ना समिति

८३६. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष अब तक केन्द्रीय भारतीय गन्ना समिति द्वारा गुड़ और गन्ने पर किये गये अनुसन्धानों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) वर्ष १९६१–६२ के बजट में सरकार ने इस के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा) : (क) विभिन्न केन्द्रीय और राज्य गन्ना अनुसन्धान केन्द्रों पर की गई गन्ना अनुसन्धान और गुड़ तथा खांडसारी अनुसन्धान योजनाओं को भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति सहायता देती है। भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति के तत्वाधान के अन्तर्गत चालू साल में जिन योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, उनका ब्यौरा नत्थी है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०२]**

(ख) २० लाख रुपये।

पश्चिम बंगाल में डेरी

†८३७. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रविधिक सहयोग शिष्ट मंडल/संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि ने पश्चिम बंगाल सरकार को दूध के परिष्करण के लिये एक डेरी स्थापित करने के लिये कुछ सहायता दी है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि की है तथा क्या यह ऋण के रूप में दी है या उपहार के रूप में ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी, हां।

(ख) प्रविधिक सहयोग शिष्टमंडल ने ४.४ लाख डालर (अनुमानतः २१ लाख रुपये) की लागत का उपकरण दिया है और बाल आपात निधि ने ६ लाख डालर (अनुमानतः २८ लाख रुपये) की लागत का उपकरण दिया है। बाल आपात निधि की सहायता की शर्त यह है कि राज्य सरकार कलकत्ता में कम आय वाले परिवारों को कम दामों पर, १० वर्ष की अवधि के लिये सहायता से १ $^{1}/_{2}$ गुना मूल्य तक, दूध का वितरण करें।

चम्पारन जिला में रेलवे लाइनें

†८३८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चम्पारन जिला के दक्षिण भाग में कोई रेलवे लाइन नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाने का सरकार का कोई विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं। मैहासी से सगौली स्टेशन तक की रेलवे लाइन चम्पारन जिले के आधे दक्षिण भाग में घूमती है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मंगलौर पत्तन

†८३९. { **श्री अगार्डी** :
श्री सुगन्धि :
श्री वोडयार :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि मंगलौर पत्तन विकास परियोजनाओं की तुरन्त मंजूरी दी जाए और इस बात का संकेत मांगा है कि तीसरी योजना में इस परियोजना के लिये कितनी राशि दी जाएगी ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का क्या निर्णय है ;

(ग) परियोजना को कार्यान्वित करने के लिये कितने अभिकर्ता के तौर पर काम करने की पेशकश भी है ;

(घ) क्या मंगलौर पत्तन क्षेत्र में राज्य सरकार ने कोई भूमि सम्बन्धी जांच की है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ; और

(च) क्या यह विकास निर्माण कार्य के लिये उपयुक्त है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां। मुख्य मंत्री ने इस विषय पर योजना आयोग को लिखा है।

(ख) योजना आयोग ने राज्य सरकार को बताया है कि मंगलौर पत्तन के विकास की योजना तीसरी योजना में शामिल की गई है और अपेक्षित राशि बड़ी पत्तनों के लिये किये गये उपबन्ध से दी जायगी। चूंकि योजना में शामिल किये गये कार्यक्रमों की कुल आवश्यकताओं और निजी उपबन्ध के बीच अन्तर है, आयोग ने बताया है कि प्रत्येक परियोजना के लिये धन का वास्तविक आवंटन वार्षिक योजनाओं के आधार पर किया जाएगा।

(ग) अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। अधिक जरूरी काम यह है कि स्थान चुनने के बारे में अन्तिम फैसला करने के लिये आवश्यक अनुसंधान किया जाए। बहुत बड़ी पूंजी वाली बड़ी परियोजनाओं के बारे में, ऐसी कार्रवाई नितान्त आवश्यक होती है।

(घ) मंगलौर पत्तन क्षेत्र में राज्य सरकार ने कुछ भूमि सम्बन्धी जांच की है।

(ङ) तथा (च). भूमि सम्बन्धी जांचों का विश्लेषण किया जा रहा है। अन्तिम निर्णय किये जाने से पहले कुछ अन्य पुष्टीकरण वाले अनुसन्धान करने की वांछनीयता का प्रश्न विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

बम्बई पत्तन के समीप नार्वे के एक परिवार का डूब जाना

†८४०. **श्री प्र० गं० देव :**
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९ जून, १९६१ को बम्बई पत्तन के समीप एक नार्वे परिवार डूब गया था ; और

(ख) यदि हां, तो बम्बई पत्तन न्यास ने उनकी रक्षा करने का क्यों प्रयत्न नहीं किया ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). दुर्घटना माघ द्वीप में, बम्बई के उत्तर में लगभग १८ मील में, पत्तन की सीमाओं के बाहर हुआ। चार व्यक्तियों का एक नार्वे का परिवार, जो नार्वे से आस्ट्रेलिया के लिये एक मोटर बोट में यात्रा कर रहा था, दुर्घटना का शिकार हो गया। उनमें से सभी लोग, परिवार के मुखिया श्री अंकन जैनसन को छोड़ कर, बचा लिये गये (श्री जौनसन अपनी लड़की को बचाने का प्रयत्न करते हुए जिसे एक बड़ी लहर बहा ले गई थी, तरंगित समुद्र में डूब गया। उस समय उसने लाइफ-बैल्ट पहनी हुई नहीं थी और चूंकि समुद्र बहुत भयानक था, उसे बचाने के लिये उसकी स्त्री द्वारा किये गये प्रयत्न निष्फल गये। मोटर बोट लगभग ३० फुट लम्बी थी। इसमें कोई वायरलैस नहीं था और रात्रि होने वाली थी। अतः इस दुखद घटना को जानना पत्तन न्यास या और किसी के लिये संभव नहीं था, और वे परिवार को बचाने के लिये कुछ नहीं कर सकते थे। अगली प्रातः काल सूर्य निकलने पर स्थानीय मछुओं ने बचे हुए लोगों की रक्षा की।

मछली का निर्यात

†८४१. **श्री प्र० गं० देव :**
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में मछली के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्य किये गये है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)**: (क) और (ख). जी हां। लगभग ३० करोड़ का उपबन्ध केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों में मत्स्यपालन सम्बन्धी योजनाओं के लिये तीसरी योजना में किया गया है। १९६० में मछलियों का उत्पादन १४ लाख टन के लगभग था। तीसरी योजना के लिये १८ लाख टन का लक्ष्य निश्चित किया गया है।

मछली पकड़ने की किस्तियों का मशीनीकरण, बहतर गियर और मछली पकड़ने के आधुनिक तरीकों का अपनाया जाना, मछली पकड़ने और मछली परिकरण के लिये, यदि आवश्यकता हो तो विदेशी सहयोग के साथ, भारतीय कम्पनियों की स्थापना और नवीन मत्स्य ग्रहण स्थानों का पता लगाना, ये मुख्य काम समुद्रतटीय मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिये हैं।

जहां तक अन्तर्देशीय मत्स्यपालन का सम्बन्ध है, इस काम में प्रदर्शन एवं मछली फार्मों की स्थापना खाड़ी वाले और दलदली क्षेत्रों का सुधार कार्य शामिल है। तालाबों, झीलों एवं जलाशयों में १२००० लाख अधिक प्राई और फिंगरलिंग मछलियां रखी जाएंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत से मछलियों और मछली उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिये निम्न प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं :

(१) डिब्बे बन्द मछली के निर्यातकों को रियायती दर पर टिन प्लेट देना।

समुद्री खाद्यों और मेंढक की टांगों को लपेटने के लिये विशेष निर्यात संवर्धन योजनाओं के अन्तर्गत

(२) पैक करने के अत्यावश्यक सामान अर्थात् रेशा गत्ता बम्सा, सैलोफेन कागज, छपे हुए लेबल आदि के लिये आयात लाइसेंस देना,

(३) मछली परिरक्षण तथा परिष्करण के वैज्ञानिक तरीकों का प्रचार, ताकि भारतीय माल विदेशी बाजार में स्वीकार्य हो।

फल और बनस्पति परिरक्षण उद्योग

†८४२. **श्री झूलन सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फल तथा वनस्पति परिरक्षण उद्योग को ऋण सम्बन्धी सहायता देने के मामले में प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाइयां उसके शीघ्र विकास के मार्ग में रुकावट बन गई हैं ; और

(ख) क्या उद्योग की अत्यधिक संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए उक्त सहायता देने के लिये प्रक्रिया को सरल बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). फल और वनस्पति परिरक्षण एककों की स्थापना के लिये ऋण राज्य योजना आयोजनाओं के भाग के तौर पर दिये जाते हैं।

चालू प्रक्रिया के अन्तर्गत, जो १९५८–५९ से प्रचलित है, केन्द्रीय सरकार की ओर से अलग अलग योजनाओं के लिये ऋण नहीं दिये जाते, किन्तु विकास के मुख्य शीर्षों अर्थात् कृषि उत्पादन, के अन्तर्गत दिये जाते हैं, जिसमें इस योजना की सहायता शामिल है।

उत्तर रेलवे पर चाय और फलों के स्टाल

†८४३. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० और १९६०–६१ में उत्तर रेलवे में चाय और फलों के स्टालों के लाइसेंस के लिये कुल कितनी अर्जियां आईं ;

(ख) क्या उक्त अवधि में अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति ने अर्जी दी ;

(ग) यदि हां, तो कितने लोगों ने दी और कितने लोगों को लाइसेंस दिये गये ; और

(घ) क्या अनुसूचित जाति के लोगों को कोई अधिमान दिया जाता है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०३]**

(घ) जी, हां

---

†मूल अंग्रेजी में

वायु-अनुकूलित पहली श्रेणी के यात्री

†८४४. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० और १९६०–६१ में दिल्ली और बम्बई के बीच वायु-अनुकूलित पहली श्रेणी में कितने व्यक्तियों ने सफर किया ; और

(ख) उन में से कितने लोगों ने पास पर यात्रा की ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :

(क)	१९५९–६०	१९२८०
	१९६०–६१	१९२०९
(ख)	१९५९–६०	८९८
	१९६०–६१	८७३

उत्तर रेलवे की फाजिल्का-फीरोजपुर लाइन पर यात्री सुविधायें

†८४५. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९ और १९६० में विभाग द्वारा उत्तर रेलवे की फाजिल्का–फीरोजपुर लाइन पर यात्री प्लेटफार्मों पर तीसरी श्रेणी के विश्राम हालों और ढकने वाले शैडों को बढ़ाने, माल शैडों, पीने के जल की व्यवस्था, पार्सल गोदामों की व्यवस्था के बारे में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन में से कौन से सुझाव स्वीकार किये गये हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होता ।

पंजाब के लिये रसायनिक उर्वरक

†८४६. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने राज्य को रासायनिक उर्वरकों का अधिक आवंटन किये जाने की प्रार्थना की है;

(ख) केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस राज्य को ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष और १९६१-६२ मे अब तक कितना संभरण किया गया है; और

(घ) क्या राज्य के लिये १९६१-६२ मे आवंटन बढ़ाया जायेगा ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० श०० देशमुख)** : (क) जी हां।

(ख) और (घ). अप्रैल-सितम्बर १९६१ में पंजाब में निम्न मात्रा में अधिक आवंटन किया गया था :

आंकड़े मीट्रिक टनों में

उर्वरक की किस्म	मूल आवंटन	अधिक आवंटन	मूल
अमोनिया सल्फेट .	७,०००	७,०००	१४,०००
कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट .	२०,०००	१०,०००	३०,०००

१९६१-६२ के उत्तरार्ध (१ अक्तूबर १९६१ से ३१ मार्च १९६२ तक) के लिये जो आवंटन किया जायेगा, वह नाइट्रोजन के मामले में आधे वर्ष के लिये उनकी मांग के लिये पर्याप्त किया जायेगा।

(ग) सूचना नीचे दी जाती है :

सब आंकड़े मीट्रिक टनों मे

वर्ष	संभरण किया गया माल	
	अमोनिया सल्फेट	कैलशियम अमोनिया नाइट्रेट
१९६०-६१ . .	१७,२१२	१६,०६०
१९६१-६२ (१-८-१९६१ तक)	८,३६३	२४,७३०

पंजाब में ग्राम जल संभरण योजना

†८४७. { **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के राष्ट्रीय विस्तार से तथा सामदायिक विकास क्षेत्रों में ग्राम जल संभरण योजनाओं को चलाने के लिये १९६१-६२ मे पंजाब को कुछ राशि आवंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) १९६१-६२ में क्या कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं का क्या स्वरूप है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) और (ख). जी, हां। योजना के बजट में इस काम के लिये प्रत्येक खण्ड के लिये ५०,००० रुपये का उपबंध है।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) योजनाओं के स्वरूप सम्बन्धी सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जालन्धर डिवीजन के पुलिस थानों में टेलीफोन

†८४८. {सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जालन्धर डिवीजन के कितने पुलिस थानों में टेलीफोन हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ टेलीफोन इसलिये काट दिये गये हैं कि उनके बिलों का भुगतान नहीं किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या पुलिस को टेलीफोनों के काटे जाने से पहले सूचित किया गया था ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन्)** : (क) ५५।

(ख) पिछले एक वर्ष के अन्दर टेलीफोन बिलों की गैर-अदायगी के कारण दो टेलीफोन काट दिये गये थे।

(ग) पुलिस थानों के प्रभारी अफसरों को टेलीफोन काटे जाने से पूर्व सूचित किया गया था।

पंजाब में बिजली की कमी

†८४९ {सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में बिजली की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इसके बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन में से किसी प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ?

†**सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). विभिन्न लोड केन्द्रों में १० ऐम डब्ल्यू डीजल जैनरेटिंग सैट लगाने के लिये राज्य सरकार के प्रस्ताव स्वीकार कर लिये गये हैं, जिन पर ६० लाख रुपये की लागत का अनुमान है। फरीदाबाद में १५ एम डब्ल्यू स्टीम सैट लगाने का दूसरा प्रस्ताव भी सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है। इस के अतिरिक्त, तीसरी योजना के अन्तर्गत निम्न अतिरिक्त जैनरेशन योजनाओं के पूर्ण हो जाने की संभावना है :

(१) पंजाब के लिये दिल्ली आयल स्टेशन .	५०/६०	ऐम	डब्ल्यू
(२) उहल स्टेज २	४०	,,	,,
(३) अपर बारी दोआब	२२	,,	,,
(४) भाखड़ा दायां किनारा . .	२८०	,,	,,

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब की मंडी गिद्दड़बादा में टेलीफोन

†८५०. **श्री अ० मु० तारिक :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के फीरोजपुर जिला की गिद्दड़बादा मंडी के व्यापारियों की ओर से टेलीफोनों के लिये दी गई अर्जियां बड़ी संख्या में बहुत देर से निलम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी ऐसी अर्जियां हैं और टेलीफोन देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रत्येक प्रार्थी ने इस काम के लिये ३०० रुपये भी जमा करवा रखे हैं; और

(घ) यदि हां, तो शीघ्र टेलीफोन लगाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं या उठाने का विचार किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन्)** : (क) और (ख). इस क्षेत्र की सेवा करने वाले गिद्दड़बादा टैलीफोन एक्सचेंज मे टेलीफोनों की प्रतीक्षा सूची में केवल ५ प्रार्थी है।

लाइन बिछाने के लिये अपेक्षित स्टोर न मिलने के कारण ये टेलीफोन रुके पड़े हैं।

(ग) केवल एक प्रार्थी ने टेलीफोन के लिये २९० रुपये जमा किये हैं।

(घ) यथाशीघ्र स्टोर प्राप्त करने का प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है जिसके प्राप्त होते ही ये टेलीफोन लगा दिये जायेंगे।

रेलवे सुरक्षा बल, उत्तर रेलवे

†८५१. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जुलाई, १९६१ को उत्तर रेलवे के प्रत्येक डिवीजन में पृथक-पृथक रेलवे सुरक्षा बल के कितने कर्मचारी थे; और

(ख) १९५९–६० तथा १९६०–६१ में प्रत्येक डिवीजन में उक्त सुरक्षा बल के संधारण के ऊपर कितनी राशि व्यय हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां))** : (क) और (ख). विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०४।]**

उत्तर रेलवे द्वारा प्रादेशिक भाषाओं में रिक्त स्थानों का विज्ञापन

†८५२. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य की प्रादेशिक भाषाओं के समाचारपत्रों में उत्तर रेलवे रिक्त स्थानों का विज्ञापन देती है; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). नीची श्रेणियों की तीसरी श्रेणियों के रिक्त स्थानों का विज्ञापन, भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों में देना पड़ता है, जो आम तौर पर उन क्षेत्रों में पढ़े जाते हैं जहां रिक्त स्थान होते हैं । उत्तर रेलवे के रिक्त स्थानों के बारे मे इन हिदायतों का पालन किया जाता है ।

उड़ीसा में पत्तन

†८५३. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा के चण्डबालो और गोपालपुर पत्तनों के विकास का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या व्यापार के लिये उनकी क्षमता की जांच की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) केन्द्रीय सरकार ने अभी तक प्रदीप को ६६ लाख की लागत की तथा गोपालपुर की १ लाख रुपये की योजनाओं को तीसरी योजना में शामिल करना स्वीकार कर लिया है । केन्द्रीय सरकार ने तीसरी योजना में चन्दबाली की किसी योजना को शामिल करना स्वीकार नहीं किया ।

(ख) राज्य सरकार ने बताया है कि गोपालपुर या चन्दबाली की यातायात क्षमता की कोई जांच नहीं की गई है ।

गारो पहाड़ियों में बिजली घर

†८५४. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री प्र० गं० देव :
महाराज कुमार विजय आनन्द :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गारो पहाड़ियों में एक बिजली घर बनाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस संयंत्र में स्थानीय कोयले का प्रयोग किया जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) आसाम की तीसरी पंचवर्षीय योजना में गारो पहाड़ियों में ५००० ऐम डब्ल्यू क्षमता का एक थरमल बिजली स्टेशन बनाने की योजना शामिल की गई है ।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत गारो पहाड़ियों के कोयला क्षेत्रों के खनन के पश्चात् उपलब्ध होने वाले कोयले के उपयोग का विचार है ।

तीसरी योजना में दिल्ली में आयुर्वेदिक अस्पताल

†८५५. **श्री प्र० गं० देव :**
डा० राम सुभग सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजना में दिल्ली में आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां । दिल्ली में एक आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने की योजना दिल्ली प्रशासन की तीसरी पंचवर्षीय योजना में अस्थायी तौर पर शामिल की हुई है ।

(ख) ब्यौरा अभी तैयार नहीं किया गया है ।

त्रिपुरा में अधिक अन्न उपजाओ योजना

†८५६. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में अधिक अन्न उपजाओ योजना की सफल कार्यान्विति के तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुल कितनी धनराशि के आय-व्ययक का उपबन्ध किया गया है; और

(ख) प्रति एकड़ लक्ष्य क्या हैं और उसकी प्राप्ति के लिए क्या मार्गोपाय अपनाये जा रहे हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) ५७.८२ लाख रु० ।

(ख) प्रति एकड़ अधि-उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । समूची वृद्धि का लक्ष्य और जिन उपमाओं से इसकी प्राप्ति होगी, वे सब निम्नलिखित हैं:—

खाद्यान्न

(१) सिंचाई की अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करना (छोटी सिंचाई) .	४,००० टन
(२) भूमिविकास .	८,३०० टन
(३) उर्वरक तथा खाद का वितरण .	४,०२० टन
(४) उन्नत बीजों का वितरण (प्राकृतिक फैलाव सहित)	१,७०० टन
(५) पौदा संरक्षण उपाय . .	४०० टन
(६) धान की खेती के जापानी तरीके सहित कृषि के अन्य उन्नत ढंग	१,५५० टन
	१९,९७० टन

मत्स्य

(१) मत्स्य पालन के लिए जल क्षेत्रों की पुनः प्राप्ति (२) तली हुई मछलियों और फिंगरलिंगो का वितरण (३) मत्स्य पालन के लिये नई झीलें बनाना .	२,००० टन

कछार के डाक व तार कर्मचारी

†८५७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने इस वर्ष जुलाई में असम के कछार तथा अन्य बंगला भाषी क्षेत्रों में डाक व तार कर्मचारियों के व्यवहार की केन्द्रीय सरकार से लिखित शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो कदाचार के किन-किन आचरणों की शिकायत की गई थी; और

(ग) इस मामले में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन्)** : (क) हां । असम सरकार ने असम के डाक व तार निदेशक से कुछ शिकायतें की हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). शिकायतें कुछ पत्रों को कथित अप्राप्ति, टेलीफोन पर दिये गये अनुदेशों के विदित हो जाने और टेलीफोन-काल के क्रास कनेक्शन के बारे में थीं। शिकायतों की जांच हो रही है।

लीचियों का जलमोचन[1]

†८५८. श्री **रघुनाथ सिंह:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार या बिहार की राज्य सरकार मुजफ्फरपुर की लीचियों को जलमोजन की किसी योजना पर विचार कर रही है ताकि समूचे भारत को लीचियां मिल सकें जिनकी फसल बहुत थोड़े दिनों की होती है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख):** मुजफ्फरपुर की लीचियों का जलमोजन करने की आजकल केन्द्रीय सरकार की कोई योजना नहीं है और न ही उसे राज्य सरकार की ऐसी किसी योजना का ज्ञान है।

बचत बैंक के लावारिस खाते

†८५९. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री चुनीलाल :

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय डाकघरों के बचत बैंकों के खातों में ऐसी कितनी धनराशि है जिसे पिछले आठ साल से नहीं मांगा गया है; और

(ख) सरकार इसे किस प्रकार प्रयोग करना चाहती है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन) :** (क) बचत बैंक के जिन खातों में छः वर्ष तक कोई लेन देन नहीं होता उन्हें बन्द खाते माना जाता है ? अतः जिन खातों में ८ वर्ष से लेन देन नहीं हुआ है उनमें बकाया राशि १९५८-५९ में बन्द खातों की बकाया राशि होगी। यह राशि ८,३९,१९,६७२ रु० थी। हो सकता है कि इनमें से कुछ खाते बाद में फिर खोले गये हों, जिनका ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ख) सरकार इन राशियों का प्रयोग नहीं कर सकती। वे केवल जमा रखी जाती हैं। जमा करने वालों या उनके उत्तराधिकारियों से मांग किये जाने पर बन्द खाते पुनः खोल दिये जाते हैं।

आधिस्वामिक औषधियां

†८६०. **श्री अगाड़ी :**
श्री रामपुरे :
श्री खाडिलकर :

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की सरकार द्वारा नियुक्त की गई आधिस्वामिक औषधियों सम्बन्धी कोहन समिति की उपपत्तियां सरकार को विदित हुई हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Dehydration.

[2]Proprietary Medicines.

(ख) क्या ऐसी अधिस्वामिक औषधियों का निर्देश बन्द करने का, जिनका चिकित्सीय कोई महत्व नहीं है, कोई विचार है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी औषधियों को विपणन तथा औषध-निर्देश से अलग रखने के लिये की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) हां ।

(ख) और (ग). चिकित्सीय महत्व न रखने वाली अधिस्वामिक औषधियों के निर्धारण बन्द किये जाने के लिये कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

फलोत्पादन का विस्तार

†८६१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फलोत्पादन के विकास तथा विस्तार के लिये केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार को एक १९६१-६२ में अब तक कोई धनराशि नियत की है; और

(ख) यह धनराशि किस योजना के लिये नियत की गई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) और (ख). १९६१-६२ के लिये राज्य की योजना में फलोत्पादन विकास योजना के लिये निम्न उपबन्ध सम्मिलित हैं:—

राज्य का नाम	१९६१-६२ के लिये अनुमानित व्यय
(१) मैदानों में फलोत्पादन का विकास . . .	२,९०,००० रु० (ऋण)
(२) पहाड़ी इलाकों में फलोत्पादन का विकास . .	२,००,००० रु० (ऋण)
(३) उपरोक्त (१) और (२) योजनाओं की कार्यान्विति के लिए कर्मचारी .	१,००,००० रु०

विद्यमान प्रक्रिया के अन्तर्गत, राज्य योजना की योजनाओं के लिये योजनावार विशेष सहायता नहीं दी जाती । इसका सम्बन्ध विकास की बड़ी-बड़ी मदों जैसे कृषि उत्पादन (जिसमें फलोत्पादन का विकास सम्मिलित है) से है ।

सिंचाई का प्रशिक्षण लेने के लिये विदेश गये कर्मचारी

†८६२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिये १९६१ में अब तक कितने सरकारी कर्मचारी विदेश गये हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमन्त्री (श्री हाथी)** : १९६१ में अब तक सात अधिकारी सिंचाई सम्बन्धी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये विदेश भेजे गये है जिनका ब्यौरा निम्न है :—

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी .	३
राज्य सरकारी कर्मचारी	४
योग	७ ।

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब की पीने के पानी की योजनायें

†८६३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ और १९६१–६२ में अब तक पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार को पीने के पानी की (नगरीय तथा ग्रामीण) क्या क्या योजनायें पेश की हैं; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर)**: (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा है। देखिये संख्या एल० टी० ३०८४/६१]**

पंजाब में टेलीफोन

†८६४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में १ जनवरी, १९६१ से ३० जून, १९६१ तक कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये गये हैं; और

(ख) उन पर कुल कितना धन व्यय हुआ है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) ९८६।

(ख) टेलीफोन लेने वालों के कनेक्शनों पर लगभग २.६१ लाख रु० व्यय हुए थे।

केरल राज्य में चीनी का संभरण

†८६५. **श्री मणियंगाडन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित हुआ है कि केरल राज्य की कुछ बस्तियों में चीनी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है; और

(ख) ऐसी बस्तियों की मांग पूर्ति के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) और (ख). केरल सरकार ने सूचित किया है कि त्रिवेन्द्रम में जुलाई के प्रथम सप्ताह में और त्रिचूर में जून के द्वितीय सप्ताह में कुछ दिन तक चीनी का स्टाक कुछ कम रहा। अन्य स्थानों से चीनी लाकर कमी तत्काल पूरी कर दी गई। जनसाधारण की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त स्टाक उपलब्ध होने की सूचना मिली है।

विदेशी नौवहन

८६६. **श्री सरजू पांडेय** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी नौवहन से भारत के व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). जैसा कि भली भांति विदित है, हमारे सुदूर समुद्री व्यापार का सिर्फ लगभग ९ प्रतिशत माल (गैर-सरकारी आंकड़ों के अनुसार) भारतीय जहाजी कम्पनियों द्वारा और बाकी माल विदेशी जहाजी कम्पनियों

---

†मूल अंग्रजी में

द्वारा ढोया जाता है। विदेशी जहाजी कम्पनियों पर इतनी बड़ी मात्रा में हमारे निर्भर होने के कारण सुदूर समुद्री व्यापार में जिस में आयात का व्यापार भी शामिल है, सहज ही कुछ दिक्कतें आती हैं। इन कठिनाइयों से पार पाने का यही एक तरीका है कि भारतीय जहाज़रानी का विकास किया जाय। सरकार इस दिशा में सभी सम्भव प्रयत्न कर रही है जैसे आसान शर्तों पर ऋण देना, सरकारी क्षेत्र में जहाजी निगमों की स्थापना आदि आदि।

'अर्थ-कन्डक्टर' उपसाधन[1]

†८६७. **श्री मणियंगाउन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने 'अर्थ-कन्डक्टर' उपसाधनों का आयात करने के लिये विदेशी मुद्रा के लिये प्रार्थना की है;

(ख) प्रार्थनापत्र कब भेजा गया था;

(ग) क्या अपेक्षित विदेशी मुद्रा दे दी गई है और यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) हां।

(ख) अगस्त, १९६० में।

(ग) अपेक्षित विदेशी मुद्रा १-४-१९६१ को दी गई थी।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रेलवे के विधि निरीक्षकों के वेतन-क्रम

†८६८. **श्री प्र० गं० देव :**
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विधि निरीक्षकों के वेतनक्रम खण्डीय रेलों द्वारा संशोधित कर दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) से (ग). निम्न निश्चित वेतनक्रमों में विधि कर्मचारियों के अधिकृत वेतनक्रम निम्नानुकूल सूचित किये गये हैं :—

निश्चित वेतनक्रम	अधिकृत-वेतनक्रम
३६०—५०० रु०	४५०—५७५ रु०
३००—४०० रु०	३७०—४७५ रु०
२६०—३५० रु०	३३५—४२५ रु०

२००—३०० रु० और १५०—२२५ रु० के निश्चित वेतन क्रमों में उनके अधिकृत वेतन क्रम अभी निश्चित नहीं हुए हैं। उन पर रेलवे के परामर्श के साथ विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Earth conductor accessories.

पूर्वोत्तर रेलवे के सरैयां स्टेशन पर रेलवे दुर्घटना

†८७०. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १५ जुलाई, १९६१ के उत्तर पूर्व रेलवे के सरैयां स्टेशन पर भयंकर रेल दुर्घटना हुई; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). १५-७-१९६१ को लगभग ९.५५ बजे, जबकि उत्तर पूर्व रेलवे के एक लाइन के बुढ़वल-सीतापुर सेक्शन के सरैयां स्टेशन पर मुख्य लाइन पर गिट्टी ले जाने वाली रेल गाड़ी खड़ी थी, रेलगाड़ी संख्या १६२ डाउन सीतापुर बुढ़वल यात्री गाड़ी भी उसी लाइन पर आ गई और आगे से टकरा गई ।

इस टक्कर के फलस्वरूप दो यात्री मारे गये और २४,७०० रु० का रेलवे सम्पत्ति को क्षति पहुंची ।

लाजपत नगर, दिल्ली के पास ऊपरी पुल

†८६९. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि लाजपत नगर, दिल्ली के पास ऊपरी पुल न होने से अनेक व्यक्तियों की मृत्यु होती है; और

(ख) यदि हां, तो पुल के कब बनने की आशा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) लाजपत नगर के पास रेलवे फाटक पर दुर्घटनाओं के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है ।

(ख) दिल्ली राज्य प्रशासन से अब तक ऊपरी सड़क पुल बनाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

तृतीय योजना में उड़ीसा के लिये सिंचाई की छोटी परियोजनायें

†८७१. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित सिंचाई की सारी छोटी परियोजनायें कार्यान्वित किये जाने के लिये अन्तिम रूप से स्वीकृत हो गई हैं;

(ख) क्या इन योजनाओं में से किसी का भी निर्माण आरम्भ करने के लिये १९६१-६२ में उड़ीसा को देने के लिये कोई धनराशि नियत की गई है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी धनराशि नियत की गई है और किन किन योजनाओं के लिए ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) हां । राज्य सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना में छोटी सिंचाई के लिये नलकूपों तथा उद्वहन सिंचाई योजनाओं के लिये ३०४ लाख रु० की मांग की थी । यह स्वीकृत हो गई ।

(ख) और (ग). राज्य सरकार ने सूचना दी है कि उन्होंने १९६१–६२ के बजट में उद्वहन सिंचाई और नलकूप योजनाओं सहित सिंचाई की छोटी परियोजनाओं के लिये ६१·३४ लाख रु० की व्यवस्था की है ।

पूना बाढ़ से दूर संचार विभाग को हुई हानि

†८७२. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, १९६१ के दूसरे सप्ताह में पूना क्षेत्र में बाढ़ के परिणामस्वरूप बम्बई और पूना के बीच दूर संचार विभाग को अनुमानतः कितने मूल्य की सम्पत्ति की हानि हुई ;

(ख) क्या क्षतिग्रस्त भाग समय पर ठीक कर दिया गया था; और

(ग) क्या देर होने की शिकायतें मिली थीं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०५]**

छत्तीसगढ़ (मध्य प्रदेश) से चावल और धान की खरीद

८७३. **श्री जांगड़े** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, १९६० से जून, १९६१ तक केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र से कितना चावल और धान खरीदा गया और उस के कितने दाम दिये गये; और

(ख) कितने चावल बेचने वाले नियमों के विरुद्ध चावल निर्यात करते हुए या बेचते हुए या चोरी-छिपे ले जाते हुए रंगे हाथ पकड़े गये ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग १३,००० मीट्रिक टन धान और केन्द्रीय सरकार ने लगभग १,२९,००० मीट्रिक टन चावल खरीदा था ।

मध्य प्रदेश सरकार ने रेल केन्द्रों पर किस्म के अनुसार धान का मूल्य उ० मा० श्रे० (उच्चित माध्य श्रेणी) के लिये रु० ९·५० से रु० १४·२० प्रति मन दिया । रेल केन्द्रों से अन्य स्थानों पर से धान खरीदी जाने की स्थिति में, खरीदे जाने वाले केन्द्र से निकटतम रेल केन्द्र तक का आधा भाड़ा उपरोक्त मूल्य से काट लिया जाता था ।

केन्द्रीय सरकार विभिन्न किस्म के चावलों का चालू अधिकतम नियन्त्रित मूल्य देती थी ।

(ख) दिसम्बर, १९६० से जून १९६१ की अवधि में ६२ व्यक्तियों का ऐसे अपराधों के लिये चालान किया गया था । रंगे हाथ पकड़े जाने वाले व्यक्तियों की संख्या उपलब्ध नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कलकत्ता-कटक सड़क के लिये ऋण

†८७४. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने कटक से कलकत्ता तक की सड़क के निर्माण के लिये ऋण देना स्वीकार कर लिया है;

(ख) क्या यह अलग सड़क होगी या विद्यमान सड़क को बढ़ा कर विकसित किया जायेगा ;

(ग) ऐसे प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रयोजन के लिये विश्व बैंक से कुल कितनी राशि उपलब्ध होगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) हां। विश्व बैंक से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ कलकत्ता-कटक सड़क के विकास के लिये १२·६९ करोड़ रु० का विकास ऋण देने से सहमत हो गया है।

(ख) सामान्यतया स्वीकृत राष्ट्रीय राजपथ मार्ग के साथ विद्यमान सड़क को सुधारने का विचार है ।

(ग) ऋण मोटे तौर पर निम्न कार्यों के लिये होगा;

(१) विवेकानन्द पुल (कलकत्ता के पास) से जायपुरबील तक चार गली वाली सड़क ।

(२) पश्चिमी बंगाल में जायपुरबील से बिहार/उड़ीसा सीमा पर सुबेरनरेखा पुल तक दो-गली वाली सड़क जिसमें रूपनारायण और कंगासावती नदियों पर पुलों के निर्माण भी सम्मिलित हैं ।

(३) सुबेरनरेखा पुल से कटक तक एक-गली वाली सड़क जिसमें महानदी, बिरूपा, ब्रह्मणी, खरसवान, बेतरनी, सालन्दी सुनियाझाड़ी और बुरावलांग नदियों पर पुलों का निर्माण भी सम्मिलित है ।

(घ) उपरोक्त भाग (क) देखिये ।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था की कर्म समिति

†८७५. **श्री तंगामणि** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था की कर्म समिति के निर्वाचन किस तारीख को हुए थे;

(ख) कितनी बैठकें और किस किस तारीख को हुई ;

(ग) क्या यह सच है कि कर्म समिति की बैठकें तीन मास में कम से कम एक बार नहीं हुई है जैसा कि भारतीय विवाद (केन्द्रीय) नियम, १९५७ के अन्तर्गत अपेक्षित है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था में कर्म समिति के निर्वाचन २९-२-१९६० को हुए थे ।

(ख) अब तक कार्य समिति की चार बैठकें १४-६-१९६०, २२-६-१९६०, ८-११-१९६० और ११-४-१९६१ को एक एक हुई हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). हां। कर्म समिति की बैठक ठीक तीन मास में एक बार नहीं हो पाई क्योंकि विचार विमर्श के लिये पर्याप्त विषय न थे।

उड़ीसा में नारियल अनुसंधान केन्द्र

†८७६. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में १९५९ और १९६० की अपेक्षा १९६१ में नारियल का अनुमानतः कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में सखीगोपाल में प्रादेशिक नारियल अनुसन्धान केन्द्र को बढ़ा कर एक पूर्ण अनुसन्धान केन्द्र बनाने का है;

(ग) क्या १९६०–६१ और १९६१–६२ में इस अनुसन्धान केन्द्र को कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) १९५८–५९ और १९५९–६० में उड़ीसा में नारियल का अनुमानित उत्पादन निम्न है :—

१९५८–५९	१५,९३७ हजार नग
१९५९–६०	४६,०५६ हजार नग

१९६०–६१ की जानकारी अभी तक प्राप्य नहीं है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ). भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति ने १९६०–६१ में ९,६३८ रु० दिये थे। वास्तव हुए व्यय के बारे में राज्य सरकार से सूचना प्राप्त होने पर अनुदान एक छमाही के लिये मिलते हैं। १९६१–६२ में अब तक कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

रेलवे सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिये संरक्षण

८७७. **श्री डामर** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिये कोई पद रक्षित हैं; और

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत स्थान रक्षित हैं और यह नियम कब से लागू है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). सिर्फ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये जगहें आरक्षित हैं जो इस प्रकार हैं:—

अनुसूचित जाति

अखिल भारतीय आधार पर यूनियन पब्लिक सरविस कमीशन या रेलवे सरविस कमीशनों द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा लेकर भर्ती . .	१२½ प्रतिशत
अन्य प्रकार से भर्ती अर्थात् स्थानीय या प्रादेशिक आधार पर .	१६⅔ प्रतिशत

अनुसूचित आदिम जाति

यह आरक्षण २६–१–१९५० से लागू है। . . .	५ प्रतिशत

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे में विभागीय भोजन-व्यवस्था

८७८. **श्री डामर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से रेलवे में विभागीय भोजन-व्यवस्था आरम्भ हुई है तब से रेलवे को कितना लाभ या हानि हुई;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत कितने आदमी रेलवे में नियुक्त किये गये; और

(ग) इन व्यक्तियों के वेतन और वर्दी पर प्रतिमास कितना खर्च किया जाता है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) विभागी खान-पान व्यवस्था सभी रेलों पर १९५५-५६ से शुरू हुई। तब से इस व्यवस्था में जितना घाटा रहा वह इस प्रकार है :—

वर्ष	घाटा (हजार रुपयों में)
१९५५-५६	११,०१
१९५६-५७	१७,५३
१९५७-५८	२१,९८
१९५८-५९	१०,९२
१९५९-६०	३,७८
१९६०-६१	४,३५*

*अनुमानित

(ख) और (ग). सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे में रूसी ढंग के माल डिब्बे

८७९. **श्री डामर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितनी रेलवे अपने यहां रूसी ढंग के माल डिब्बों का प्रयोग कर रही हैं; और

(ख) इन की लागत और क्षमता को देखते हुए ये माल डिब्बे उपयोगी सिद्ध हुए हैं या नहीं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) कोई नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

चित्तरंजन लोको वर्कशाप में इंजनों का उत्पादन

८८०. **श्री डामर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप में जब से उसने काम शुरू किया प्रतिमास औसतन कितने इंजन बनते हैं; और

(ख) ये इंजन किसी गड़बड़ के बिना कितने समय तक ठीक चलते हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख). एक बयान नत्थी है।

विवरण

(क) चित्तरंजन रेल-इंजन कारखाने में जब से इंजन बनने शुरू हुए हैं तब से प्रति मास तैयार इंजनों की औसत संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	प्रतिमास औसत उत्पादन
१९५०–५१	१
१९५१–५२	२
१९५२–५३	३
१९५३–५४	५
१९५४–५५	८
१९५५–५६	११
१९५६–५७	१३
१९५७–५८	१४
१९५८–५९	१४
१९५९–६०	१४
१९६०–६१	१४

(ख) जब तक रेल-इंजन कारगर ढंग से काम लायक रहते हैं या उनकी मरम्मत करके उन्हें ठीक रखा जा सकता है, तब तक उनसे काम लिया जाता है चाहे वे कितने ही पुराने क्यों न हो गये हों। फिर भी इंजन की सामान्य आयु ४० वर्ष रखी गयी है। इस अवधि में इंजनों को अच्छी हालत में रखने के लिये समय-समय पर उनका अनुरक्षण और कारखाने में ओवरहाल करना पड़ता है।

तीसरी योजना में रेलवे के लिये विदेशी सहायता

८८१. **श्री डामर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये भारतीय रेलों को विदेशी संगठन और विश्व बैंक से कितनी धनराशि मिली है ; और

(ख) उक्त धन राशि का ब्याज कितने प्रतिशत रखा गया है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख). एक बयान सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें रेलवे से सम्बन्धित चालू ऋण और सहायता का उल्लेख किया गया है। जैसा कि बयान में बताया गया है इस ऋण और सहायता का कुछ भाग तीसरी आयोजना के खर्च के लिए है। तकनीकी तौर पर ये ऋण भारत सरकार ने लिये हैं ; भारतीय रेलवे सीधे कोई ऋण नहीं लेती।

विवरण

क्रम संख्या	ऋण/विदेशी सहायता का विवरण	कितनी रकम मिली	सूद की नियत दर	ऋण की रकम का उपयोग
१	आई० बी० आर० डी० ऋण नं० २६२ आई० एन०	७०० लाख डालर	५$^{3}/_{4}$ प्रतिशत वार्षिक	इस ऋण की मियाद १३-१०-६० से ३०-६-६१ तक है और १-६-६० से ३०-६-६१ तक के भुगतान इसके अन्तर्गत आते हैं । यह ऋण मुख्यत: दूसरी आयोजना के खर्च से संबंधित हैं ।
२	विकास ऋण निधि से ऋण नं० १५१	५०० लाख डालर	३$^{1}/_{2}$ प्रतिशत वार्षिक	इस ऋण की मियाद ६-१२-६० से शुरू होती है और ८-८-६० से ३०-६-६३ तक के भुगतान इसके अन्तर्गत आते हैं । इस ऋण का उपयोग केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण उपस्कर खरीदने और उन्हें लगाने और डीज़ल और बिजली के रेल इंजन खरीदने के लिए किया जायेगा । केवल लगभग १४५ लाख डालर तीसरी आयोजना के खर्च के लिए है ।
३	प्रवर्तन करार नं० ८६ के अधीन अमेरिका सरकार से तकनीकी सहयोग सहायता	२०० लाख डालर	३$^{1}/_{2}$ प्रतिशत वार्षिक	यह ऋण उड़ीसा आयरन ओर प्राजेक्ट से सम्बन्धित ऋण का एक भाग है । इस २०० लाख डालर में से कुछ रकम परिवहन और संचार मंत्रालय विशाखापत्तनम बंदरगाह पर खर्च करेगा । बाकी रकम रेलवे द्वारा मुख्यत: सम्बलपुर-टिटलागढ़ लाइन के लिए निर्माण कार्य से सम्बन्धित उपस्करों और चल-स्टाक पर खर्च की जायेगी ।

किचनर रोड, नई दिल्ली पर प्रसूति केन्द्र की इमारत

८८२. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के किचनर रोड स्थित प्रसूति केन्द्र (मेटरनिटी सेन्टर) की इमारत के लिये कोई धन राशि स्वीकृत हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रसूति केन्द्र की इमारत का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका ने बतलाया है कि इस केन्द्र के लिये २.१६ लाख रुपये का एक प्रारंभिक प्राक्कलन स्वीकृत हो चुका है ।

(ख) इस कार्य के लिये टेण्डर आमन्त्रित किये जा रहे हैं और यदि दरें उचित हुई तो आशा है कि दो महीने के बाद कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ।

रेलवे में चोरियां और डकैतियां

८८३. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०–६१ में भारतीय रेलों में चोरी और डकैती के कितने मामले दर्ज किये गये ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : आवश्यक सूचना मंगायी जा रही है और मिलने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

तीसरी श्रेणी के रेलवे डिब्बे

८८४. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी श्रेणी के बहुत से पुराने डिब्बों में अभी तक पंखे नहीं लगाये गये हैं और उन में से कुछ की खिड़कियां बाहर को खुलती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसे ठीक करने के लिये क्या पग उठाये हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख). तीसरे दर्जे के जिन पुराने डिब्बों को ५ साल से अधिक समय तक काम में लाया जा सकता है, उनमें पंखे लगाये जा रहे हैं। ३१-३-६१ को लाइन पर तीसरे दर्जे के कुल १८०३५ पुराने डिब्बों में से १३७१६ डिब्बों में पंखे लगा दिये गये हैं, और २२२६ डिब्बों में पंखे नहीं लगाये जायेंगे क्योंकि उनके चलने की अवधि पांच साल से कम रह गयी है । बाकी २०९३ डिब्बों में रकम और सामान मिलने पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पंखे लगाये जा रहे हैं ।

किसी डिब्बे की खिड़कियां बाहर की ओर नहीं खुलतीं। दिसम्बर, १९५६ में रेलों को आदेश दिया गया था कि १-४-५६ को जो सवारी डिब्बे ऐसी हालत में रहे हों कि वे अगले दस साल या इससे अधिक समय तक काम में लाये जा सकें, उनमें बाहर की ओर खुलने वाले दरवाजों की जगह भीतर की ओर खुलने वाले दरवाजे लगाये जायें । यह काम लगभग पूरा हो चुका है ।

पूर्वोत्तर रेलवे में कार्यालय क्लर्कों की भर्ती

†८८६. **श्री राम गरीब** : क्या रेलवे मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २ सितम्बर, १९५९ को पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर की ओर से जो २५० कार्यालय क्लर्कों को भर्ती करने का विज्ञापन छपा था, उसमें से १४१ स्थान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए सुरक्षित थे ;

(ख) इस विज्ञापन के उत्तर में आने वाले आवेदन पत्रों की संख्या क्या है ;

(ग) परीक्षा और भेंट के लिए बलाये जाने वाले लोगों की संख्या क्या थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) चुने जाने वाले और नियुक्त किये जाने वाले तथा आगे नियुक्त करने के लिए प्रतीक्षा सूची में रखे जाने वालों की अलग से संख्या क्या है ; और

(ङ) यदि प्रश्न के भाग (घ) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इस देरी का क्या कारण है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी हां ।

(ख) ६१२० ।

(ग) लिखित परीक्षा के लिए बुलाये गये व्यक्तियों की संख्या ५७६० थी उनमें ९६९ सफल हुये और उन्हें भेंट के लिए बुलाया गया ।

(घ) और (ङ). पहिले जो ६८ व्यक्ति चुने गये थे उन्हें नियुक्त कर लिया गया था । फिर बचत अभियान चल पड़ा, अब आगे और खाली स्थान निकलने की कोई आशा नहीं है । जब भी खाली स्थान निकलेंगे तो लोगों को बुलाया जायेगा और १४१ का कोटा पूरा है दिया जायेगा ।

दिल्ली में धर्मार्थ होम्योपैथिक औषधालय

†८८७. **श्री डामर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में धर्मार्थ होम्योपैथिक औषधालयों और अस्पतालों की संख्या क्या है;

(ख) ऐसे जिन औषधालयों को सरकारी सहायता प्राप्त होती है उनकी संख्या क्या है ;

(ग) गत वित्तीय वर्ष में सहायता के रूप में दी गयी राशि क्या है ;

(घ) सार्वजनिक औषधालयों चलाने के लिए दी गयी राशि काफी थी ;

(ङ) क्या गत वित्तीय वर्ष में किसी औषधालय की सहायता की राशि में कमी की गयी है ; और

(च) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) दिल्ली में होम्योपैथी के औषधालय की संख्या लगभग ३० है, परन्तु अस्पताल कोई नहीं है ।

(ख) और (ग). गत वर्ष केवल एक औषधालय को सहायता दी गयी थी और उसे चाल नहीं रखा जाना था ।

(घ) किसी को चालू रहने वाली सहायता दी ही नहीं गयी तो उसके काफी होने अथवा न होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) और (च). नहीं ।

होम्योपैथी

†८८८. **श्री डामर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र में होम्योपैथी के लिए केन्द्रीय निदेशालय स्थापित करने के क्या कारण है;

(ख) क्या सरकार को यह पता है कि कई सरकारी कर्मचारी जिनका नाम अंशदायी स्वास्थ्य सेवा अनुसूची में है, दूसरी प्रणालियों के डाक्टरों से औषधियां लेते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन चिकित्सा प्रणालियों को भी किस समय अंशदायी स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत लाने का है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) क्या निकट भविष्य में सरकार का विचार कोई होम्योपैथी का अस्पताल खोलने का है जहां कि बिस्तरों की व्यवस्था होगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) होम्योपैथी सलाहकार समिति है, जो कि होम्योपैथिक प्रणाली के विकास के लिए भारत सरकार को परामर्श देती है । इसके लिए केन्द्र में एक अलग से निदेशालय खोलने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

(ख) भारत सरकार की सूचना के अनुसार अन्य चिकित्सा प्रणालियों से लाभ उठाने वाले लोगों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है ।

(ग) और (घ). इसके लिए जोरदार लोकप्रिय मांग नहीं की गयी, अतः ऐसी कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ङ) जी, नहीं ।

किराये की वापसी

†८८९. **श्री रामजी वर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यात्रियों को, न की गयी यात्रा के भाड़े की वापिसी के मामले में देरी हो जाने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस वापिसी की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्या कर रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) सामान्यतः इसके लिए एक सप्ताह का समय लिया जाता है । हो सकता है कि कुछ मामलों में देरी कुछ अधिक हो गयी हो और इसमें ली हुई राशि को प्रमाणीकरण की कठिनाई हो ।

(ख) किराया वापिस देने की प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रश्न की जांच की जा रही है ।

उत्तर रेलवे का टाइपिस्ट संवर्ग

†८९०. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब कि केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों में टाइपिस्ट का अलग संवर्ग नहीं तो उत्तर रेलवे मे यह संवर्ग बनाये जाने के कारण क्या हैं;

(ख) रेलवे बोर्ड के २३ जनवरी, १९५८ के पत्र संख्या ई० (ऐस) ५७ टी आर बी०/५७ के अनुसार उत्तर रेलवे के मुख्यालय में टाइपिस्ट संवर्ग से क्लर्क संवर्ग में जाने वाले लोगों की संख्या क्या है; और

(ग) जो लोग आना चाहते थे और नहीं लिया गया इसके कारण क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) सभी रेलवों में टाइपिस्ट का अलग संवर्ग है और यह व्यवस्था बड़े सन्तोषजनक ढंग से चल रही है ।

(ख) ४३ में से १३ को क्लर्क संवर्ग में स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) शेष टाइपिस्टों में से २ तो अपेक्षित शर्तों को पूरा ही नहीं करते थे। २ की पदोन्नति हो गयी और वह स्टैनोग्राफर बना दिये गये। १ ने जाने से इंकार कर दिया। सरकारी कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगने के कारण २४ टाइपिस्टों को क्लर्क संवर्ग मे नहीं लिया जा सका।

ब्रेक वैन में बम फटना

†८९१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २७ जुलाई, १९६१ को करीमगंज से दो मील दूर कलकलीघाट जाने वाली यात्री गाड़ी के ब्रेक वैन में बम फटने की दुर्घटना हो गयी;

(ख) क्या इस दिशा मे कोई जांच की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). मामले पर पुलिस जांच कर रही है और उनके निष्कर्षों का अभी पता नही चला।

मदुरै में दुर्घटना का टलना

†८९२. **श्री तंगामणि** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरै में २७ मई, १९६१ को त्रिवेन्द्रम पैसेंजर के चालक ने दुर्घटना से गाड़ी को बचा लिया;

(ख) यदि हां, तो चालक को इसके लिए क्या पारितोषिक आदि दिया गया; और

(ग) इस घटना के अन्य हालात क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां।

(ख) ड्राइवर को ५० रुपये के ५ वर्ष वाले ब्याज रहित इनामी बांड पारितोषिक के रूप में दिये गये।

(ग) शंटिंग इंजिन ड्राइवर के 'ऑन' पोज़ीशन पर शंट सिगनल पार किये जाने से यह दुर्घटना हुई।

मदुरै में चीनी संभरण

†८९३. **श्री तंगामणि** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपमंत्री महोदय के मदुरै जाने पर चीनी सम्भरण के बारे में वहां के रामनड व्यापार मंडल ने कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां।

(ख) अभ्यावेदन विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

नदी बोर्ड

†८९४. **श्री अमजद अली** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि नदी बोर्डों के कार्य के सम्बन्ध मे कुछ राज्यों ने स्पष्टीकरण मांगा है; और

(ख) नदी बोर्ड अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में इन राज्यों के मार्ग मे क्या क्या कठिनाइयां आ रही हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) नहीं, परन्तु सम्बद्ध राज्यों से पत्र-व्यवहार चल रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता क्योंकि नदी बोर्डों की अभी तक स्थापना ही नहीं की गयी ।

डी० डी० टी० का स्टाक

†८९५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगले वर्ष डी० डी० टी० के स्टाक की भारी कमी हो जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए क्या किया जा रहा है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि मलेरिये के ऐसे कीट हैं जिस पर कृमि नाशक औषधियों का भी प्रभाव नहीं होता; और

(ङ) इसको रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

(घ) गुजरात और महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर एक ऐसा मच्छर है जिन पर डी० डी० टी० असर नहीं करती ।

(ङ) इस वर्ष से एक अन्य कृमिनाशक औषधि का प्रयोग किया जा रहा है । संनिरीक्षण कार्यों को अधिक गहन कर दिया गया है और आवश्यक रासाय-चिकित्सीय उपाय किये जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

राष्ट्रपति के चिकित्सकों को यान में जगह देने में इंडियन एयर लाइन्स की विफलता

†**श्री अ० मु० तारिक** (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं नियम १९७ के अधीन परिवहन तथा संचार मंत्री का ध्यान इंडियन एयर लाइंस कारपोरेशन द्वारा २० जुलाई १९६१, को पटना से दिल्ली आने वाले उसके हवाई जहाज़ में राष्ट्रपति के निजी चिकित्सकों को जगह न दिये जाने के कथित समाचार की ओर आकर्षित करता हूं तथा उनसे निवेदन करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें।

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा २० जुलाई १९६१ को पटना से दिल्ली तक डा० टी० एन० बनर्जी तथा डा० रघुनाथ सरन को स्थान न देने की कथित असफलता के बारे में वक्तव्य देने का जो अवसर आपने मुझे दिया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने बताया है कि २० जुलाई, १९६१ को लगभग १० बजे सुबह डा० सरन पटना टिकट कार्यालय पर आये और उन्होंने कारपोरेशन की उड़ान संख्या ४१२ में जो पटना से दिल्ली के लिये थी दो जगहें मांगी। एक डा० बनर्जी के लिये और एक स्वयं अपने लिये। बताया गया है कि डा० सरन ने टिकट मांगते समय पटना में ट्रेफिक असिस्टेंट को बताया था कि उनको २० ता० को सुबह राष्ट्रपति भवन दिल्ली से टेलीफोन पर सन्देश मिला है कि राष्ट्रपति बीमार हैं अत: वे स्वयं एवं डा० बनर्जी उनकी देखभाल के लिये दिल्ली आयें। ट्रेफिक असिस्टेंट ने डा० सरन को बताया कि एक सीट तो उन्हें निश्चित रूप से मिल ही सकती है और दूसरी जगह के सम्बन्ध में स्थिति लगभग १ घंटे बाद बताई जा सकती है। लगभग ४५ मिनट बाद डा० सरन को सूचित किया गया कि दूसरी जगह के बारे में स्थिति दुविधाजनक है। बताया गया है कि इस बात के उत्तर में डा० सरन ने कहा कि यदि निश्चित रूप से दो जगहें नहीं मिल सकती हैं तो वह रेलगाड़ी से जाना ही पसंद करेंगे जोकि एक बजे दुपहर को जाने वाली थी। जब कि विमान के जाने का समय एक बज कर चालीस मिनट था। बाद में की गई छानबीन से यही पता चला है कि जिस समय डा० सरन इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के टिकट कार्यालय पर आये थे उस समय पटना से केवल एक ही जगह खाली थी। यह बात भी स्पष्ट है कि उस विमान में दो डाक्टरों के लिये दो जगहों की तात्कालिक आवश्यकता थी, यह बात कारपोरेशन के पटना कार्यालय के ट्रेफिक असिस्टेन्ट के अतिरिक्त अन्य किसी भी पदाधिकारी को नहीं बताई गई थी।

यदि पटना कार्यालय के इन्चार्ज को डा० सरन की पूछताछ का कि उन्हें दिल्ली जाने के लिये तत्काल दो स्थानों की आवश्यकता है पता चल जाता तो मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि वह अवश्य ही उनके लिये स्थान की व्यवस्था कर देते भले ही इसके लिये उन्हें बनारस से पूछताछ करनी पड़ती अथवा किसी अन्य यात्री को इसके लिये तैयार करना पड़ता अथवा कुछ सामान को निकाल कर उनके लिये स्थाना देना पड़ता।

†**श्री अ० मु० तारिक** : पटना से दिल्ली तक के लिये कितने स्थान होते हैं ? क्या पटना से दिल्ली के लिये चलने वाले यात्रियों में से किसी यात्री से यह प्रार्थना की गई थी कि वह राष्ट्रपति के डाक्टर के लिये स्थान खाली कर दें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० प० सुब्बरायन** : पटना से दिल्ली के लिये ५ स्थान होते हैं। और दो स्थान काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के लिये रक्षित होते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है मैं समझता हूं कि किसी भी यात्री से यह निवेदन नहीं किया गया था कि वह इन डाक्टरों के लिये स्थान दें।

†**डा० राम सुभग सिंह** (सहसराम) : जब वहां ५ या ६ सीट खाली थीं तो बुकिंग क्लर्क ने स्टेशन इन्चार्ज को क्यों नहीं बताया कि दो स्थान डा० सरन को चाहिये ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : जहां तक मुझे ज्ञात है और मैंने जानकारी प्राप्त की है मैं कह सकता हूं कि वहां उसमें कोई स्थान खाली नहीं था।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : ट्रैफिक असिस्टेंट ने पटना स्टेशन इन्चार्ज को क्यों नहीं बताया ? क्या वह स्वयं इतना उत्तरदायी पदाधिकारी नहीं था कि वह स्वयं यह कार्य कर सकता ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : सब कुछ बहुत जल्दी की बात थी। उसने स्वयं सोचा कि अगर कोई स्थान मिल जायेगा तो वह स्वयं इसकी व्यवस्था कर देगा लेकिन अन्त में उसे ज्ञात हुआ कि वह इसकी व्यवस्था नहीं कर सकता।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : क्या यह सब जांच मौखिक हुई थी अथवा इसका कोई लिखित लेखा जोखा भी है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : असलियत यह है कि ट्रैफिक असिस्टेंट को इस तथ्य की महत्ता नहीं बताई गई थी—उसे यह नहीं बताया गया था कि राष्ट्रपति बीमार हैं इसलिये उन्हें तत्काल ही स्थान चाहिये। उससे केवल यही कहा गया था कि क्या दो डाक्टरों को स्थान मिल सकता है ? लेकिन फिर भी मैं इस मामले की और जांच कर रहा हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : चूंकि माननीय सदस्य इसके बारे में चिन्तित हैं अथवा माननीय मंत्री महोदय इसकी विस्तृत जांच करें और सभा को तथ्यों से अवगत करायें।

†**श्री अ० मु० तारिक** : पटना से किन-किन यात्रियों ने अपना स्थान सुरक्षित कराया ? क्या माननीय मंत्री महोदय ने वह वक्तव्य देखा है जो कि एक डाक्टर ने जारी किया है, क्या उस वक्तव्य के विरोध में इंडियन एयर लाइन्स के पदाधिकारियों ने कोई वक्तव्य जारी किया है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री महोदय को वह वक्तव्य पढ़ने तथा डाक्टर से स्वयं पूछताछ करने का अवसर दें। और उसके बाद ही वह सभा को कुछ बता सकेंगे।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही बताने वाला विवरण

†**संसद्कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं दूसरी लोक-सभा के विभिन्न अधिवेशनों में मंत्रियों द्वारा दिये गए आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) अनुपूरक विवरण संख्या ३ तेरहवां अधिवेशन, १९६१

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अनुपूरक विवरण संख्या ६ बारहवां अधिवेशन, १९६०

(ग) अनुपूरक विवरण संख्या १० ग्यारहवां अधिवेशन, १९६०

(घ) अनुपूरक विवरण संख्या १५ दसवां अधिवेशन, १९६०

(ङ) अनुपूरक विवरण संख्या १६ नवां अधिवेशन, १९५९

(च) अनुपूरक विवरण संख्या १९ आठवां अधिवेशन, १९५९

[देखिये क्रमशः परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०८, १०९, ११०, १११, ११२ और ११३]

दिल्ली विकास प्राधिकार का वार्षिक प्रतिवेदन और प्रमाणित लेखे

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ की धारा २६ के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकार का वर्ष १९५९–६० के कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(दो) दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ की धारा २५ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकार के वर्ष १९५७–५८ के प्रमाणित लेखे, उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० ३०७७/६१]

वणिक नौवहन अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मैं वणिक् नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा ४५८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक १३ अगस्त, १९६० के अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९३८ में प्रकाशित नौवहन विकास निधि समिति (सामान्य) नियम, १९६० ।

(दो) दिनांक २९ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२६७ में प्रकाशित नौवहन विकास निधि समिति (सामान्य) संशोधन नियम, १९६० ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये क्रमशः सख्या एल० टी० २३१८/६१ और संख्या एल० टी० २४९९/६१]

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक ४ मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० ६६२ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) दूसरा मूल्य नियंत्रण (पांचवा संशोधन) आदेश, १९६१ ।

---

†मूल अंगेजी में

(दो) दिनांक ४ मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६६३ में प्रकाशित चावल (पंजाब) दूसरा मूल्य नियंत्रण (पांचवां संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(तीन) दिनांक १६ मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६८३ में प्रकाशित चावल (दक्षिणी खण्ड) यातायात नियंत्रण संशोधन आदेश, १९६१ ।

(चार) निम्नलिखित को रद्द करने वाली दिनांक २८ मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या ७३० :—

(क) महाराष्ट्र और गुजरात रोलर फ्लोर मिल्स (गेहूं के प्रयोग का विनियमन) आदेश, १९५९

(ख) उत्तर प्रदेश रोलर फ्लोर मिल्स (गेहूं के प्रयोग का विनियमन) आदेश, १९५९

(ग) मध्य प्रदेश रोलर फ्लोर मिल्स (गेहूं के प्रयोग का विनियमन) आदेश, १९६१ ।

(पांच) दिनांक ३ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७४६ में प्रकाशित गेहूं रोलर फ्लोर मिल्स (लाइसेन्स देना और नियंत्रण) (तीसरा संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(छै) आध्र प्रदेश चावल (सूचना, जांच और पकड़ना) आदेश, १९५८ को रद्द करने वाली दिनांक ३ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७४७ ।

(सात) दिनांक १ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी०एस० आर० ७६० में प्रकाशित चावल (पंजाब) दूसरा मूल्य नियंत्रण (छठा संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(आठ) दिनांक १ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७६१ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) दूसरा मूल्य नियंत्रण छठा संशोधन आदेश, १९६१ ।

(नौ) दिनांक ७ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७८४ में प्रकाशित गेहूं रोलर फ्लोर मिल्स (लाइसेंस देना और नियंत्रण) (चौथा संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(दस) दिनांक ९ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७८५ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) दूसरा मूल्य नियंत्रण (सातवां संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(ग्यारह) दिनांक ९ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७८६ में प्रकाशित चावल (पंजाब) दूसरा मूल्य नियंत्रण (सातवां संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(बारह) कलक चावल (यातायात नियंत्रण) आदेश, १९५९ को रद्द करने वाली दिनांक १२ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७८७ ।

(तेरह) दिनांक ८ जलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८८९ में प्रकाशित दिल्ली रोलर फ्लोर मिल्स (गेहूं की चीजें) दूसरा मूल्य नियंत्रण (संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(चौदह) दिनांक १५ जूलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६१४ में प्रकाशित बम्बई चावल (निर्यात नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६१ ।

(पंद्रह) दिनांक १५ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११५ में प्रकाशित चावल (दक्षिणी खण्ड) यातायात नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(सोलह) दिनांक १५ जुलाई, १९६१ का अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६१६ में प्रकाशित बिहार खाद्यान्न (यातायात नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, १९६१ ।

(सत्रह) दिनांक १५ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६१७ में प्रकाशित मध्य प्रदेश चावल (यातायात नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६१ ।

(अट्ठारह) दिनांक १५ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६१८ में प्रकाशित उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (यातायात नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६१ ।

(उन्नीस) दिनांक १५ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६१९ में प्रकाशित चावल (उत्तरी खण्ड) यातायात नियंत्रण संशोधन आदेश, १९६१ ।

(बीस) दिनांक १५ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६२० में प्रकाशित उत्तर प्रदेश धान और चावल (यातायात पर प्रतिबंध) संशोधन आदेश, १९६१ ।

(इक्कीस) दिनांक १५ जुलाई, १९६१ को अधिसूचना संख्या ६२१ में प्रकाशित उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (सीमा पर लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध) दूसरा संशोधन आदेश, १९६१ ।

(बाईस) दिनांक १५ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६२२ में प्रकाशित राजस्थान खाद्यान्न (सीमा पर लाने ले जाने पर प्रतिबंध) दूसरा संशोधन आदेश, १९६१ ।

(तेईस) दिनांक १५ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६२३ में प्रकाशित मध्य प्रदेश खाद्यान्न (सीमा पर लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध) तीसरा संशोधन आदेश, १९६१ ।

(चौबीस) दिनांक १५ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६२४ में प्रकाशित चावल (पूर्वी खण्ड यातायात नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(पच्चीस) दिनांक १५ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६२५ में प्रकाशित चावल राजस्थान (चावल आयात पर प्रतिबन्ध) संशोधन आदेश, १९६१ ।

(छब्बीस) दिनांक १५ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६३२ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) दूसरा मूल्य नियंत्रण (आठवां संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(सत्ताईस) दिनांक १५ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६३३ में प्रकाशित चावल (पंजाब) दूसरा मूल्य नियंत्रण (आठवां संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(अट्ठाईस) दिनांक १७ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९३४।

(उन्तीस) दिनांक ५ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०११ जिसमें खाद्यान्न यातायात (मीट्रिक तोल में बदलना) आदेश, १९६१ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०, ३०७८/६१]

प्राक्कलन समिति

कार्यवाही-सारांश

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं प्राक्कलन समिति की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी उप-समिति के सामने दिये गये साक्ष्य के कार्यवाही-सारांश और वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)—भारत का जीवन बीमा निगम, बम्बई के बारे में एक सौ चौतीसवें प्रतिवेदन से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति के बैठक के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता है ।

सिख गुरुद्वारा विधेयक

राय

†**सरदार अ० सिं० सहगल** (जंजगीर) : मैं भारत संघ के विभिन्न राज्यों में स्थित सिख गुरुद्वारों के अच्छे प्रशासन की व्यवस्था करने वाले और तत्सम्बन्धी पूछताछ वाले विधेयक के जिस पर राय जानने के लिये सभा के निदेशानुसार १२ दिसम्बर, १९५८ को परिचालित किया गया था, पत्र संख्या ५ को सभा पटल पर रखता हूं ।

विशेषाधिकार

तेरहवां प्रतिवेदन

†**श्री राने** (बुलडाना) : मैं विशेषाधिकार समिति का तेरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : मेरा निवेदन है कि इसकी चर्चा के लिये काफ़ी समय दिया जाना चाहिये । क्योंकि संविधान के अनुच्छेद १०५ के अन्तर्गत सभा के विशेषाधिकार क्या हैं ये बताये जाने चाहियें ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस समय हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं । और न इसके लिये मैं समय ही निश्चित कर रहा हूं । जब तक किसी सदस्य द्वारा ऐसा प्रस्ताव न आये मैं इसके लिये समय निश्चित नहीं कर सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री खुशवक्त राय** (खेरी) : नियम ३१५ के अधीन केवल आधे घंटे की चर्चा की अनुमति है ।

सभा का कार्य

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं १४ अगस्त, १९६१ से आरम्भ होने वाले सप्ताह में लिये जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं, जो इस प्रकार होगा :—

१. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और उन्हें पारित करना :—

(एक) संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक, १९६१

(दो) प्रत्यर्पण विधेयक, १९६१

२. आज के कार्यक्रम से बचे हुए किसी कार्य पर विचार ।

३. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और उन्हें पारित करना :

(एक) दादरा और नगर हवेली विधेयक, १९६१

(दो) आयकर विधेयक, १९६१, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में

(तीन) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६१

(चार) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९६१

४. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६१ को संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव पर विचार ।

५. भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, १९६१ पर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार और पारित करना ।

६. १६ अगस्त, १९६१, बुधवार को प्रधान मंत्री द्वारा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भारत सरकार की तत्सम्बन्धी नीति सम्बन्धी प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा ।

७. शनिवार, १९ अगस्त को श्री दी० चं० शर्मा द्वारा सायं ४ बजे आणविक शक्ति विभाग के वर्ष १९६०–६१ के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा ।

ब्रिटेन के यूरोपीय आर्थिक समुदाय में सम्मिलित होने के बारे में वक्तव्य

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : यह विवरण तीन पृष्ठों का है । क्या मैं इसे पढ़ूं अथवा सभा पटल पर रखूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह उसे सभा पटल पर रख दें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं ब्रिटेन के यूरोपीय आर्थिक समुदाय में शामिल होने के लिये बातचीत करने के निर्णय और भारत के व्यापार पर उसके सम्भावित प्रभाव के बारे में एक वक्तव्य और भारत तथा राइट आनरेबल पीटर थार्नीक्राफ्ट मिशन के बीच हुई वार्ता की समाप्ति पर जारी की गई विज्ञप्ति की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ११४)

†**श्री तंगमणि** (मदुरै) : यह सदस्यों को प्रसारित किया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह प्रसारित किया जायेगा ।

तेल की खोज के लिए प्राकृतिक गैस आयोग तथा फ्रान्सीसी पैट्रोल संस्था के बीच हुए करार के बारे में वक्तव्य

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : फ्रांस में हुई हमारी चर्चा तथा उस के बाद भारत में हुई चर्चा के फलस्वरूप तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और फ्रांसीसी पैट्रोलियम संस्था —जो एक फ्रांसीसी उपक्रम है —के बीच राजस्थान राज्य के जैसलमेर क्षेत्र में तीन वर्ष की अवधि के लिये पैट्रोलियम की खोज का काम करने के सम्बन्ध में कुछ समझौता हो गया है ।

समझौते के अधीन होने वाली व्यवस्था के अन्तर्गत तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और फ्रांसीसी पैट्रोलियम संस्था दोनों मिलकर तेल की खोज का काम करने के लिये एक भारतीय फ्रांसीसी सहयोग दल बनायेंगे, जिस में भारत सरकार के तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को ही सारा खतरा मोल लेना होगा और फ्रांसीसी पैट्रोलियम संस्था तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के प्रविधिक सलाहकार तथा सहायक के रूप में काम करेगी ।

इस संस्था को इस प्रकार की खोज का बहुत व्यापक अनुभव है क्योंकि इस ने उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तान में इसी प्रकार का बहुत कार्य किया है । वे पैरिस स्थित अपने मुख्यालय में भारतीय प्रविधिकों को प्रशिक्षण देने के लिये भी राज़ी हो गये हैं ।

इस खोज कार्य में अनुमानत: ४ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का खर्च होगा और इस खर्च को पूरा करने के लिये हम फ्रांसीसी सरकार से एक ऋण लेंगे जिस के लिये फ्रांसीसी सरकार राज़ी हो गई है । इस ऋण के करार के ब्यौरा क्या होगा इस संबंध में दोनों सरकारों के बीच बातचीत हो रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : मैं श्री जवाहरलाल नेहरू की ओर से प्रस्ताव करती हूं कि भारत के संविधान में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करती हूं ।

दादरा और नगर हवेली विधेयक

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : मैं श्री जवाहरलाल नेहरू की ओर से प्रस्ताव करती हूं कि :

"कि संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली का संसद् में प्रतिनिधित्व करने और इस संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन एवं तत्सम्बन्धी मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

'कि संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली का संसद् में प्रतिनिधित्व करने और इस संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन एवं तत्सम्बन्धी मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करती हूं ।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : उपाध्यक्ष महोदय आप से एक रिक्वैस्ट करनी है कि फाइनैंस मिनिटर साहब ने जो आज यूरोपियन कौमन मार्केट के ऊपर स्टेटमेंट रक्खा है उस पर बहस के लिए कम से कम एक दिन का टाइम देना चाहिए । यह सवाल इतना महत्वपूर्ण है कि सारे देश की दृष्टि इस तरफ है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जिन मिनिस्टर साहब से इसका ताल्लुक है उन से बातचीत करके इसका फैसला किया जायगा ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा मे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति के प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा । इस चर्चा के लिये दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (गुड़गांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि यह सभा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति के प्रतिवेदन पर, जो २१ अप्रैल, १९६१ को सभा पटल पर रखा

---

†मूल अंग्रेजी में

गया था, विचार करती है।" उपाध्यक्ष महोदय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत के ऐतिहासिक विश्वविद्यालयों में से एक है। २ मार्च सन् १९६० को इसी सदन् में मैं ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में आधा घंटे की चर्चा उठाई थी। उस चर्चा को उठाते समय मैं ने यहां से इस को आरम्भ किया था कि कोई भी विद्यालय हो अथवा विश्वविद्यालय यह सब ही ज्ञान के मंदिर हैं और इन के संबंध में जब भी कोई विचार किया जाय, वह धर्म, जाति, और दलबंदियों से ऊपर उठ कर होना चाहिए आज भी मैं इस चर्चा को आरम्भ करते समय उन्हीं भावनाओं को फिर से दुहराना चाहता हूं। मुझे यद्यपि दुःख है कि जब पिछली बार मैं ने यह चर्चा उठायी थी तो कुछ हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के उर्दू के पत्रों ने और कुछ भारत के कम्युनिस्ट पार्टी के अंग्रेजी पत्रों ने उस चर्चा को उतना पवित्र न रहने दिया फिर भी मैं आशा करूंगा कि जिस पवित्रता के साथ मैं इस चर्चा को आज आरम्भ करना चाहता हूं उस को उसी पवित्र रूप में ग्रहण किया जाय।

अपनी आध घंटे की चर्चा में मैं ने जिन प्रश्नों को उठाया था उन में विशेष रूप से विश्वविद्यालय में दूषित परीक्षा प्रणाली, छात्रों को प्रवेश देने में पक्षपात, अध्यापकों की नियुक्ति में भेद भाव, अपने अपने सम्बन्धियों की अधिक मात्रा में नियुक्ति, सम्पत्तियों की अनावश्यक खरीद और वित्तीय अनियमितताओं के अतिरिक्त मैंने यह भी कहा था कि इन तमाम कारणों से विश्वविद्यालय का ढांचा पर्याप्त हिल गया है।

जांच समिति का गटन जिन आधारों पर हुआ, उस के सम्बन्ध में भी मैं एक दो शब्द कहना चाहूंगा। १ दिसम्बर, १९५९ को एक प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह कहा था कि विश्वविद्यालय में इस प्रकार की अनियमितताएं को नहीं हैं, वे बहुत समय से चल रही हैं और उनको ठीक करने के लिये समय समय पर यहां से विश्वविद्यालय को निर्देश भी दिये गये, किन्तु उन निर्देशों का उत्तर विश्वविद्यालय की ओर से कोई संतोषजनक नहीं मिला। परिणामस्वरूप विवश होकर शिक्षा मंत्रालय ने विज़िटर से यह अनुरोध किया कि वह अपनी ओर से एक कमेटी एप्वायंट करें। अभी यह चीज़ होने जा ही रही थी कि इस बीच में विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने शिक्षा मंत्रालय से सम्पर्क स्थापित किया और, जैसी कि मेरी जानकारी है, उन्होंने शिक्षा मंत्रालय को कहा कि बजाये इस के कि आप विज़िटर्ज़ कमेटी एप्वायंट करें, अच्छा यह हो कि जो सदस्य आप विज़िटर्ज़ कमेटी में रखना चाहते हैं, उनको हम एक्सीक्यूटिव कौंसिल द्वारा एप्वायंट की गई कमेटी में रख देते हैं और वह कमेटी ही विश्वविद्यालय की जांच करे। शिक्षा मंत्रालय उस रहस्यमय सुझाव को उस समय नहीं समझ पाया। लेकिन आगे चल कर इस का भयंकर परिणाम यह हुआ कि विश्वविद्यालय के उपकुलपति विश्वविद्यालय एक्ट के हिसाब से उस कमेटी के सदस्य बन गये उन के सदस्य होने का परिणाम यह हुआ कि जिस व्यक्ति के विपरीत यह सारी जांच होनी थी, जो व्यक्ति दोषी था, वह न सिर्फ़ जूरी का सदस्य था, अपितु अपने बारे में निर्णय देने के लिये न्यायाधीश के रूप में भी बैठा हुआ था। सरकार ने इस सम्बन्ध में उपेक्षा संभव है। इसलिये दिखाई कि वह किसी वर्ग-विशेष की भावनाओं को असन्तुष्ट नहीं करना चाहती थी। लेकिन साथ ही साथ यह भी प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय में हो रही सब अनियमितताओं के लिये जो मुख्य अपराधी थे---वर्तमान उप कुलपति, उनको भी सरकार बचाना चाहती थी। २ मार्च, १९६० को होने वाली आध घंटे की चर्चा में भी मैं ने विशेष रूप से इस बात को कहा था कि यदि इस समिति से निष्पक्ष जांच की आशा करनी है, तो उपकुलपति को इस समिति में नहीं बैठना चाहिए। शिक्षा मंत्री जी ने उस समय अपने वक्तव्य में कहा था कि मेरा अनुमान है कि वह जांच सामिति की बैठकों में भाग नहीं लेंगे और यह समिति उसी प्रकार से काम करेगी, जैसे कि विज़िटर्ज़ कमेटी करती। लेकिन आज मुझे यह कहते हुए और इस सदन को सूचना देते हुए दुःख हो रहा

है कि समिति की जिन मीटिंगों में विश्वविद्यालय के अधीनस्थ कर्मचारी और विश्वविद्यालय के नागरिक उपस्थित हुए, उन सब में ही उपकुलपति बराबर मौजूद रहे। भय और खौफ के वातावरण मे, जो आज भी मुस्लिम विश्वविद्यालय में बना हुआ है, विश्वविद्यालय के किसी भी सदस्य के लिये यह असम्भव था कि वह जांच समिति के सामने उपकुलपति के विरुद्ध कोई शब्द आ कर कहे। उपकुलपति ने सही जांच न होने देने के लिये जो प्रक्रिया अपनाई, वह बहुत ज्यादा खेदजनक भी है। जैसा कि मैंने कहा है सबसे पहले उन्होंने मंत्रालय से मिलकर विज़टर्ज़ कमेटी के बजाये एक्सीक्यूटिव कमेटी की ओर से कमेटी बनवाई, लेकिन दूसरा काम उन्होंने यह किया कि जो करार इस समिति के सम्बन्ध में हुआ था, आगे चल कर उन्होंने उस करार को भी तोड़ा और इस कमेटी में दो व्यक्ति और आगे चल कर रहस्यमय ढंग से सम्मिलित किये गये। उन व्यक्तियों में एक थे विश्वविद्यालय की कोर्ट के सक्रिय सदस्य, श्री पी० एन० सप्रू और दूसरे काश्मीर रिटायर्ड जज, श्री शाहमीरी थे। उन दोनों व्यक्तियों के सम्मिलित होने से उपकुलपति को अपने लिये सहयोग प्राप्त करने में पर्याप्त सहायता मिली। उदाहरणस्वरूप मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में एक स्थान पर यह चर्चा की है कि उपकुलपति ने आवश्यकता न होते हुए भी १३५ बार अपनी आपातकालीन शक्तियों का उपयोग किया और उसमें ५२ बार इस प्रकार के थे कि जिनमें उनको आपातकालीन शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए था। समिति तो यह राय दे रही है, लेकिन जो दो व्यक्ति मध्य में सम्मिलित किये गये, थे, उन्होंने समिति की राय से असहमति प्रकट की है और इस विषय में अपना एक विशेष नोट जोड़ा हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इस प्रकार रहस्यमय ढंग से जो दो व्यक्तियों को बीच में सम्मिलित किया गया, उसके पीछे कौन सी भावना छिपी हुई थी।

इसके अतिरिक्त एक और बात है। बनारस विश्वविद्यलय के सम्बन्ध में जब इस प्रकार की कमेटी नियुक्त हुई, तो उसने पहला काम यह किया कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों को परिपत्र जारी किया और एक प्रश्नावली भेजी गई। मूथम कमेटी ने भी, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में नियुक्त की गई थी, सबसे पहले यह घोषणा की कि जो भी व्यक्ति विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में हमको कुछ जानकारी देने के लिये आयेंगे, हम उनको यह विश्वास दिलाते हैं कि उनको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं उठानी पड़ेगी। परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय की जांच समिति की ओर से इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया और न ही कोई इस प्रकार की प्रश्नावली भेजी गई, न परिपत्र ही जारी किये गये।

इस सम्बन्ध में सबसे अधिक आश्चर्य की बात और एक यह है कि भारत सरकार को बदनाम करने के लिये इस प्रकार की सुनियोजित प्रचार-योजना चलाई गई कि भारत सरकार मुस्लिम विश्वविद्यालय को फूटी आंख नहीं देखना चाहती, वहां इस प्रकार के व्यक्ति बैठे हुये हैं, जो मुस्लिम विश्वविद्यालय को समाप्त करना चाहते हैं। समाचारपत्रों के द्वारा भी इस प्रकार का प्रचार किया गया और भाषणों द्वारा भी। इसका परिणाम स्वाभाविक था कि साम्प्रदायिक घृणा फैलती और उपकुलपति के भय से सारे वातावरण में यह समाचार फैला हुआ था कि जो भी व्यक्ति उपकुलपति के विरुद्ध कुछ कहेगा, उसे तुरन्त हटा दिया जायगा। ये बातें केवल अफवाह ही नहीं थीं। मैं आपको प्रमाण देना चाहता हूं कि आगे चल कर इस प्रकार की घटनायें घटीं कि जिन लोगों ने समिति के सामने गवाही दी, उनमें कुछ व्यक्तियों को प्रतिष्ठा की हानि उठानी पड़ी, कुछ व्यक्तियों को शारीरिक आघात सहना पड़ा, कुछ व्यक्ति बुरी तरह डराये धमकाये गये और कुछ व्यक्तियों को अपने स्थानों से हटा दिया गया।

इस सदन में पहले भी इस प्रकार की चर्चा आई थी कि इंजीनियरिंग कालेज के तत्कालीन प्रिंसिपल, प्रोफेसर साहा, को वाइस-चांसलर के मकान के पास पीटा गया। मंत्रालय को इस

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

सम्बन्ध में पुलिस की रिपोर्ट की यदि जानकारी होगी, तो मालूम होगा कि इस पीटने में उप-कुलपति के मकान में रहने वाले कुछ कर्मचारी सम्मिलित थे ।

इसी प्रकार गणित विभाग के एक बहुत अच्छे अध्यापक, डा० रस्तोगी, को विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ा, क्योंकि उन्होंने समिति को खुले रूप से ज्ञापन दिया था। लेकिन ऐसा योग्य अध्यापक जिसको अलीगढ़ विश्वविद्यालय न खपा सका, आज अमरीका के ओहियो विश्वविद्यालय में गणित का अध्यापक हो कर पहुंच गया है । मैं आपकी जानकारी के लिये यह भी कहना चाहता हूं कि मुझे पता लगा है---और अधिक शिक्षा मंत्री जी पता लगायें---कि वर्तमान उपकुलपति ने न केवल उनको अलीगढ़ विश्वविद्यालय छोड़ने पर विवश किया, बल्कि अब जिस विश्वविद्यालय में वह इस समय सर्विस कर रहे हैं, उसको भी उन्होंने अपनी तुच्छ बुद्धि का परिचय देते हुये उनके ख़िलाफ कुछ पत्र लिखे हैं ।

इसी प्रकार डा० जेमन को भी, जो इंजीनियरिंग कालेज में नियुक्त थे, वेतन के सम्बन्ध में परेशान किया गया ।

उपकुलपति और उन दो व्यक्तियों की उपस्थिति का, जो कि बीच में रहस्यमय ढंग से सम्मिलित किये गये थे, परिणाम यह हुआ कि शिक्षा मंत्री जी का वह सारा उद्देश्य समाप्त हो गया जिसे उन्होंने कहा था कि यह कमेटी विज़िटर्ज़ कमेटी की तरह से काम करेगी जो कार्य-प्रणाली पहली कमेटी निर्धारित करती, वह भी सर्वथा बदल गई । लेकिन एक विशेष बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं यह नहीं समझ पाया कि शिक्षा मंत्री जी ने जब इस सदन में प्रश्नों का उत्तर देते हुये और वक्तव्य देते हुये कई बार यह संकेत दिया था कि उपकुलपति इस समिति में नहीं बैठेंगे, तो फिर वह क्यों डटे हुये थे कि वह समिति की बैठकों में भाग लेंगे । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों में जांच समिति के प्रतिवेदन में गम्भीर त्रुटियों का आ जाना स्वाभाविक है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है । प्रतिवेदन में उपकुलपति के ख़िलाफ लगाये गये विभिन्न आरोपों की न तो पुष्टि की गई है और न ही उनका खंडन किया है । जांच समिति ने इस विषय में जो मौन साधा है, समझ में नहीं आता कि उसका क्या अर्थ लगाया जाये । जांच समिति की रिपोर्ट में भी कहीं स्पष्ट भाषा में और कहीं दबी हुई भाषा में विचार प्रकट किये गये हैं और कहीं विचारों का बिलकुल लोप ही कर दिया गया है---सरस्वती के प्रवाह की तरह समिति कहीं प्रकट हो कर चली है और कहीं पाताल में चली गई । इस प्रकार यह जांच समिति एक पहेली बन कर रह गयी है । उसको स्पष्ट भाषा में निर्देश देने चाहिये थे, लेकिन वह नहीं दे पाई । समिति ने काफी नम्र भाषा का भी यद्यपि प्रयोग किया है, लेकिन मेरा अनुमान है कि मक्खी को तो कोई निगल सकता था, किन्तु हाथी को कोई कैसे निगल सकता था ? बुराइयां इतनी अधिक थीं कि समिति अगर उनको दबाने का प्रयत्न भी करती, तो भी उसमें सफल न होती । परिणाम यह हुआ है कि विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था की बुराइयों की छान-बीन करने के पश्चात् भाई-भतीजेवाद को संरक्षण, अनाचार, सार्वजनिक धन के ग़बन एवं दुरुपयोग के मामले समिति ने प्रकाश में लाये । हमारे देश के विश्वविद्यालयों के इतिहास में यह एक भयंकर घटना है कि किसी विश्व-विद्यालय में इस प्रकार से भयंकर रूप में धन का और अधिकारों का दुरुपयोग हुआ हो ।

मैंने आधे घंटे की चर्चा में उदाहरण दिया था कि मेडिकल कालेज के लिये पचास लाख रुपये की राशि दी गई थी । केन्द्रीय सरकार की ओर से जो फाइनेंशियल एडवाइज़र वहां पर गये, उन्होंने कहा कि जो राशि मेडिकल कालेज के लिये दी गई थी, उसका प्रयोग उसमें न कर के

दूसरे रूप में किया गया। लेकिन समिति ने इससे एक कदम आगे जाकर एक और रहस्योद्घाटन किया है। उसने रिपोर्ट के पृष्ठ २८, पैरा ७ में यह लिखा है कि जब हम आडिट के लिये गये, तो आडिट के समय दान का रजिस्टर हम को नहीं दिखाया गया, जिससे यह पता लग सकता कि कितनी और अन्य राशियां प्राप्त की गईं। ऐसा प्रतीत होता है कि नवम्बर, १९४४ के बाद एक अलग कैश-बुक बनाई गई, परन्तु पहली कैश-बुक लापता है, जिसमें १९४५ तक का लेन देन दर्ज था। १,२९,४७५ रुपये की राशि मेडिकल कालेज फंड में जमा नहीं की गई और न ही इकट्ठा करने वाली एजेन्सी के संतुलन-पत्र में इसका उल्लेख है। जब कोषाध्यक्ष से समिति ने इस सम्बन्ध में पूछा तो कोषाध्यक्ष ने उत्तर दिया कि अभी जांच चल रही है। लेकिन समिति ने इसको बड़ी निर्भीकता से प्रकट किया है। उसने लिखा है कि असल भुगतान के बाद विश्वविद्यालय के रिकार्डों में हेरफेर भी किये गये हैं। आप अनुमान लगाइये कि जिस विश्वविद्यालय को केन्द्र से लाखों नहीं करोड़ों रुपया मिलता है वहां इस तरह की चीजें होती हैं। न केवल यह बल्कि समिति ने इससे भी ज्यादा बड़े भारी एक रहस्य का भण्डाफोड़ किया है। समिति ने लिखा है कि जांच समिति की नियुक्ति से पहले १३ लाख रुपया इस प्रकार का था विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जिसका कोई हिसाब किताब नहीं था या जिसके हिसाब किताब का कुछ पता नहीं था।

इन सभी चीजों की जांच पड़ताल करने के लिये इस जांच समिति की नियुक्ति की गई थी। जैसा मैंने पहले आध घंटे की चर्चा शुरू करते हुये कहा था बहुत से आदमी इस प्रकार के थे कि जिन के नाम पर लिखे विश्वविद्यालय के रुपये बट्टे खाते में डाल दिये गये। समिति ने स्वयं इस प्रकार के उदाहरण दे कर मेरे इस कथन की पुष्टि की है। एक व्यक्ति जिसके नाम पर ७८,००० रुपया था, आप अनुमान लगाइये कि सौ दो सौ नहीं, ७८,००० रुपया था विश्वविद्यालय ने यह कह कर उसे बट्टे खाते में डाल दिया कि वह व्यक्ति पाकिस्तान चला गया है, लिहाज़ा यह रुपया वसूल नहीं किया जा सकता है। सदन को यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी वह व्यक्ति कानपुर में है और यू० पी० गवर्नमेंट से पैंशन हासिल कर रहा है जब कि मैं अपनी यह बात कह रहा हूं। यह उस विश्वविद्यालय की स्थिति है। जैसा जांच समिति ने कहा है मैं चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री इस सम्बन्ध में कोई दृढ़ कदम उठायें। जांच समिति ने बड़ी निर्भीकता के साथ अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उपकुलपति ने १३५ बार १९५५ से १९६० की अवधि में अपनी आपात कालीन शक्तियों प्रयोग किया है। समिति की राय है कि इनमें से कम से कम ५२ मामले ऐसे थे, जिनमें आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इससे साफ प्रतीत होता है कि उपकुलपति के कुछ इस प्रकार के प्रिय-पात्र थे या उनसे सम्बन्धित व्यक्ति थे जिनके लिये उन्होंने एग्जेक्टिव काउंसिल के निर्णयों की प्रतीक्षा नहीं की और ५२ बार अपनी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग किया। आश्चर्य की बात है कि आज के हिन्दुस्तान में भी विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के व्यक्ति उपकुलपति हैं जो इतनी अधिक बार आवश्यक न होते हुये भी अपनी आपात कालीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ऐसे व्यक्ति को तो अविलम्ब हटाया जाये।

इसके अतिरिक्त समिति ने यह भी लिखा है कि जब जब सरकार ने उनको इंटरनल आडिट के लिये कुछ इस प्रकार का सुझाव दिया या आडिट के सम्बध में कुछ और भी संकेत दिये तो विश्वविद्यालय बराबर उनकी उपेक्षा करता गया। एक इंटरनल आडिटर जब रखा भी गया तो किस व्यक्ति को रखा गया? रामपुर से एक व्यक्ति को मंगा कर इंटरनल आडिटर रख लिया गया जहां पर कि उपकुलपति महोदय के महत्वपूर्ण कुछ वर्ष व्यतीत हुये हैं। उसको १९५६ से १९५८ तक विश्वविद्यालय के आडिट के काम पर लगाया गया।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

समिति ने, उपाध्यक्ष महोदय, यह भी लिखा है कि जब हमने भवन निर्माण के सम्बन्ध में कारिन्दों से पूछा कि क्या आपके पास कोई हिसाब किताब है तो समिति ने कहा है कि कारिन्दों ने मना कर दिया कि हमारे पास कोई हिसाब किताब नहीं है। ये सब वित्तीय अनियमितताएं हैं, जिन की ओर मैं चाहता हूं सदन ध्यान दे।

समिति ने एक और बहुत बड़ी बात लिखी है। उसने लिखा है कि १९४७-४८ के बाद से विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या में ढाई गुना की वृद्धि हुई है परन्तु उसी अवधि में विश्वविद्यालय का आवर्तक व्यय चार गुना बढ़ गया है। ह पता नहीं चला कि इसमें इतनी अधिक वृद्धि कैसे हो गई है। केन्द्र विश्वविद्यालय को करोड़ों रुपया देता है जिसका कोई हिसाब किताब ही विधिवत् वहां नहीं है।

समिति ने तिबिया कालेज के सम्बन्ध में भी कुछ अपनी कलम चलाई है। तिबिया कालेज के जो प्रिंसिपल हैं, उन की यह घटना है। मेरे पास कुछ फोटो स्टेट कापियां हैं और उनकी चिट्ठियां हैं जो उन्होंने बच्चों के नम्बर बढ़वाने के लिये लिखी हैं। ये उनके अपने हाथ की लिखी हुई हैं। दवायें जिनके बारे में यह तथ्य है कि ६५ रुपये की भेजी गई पार्सल के ऊपर लिख दिया गया कि दो सौ रुपये की हैं और जब पैसा आया तो विश्वविद्यालय के दवाखाने में तो ६५ रुपये जमा करा दिये गये और बाकी जो पैसे थे वे प्रिंसिपल साहब की जेब में चले गये। यह सब होने के बावजूद भी आप अनुमान लगायें कि जब उनकी उम्र ६० वर्ष हो गई और उनके रिटायरमेंट की बारी आई तो उन्होंने कहा कि मेरी उम्र तो चांद के हिसाब से चलती है और हर ३६ साल के बाद एक साल कम हो जाता है, इसलिये मेरे दो साल बाकी हैं। अब स्थिति यह आ कर बनी है कि जब उनकी उम्र साठ साल हो गई है तो उपकुलपति महोदय उनको एक्सटैंशन देने की तैयारी कर रहे हैं। यह भी उसी विश्वविद्यालय की बात है। समिति ने आखिर में जा कर एक बात इस प्रकार की लिखी है कि मैं समझता हूं कि अगर केवल इन्हीं तीन लाइनों को ले कर यह हाउस कोई निर्णय लेना चाहे तो बहुत बड़ा निर्णय लिया जा सकता है।

समिति ने पृष्ठ ३३ पर यह भी स्वीकार किया है कि विभाजन के बाद उत्पन्न नई परिस्थितियों में यूनिवर्सिटी के कर्मचारी और जिम्मेदार लोगों ने भी वैयक्तिक लाभ कमाने की कोशिशें कीं और उनकी यह कोशिशें यूनिवर्सिटी में हिसाब किताब की ठीक व्यवस्था न रहने के कारण खूब कामयाब रही। खूब लूट वहां चली, उसके बारे में कमेटी भी यह कहती है कि वह खूब कामयाब रही और यह तभी सम्भव हुआ क्योंकि वहां हिसाब किताब की कोई व्यवस्था न थी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि किसी भी विश्वविद्यालय में जो राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय हो उसके द्वार किसी भी छात्र के लिये बन्द नहीं होने चाहियें। लेकिन इस विश्वविद्यालय में ऐसी स्थिति नहीं है। पुरानी बातों को तो आप छोड़िये। कमेटी ने जो कहा है मैं वही कहता हूं। उसने जिस समय विश्वविद्यालय के अधिकारियों से पूछा कि हमें रिकार्ड बताइये कि विश्वविद्यालय में भरती किस आधार पर की गई है और किस साल में कितने लड़के भरती किये गये हैं और कितनों ने आवेदनपत्र दिये थे, उनमें से कितने फर्स्ट, कितने सैकिंड डिवीजंज़ के थे, तो अपनी कमज़ोरी छिपाने के लिये कोई रिकार्ड ही पेश नहीं किए गये। ऐसी स्थिति में समिति ने यह लिख दिया कि इस सम्बन्ध में वह जानकारी लेना चाहती थी लेकिन जब रिकार्ड ही नहीं मिल पाए तो कैसे जानकारी ली जा सकती थी।

१९६१ का इंजीनियरिंग कालेज का रिकार्ड में शिक्षा मंत्री महोदय को बतलाना चाहता हूं। इस बार इंजीनियरिंग कालेज में जो भर्ती हुई है उसमें बाहर से डेढ़ सौ विद्यार्थियों ने आवेदन-पत्र भेजे। इनमें सवा सौ हिन्दू विद्यार्थी थे और २५ मुसलमान। इन १२५ हिन्दू विद्यार्थियों में से ४० विद्यार्थी लिए गये यानी ३३ परसेंट उनको दाखिल किया गया और २५ मुसलमान लड़कों में से १७ लिये गये। इन सब की डिवीजनों आदि का पता लगायें और यह देखें कि किस आधार पर यह भर्ती की गई है तो मेरे कथन की स्वयं पुष्टि हो जाएगी कि भारी अनियमिततायें बरती गई हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो कि पहले से यहां पर पढ़ते चले आ रहे हैं। इस तरह के ६२ विद्यार्थी थे। इन ६२ में से ४२ मुसलमान और २० हिन्दू विद्यार्थी लिये गये। मैं कहना चाहता हूं कि अगर रिजर्वेशन ही आप यहां पर रखना चाहते हैं तो क्यों नहीं कानून बना कर इसको रख लेते हैं और अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो विश्वविद्यालय के द्वार हर एक के लिये खुले होने चाहियें और जो स्थिति वहां अब है उसका अन्त होना चाहिये। योग्यतानुसार प्रवेश दो।

किसी भी विश्वविद्यालय का शिक्षा-सम्बन्धी स्तर यदि मापना हो तो उसका एक स्पष्ट मापदण्ड परीक्षा प्रणाली होती है। पहले भी आध घंटे की चर्चा शुरू करते हुये मैंने कई उदाहरण दिये थे। उस समय मेंने कहा था कि इनके बारे में और जानकारी अगर आप लेना चाहें तो मैं दे सकता हूं। समिति ने भी इस बारे में जानकारी लेनी चाही थी लेकिन वह उसको नहीं दी गई और ऐसी हालत में समिति अपना क्या विचार प्रकट कर सकती थी, और अपनी क्या सम्मति दे सकती थी। मेरे पास कुछ उदाहरण हैं। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। उससे सारी स्थिति साफ हो जाएगी। तिबिया कालेज की प्रासपैक्ट्स मेरे पास है। मेरे पास मार्क शीट भी ओरिजनल हैं। इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी छात्र को कम्पार्टमेंट तब दिया जाएगा जब वह २५ परसेंट नम्बर प्राप्त कर लेगा। लकिन उपाध्यक्ष महोदय, ओरिजनल मार्क शीट है, इसमें लिखा हुआ है कि पांच पांच नम्बर वालों को पांच पांच परसेंट नम्बर वालों को कम्पार्टमेंट दिया गया है और किसी के ३३ परसेंट नम्बर भी हैं, तो उसको कम्पार्टमेंट नहीं दिया जा रहा है।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : माननीय सदस्य कुछ अभिलेख तथा पत्रों का उल्लेख कर रहे हैं। क्या वे उन्हें सभा पटल पर रखेंगे ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जी, हां। यदि आप चाहें तो।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जी हां, मैं सब पेश कर सकूंगा। आप इनसे खुद ही अनुमान लगा लेंगे कि वहां क्या हो रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : एक बात और है। जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, उसको मैं गौर से सुन रहा हूं। हम आज इस रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं इसमें अब अगर और नई बातें लाई जायेंगी तो मुश्किल हो जाएगी। उस सूरत में क्या एक और कमेटी मुकर्रर की जाएगी ? आप ने जब सवाल उठाया था और जो बातें उसमें उठाई थीं उनकी जांच करने के बाद कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है, वह हमारे सामने है। उसके आधार पर आपको जो कुछ कहना हो कहें आपको इसका हक है। मगर जब नई बातें आप लायेंगे, तो मुश्किल हो जाएगी और वह ठीक भी नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं ये नई बातें नहीं पेश कर रहा हूं। इसी से सम्बन्धित बातें मैं निवेदन कर रहा हूं। मैं यह कहने का प्रयत्न कर रहा हूं कि कमेटी जिस उद्देश्य से स्थापित की गई थी, वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, उसको इस प्रकार का वातावरण ही नहीं रहने दिया गया जिस में वह खुलकर काम कर पायी।

उपाध्यक्ष महोदय : वह आपने कह दिया है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : यह अत्यन्त आवश्यक है, उपाध्यक्ष महोदय, कि राष्ट्रपति की कमेटी एप्वाइंट की जाए तब विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में पूरी जानकारी मिल सकेगी। मैं यह जो जानकारी दे रहा हूं, यह इसी से सम्बन्धित दे रहा हूं।

श्री अन्सार हरवानी (फतेहपुर) : आप क्या कमेटी के सामने पेश हुये थे और ये तमाम केसिस क्या आपने कमेटी के सामने पेश किए थे ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जी हां, मैं खुद कमेटी के सामने पेश हुआ था और जो कुछ भी मैं उसके सामने पेश कर सकता था किया था लेकिन मुझे दुःख है कि उनमें से बहुत सी बातों को कमेटी ने इसके अन्दर नहीं रखा अब मैं आ रहा हूं उन ही बातों पर। मैं आपको स्पष्ट बतलाना चाहता हूं कि मैं इस प्रकार का व्यक्ति नहीं हुं कि हाउस में तो मैं लांछन लगाऊं लेकिन बाहर जा कर कुछ और ही कहूं। इस प्रकार के व्यक्ति और होंगे जो पूंछ दबा कर भाग जायें। जो लांछन है, वह हाउस में और बाहर भी समान रूप से लगाये जाने चाहियें। जो बात हाउस के लिये सच है, वह बाहर भी सच है।

अब मैं नियुक्तियों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। इनका जांच-समिति ने अपनी रिपोर्ट में सातवें अध्याय में उल्लेख किया है। मैंने पीछे सदन में इस प्रकार की चर्चा उठाई थी कि किस प्रकार योग्य से योग्य व्यक्तियों के होते हुए भी, जिनकी उपाधियां आदि ज्यादा अच्छी थीं, दूसरे व्यक्तियों की नियुक्तियां की गई और उन अधिक योग्य व्यक्तियों की उपेक्षा कर दी गई। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि जांच समिति ने उन अनियमित नियुक्तियों क बड़े बड़े मामलों का जिक्र तक भी नहीं किया। मैं आपसे यह बात इस दृष्टि से कह रहा हूं कि आप इन तमाम चीजों को देखें। वहां हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हैड नूरुल हसन साहब की नियुक्ति किस प्रकार से की गई। आप इसको इस प्रकार की नियुक्तियों का एक उदाहरण समझ लीजिये। डा० नूरुल हसन इससे पहले लखनऊ में लेक्चरर थे। जब उनके स्वशुर अलीगढ़ यूनिवरसिटी के वाइसचांसलर थे तो वे वहां रीडर नियुक्त किए गये। बाद में उनको ऐसे ढंग से प्रोफेसर बनाया गया कि इतिहास विभाग को बिना पूछे एक पद बना दिया गया, नियुक्ति चुनाव समिति के बिना ही की गई और एकेडेमिक काउंसिल के बिना पूछे ही उनको इतिहास विभाग में कनफर्म कर दिया गया। यह सब कुछ विश्वविद्यालय एक्ट के विपरीत किया गया क्योंकि उपकुलपति महोदय और नवाब रामपुर के पुराने सम्बन्ध थे और इसलिये उनको उन्हें संरक्षण देना था। इसी तरह से प्रोफेसर सरूर की एपाइंटमेंट हुई और इसी तरह डा० अलीम की एपाइंटमेंट हुई।

मैंने पीछे दूसरी चर्चा में आपको इस प्रकार का उदाहरण दिया था कि इस विश्व-विद्यालय के एक प्रोफसर ऐसे थे जिनको पक्षाघात यानी लकवा लग गया था और जो न पूरी तरह से चल सकते थे और न पूरी तरह से बोल सकते थे। विश्वविद्यालय के उपकुल-

पति ने मेरे वक्तव्य के विपरीत एक वक्तव्य समाचारपत्रों में प्रकाशित कराया, लेकिन मुझे खुशी है कि जांच समिति ने उसकी जांच की और मेरे कथन को सत्य पाया ।

मैं आपको संक्षेप में अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाने से पहले यह कहना चाहता हूं कि जांच समिति की बैठकों में उपकुलपति क्यों बैठे। आखिर इसमें रहस्य क्या था ? रहस्य यह था कि वह चाहते थे कि उनकी उपस्थिति से लोग स्वतंत्र होकर समिति के सामने बात न कह सकें जो कि उनके विरुद्ध जाए या इसका यह भी एक कारण था कि वह समझते थे कि इस प्रकार मौजूद रहने से वे समिति के सदस्यों को अपने पक्ष में कर सकेंगे। और जो लोग इस विश्वविद्यालय से परिचित हैं वह जानते हैं वह इन दोनों कार्यों में सफल भी हुए। उनकी उपस्थिति से पूरी सूचना भी समिति को प्राप्त नहीं हो सकी और समिति ने कई मामलों में या तो नरमी से काम लिया या फिर उनको बिल्कुल ही टाल दिया। समिति से निकट सम्पर्क में होने से उनको इस बात का भी अवसर मिल गया कि जांच के समय वह विश्वविद्यालय के पूरे प्रशासन पर अधिकार रख सकें। उनकी इच्छा के अनुसार सामग्री एकत्रित की गयी और छांटी गयी। यह कहने से मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि मैं समिति की नीयत पर हमला करूं लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि समिति में एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जिसने जांच समिति के सत्य तक पहुंचने के मार्ग में बाधा डाली। समिति के साथ उपकुलपति के बैठने का दुष्परिणाम यह हुआ कि जो गलत नियुक्तियां हुई थीं जैसे कि डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्ति जो कि उपकुलपति के भतीजे हैं, जिसके बारे में परिशिष्ट में बतलाया गया है, उनके बारे में, चूंकि उपकुलपति वहां पर थे, इसलिए जांच समिति ने यह तो लिख दिया कि उनकी जो नियुक्ति हुई वह ठीक नहीं हुई, लेकिन जांच समिति ने मजबूत भाषा में कोई सिफारिश नहीं की। इसका कारण यह था कि उपकुलपति बगल में बैठे थे लिहाजा वह ऐसा नहीं लिख सकते थे। ऐसा ही लगभग इतिहास विभाग के कुछ प्रोफेसरों के सम्बन्ध में है।

मैंने कमेटी को एक बात विशेष रूप से कही थी कि मैं चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में अगर यह कमेटी स्वतंत्र रूप में निर्णय लेना चाहती है तो दो चार बैठकें ऐसी जरूर होनी चाहिएं जिनमें विश्वविद्यालय के उपकुलपति मौजूद न हों। मैंने स्वयं उपस्थित होकर समिति को यह बात कही थी। लेकिन विश्वविद्यालय के उपकुलपति को यह डर था कि जब तक वह बैठे रहेंगे तभी तक वह बातें छिपी रहेंगी, उनके न रहने से वे तमाम बातें सामने आ जाएंगी। मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि उपकुलपति की उपस्थिति से क्या नुकसान हुआ। एक व्यक्ति थे जिन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय में जो ट्रांस्मिटर था उसके सम्बन्ध में कुछ जानकारी दी थी और उसके लिए उन्होंने एक बड़े आई० ई० एस० आफिसर की, जो कि इंजिनियरिंग कालिज के प्रिंसिपल थे, एक चिट्ठी भी पेश की थी। लेकिन चूंकि उपकुलपति मौजूद थे उन्होंने वापस जाकर उनसे जवाब तलब किया कि युनिवर्सिटी की इनफारमेशन आपने दूसरे व्यक्ति को क्यों दी। उन्होंने उस व्यक्ति को चिट्ठी लिखी। मेरे पास वह ओरिजिनल लैटर मौजूद है और अगर आप चाहें तो मैं उसको पेश कर सकता हूं। उपकुलपति के समिति में बैठने से यह नुकसान हुआ कि समिति के सामने तो वे गवाहियां लेते थे और वापस जाकर जवाब तलब करते थे। आप बतलाइए ऐसी स्थिति में जांच समिति कैसे किसी निष्पक्ष निर्णय पर पहुंच सकती थी। मेरे पास डा० चाको की चिट्टी है जिनसे इस प्रकार जाकर पूछा गया।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

एक बात और है जिसको दुःख के साथ कहना पड़ता है कि समिति ने यह तो कहा कि आपत्कालीन शक्तियों का वाइसचांसलर ने दुरुपयोग किया, लेकिन उसके साथ-साथ यह सुझाव रख दिया कि प्रो वाइसचांसलर का पद खत्म कर दिया जाए। मैं नहीं समझ पाया कि यह बात कैसे रख दी गयी। प्रो वाइसचांसलर की ही तो एक थोड़ी सी रोक थी इसको भी हटाने का सुझाव कैसे दिया गया। इसमें कहा गया है कि उसके स्थान पर एक रेक्टर बना दिया जाए। रेक्टर तो वाइसचांसलर का हैडक्लर्क हो सकता है। रेक्टर प्रो वाइसचांसलर का काम कैसे कर सकता है। यूरोप के जितने बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं सब में प्रो वाइसचांसलर हैं, बनारस विश्वविद्यालय में है और कई दूसरे विश्वविद्यालयों में है। यह प्रो वाइसचांसलर को खत्म करने की बात क्यों की गयी। इसका कारण यह है कि समिति को वाइसचांसलर द्वारा आपत्कालीन शक्तियों के दुरुपयोग का पता लगा। प्रो वाइसचांसलर वाइसचांसलर को बिल्कुल निरंकुश होकर कार्य नहीं करने देता था। इसलिए उन्होंने समिति पर इस प्रकार का प्रभाव डाला कि समिति यह सुझाव दे कि प्रो वाइसचांसलर का पद ही समाप्त कर दिया जाए। मैं तो समझता हूं कि आज इस सदन को दृढ़तापूर्वक ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि जिन विश्वविद्यालयों में प्रो वाइसचांसलर नहीं हैं उनमें भी प्रो वाइसचांसलर रखे जाएं।

जांच समिति ने जो परिशिष्ट दिया है उसमें रिश्तेदारियों की चर्चा भी की है। सदन को यह जानकर हैरानी होगी। इतने रिश्तेदारों की इस विश्वविद्यालय में नियुक्ति से लगता है कि यह एक राष्ट्रीय सम्पत्ति न होकर पारिवारिक सम्पत्ति बनती चली जा रही है। आप इसकी रिपोर्ट को पढ़ कर देखें, इसमें लिखा है कि वाइसचांसलर के १९ रिश्तेदार विश्वविद्यालय में हैं, डाक्टर अलीम के २०, प्रोफेसर महमूद हुसैन के ९ और प्रोफेसर सरूर के ८ रिश्तेदार हैं। इस प्रकार से तो यह एक घर-घर की यूनीवरसिटी होती चली जा रही है।

मैं अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाने से पहले, उपाध्यक्ष जी, आपसे यह चाहूंगा कि इस विषय में मैंने बहुत कुछ जानने का प्रयत्न किया है, इसलिए मुझे अपनी बात कहने के लिए पांच सात मिनट का समय और दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने २६ मिनट पहले ही ले लिए हैं। दो तीन मिनट में खत्म कीजिए।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैंने इस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में यह कहा था कि कुछ अनावश्यक सम्पत्ति की खरीद की गयी और इस अनावश्यक सम्पत्ति की खरीद के सम्बन्ध में मैंने एक बहुत बड़ी जमीन की भी चर्चा की थी, आज फिर मैं उस बात को दुहरा देना चाहता हूं। पता नहीं क्यों समिति ने इस चीज को टालने का प्रयास किया। जहां तक इस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में अनावश्यक रूप से यह जमीन खरीदने का मामला है मेरे पास उसका नक्शा है। बहुत से सदस्य वहां पर जाकर नहीं देख सकते। आप देखिए कि एक तो जिस वक्त विश्वविद्यालय ने यह जमीन खरीदी उस समय उस मद में पैसा नहीं था, दूसरी मद में से पैसा लेकर इस पर लगाया गया। लेकिन अगर इस जमीन की इतनी जरूरत थी तो सन् १९५७ से सन् १९६१ तक यह जमीन क्यों खाली पड़ी हुई है और इसमें चरी और बाजरा क्यों बोया जा रहा है। दूसरे आप एक चीज और देखिए कि जो जमीन को बेचने

वाले हैं वह एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी बैठे हैं। यानी बेचने वाले भी वही हैं और खरीदने वाले भी वही हैं।

तीसरी एक चीज और है। एक व्यक्ति को ही यह देखने को कहा गया कि इसका दाम ठीक है या नहीं। उन्होंने रिपोर्ट दी कि इस जमीन का दाम ठीक दिया गया है। मैं कहता हूं कि इतनी बड़ी बात की जांच करने के लिए एक आदमी की नहीं बल्कि तीन आदमियों की कमेटी बनानी चाहिए थी। आप देखें कि इस जमीन के पीछे ही गवर्नमेंट प्रेस की जमीन है जो कि ३५ नए पैसे गज जाती है और इस जमीन का दाम ३ रुपया प्रति वर्ग गज दिया गया है। उसी के बगल वाली एक और जमीन १७ नए पैसे गज में बिकी है। उन जमीनों के दस्तावेज मेरे पास मौजूद हैं जिनको आप चाहें तो मैं आपके सामने पेश कर सकता हूं। आप अन्दाजा लगाइए कि इतनी बड़ी जमीन के सम्बन्ध में एक आदमी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया गया और कह दिया गया कि ऐसी कोई चीज नहीं की गयी।

इसी तरह से मैंने एक मकान की चर्चा की थी जो सैयदैन साहब का मकान था। उसके सम्बन्ध में कमेटी ने लिखा है कि ठीक पैसा दिया गया। हो सकता है कि ठीक पैसा दिया गया हो। वाइसचांसलर साहब करते हैं कि प्लिन्थ एरिया इतना था। गांवों के मकानों के प्लिन्थ एरिया इससे भी ज्यादा होते हैं। लेकिन एक रहस्यपूर्ण बात और है। विश्वविद्यालय की कौंसिल ने अपना १७-१८ नवम्बर का जो रिजोल्यूशन पास किया उसमें कहा कि इस मकान की कीमत ३१,२२९ रुपए है और इसमें हैंड पम्प और इलेक्ट्रिक फैन भी शामिल है। लेकिन इसके बाद उस भूमि पर जो पेड़ खड़े हुए थे उनके लिए भी उनको ६५९ रुपए के करीब दिए गए। यह जमीन तो युनिवर्सिटी की थी तो फिर उसके पेड़ों के पैसे उनको क्यों दिए गए।

अन्त में मैं एक बात कह कर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। मैं यह बात इसलिये विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि कमेटी ने इस पर सरसरी नजर डाली है। यह विश्वविद्यालय एक विशेष राजनीतिक पार्टी का अड्डा बनता चला जा रहा है। यहां के कितने ही विभाग इस तरह के हैं। हिस्ट्री विभाग, पालिटिक्स विभाग, जागरफी विभाग, इस्लामी शिक्षा। अगर आप अपनी सी० आई० डी० के द्वारा पता लगावें तो आपको मालूम होगा कि यह विश्वविद्यालय कम्युनिस्टों का अड्डा बन गया है। दूसरे स्थानों पर दूसरे तरह के कम्युनिस्ट होंगे, लेकिन अगर आपको कम्युनल कम्युनिस्ट देखने हों तो आप अलीगढ़ विश्वविद्यालय में जाकर देख सकते हैं। इनकी स्थिति क्या है। इनकी स्थिति यह है कि यह यहां पर केरल दिवस मनाते हैं। "रेप इन केरल" नाम की किताब बांटी जाती है। दलाईलामा हिन्दुस्तान में आये तो यहां एक सैमिनार बुलाया गया। लेकिन एक सबसे खतरनाक बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि चीन को भारत की उस भूमि पर जो उसने अपने अधिकार में ले रखी है अपना अधिकार साबित करने का प्रमाण मिल जाये। इसके लिये भारतवर्ष के पुराने दस्तावेजों को खोजने की कोशिश की जा रही है। ब्रिटिश पीरियड के तो कोई ऐसे दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं। इसलिये अब मुगल काल के दस्तावेजों की खोज हो रही है। अगर आप अपनी सी० आई० डी० द्वारा जांच करायें तो आप मेरे इस कथन की पुष्टि पायेंगे कि कि इन मुगल काल के दस्तावेजों की खोज अलीगढ़ विश्वविद्यालय में ही हो रही है। जो इस पार्टी से विशेषरूप से संबंधित हैं वह वहां आजकल हिस्ट्री के हैड आफ डिपार्टमेंट हैं, उनकी ही ओर से इस प्रकार का प्रयत्न किया जा रहा है। इसी विभाग के पहले अध्यक्ष

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

ने एक किताब निकाली है जो मैं हाउस में दिखाना भी चाहता हूं, जो कि इस प्रकार की मनोवृत्ति की परिचायक है। यह हजरत पहले हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हैड थे, मुहम्मद हबीब नाम था उन्होंने यह सुलतान, महमूद आफ गजनी किताब लिखी है। यह किताब तो उन्होंने महमूद गजनवी के ऊपर लिखी है लेकिन इसको भेंट किया गया है चेयरमैन माओत्से तुंग को, कमांडर इन चीफ चूतेह को और प्रीमियर चाऊ एन लाई को। एक को नहीं बल्कि तीन को इसलिये पेश की गयी है कि कम्युनिस्ट देशों में क्या पता आज कौन है कल कौन आ जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य बस करें। वे आध घंटे से ज्यादा बोल चुके हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : ब। मैं समाप्त किये देता हूं। आपकी इस अनुमति से मैं इतना और कह कर समाप्त करूंगा कि इन सारी चीजों को संरक्षण इस समय विश्वविद्यालय के वर्तमान उपकुलपति की ओर से दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय में जब डा० जाकिर हुसैन वाइसचांसलर थे तो उस वक्त वह जरूर उसको एक राष्ट्रीय स्वरूप देना चाहते थे और मिली-जुली संस्कृति का विकास करना चाहते थे लेकिन उनके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की फिर उसी पुराने ढंग पर चाल चलती जा रही है। इसलिये मैं अन्तिम बात यह कह कर समाप्त करता हूं कि जिस व्यक्ति ने इनक्वायरी कमेटी को सही काम नहीं करने दिया, जो व्यक्ति शिक्षा मंत्री के संकेतों के बाद भी जांच समिति में बराबर बैठा, जिस व्यक्ति ने कमेटी को गवाही देने वालों को तरह-तरह से परेशान किया, जिस व्यक्ति ने विश्वविद्यालय के धन का दुरुपयोग करवाया, जिस व्यक्ति ने ५२ बार गलत आपत्कालीन शक्तियों का प्रयोग किया, जो व्यक्ति समिति को छात्रों के परीक्षाफल और प्रवेश के रेकार्ड पेश न कर सका, जिसके समय में हिसाब के रिकार्डों में फेर बदल होती रही, जिस व्यक्ति ने गलत नियुक्तियों के रेकार्ड तोड़ रक्खे हैं, जिस व्यक्ति ने अपने रिश्तेदारों को भर-कर युनिवर्सिटी को निजी सम्पत्ति बनाना चाहा, जो व्यक्ति राष्ट्र विरोधी साम्यवादी गतिविधियों को संरक्षण दे रहा है, जिस व्यक्ति के कारण अनेक योग्य प्रोफेसर वहां से छोड़ कर जा रहे हैं और जिस व्यक्ति के कारण युनिवर्सिटी के ढांचे से उसकी आत्मा निकलना चाहती है ऐसे व्यक्ति को तुरन्त विश्वविद्यालय से अलग किया जाय और फिर से राष्ट्रपति की ओर से विजिटर कमेटी नियुक्त कराकर जांच कराई जाये तभी आप अलीगढ़ विश्वविद्यालय की रक्षा कर सकेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री बलराज मधोक** : मैं संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं वह इस प्रकार है :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़े जायें :

"और यह अनुभव करती है कि शिक्षा मंत्री द्वारा सभा पटल पर दिये गये आश्वासन के बावजूद समिति की बैठक में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के उपकुलपति की उपस्थिति के कारण जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तथा कई निहित स्वार्थ वाले पक्षों की ओर से ऐसे भय का वातावरण पैदा किया गया कि उसके कारण कई साक्षी जांच समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुये।"

सभापति महोदय : संशोधन तथा मूल प्रस्ताव सभा के समक्ष है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मु० हि० रहमान (अमरोहा) : मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, आज हाउस में कुछ दिनों के बाद फिर मुस्लिम युनिवर्सिटी की चर्चा हो रही है। हमारे मोहतरम श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने ३३ मिनट में इतनी बुराइयां बयान कर दी हैं कि अगर उसी के मुताबिक जवाब देने की कोशिश करूं तो बहुत वक्त चाहिये। लेकिन जाहिर है कि हाउस का वक्त बहुत ही बंधा हुआ है और उसमें कुछ उसूली बातें ही कही जा सकेंगी।

मुझे खूब याद है कि उस जमाने में शास्त्री जी ने युनिवर्सिटी के खिलाफ १९ इलजामात लगाये थे और मुझे खुशी है कि अगर्चे उन्होंने कहीं-कहीं से जुमले जोड़ कर उससे कुछ मतलब निकाले हैं लेकिन इनक्वायरी कमिशन की रिपोर्ट के अन्दर बुनियादी तौर पर उन सब की तरदीद की गई है और उन सब को गलत कहा गया है।

पहले भी और अब भी बड़े जोर से चर्चा की गई है कि युनिवर्सिटी काबिले-ऐतमाद नहीं है। वहां पर कम्युनिस्टों का जोर है और वहां पर कम्युनलिस्ट्स का जोर है। अब यह अजीब बात है क्योंकि जिस जगह पर कम्युनिस्ट्स का जोर हो वहां कम्युनलिस्ट्स का भी जोर हो यह समझ से परे की चीज है। दोनों चीजें मुतजाद हैं और एक जगह पर यह दोनों चीजें जमा नहीं हो सकतीं। कभी ऐसी बात नहीं हो सकती। एक तरफ तो उनको कम्युनिस्ट होने का इलजाम लगाया जाय और दूसरी तरफ उन पर कम्युनलिस्ट्स होने का इलजाम लगाया जाय, यह खुद साबित करता है कि शायद इसके पीछे कुछ और मामला है जिसको कि वह शुरू में फरमा चुके हैं और दरहकीगत उसको बदनाम करने की एक खास साजिश है। मैं समझता हूं कि आज कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि युनिवर्सिटी में कम्युनिस्ट्स या कम्युनलिस्ट्स का कोई अड्डा है। जहां तक ख्यालात की बात है तो तमाम युनिवर्सिटियों में मुख्तलिफ ख्यालात के प्रोफेसर्स और टीचर्स होते हैं और अगर अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी में हैं तो यह कोई अजीबोगरीब बात तो नहीं है लेकिन वहां पर कोई अड्डा नहीं है।

अभी चीन की बात एक भयानक तरीके से चूंकि वक्त के करीब की बात थी, कही गई और इस बात को कहा गया कि जब ब्रिटिश पीरियड का कोई ऐसा मैप नहीं मिला कि चीन उसे सरहद के बारे में अपनाने की कोशिश करे तो मुगल पीरियड की तलाश की गयी हालांकि उनको भी मालूम होगा कि मुगल पीरियड से ही इस वक्त हमारी पोजीशन बहुत मजबूत हो गयी है। औरंगजेब के जमाने में भी जो सरहदें चीन के और हमारे दरमियान थीं वह वही सरहदें हैं जिन सरहदों को हम आज मान रहे हैं और जिसका कि इन्कार चीन कर रहा है। प्रोफेसर साहब के खिलाफ यह कहना कि वह मुगल पीरियड के सबूत लेकर चीन की मदद कर रहे हैं कि जिससे आज हिन्दुस्तान को नुकसान पहुंचे इससे ज्यादा बदगुमानी और इससे ज्यादा गलत और झूठ बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती।

इस बात का लिहाज आप खुद कर सकते हैं कि दो बुनियादी ऐतराजात जो किये गये उन दोनों बुनियादों की हैसियत क्या है और इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि अन्य मामलात में जो इलजामात लगाये गये हैं उनकी भी हकीकत क्या है। आज यह कहा गया कि वह इनक्वायरी कमेटी इसलिये काबिले ऐतबार नहीं है कि वाइसचांसलर बराबर उसमें बैठते रहे। मैं कहता हूं कि वाइस चांसलर का बैठना कोई कमीशन जुज नहीं था और उसके लिये कोई जरूरी नहीं था।

वह उसका मेम्बर नहीं था। लेकिन मेम्बरान ने जो ऊंचे दर्जे की हैसियत रखते हैं उन्होंने आज यहां उन पर बेभरोसगी का इल्जाम लगाया और यह भी कहा कि वह काबिले ऐतबार नहीं

[श्री मु० हि० रहमान]

हैं। अब इस तरह तो दुनिया में कौन काबिले ऐतबार है? एक इनक्वायरी कमेटी बैठी वह इसलिये नाकाबिले ऐतबार और दूसरी इनक्वायरी कमेटी बैठी वह और वजह से नाकाबिले ऐतबार, इस तरीके से यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिये सिलसिला जारी रक्खा जाय, यह आपकी मंशा और आपकी खुशी मालूम होती है। हमारे मोहतरम लीडर ने बिलकुल आजादी के साथ अपना यह फैसला दिया और उस फैसले में उन्होंने कतअन इजाजत नहीं दी कि उसमें वाइस-चांसलर बैठें।

जहां तक बयानात का ताल्लुक है एक तरफ यह कहा जाता है कि बयानात देने वालों को दबाने की कोशिश की और इस तरीके से आम ऐलानात नहीं हुये। अब बयानात बाहर से भी दिये गये और अन्दर भी बयानात दिये गये। आपने भी बाहर से बयान दिया और मैंने भी दिया और दूसरे लोगों ने भी बयान दिया। बाहर से भी बयान दिये गये और अन्दर से भी बयान दिये गये। आप उठा कर पूरी मिसल को देखिये, पूरी रिपोर्ट और तफसीलात को देखिये और तब आपको अन्दाजा होगा कि बनारस युनिवर्सिटी की इनक्वायरी कमेटी में या शायद किसी भी दूसरी युनिवर्सिटी की इनक्वायरी कमेटी में किसी उस्ताद, प्रोफेसर, तालिबिल्म और जो दीगर मुलाजिम हैं उनको इतनी आजादी बयान देने में न मिली होगी। जितनी आजादी कि इसकी इनक्वायरी कमेटी के मौके पर उनको अपने स्टेटमेंट्स और शहादतें देते वक्त मिली थी। बिलकुल आजादी के साथ उसके सामने बयानात और शहादतें दी गईं जिनके लिये कि कहा गया कि उनको दबाने की कोशिश की जाती है। इस तरीके की बातों से दरहकीकत एक गलतफहमी पैदा करना है। कमेटी ने साफ लफ्जों में कहा है कि कोई गबन और कोई तग़ल्लुब नहीं है। अलबत्ता उसने चन्द टेकनिकल बातों में कुछ रक्मों का जिक्र किया है जिनको कि अपने खास अन्दाज से मेरे दोस्त शास्त्री जी ने करप्शन के तौर पर बयान करने की कोशिश की है। हालांकि कमीशन ने कतई तौर पर साफ कहा है कि कोई गबन नहीं है कोई तग़ल्लुब नहीं है। अलबत्ता यह जरूर कहा है कि हिसाब रखने के ढंग में उस किस्म की जाप्तगियां पूरी तरह नहीं बर्त्ती जातीं जिनको कि बरता जाना चाहिये था। ठीक है अगर हिसाब रखने के ढंग में कोट्ट खामी पायी गयी है तो उसको दुरुस्त होना चाहिये। आज गवर्नमेंट के हिसाबात में आडीटर साहब बहुत सी टेकनिकल गलतियां निकालते हैं। ५०, ५० और १००, १०० टेकनिकल गलतियां खुद गवर्नमेंट के हिसाब में बतलाई जाती हैं लेकिन उसके माने यह थोड़े ही हो जाते हैं कि सरकार गबन कर रही है या करप्शन कर रही है। अब अगर वहां पर टेकनिकल गलतियां बतलाई गईं तो कौनसा जुर्म हो गया? टेकनिकल गलतियों को दुरुस्त किया जाना चाहिये और उनको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है।

उन्हीं पुरानी बातों को आज फिर दोहराया जा रहा है जैसे गुलाम सयैदेन के मकान का किस्सा या जमीन का किस्सा। वही चीजें जो पहले कही गयी थीं आज फिर उनका जिक्र किया जा रहा है। उनका साफ बेहतर से बेहतर निखरा हुआ जवाब पिछले मौके पर बाकायदा रेकार्ड के साथ बता दिया गया था। कुछ जमीनें ज्यादा से ज्यादा रिआयत के साथ खरीद की गई थीं बजाय इसके कि उनको मंहगे भाव पर खरीदा गया होता और उनके वास्ते ज्यादा कीमतें दी गई होतीं। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बागों का हवाला दिया गया, दरख्तों का हवाला दिया गया। अगर इस तरीके से हवाले दिये जाने हैं, तो इस हाउस में चार पांच दिन का मौका दीजिये, ताकि कम से कम चार पांच सौ सफ़हे की रिपोर्ट आपके सामने रखी जाये और जो बातें आनरेबल मेम्बर ने कही हैं, उनकी ताईद की जाये। एक बात को एक तरीके से कमेटी कहती है उसका मतलब यह निकलता है कि कोई गबन,

कोई तग़ल्लुब, कोई इस किस्म की ज्यादतियां नहीं हैं। लेकिन हां, कुछ टेक्निकल ग़लतियां हैं और उन को आनरेबल मेम्बर किस तरह से बयान करते हैं? उन का इस तरह भयानक रूप में बयान करते हैं कि मालूम हो कि एक बहुत बड़ा ग़बन हो गया, लाखों रुपये का ग़बन हो गया, लूट हो रही है। ख्याल फरमाइये बात कहां से कहां पहुंची।

जहां तक एप्वायंटमेंट्स का ताल्लक है, ग्यारह एप्वायंटमेंट्स के बारे में एतराज़ किया गया, अगर्चे एक्लीक्यूटिव कौंसिल ने उस की सराहत के साथ, दलील के साथ तरदीद कर दी है कि ग्यारह एप्वायंटमेंट्स भी काबिले-एतराज़ नहीं हैं। मगर मैं मान लेता हूं कि ग्यारह एप्वायंटमेंट्स इस किस्म के हुए, जिन्हें काबिले-एतराज़ कहा जा सकता है। अगर १२५० एप्वायंटमेंट्स में से ग्यारह काबिले-एतराज़ हुए, तो एक यूनिवर्सिटी नहीं, पचास यूनिवर्सिटीज में इस किस्म की बातें निकल सकती हैं और निकाली जा सकती हैं। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि एक छोटी सी बात को एक भयानक नक्शे के साथ पेश करके यह बताया जाये कि यूनिवर्सिटी का कैरेक्टर खराब हो गया है, यूनिवर्सिटी में बहुत गड़बड़ हो रही है और लाखों रुपये का ग़बन हो रहा है, यह मुनासिब नहीं है। इन तरीकों से यूनिवर्सिटो को बदनाम नहीं किया जा सकता है—इस तरह से मामले कर और खास तोर पर हवाले दे कर यूनिवर्सिटी को बदनाम नहीं किया जा सकता है।

आनरेबल मेम्बर ने इंजीनियरिंग के तुलेबा के बारे में ज़िक्र किया। जो डोटेल्ज़ उन्होंने दी हैं, वे पूरे तरीके से दुरूस्त हों, या न हों, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं—मुझे माफ़ किया जाये, इस में कोई कम्यूनल सवाल नहीं है कि मुल्क में दो युनिवर्सिटीज हैं, एक हिन्दू यूनिवर्सिटी के नाम से है और दूसरी मुस्लिम युनिवर्सिटी के नाम से है यों तो यूनिवर्सिटीज तो बहुत हैं—तो मुझे बताया जाये कि १९४७ से इस वक्त तक बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी में कितने उस्ताद मुसलमान रखे गये हैं और कितने उस्ताद वहां हैं और मुझे यह भी बताया जाय कि वहां पर मुसलमान तुलेबा कितने हैं और कुल तादाद कितनी है। (अन्तर्बाधा) इस में हिन्दू-मुस्लिम का कोई सवाल नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि अलीगढ़ यूनविर्सिटी में इस वक्त एक तिहाई के करीब, जो कि अब आधे के करीब आ रहे हैं, उस्ताद और तालिब-इल्म गैर-मस्लिम मौजूद हैं। एसी सूरत में जब कि उस यूनिवर्सिटी में, जो कि मस्लिम यूनिवर्सिटी कहलाती है, एक-तिहाई से ज्यादा गैर-मुस्लिम तोलिब-इल्म मौजूद हों, हर शोब में मौजूद हों, टीचर्ज, प्रोफसर्ज, उस्ताद बड़ी तादाद में मौजूद हों, तो दूसरी यूनवर्सिटो से जरा उसका मुकाबला करके बतायें कि आज कौनसी मानोपाली बना दी गई है मुसलमान तालिब-इल्मों के लिये, अगर चार पांच तालिब-इल्म वहां जायज आ जाय सारेए हिन्दुस्तान की एक यूनिवर्सिटी में, एक मुसलमान यूनिवर्सिटी में, अगर मान लिया जाये कि ईत्तिफाक से चार तालिब-इल्म ज्यादा आ जाये, तो क्या उस के मानी ये हैं कि उस में बेईमानी की गई, उस के मानी ये हैं कि मुसलमानों के लिये मानोपली बना दी गई है, उस के मानी ये हैं कि मुसलमानों के लिये रिजर्वेशन हो गया है? बयान का यह तरीका दुरुस्त नहीं है और न ही इस तरीके से हाउस में गलतबयानी होनी चाहिए।

एप्वायंटमेंट्स के सिलसिले में अभी यह जिक्र किया गया कि एक साहब थे जिन को लकवा लग गया था, फालेज हो गया था और उन को एप्वायंट कर लिया गया। आनरेबल मेम्बर को सराहत के साथ बता दिया गया है कि उन्होंने वह एप्वायंटमेंट नहीं किया था बल्कि यू० जी० सी० ने उस की इज़ाजत दी थी। क्या यू० जी० सी० इस कद्र नाकाबिल और बेइतवार है? मुस्लिम युनिवर्सिटी के लिये न यू० जी० सी० काबिले-एतबार रहा, न कोई और इदारा रहा, न गवर्नमेंट आफ इंडिया रही, न एजूकेशन मिनिस्टर रहे, कोई भी

[श्री मु० हि० रहमान]

न रहा, तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बेचरी क्या हुई कि उसकी बदौलत सारे के सारे बेएतबार हो गये ; पूरे मुल्क के जिम्मेदार आदमी बेएतबार हो गये । यह अजीब तरीका है । यू० जी० सी० ने उस आदमी की एप्वायंटमेंट कराई और उस ने इजाजत दी । यह बात मौजूद है आनरेबल मेम्बर के सामने । जहां तक मैं समझता हूं, इस किस्म की बातों से यह मामला हल नहीं हो सकता है ।

बेशक मैं मानता हूं कि इस में इस्लाह की जरूरत है । कुछ ऐसी चीज हैं, जिन की इस्लाह होनी चाहिए । कौन सा इदारा है, जिस में कमजोरियां और खामियां नहीं हैं ? उन की इस्लाह होनी चाहिए । लेकिन इस तरीके से भयानक इल्जाम लगाना कि वहां पर इस तरीके से रिश्तेदारों के साथ नाजायज लेन-देन किया जा रहा है, वहां पर तुलेबा के नम्बरों के मामले में गड़बड़ की जा रही है, ठीक नहीं है । तिब्बिया कालेज का भी जिक्र किया गया । मैं कहना चहाता हूं कि ये सब चीजें हमारे पास भी हैं, सिर्फ आनरेबल मेम्बर के पासप ही नहीं हैं । उन्होंने सारी की सारी तस्वीरें और नक्शे सब को बांटे हैं । लेकिन उस की एक रूदाद है और कहानी है । जिन लोगों ने आनरेबल मेम्बर को पढ़ाया है, बताया है, समझाया है, उन्होंने गलत इल्जामात लगाने के लिये बात नहीं बताई है । जहां तक दवाओं का ताल्लक है, उन की सूरत अलग है । उन की कीमत का मामला जुदा है : उस में जेब में रुपया डालने का मामला कतई नहीं है । यह बिल्कुल दुरूस्त नहीं है । मैं पूरी तहकीक के बाद यह बात कह रहा हूं । मैं एक्जीक्यूटिव कौंसिल का मेम्बर हूं । मुझे उस की तफसीलात मालूम है । अगर मझे वक्त दिया जाये, तो मैं सारी तफसीलात दे सकता हूं । दस मिनट में मैं आप को क्या बता सकता हूं ?

उसूली तौर पर मैं यह कहना चहाता हूं कि इस सिलसिले में जो बातें कही गई हैं, उन में से एक बात भी सही नहीं मानी गई । बुनियादी बातों के बारे में यह कहा गया है कि वे गलत हैं और न वहां पर गबन है, न नैशनल कैरेक्टर का फर्क है, न तुलेबा के बारे में कोई रिजर्वेशन है और न दूसरी चीजों के बारे में कोई गड़बड़ है । इस से अन्दाजा हो सकता है कि आनरेबल मेम्बर की दूसरी बातें कितनी सही हैं, कितनी गलत-बयानी की गई है और कितना यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश की गई है ।

जहां तक प्रो-वाइस चांसलर का सवाल है, मैं भी आनरेबल मेम्बर के साथ हूं । वाइस-चांसलर यूनिवर्सिटी में हैं और प्रो-वाइस-चांसलर उस की मदद करता है । रैक्टर की शक्ल नहीं होनी चाहिए । एक्सीक्यूटिव कौंसिल ने मुत्तफिका तौर पर यह तय किया है । बनारस यूनिवर्सिटी में भी प्रो-वाइस-चांसलर है, हमारे यहां भी रहे ।

आज जुम्मे का दिन है । इसलिये मैं ने पहले तकरीर करने की इजाज़त आप से चाही है । मुमकिन है कि दूसरे साहबान भी बयान करें । अगर दोनों में से किसी तरफ से भी किसी को रियाकारी का इल्जाम दिया जाये, कम्यूनलिस्ट या कम्यूनिस्ट अड्डा बताया जाये, तो वह महज पार्टीबाजी है, दलबन्दी है और बाज़ प्रोफेसरों और उस्तादों की कनवेसिंग और साजिशों का नतीजा है , जो अपना मफाद देखते हुए यूनिवर्सिटी के मफाद को नुक्सान पहुंचा रहे हैं । बहरहाल दोनों बातें गलत हैं । यूनिवर्सिटी का बेहतरीन नैशनल कैरेक्टर है और

वह आगे बढ़ रही है । हम जैसे आदमी उस में जद्दो-जहद करते हैं और उस को ज्यादा से ज्यादा सैकुलर लाइन पर ला रहे हैं। यह यकीन दिलाते हैं कि हम उस को किसी भी तरीके से न कम्यूनलिज्म का और न कम्यूनिज्म का अड्डा बनने देंगे और उस का कैरेक्टर बेहतरीन नैशनल कैरेक्टर रहेगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : समिति ने उन सारे आरोपों की जांच की है जो कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय के विरुद्ध लगाये गये थे । श्री प्रकाशवीर शास्त्री को समिति ने पूरा अवसर दिया था कि वह विश्वविद्यालय के विरुद्ध आरोपों को समिति के सम्मुख प्रस्तुत करते तथा अपने आरोपों की पुष्टि करते । तथापि वह ऐसा नहीं कर सके ।

वास्तविकता यह है कि जांच समिति ने काफी अच्छा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । इससे अलीगढ़ विश्वविद्यालय ही लाभान्वित नहीं हो सकता है अपितु अन्य विश्वविद्यालय भी लाभान्वित हो सकते हैं । निसंदेह अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कार्य में काफी त्रुटियां पायी गयी हैं तथापि वे त्रुटियां अन्य विश्वविद्यालयों में भी पायी जाती हैं ।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संबंध में कई सनसनीखेज आरोप लगाये गये थे । एक आरोप यह था कि विश्वविद्यालय द्वारा खरीदी गयी मशीनें पाकिस्तान को भेजी जा रही है। एक आरोप यह लगाया गया था कि श्री जैदी, जो कि एक राष्ट्रीय मुसलमान समझे जाते हैं तथा जो शिक्षा मंत्रालय में एक ऊंचे पद पर रहे हैं, उन्होंने काफी सम्पत्ति और धन अर्जित किया है । तथापि समिति में हुई कार्यवाही पढ़ने से यह साफ ज्ञात हो जाता है कि इन बातों में कोई अनियमितता नहीं हुई है । समिति ने यह ठीक ही कहा है कि इस प्रकार की अफवाहें फैलाने से जनता के दिमाग में दूषित प्रभाव पैदा हो जाता है । वह प्रतिवाद करने मात्र से दूर नहीं होता है ।

निसंदेह हम अलीगढ़ विश्वविद्यालय का पुराना इतिहास नहीं भूल सकते हैं । उस समय इसका संचालन मुस्लिम लीग के सिद्धान्तों के आधार पर होता था । अतः हमें इस विश्वविद्यालय के संबंध में पूर्ण सतर्कता बरतनी है । तथापि वास्तविकता यह है कि स्वतंत्रता के पश्चात् से स्थिति बदल गयी है । हमारा देश अब दो राष्ट्रों के सिद्धान्त को बिलकुल मान्यता नहीं देता है । अतः हमें चाहिये कि हम समुदाय में दायित्व की भावना तथा राष्ट्र के प्रति सच्चाई की भावना को बढ़ावा दें । इसके साथ-साथ शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता होनी चाहिये जिससे कि हम साम्प्रदायिकता तथा रूढ़िवाद से मुकाबला कर सकें । उन्होंने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि हमें चाहिये कि हम इस बात का अध्ययन करे कि भारत की जटिल संस्कृति तथा मानव संस्कृति में मुस्लिम संप्रदाय का योगदान कितना है । मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं ।

दुख की बात है अलीगढ़ विश्वविद्यालय में भी अभी तक कुछ लोग इस प्रकार के हैं जो कि सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन दे रहे हैं । उदाहरणार्थ अलीगढ़ विश्वविद्यालय एक प्रकाशन निकालता है उसका नाम है फिक्र-ओ-नजर उसके संपादक वहां के प्रो० वाइस-चांसलर डा० यूसुफ हुसैन खां हैं । उन्होंने अपने एक लेख में स्पष्ट कहा है कि विश्वविद्यालय सरकार से चाहे जो भी अनुदान ले तथापि धार्मिक और नैतिक मामलों में यह मुस्लिम राष्ट्र और मुस्लिम कौम के प्रति उत्तरदायी है । यह बात उक्त प्रकाशन के अप्रेल १९६१ अंक में प्रकाशित हुई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

इसी संबंध में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के इतिहास के अध्यापक प्रो० रशीद सिद्दीकी ने पाकिस्तान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास नामक पुस्तक लिखी है । उसमें उन्होंने यह कहा है कि पंजाब मुसलमानों का मूल स्थान है उसकी स्वतंत्रता के लिये मुसलमान संघर्ष करते रहे । इस प्रकार के सिद्धांतों का प्रचार और प्रकाशन मेरे विचार से राष्ट्र की एकता के लिये घातक है । इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी लड़के और लड़कियों को परस्पर नहीं मिलने दिया जाता है । यह अनुचित है । श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने यह भी आरोप लगाया है कि वहां कई प्रोफेसर साम्यवादी और मार्क्सवादी हैं, मैं नहीं जानती कि जन संघी और हिन्दू महासभाई अपने आप को ही देश भक्ति का ठेकेदार किस प्रकार समझते हैं ।

श्री पी० एन० सपरू ने इस प्रतिवेदन पर अपना विमति टिप्पण लगाया है । उन्होंने अपने विमति टिप्पण में कई उदाहरण देते हुए कहा है कि आन्दोलनकारी दृष्टिकोण को छोड़ कर विश्वविद्यालयों में सभी बातों की अनुमति दी जानी चाहिये । ज्ञान और विचार विकासशील हैं उनकी अध्ययन और चर्चा के संबंध में किसी प्रकार की रुकावट लगाना ठीक नहीं है ।

इस प्रतिवेदन में कई अच्छी सिफारिशें की गई हैं । चुनाव समिति के संबंध में बहुत अच्छी सिफारिश की गयी है । मुझे दुख है कि उसे स्वीकार नहीं किया गया है । मेरा सुझाव है कि प्रो० वाइस-चांसलर का पद समाप्त कर दिया जाना चाहिये । अलीगढ़ और बनारस विश्वविद्यालयों में प्रो० वाइस चान्सलरों के कारण ही काफी दिक्कतें पैदा हुई हैं । मेरा दूसरा सुझाव यह है कि चुनाव समिति और वित्तीय अनियमितताओं के बारे में जितनी भी सिफारिशें की गयी हैं वह सभी स्वीकार कर ली जायें ।

राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा) : जनाब मन, मुझे कुछ खास हक है इस मसले पर बोलने का । मैं वैसे तो बड़े ही कट्टर वैष्णव घर में पैदा हुआ, मगर मेरी सारी तालीम ए० बी० से लेकर बी० ए० तक इसी मदरसे में हुई है । इसका नाम अब मुस्लिम यूनीवरसिटी है, पहले इसका नाम एम०ए० ओ० कालिज था । मैं जैसा भी हूं, भला हूं या बुरा हूं, इसी मदरसे की तालीम का नतीजा हूं । ओल्ड बाइज का भी मैं मैम्बर हूं और कोर्ट का भी मैम्बर हूं । मुझे यह देख कर बड़ी तकलीफ हुई कि आज मेरे मेहरबान, मेरे साथ बैठने वाले श्री प्रकाशवीर जी ने इतने भाव, बल्कि मैं तो कहूंगा कि दुर्भाव, से इतनी बुराइयां हमारी इस यूनीवरसिटी की कीं । इसमें एक बड़ी बात समझने की है कि यह माननीय सदस्य पैदा हुए हैं हिन्दू और ब्राह्मण परिवार में, और यह जो हमारी यूनीवरसिटी है यह मुस्लिम यूनीवरसिटी है । मैं कहना चाहता हूं कि यहां इनका ऐसी बातें कहना मुल्क में हिन्दू और मुसलमानों को एक दूसरे से दूर करता है । यह बड़े अफसोस की बात है कि यहां पर इस तरह की बातें कही जाती हैं । हमारे पंडित जी को कम से कम ये बातें नहीं कहनी चाहिए थीं । अगर कोई मुसलमान या अलीगढ़ का कोई और आदमी ये बातें कहता और बुराइयां निकालता तो हमको कोई दुःख नहीं होता ।

अब मैं यह एक अर्ज करूं कि यह कहा जाता है कि साहब वहां पर कम्युनिज्म है या कम्युनलिज्म है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी पूछा है कि कम्युनिज्म क्या है, कम्युनलिज्म क्या है । आपने कभी पूछा है कि हिन्दू धर्म क्या है, इस्लाम क्या है ।

क्या कभी दरियाफ्त किया है इस बात को । मैं कहता हूं कि ये सब खयालात हैं । आपने इस बात को दरियाफ्त नहीं किया । कुछ हालात थे कि जिनकी वजह से ये ख्यालात उस वक्त पैदा हुए । मुझे तो अफसोस होता है इस बात पर कि एक तरफ तो हमारी सरकार, हमारे मेहरबान, मोहतरिम आनरेबिल पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि सुलह होनी चाहिए, अमन होनी चाहिए, सब मिल कर रहें, मगर इस सदन में आकर हम देखते हैं—आप मुझे ऐसा कहने के लिए माफ करेंगे—कि लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर ।

राजा महेन्द्र प्रताप : हमको लड़ना नहीं चाहिए, मिल कर रहना चाहिए । हम इस हाउस में सब एक खानदान के हैं । हमको मिल कर अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए और आपस की दूरी को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें सोचना चाहिए कि ये ख्यालात किस तरह से पैदा हुए—

उपाध्यक्ष महोदय : इस रिपोर्ट पर भी तो आपको कुछ कहना चाहिए ।

राजा महेन्द्र प्रताप : जो रिपोर्ट दी गई है उसको तो बिल्कुल उसी तरह से मान लेना चाहिये ।

उसके खिलाफ यहां पर कोई आवाज नहीं उठानी चहिए । हम ने अच्छे से अच्छे आदमियों को वहां पर मुकर्रर किया था । उन्होंने हमारे सामने रिपोर्ट पेश की । अब उस रिपोर्ट के खिलाफ कुछ कहना या अब युनिवरसिटी के खिलाफ यहां कोई चर्चा करना इसके माने यह होते हैं कि हम उन मोहतरम रफीकों को और मेम्बरान को बुरा समझते हैं । यह नहीं होना चाहिए ।

जमीन के बारे में बात उठाई गई । मैं आपको बतलाऊं कि इन्हीं ख्वाजा साहब ने इसी अलीगढ़ में ३०–३० और ३५–३५ रुपये गज पर जमीनें बेची हैं यहां पर तो उन्होंने कुछ भी नहीं लिया । यह बातें मालूम होनी चाहिएं । मेरा कहना यह है कि बेकार ऐसी बातें नहीं लानी चाहिएं और मेरा यह कहना है कि युनिवरसिटी को इसका बिलकुल अधिकार दे देना चाहिए कि वह अपना इंतजाम आप करे ।

यह भी कुछ लोगों को ऐतराज है कि मुस्लिम युनिवरसिटी क्यों कहा जाय और हिन्दू युनिवरसिटी क्यों कहा जाय । मैं कहता हूं कि साहब अगर दीन, दीन है, तो दीन रहेंगे । इसलिए इस हिन्दू और मुस्लिम युनिवरसिटी के नामों के रखने में क्या हर्ज है बल्कि मेरी समझ में तो बड़ा फायदा है । हम तो तमाम मुसलमानों को अफ्रीका के मोरक्को और सूडान के मुसलमानों को इस देश के जरिये अपना दोस्त बना सकते हैं । हमारी सरकार को उनको इस्तेमाल करना सीखना चाहिए । इसी तरह मैं अपने कम्युनिस्ट भाइयों के वास्ते कहूंगा कि यह कम्युनिज्म का आपके दिमाग में कुछ ख्याल भर गया है । आपने सोचा नहीं कि यह ख्याल कैसे आपके दिमाग में आ गया ? खैर जैसे भी हो वह ख्याल आपके दिमाग में आ गया है और आप उसके चलाये हुए चल रहे हैं । मैं तो कहूंगा कि कोई हर्ज नहीं है । हम अपने इन कम्युनिस्ट भाई बहनों के द्वारा चीनी कम्युनिस्टों की दोस्ती हासिल करें और रूसी कम्युनिस्टों की भी दोस्ती हासिल करें । हमें अपने मुल्क के

[राजा महेन्द्र प्रताप]

फायदे के लिए, इंसानियत के फायदे के लिए इन कम्युनिस्ट भाइयों को इस्तेमाल करना चाहिए और हमें मुसलमानों को भी उसी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए । हम अफ्रीका और वस्त एशिया को मुसलमानों द्वारा अपना दोस्त बनायें । मेरा कहना यह है कि जो हालात हमारे मुल्क में हों उनको हम इस्तेमाल करना सीखें। हमारे यहां बहुत कुछ चीजें मौजद हैं जिनका कि हम फायदा उठा सकते हैं ।

हमारे यहां यह जो मुख्तलिफ ख्यालात में आपस में लड़ाई होती है यह गलत बात है । मैं ने कितनी दफे कहा कि आप एक मुहकमा बनाइये और खयालात की परख करिए । जो खयाल लड़ाये हमें वह बुरा और जो खयाल हमें मिलाये वह अच्छा । इस तरीके से खयालात की परख की जाय चाहे वे मजहब में हो चाहे वे पार्टी में हो । अलबत्ता जो खयाल हमें लड़ाये वह बुरा है । मैं कहता हूं कि पार्टियां रहें, दीन रहें . . .

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य खत्म करें ।

राजा महेन्द्र प्रताप : बस मैं खत्म ही कर रहा हूं । मेरा कहना यह है कि हम अपने आदमियों को अच्छा बनायें । मैं तो अपने मुसलमान भाइयों को कहूंगा कि वे अपने मुसलमान भाइयों को अच्छा बनायें और इंसान बनायें। उसी तरीके से अपने हिन्दू भाइयों को कहूंगा कि आप हिन्दुओं को अच्छा हिन्दू बनाइये और इंसान बनाइये । अब ऐसे पूजा पाठ, रोजा नमाज और कीर्तन करने से क्या फायदा हुआ अगर हम इंसान नहीं बने और बेईमान रहे ? अगर हम इंसान नहीं बनते और नेक नहीं बनते तो फिर यह आपका पूजा पाठ करना, रोजा रखना या नमाज पढ़ना और कीर्तन करना कोई माने नहीं रखता है और यह सब ढोंग हो जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने कह लिया । बस अब तो खत्म ही कर दीजिये ।

राजा महेन्द्र प्रताप : उपाध्यक्ष महोदय. . .

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप मेहरबानी करके तशरीफ रक्खें । मैं ने दूसरे मेम्बर साहब को बुला लिया है ।

†**श्री बलराज मधोक** (नई दिल्ली) : इस सभा में यह निश्चय किया गया था कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय के मामलों के सम्बन्ध में जांच की जाये । पहिले एक परिदर्शक समिति द्वारा जांच करने का निश्चय किया गया था, अन्त में यह तय हुआ कि कार्यकारिणी समिति द्वारा नियुक्त की गयी समिति ही जांच का कार्य करेगी तथापि उसके कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा और वहां के उपकुलपति उस समिति की बैठकों में भाग नहीं लेंगे।

इस समिति में पहले चार सदस्य थे अन्त में दो सदस्य और बढ़ाये गये ये दोनों सदस्य काश्मीर के ही थे । तदन्तर अलीगढ़ के उपकुलपति ने यह निश्चय किया कि वे भी इस समिति के कार्य में हिस्सा लेंगे । इसका यह परिणाम हुआ कि कई साक्षियों ने जो अपना साक्ष्य देना चाहते थे साक्ष्य नहीं किया । जिन लोगों ने साक्ष्य देने का निश्चय किया उन्हें डराया धमकाया गया । डा० रशतोगी ने इसके बावजूद भी जब साक्ष्य देने का निश्चय किया

†मूल अंग्रेजी में

तो उन्हें नौकरी से हटा दिया गया । अतः ऐसे वातावरण में कोई भी समिति किस प्रकार कार्य कर सकती है फलस्वरूप समिति जिन नतीजों पर पहुंची है वे स्वीकार करने योग्य नहीं हैं । जहां तक विश्वविद्यालय में कई विभागों में फैली हुई वित्तीय अनियमिताओं तथा भाई भतीजावाद का सम्बन्ध है यह बातें बहुत गम्भीर हैं तथापि अलीग्रढ़ विश्वविद्यालय के विरूद्ध जो गम्भीर आरोप था वह यह है कि उसे साम्प्रदायिक और राष्ट्रविरोधी कार्यवाहियों का केन्द्र बनाया जा रहा है ।

[श्री जगन्नाथराव पीठासीन हुये]

अब मैं साम्प्रदायवाद को लेता हूं। यह कहा गया है कि बनारस विश्वविद्यालय में भी साम्प्रदायवादिता चल रही है । मेरे विचार से यह बात गलत है । अलीगढ़ विश्वविद्यालय में कई एक अधिक योग्य उम्मीदवारों को केवल इस कारण अस्वीकृत कर दिया जाता है कि वे हिन्दू हैं जब कि उन से कम योग्य मुसलमानों को नियुक्त कर दिया जाता है । यह साम्प्रदायिकता का ज्वलंत उदाहरण है । बनारस विश्वविद्यालय में आप इस प्रकार के उदाहरण नहीं दे सकते हैं ।

प्रवेश के सम्बन्ध में भी सभी सम्प्रदाय के विद्यार्थियों पर एक ही प्रकार का मापदंड लागू होना चाहिये । जब कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये जो मानदंड रखा गया है वह मुसलमानों के लिये कम और हिन्दू विद्यार्थियों के लिये अधिक है ।

दुर्भाग्य से अलीगढ़ विश्वविद्यालय उस मनोवृत्ति का केन्द्र रहा है जिससे देश का विभाजन हुआ । अलग संस्कृति तथा अलग राष्ट्रीयता के ढकोसले को उठाया जा रहा है जो राष्ट्रीय एकता के विरूद्ध है, तथा जिसे रोका जाना चाहिय ।

विश्वविद्यालय के मामलों की जांच करने के लिये एक परिदर्शक समिति नियुक्त की जाये । जब तक यह विश्वविद्यालय अपने साम्प्रदायिक और राष्ट्रविरोधी कार्यों तथा दृष्टिकोण को नहीं बदलता तब तक सभा और बाहर भी इसकी आलोचना होती रहेगी।

†**श्री जमाल ख्वाजा** (अलीगढ़) : पिछले वर्ष फरवरी या मार्च में श्री प्रकाश वीर शास्त्री ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा उठायी थी और उसमें १७ आरोप लगाये थे उनमें से एक आरोप के सम्बन्ध में मैं ने यह कहा था कि यदि यह आरोप सही होगा तो मैं लोक सभा से अपना पद त्याग कर दूंगा ।

एक वर्ष पश्चात् जांच समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत है, वह इस परिणाम पर पहुंची है उन में से प्रत्येक आरोप या तो गलत है या निराधार है ।

सभा के एक माननीय सदस्य ने समिति के दो सदस्य जो कि काश्मीरी थे उनके प्रति आरोप लगाये हैं और उनकी सच्चाई पर सन्देह किया है । इतना ही नहीं उन्होंने समिति की सच्चाई पर ही आशंका की है और कहा कि भय और आशंका का वातावरण पैदा कर दिया गया था फलस्वरूप वहां साक्षी साक्ष्य नहीं दे सके । मेरे विचार से इस प्रकार उत्तरदायी लोगों के उद्देश्यों तथा अभिप्राय को संदेह की दृष्टि से देखना गलत है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जमाल ख्वाजा]

जिन लोगों ने ये आरोप लगाये हैं । उन्हें खेद प्रगट करना चाहिये था परन्तु इसके बजाय व इन्हें बराबर दोहराते रहे हैं। यह एक विचित्र रवैया है जो लोकतंत्रात्मक संस्थाओं को चलाने में बिल्कुल सहायक नहीं होते हैं ।

यद्यपि आरम्भ में समिति के सम्बन्ध में लोगों को कुछ भ्रांतिया रही तथापि बाद में समिति को जानता तथा विश्वविद्यालय का पूरा पूरा सहयोग मिला । समिति ने गुमनाम पत्रों तथा उनके वक्तव्यों पर भी ध्यान दिया ।

जहां तक नियुक्तियों का सम्बन्ध है जब दो या उससे अधिक लोग किसी विशेष पद के लिये आवेदन करते हैं और उन में से योग्यतम आदमी को ले लिया जाता है, तो लोग यह कह कर आलोचना करने लगते हैं कि अमुक व्यक्ति अमुक दल का था । वस्तुतः ऐसे मामलों का निश्पक्षता पूर्वक देखना बहुत कठिन होता है ।

यह कहा गया है कि हिन्दू और मुसलमान विद्यार्थियों के प्रवेश के लिये वहां पृथक मापदंड है । यह बात नितान्त गलत है । वस्तुतः यदि विभेद किया जाता है तो केवल इस बात पर कि विश्वविद्यालय से संबद्ध कालेजों से निकले विद्यार्थियों को अन्य कालेजों से निकले विद्यार्थियों के मुकाबले में पूर्ववर्तिता दी जाती है ।

जहां तक सांप्रदायिकता और राष्ट्र विरोधी बातों का प्रश्न है उसे श्री प्रकाशवीर शास्त्री इत्यादि के भाषणों से प्रोत्साहन मिलेगा । मैं सभी सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि वे राष्ट्र में भावात्मक एकता के प्रोत्साहन के लिये संगठित प्रयत्न करें।

†**श्री हेम बरूआ** (गौहाटी) : हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है । साम्प्रदायिकता उसके साथ मेल नहीं खाती । इसलिये विश्वविद्यालयों के नाम के आगे हिन्दू और मुस्लिम जुड़े रहना एक विचित्र सा विरोधाभास है । इसे तुरन्त दूर किया जाना चाहिये ।

विश्वविद्यालयों को शिक्षा के प्रकाश का स्तम्भ माना जाता है । उनका वातावरण आदर्श होना चाहिये । लेकिन साम्प्रदायिकता ने उनके वातावरण को अत्यन्त दूषित बना दिया है। इसीलिये कुछ दिन पहले बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की जांच के लिये मुदालियर समिति नियुक्त की गई थी, और अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जांच के लिये यह समिति नियुक्ति की गई थी ।

इसी प्रतिवेदन से स्पष्ट हो जाता है कि विश्वविद्यालयों में कितना भ्रष्टाचार है । यदि हमारे विश्वविद्यालयों का ही पतन होता रहेगा, तो फिर इस देश का कल्याण नहीं हो सकता ।

ऐसी हालत में अच्छा तो यह रहेगा कि सभी विश्वविद्यालयों की जांच के लिये एक समिति नियुक्त कर दी जाये ।

इस प्रतिवेदन में अलीगढ़ विश्वविद्यालय की जो तसवीर हमें मिलती है वह पतन की है । उसके जितने भी आदर्श और नैतिक मूल्य थे, सभी खत्म हो चुके हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

देश की सभी सार्वजनिक संस्थाओं का एक स्तर होना चाहिये । इस तरह के गबन और अनियमिततायें उनमें नहीं होनी चाहिये ।

उत्तर प्रदेश के महा लेखा-परीक्षक ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में लिखा है कि वित्तीय प्रबन्ध के प्रत्येक पक्ष में अनिमितता है । विश्वविद्यालय के प्रबन्धकों को इन अनियमितताओं के बारे में पहले भी आगाह किया गया था परन्तु उन्होंने जांच समिति बनने तक उसे ठीक करने या छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। पता नहीं उनकी चमड़ी इतनी मोटी क्यों हो गई ।

इतने दिनों तक इन अनियमितताओं को जारी रहने देने का दायित्व शिक्षा मंत्री और मंत्रालय पर है । जांच बहुत पहले होनी चाहिये थी ।

ऐसे भ्रष्ट प्रशासन को एक क्षण भी बने रहने का अधिकार नहीं । वह देश की शिक्षा-संस्थाओं के माथे पर कलंक है ।

चिकित्सा कालेज के लिये लगभग ४४ लाख रुपये चन्दा इकट्ठा किया गया था । उसमें से ५ लाख रुपया वसूल न हो सकने वाला दिखाया गया है, और १३ लाख रुपये का कहीं कोई लेखा नहीं मिलता । इस विश्वविद्यालय ने इस प्रकार सभी नैतिक मान्यताओं का हनन कर दिया है । बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का भी चारित्रिक पतन हो गया है ।

नियुक्तियों के बारे में भी पक्षपात होता है । उसमें ऐसे लोग भरे गये हैं जो कांग्रेस सरकार के आलोचक बने फिरते हैं, जब कि उनके खुद के आचार इतने भ्रष्ट हैं। ऐसे लोगों को कांग्रेस की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं ।

नियुक्तियों में पक्षपात करना देश की पीढ़ियों का भविष्य अंधकारमय बनाना है । चुनाव के लिये न तो कोई बोर्ड है और न पदों का कोई विज्ञापन ही निकाला जाता है । प्रतिवेदन से स्पष्ट है कालेज में भी ऐसी ही अनियमिततायें हैं, जिन पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है ।

उपकुलपति ने भी अपनी आपातकालीन शक्तियों का अंधाधुंध प्रयोग किया है । उन्होंने १३५ बार उनका प्रयोग किया, जिसमें से ५२ अवसरों पर वह प्रयोग नितान्त अनावश्यक था। कार्यपालक-परिषद् ने मोहर लगाने के अलावा कुछ और नहीं किया । उसने एक ही बार में ७८,१७९ रुपये २ आने की राशि बट्टे खाते में डाल दी ।

ज्ञान की इन पीठिकाओं से हम प्रकाश,चाहते हैं, अंधकार नहीं । इस अंधकार को बढ़ने नहीं देना चाहिये ।

†**श्री अन्सार हलवानी** : मैं फिर दोहराता हूं कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय भारत माता की एक आंख है और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय दूसरी आंख । एक न रहने से वह कानी हो जायेगी और दोनों न रहने से अंधी । इसलिये देश के प्रयेक व्यक्ति को इन दोनों विश्वविद्यालयों के कामों में पूरी रूचि लेनी चाहिये । जिन माननीय सदस्यों ने इसमें रूचि ली है, मैं उनका आभारी हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अन्सार हववानी]

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने इस मामले में रुचि ली है, लेकिन विशेष प्रयोजन के साथ । उनका प्रयोजन उभर कर सामने आ जाता है, जब वह अन्त में मांग करते हैं कि विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की जांच की जानी चाहिये, वह भारत के विरूद्ध चीन की हिमायत के नक्शे बनाने मे लगा है। शास्त्री जी उन लोगों में से हैं जिनको मुसलमानों की हर बात पर सन्देह रहता है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने खान अब्दुल गफ्फार खां जैसे देश भक्त पैदा किये हैं।

यह बिलकुल निराधार बात है कि उपकुलपति ने जांच समिति की बैठकों में भाग लेकर समिति के निष्कर्षों को प्रभावित किया है। समिति ने लिखित और अज्ञातनामा लोगों द्वारा भेजे गये ज्ञापनों को भी स्वीकार किया है। उपकुलपति को तो वे देखने तक को नहीं मिले। उपकुलपति ने तो लोगों को इतनी तक स्वतंत्रता दी कि रसायन विज्ञान विभाग के सभापति ने एक बड़ी बुरी रिपोर्ट दी थी, लेकिन उनसे कुछ नहीं कहा गया। और उपकुलपति की शक्तियां इतनी व्यापक भी नहीं हैं।

शास्त्री जी ने पिछली बार आधे घंटे की चर्चा के समय एक मकान की खरीद के बारे मे बड़े-बड़े आरोप लगाये थे। इस प्रतिवेदन में उनको गलत सिद्ध कर दिया है।

मौलाना साहिब ने बताया है कि १२५० नियुक्तियों में से केवल ११ को अनियमित ठहराया गया है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय द्वारा की गई नियुक्तियों का रिकार्ड हमारे विभिन्न मंत्रालयों द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों से कहीं अच्छा है।

बिलकुल गलत है यह कहना कि दाखिलों में हिन्दू विद्यार्थियों के साथ पक्षपात किया जाता है। साम्प्रदायिक दंगों के दिनों में भी विश्वविद्यालय में हिन्दू विद्यार्थियों की संख्या पर्याप्त थी। प्रसिद्ध गणितशास्त्री, प्रोफेसर चक्रवर्ती ४०–५० साल पहले अलीगढ़ विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे। आज भी वहां ३०–३५ प्रतिशत विद्यार्थी हिन्दू हैं।

इस पर आपत्ति करना गलत है कि स्नातकोत्तर कक्षाओं में दाखिले के लिये विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को ही वरीयता क्यों दी जाती है। हर विश्वविद्यालय यही करता है।

दुर्भाग्य की बात है कि कार्यपालक-परिषद् ने सभी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया। मेरा ख्याल है कि सभी विश्वविद्यालयों में सहायक उपकुलपति का पद अनावश्यक है। यह पद उन दिनों बनाया गया था जब पंडित मदनमोहन मालवीय जैसे महान् नेता उपकुलपति थे। उनके पास इतना समय नहीं था। परन्तु आज न तो बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में और न अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ही वैसी स्थिति रह गई है। इसलिये इस पद को हटाया जाना चाहिये और वह खंड वापस लिया जाना चाहिये।

आशा है कि विश्वविद्यालय इस प्रतिवेदन की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लेगी।

श्री अ० मु० तारिक (जम्मू तथा काश्मीर) : जनाब चेयरमैन साहब, जहां तक श्री प्रकाश वीर शास्त्री के मोशन का ताल्लुक है, जिस पर आज हम बहस कर रहे हैं, वह यकीनन इस लिहाज से बेहतर है कि उन्होंने इस मुल्क की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के बारे में तहकीक का मुतालिबा किया, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि जिस अन्दाज से और जिन जजबात के तहत उन्होंने इस मोशन पर और इससे कब्ल पिछले सेशन में तकरीर की, उनसे जाहिर होता है कि उन का

इरादा यह नहीं है कि यूनिवर्सिटी के नज्मो-नस्क को बेहतर बनाया जाये और यूनिवर्सिटी की खराबियों को दूर किया जाये, बल्कि ज़ाहिर यह होता है कि एक इन्तकामी जज्बे के तहत वह यूनिवर्सिटी के मामलात को और पेचीदा बनाना चाहते हैं। मैं उन लोगों में से हूं, जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि जहां तक हमारी यूनिवर्सिटीज़ का ताल्लुक है, हमारे तालीमी मराकज़ का ताल्लुक है, हमें मज़ाहब से अलग होकर उनकी देखभाल करनी चाहिये। चूंकि मेरे लिये यह इन्तहाई ज़रूरी है और इसको मैं निहायत अहम समझता हूं कि हम इस मसले को इस अन्दाज़ से देखें कि अगर एक यूनिवर्सिटी ने माली या तालीमी मामलों में, या दाखलों के मामले में कोई नाजायाज़ हरकतें की हैं, तो यकीनन मेरा फ़र्ज़ है कि मैं मुतालिबा करूं कि इस ऐवान से, एजूकेशन मिनिस्ट्री से, तमाम ज़िम्मेदार लोगों से, जिन पर इसकी ज़िम्मेदारी है, कि ऐसी बातों की तहकीकात होनी चाहिये। इसके लिये किसी मज़हब को या किसी कौम के नुमाइंदा होने की जरूरत नहीं है। एक हिन्दुस्तानी होने की हैसियत से यह मेरा फर्ज है कि मैं तमाम तालीमी खादमीन से मुतालिबा करूं कि अगर वहां इस किस्म की बदनज़मियां हैं, तो उनको दूर किया जाये। जहां तक इस रिपोर्ट का ताल्लुक है, यूनिवर्सिटी के उन लोगों को जो इससे मुताल्लिका हैं, मान लेना चाहिये और जो गलतियां हैं, उनको उन्हें दूर करना चाहिये। अगर वाकई में वहां ऐसी चीजें हुई हैं तो उनको दूर करने की इंतिहाई ज़रूरत है। अगर वे नहीं हुई है तो इस रिपोर्ट ने जो सिफारिशात की हैं, उन पर उन्हें पूरी तरह से अमल करना चाहिये।

आजकी अपनी तकरीर में श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने दो एक बातों का जिक्र किया है, जिनका मैं जवाब देना चाहता हूं। शायद श्री प्रकाशवीर शास्त्री प्रोफेसर हबीब की ज़ात से वाकिफ़ नहीं हैं। उनको मालूम होना चाहिये कि प्रोफेसर हबीब इस मुल्क के एक माहिर तालीम हैं। वह इस मुल्क के एक बड़े मुवरिख ही नहीं हैं बल्कि एक बहुत बड़े वतनपरस्त भी हैं। उनके किरदार से हम सब वाकिफ़ हैं और उनके अमल को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। शायद शास्त्री जी को हमारी सियासत का वह ज़माना याद नहीं जब अलीगढ़ में मुस्लिम लीग और इस किस्म के दूसरे फिरकापरस्त अनासर का गलबा हुआ। प्रोफेसर हबीब वह थे जिन्होंने अपने चन्द साथियों के साथ इसका मुकाबला किया। प्रोफेसर हबीब उन तमाम जलसों के लिये जिम्मेदार थे जिनको अलीगढ़ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी अजीमउलशान शखसियतों ने खिताब किया था।

उनकी किताब का उन्होंने तजकिरा किया है। मैं समझता हूं शायद उन्होंने उनकी उस किताब को देखा नहीं है। १९५१ की सैकिंड एडीशन यह है। जहां तक मुझे याद है प्रोफेसर हबीब १९४७ और १९४८ के दरम्यान चीन गये थे और उन्होंने वहां चन्द लैक्चर किये। इस लिहाज़ से भी उनपर उन्होंने रकीक हमला करने की कोशिश की है कि उन्होंने माओ-त्से-तुंग का नाम क्यों लिखा। इसमें कोई कोई शक नहीं है कि इस वक्त चीन और हिन्दुस्तान के ताल्लुकात इतने बेहतर नहीं हैं जितने आज से किब्ल थे। लेकिन एक सियासी तालिब-इल्म की हैसियत से मैं इस बात से इन्कार नहीं कर सकता और न ही श्री शास्त्री कर सकते हैं कि माओ-त्से-तुंग की जहां तक जद्दोजहद का ताल्लुक है, जहां तक उनकी तरफ से की गई चीन की रहनुमाई का ताल्लुक है या गैर-मुल्की ताकत से चीन को आजादी दिलाने का ताल्लुक है, उन्होंने एक शानदार पार्ट अदा किया है। अगर एक मुवरिख ने और एक ज़हीन आदमी ने उनका नाम ले लिया तो आज वह कैसे कम्युनिस्ट हो गये। उस जमाने में जब मुस्लिम लीग का दौर दौरा था प्रोफेसर हबीब कांग्रेसी थे और कांग्रेसी होने की वजह से कई बार उन पर हमले हुये। लेकिन आज उसी प्रोफेसर हबीब को आप एक ग़लत सियायत को कामयाब बनाने के लिये कम्युनिस्ट के नाम से बदनाम करते हैं तो यह दुरुस्त नहीं है।

[श्री अ० मु० तारिक]

जहां तक दूसरी बातों का ताल्लुक है जिनका श्रीमती रेणुचक्रवर्ती या हेम बरूआ साहब ने जिक्र किया है उनकी तहकीकात होनी चाहिये। अगर ७०,००० या ७५,००० रुपया किसी के नाम से व-यके कलम काट दिया गया है, तो इसकी तहकीकात होनी चाहिये और आयंदा के लिये उनको वार्निंग दी जानी चाहिये।

एक और तजकिरा किया गया है। इसके बारे में यूनिवर्सिटी की एग्जेक्टिव के मैम्बरों को सोचना चहिये कि जो कहा गया है कि ए० एन० ख्वाजा की जमीन चाहे कम कीमत या मुनासिब कीमत पर या ज्यादा कीमत पर खरीदी गई है, लेकिन जब यह मसला हल हो रहा था तो उनका उस कमेटी में मौजूद होना जरूरी नहीं था। इस बारे में यकीनन आइंदा के लिये यूनिवर्सिटी के खादमीन को, यूनिवर्सिटी के मामलात में दखल रखने वाले लोगों को ख्याल रखना चाहिये।

यहां यह भी कहा गया है कि वहां पर कम्युनिस्टों का असर है, वहां पर जमायत इस्लामी का असर है। मैं इन तमाम बातों में पड़ना नहीं चाहता हूं। मैं यूनिवर्सिटी के उन हजरात से जिनके हाथ मे वहां का नज्म नस्क है यह जानना चाहता हूं कि पिछले चन्द महीनों मे क्या कुछ लोगों को यूनिवर्सिटी की मुलाजिमत से बेदखल किया गया है और यह कह कर किया गया है कि वह कम्यूनिस्ट हैं? मैं इस बात को ब-हैसियत एक शहरी पसन्द नहीं करता हूं कि इस तरह की वजूहात बयान कर किसी को बेदखल किया जाये। ऐसी चीजों को इस्तेमाल करना मुल्क मे खास किस्म के जज़बात फैलाने के लिये दुरुस्त नहीं है। मैं जानता कि मेरे अजीज़ दोस्त श्री अनसार हरवानी की हमशीरा को इस वास्ते बरखास्त किया गया है कि वह कम्युनिस्ट हैं लेकिन १९४७ मे उन्हीं हजरात ने लखनऊ के मुस्लिम कालेज से इस लड़की को इस लिये निकाल दिया था कि उसका भाई कांग्रेसी है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, यहां हिन्दू मुसलमान का सवाल नहीं है, कि क्या इस तरह की बातें मुल्क के लिये एक खतरा पेश नहीं करती हैं। क्या यह सही है कि आज आप अ० मु० तारिक को इसलिये कत्ल करें कि वह कांग्रेसी है और जब आप इस लिहाज़ से कत्ल न कर सकें तो कहें कि वह कम्युनिस्ट है। मैं हुकूमत से मुतालिबा करता हूं कि इन तमाम बातों की पूरी तहकीक होनी चाहिये।

साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसी बुनियादी बातें हैं, कुछ गड़बड़ियां हैं, अन्दरूनी साजिशें हैं या बाहर के लोग यूनिवर्सिटी के अन्दरूनी मामलात में अपने सियासी मकासिद हासिल करना चाहते हैं तो मैं वजीर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि उसकी तरफ खास तवज्जह दी जाये।

इस वक्त मुल्क में एक खास किस्म की तालीम की जरूरत है जिससे लोगों का जहन साफ हो और बिला लिहाज मजहब और मिल्लत के वे मुल्क की खिदमत कर सकें। मैं प्रकाशवीर शास्त्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि उनको इस रिपोर्ट से इत्मीनान हो जाना चाहिये था और इत्मीनान हो जाना चाहिये था इस बात से भी कि यूनिवर्सटी 'दाखिले के मामले में नाजायज़ हरकतें नहीं करती है और उनको ब-हैसियत एक अच्छे शहरी के इसको मान लेना चाहिये था। सारी यूनिवर्सिटी को, उसकी कुर्बानियों को, उसके माजी को, उसके हाल को, उसके मुस्तकबिल को तारीख बनाना न दानिशमन्दी है और न ही दयानतदारी। मैं ब-हैसियत एक मुसलमान श्री हरवानी की इस बात की ताईद करता हूं कि अलीगढ़

यूनिवर्स्टी में जहां आप यह देखते हैं कि एक जमाने में वहां ऐसे लोगों का गलबा हुआ। जो हिन्दुस्तान की तहरीके-आजादी से इत्तिफाक नहीं रखते थे, वहां आपको यह भी देखना चाहिये कि उसका कयाम किन हालात में इस मुल्क में हुआ और इसको बनाने के पीछे किनका हाथ था। इसके बावजूद भी उस यूनिवर्स्टी ने मुल्क की, नैशनलिज्म की और इस मुल्क की जद्दोजहद की जो खिदमत की है, उसको एक नहीं लाखों प्रकाशवीर शास्त्री भी इस मुल्क की तारीख से हटा नहीं सकते हैं।

मैं बलराज मधोक साहब की एक बात का भी जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जब मुहम्मद गौरी का किस्सा आता है या मुहम्मद कासिम का किस्सा आता है तो हमारे जजबात उभर जाते हैं। मैं इन बातों में यकीन नहीं रखता हूं। उनको सोचना चाहिये कि आज जब आप ताजमहल की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि मुगल पीरियड की यह यादगार है, जब औरंगजेब का आप जिक्र करते हैं तो कहते हैं वह मुसलमान बादशाह था लेकिन जब आप अंग्रेज का जिक्र करते हैं, उसके जुल्म और सितम की बात करते हैं। तो आप कभी नहीं कहते हैं यह ईसाई राज था, आप इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट कहते हैं। इसके लिए न मुसलमान जिम्मेदार है और न ही हिन्दू जिम्मेदार है बल्कि यह एक साजिश के तहत किया गया है और उस साजिश के लिए अंग्रेज जिम्मेदार है। जब आप ताजमहल की बात कहें तो उसे मुगल पीरियड की यादगार कहें, जब औरंगजेब की बात हो तो उसे इस्लाम का नुमाइंदा कहें और जब अंग्रेज का नाम आए तो आपमें यह जुर्रत नहीं होती है कि आप कहें कि इस मुल्क में २०० साल तक ईसाइयों की हुकूमत रही। इन चीजों को जब आप खुद इस रंग में पेश करें और फिर छोटे-छोटे बच्चों के जहन में इस बात को डालें, तो इसका असर उन पर बुरा ही पड़ सकता है। उनसे आगे चल कर आप किस चीज की तवक्को कर सकते हैं।

बहरहाल इन चीजों का अलीगढ़ यूनिवर्स्टी से कोई ताल्लुक नहीं था। मैं समझता हूं कि यह जरूरी है कि हुकूमत इन वाकात के बारे में और इन सिफारिशात के बारे में कुछ कदम उठाये। मैं हरवानी साहब की ताईद करता हूं कि यूनिवर्स्टी को इन बातों को मानना चाहिये।

मैं यूनिवर्स्टी के खादिमान से एक छोटी सी और दरख्वास्त करना चाहता हूं। उनको भी बुसत कलबी का मुजाहिरा करना चाहिये। पिछली दफा एग्जेक्टिव का जब इलैक्शन हुआ था उस वक्त उसमें कुछ गलतफहमियां पैदा हो गई थीं। मैं दरख्वास्त करूंगा कि आइंदा के लिए ऐसी गलतफहमियों का मौका न दिया जाए और बुसत कलबी का वे सबूत दें।

†**श्री द० अ० कट्टी** (चिकोडी): मैं इस जांच समिति की एक ही सिफारिश के बारे में बोलूंगा। समिति ने सिफारिश की है कि सहायक उपकुलपति का पद हटा दिया जाये। इसका कारण, समिति ने यह बताया है कि विश्वविद्यालय का सारा नियंत्रण उपकुलपति के हाथ में ही केन्द्रित रहना चाहिये। समिति ने और भी कई कारण गिनाये हैं, पर मुझे उनमें अधिक सार नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह भी बताया है कि उपकुलपति ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। यदि ऐसा है, तो फिर उपकुलपति के हाथ में सारा नियंत्रण केन्द्रित नहीं रहने देना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री द० अ० कट्टी]

मैं समिति के इस तर्क को भी ठीक नहीं मानता कि उपकुलपति और सहायक उपकुलपति के बीच मतभेद और झगड़े पैदा हो सकते हैं। इसका मतलब यह तो नहीं कि उनकी नियुक्ति ही न की जाये। और, चूंकि उपकुलपति ही सहायक उपकुलपति की नियुक्ति करता है, इसलिये दोनों में झगड़ा खड़ा होने की संभावना कम है।

संविधि में व्यवस्था कि सहायक उपकुलपति वही काम करेगा जो उपकुलपति द्वारा उसे सौंपे जायेंगे। इसलिये मतभेद की गुंजाइश बहुत कम है। और मतभेद होना कोई बेरी बात तो नहीं, वह तो स्वस्थ वातावरण का परिचायक होता है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में भी यह पद मौजूद है। कई अन्य देशों में भी है। समझ में नहीं आता कि उसे हटाया क्यों जाये ?

समिति ने इसके बारे में श्री सी० डी० देशमुख की राय मांगी थी। श्री देशमुख ने यही कहा था कि इसे रखना चाहिये, इसकी आवश्यकता है। रैक्टर तो एक सम्मानीय क्लर्क होता है। वह सहायक उपकुलपति का कर्त्तव्य नहीं निभा सकता।

समिति ने रैक्टर का वेतन डेढ़ हजार रखने की बात कही है। लेकिन किस लिये? उसका काम तो विभिन्न विभागों के प्रधान भी कर सकते हैं। इसलिये सहायक उपकुलपति का पद हटाना नहीं चाहिये।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम बदल दिये जाने चाहिये। पढ़ाई तो दोनों में एक ही प्रकार के पाठ्यक्रमों की होती है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस प्रश्न पर चर्चा करते समय हमें राष्ट्रीय एकता को ही सर्वोपरी रखना चाहिये। हमें नहीं भूलना चाहिये कि आज वर्तमान परिस्थिति में हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि हमारा देश एक रहे, लोगों में सहिष्णुता और एक दूसरे के धर्म तथा संस्कृति के प्रति आदर-भाव हो।

मैं इस पृष्ठभूमि पर इसलिये जोर दे रहा हूं कि कुछ माननीय सदस्यों के भाषणों से यह नहीं लगता कि उनका दृष्टिकोण राष्ट्रीय है, संकीर्ण साम्प्रदायिकतावादी नहीं है।

इस समिति ने अपने प्रतिवेदन के पृष्ठ १४० पर सरकार से सिफारिश की है कि सरकार को इस बात की पूरी-पूरी जांच करानी चाहिये कि विभिन्न प्रादेशिक विश्वविद्यालयों में मुस्लिमों के साथ विभेदपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है या नहीं, क्योंकि कई मुस्लिम गवाहों ने समिति के समान ऐसी आशंकायें व्यक्त की हैं, और ऐसी अस्पष्ट आशंकाओं और भय से राष्ट्रीयता के हित को बड़ी ठेस पहुंच सकती है।

इसी सिफारिश के कारण हमने इसकी पूरी-पूरी जांच करा ली है। अब हमारे पास सभी विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिक तथा तकनीकी संस्थाओं के आंकड़े मौजूद हैं। उनसे बिलकुल सिद्ध हो जाता है कि मुस्लिम विद्यार्थियों के साथ कहीं कोई भी विभेद नहीं किया जाता। यदि किसी माननीय सदस्य के पास ऐसा कोई प्रमाण हो, तो हम उस विश्वविद्यालय का अनुदान बन्द करने के लिये तैयार हैं।

---

† मूल अंग्रेजी में

हमने अपने महान् प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपने देश में एक बड़ा ही ठोस, निरपेक्ष लोकतंत्र बनाया है। इसलिये उच्च शिक्षा में अल्प-संख्यक समुदाय के साथ किसी भी प्रकार के भेद-भाव का कोई सवाल नहीं उठता। मुझे इस पर गर्व है।

मेरे पास यह सिद्ध करने के लिये आंकड़े मौजूद हैं कि हिन्दू और मुस्लिम छात्रों का दाखिला सभी विश्वविद्यालयों में योग्यता के आधार पर ही किया जाता है।

आप विश्वविद्यालयों को दिये गये अनुदानों का तुलनात्मक अध्ययन करके देखें। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को १९४७–४८ में ५.६१ लाख रुपये का अनुदान दिया गया था, जो १९६०–६१ में ५७.९३ लाख रुपये कर दिया गया है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को दिया जाने वाला अनुदान इसी काल में १०.९४ लाख से बढ़ाकर ९२.८३ लाख कर दिया गया है। मैं यह आंकड़े इसलिये बता रहा हूं कि ऐसे सवाल उठाये जाते हैं। आप देखिये अलीगढ़ विश्वविद्यालय को दि जाने वाले अनुदान में ११$^{1}/_{2}$ और बनारस विश्वविद्यालय को दिये जाने वाले अनुदान में ८ गुनी वृद्धि हुई है। इसलिये भेदभाव का आरोप हम पर नहीं लगाया जा सकता। और हमें इस पर गर्व है। कोई हमें बताये कि और कहां किसी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित विश्वविद्यालय के साथ इतनी उदारता दिखाई जाती है।

मुस्लिम कंवैन्शन जब हुआ तो इस समिति के समक्ष बड़े भयंकर आरोप लगाये गये थे। और मुझे यह खेद है कि यह बातें उन लोगों ने कीं जिन्होंने कि भारत के स्वतन्त्रता संघर्ष में भारी भाग लिया। मैं आशा करता हूं कि ये सदस्य पूरी-पूरी जांच करके इन लोगों के सन्देहों को दूर करेंगे। और मैं यह आज इस सदन में कह रहा हूं कि यदि वे एक भी भेद-भाव का उदाहरण प्रस्तुत कर दें जहां कि किसी मुस्लिम के विरुद्ध कुछ किया गया हो, तो सरकार तुरन्त उस संस्था को दी जाने वाली अपनी सहायता बन्द कर देगी। मैं भारत सरकार की ओर से ही नहीं प्रत्युत राज्य सरकारों की ओर से भी यह बात कहता हूं कि जिस भी संस्था में मुसलमानों के साथ भेदभाव का व्यवहार किया जायेगा, उसकी सरकारी सहायता बन्द कर दी जायेगी। जहां तक अलीगढ़ विश्वविद्यालय का प्रश्न है उसका इतिहास दूसरा ही रहा है। मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी वहां स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व होता रहा है, उसे हम भूल जायें। हमें अब आगे की ओर देखना चाहिए। अब हमें इसे बड़ी मजबूत राष्ट्रीय संस्था बना कर एशिया भर का सबसे बड़ा इस्लामी संस्कृति के अध्ययन का केन्द्र बनाना चाहिए। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि इस मामले में यह विश्वभर का बड़ा केन्द्र होना चाहिए। सारे संसार के लोग यहां आयें और देखें कि इस देश में अल्पसंख्यक लोगों को अपनी संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन का पूरा अवसर दिया जाता है, और उन्हें इस दिशा में पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त है।

विश्वविद्यालय में प्रवेश के प्रश्न पर काफी आवेश है। यह तो स्पष्ट ही है कि यहां मुस्लिम विद्यार्थी अधिक होंगे ही, और आरम्भ में मुस्लिम विद्यार्थियों को कुछ प्राथमिकता भी दी होगी। परन्तु डा० जाकिर हुसैन के उपकुलपति बनते ही विश्वविद्यालय का स्वरूप बराबर बदल रहा है। डा० जाकिर हुसैन भारतीय स्वतन्त्र संग्राम के एक बहुत बड़े सैनिक है। शनैः शनैः वह एक शुद्ध राष्ट्रीय संस्था का रूप धारण कर रहा है।

मुझ से पूछा गया है कि मैं ने प्रेक्षक समिति की स्थापना क्यों नहीं की, और बनारस विश्वविद्यालय को अपनी इस प्रकार की समिति की स्थापना की अनुमति

[श्री द० अ० कट्टी]

क्यों दीं ? मैं सारे मामले की पृष्ठभूमि आपको बताना चाहता हूं । सरकार के पास लेखा परीक्षा इत्यादि विभिन्न प्रकार की रिपोर्टें थीं । तीन वर्ष हुए मैं ने उपकुलपति को बुला कर कहा था कि उन्हें सब कुछ ठीक ठाक करना चाहिए । मैं ने उन्हें इस उद्देश्य के लिए एक बार नहीं, तीन बार बुलाया । इस उद्देश्य के लिए प्रो० वाइस चांसलर को भी बुलाया और मंत्रालय ने उन्हें कई पत्र लिखे । यह सारा कांड पूरे १० वर्ष तक चलता रहा । उपकुलपति ने हमारी बातों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया । जैसा कि समिति ने कहा है कि जनता के धन का खूब दुरुपयोग किया गया । सालों साल महालेखा परीक्षक की रिपोर्टें आती रहीं । हमने फिर एक बार दो बार, तीन बार प्रार्थना की परन्तु उपकुलपति साहब ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया । अन्ततोगत्वा मेरे लिए कोई मार्ग नहीं था कि मैं विश्वविद्यालय की जांच करवा लूं । और आज जो प्रतिवेदन हमारे समक्ष है, उससे यह सिद्ध हो जाता है कि जो कुछ हम कहते थे वह ठीक था ।

मेरा कहना है कि अनेक कठिनाइयों के होते हुये भी जांच समिति ने बड़ा प्रशंसनीय काम किया है । जहां तक भी हो सका है समिति ने तथ्यों को समुचित रूप से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है । और निस्सन्देह इससे विश्वविद्यालय को काफी लाभ पहुंचा है । इस दिशा में कि वास्तव में विश्वविद्यालय ने ही जांच समिति नियुक्त की थी और यह बहुत ही अच्छा होता कि वह समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लेती । कुछ कठिनाइयां थीं और इसे मैं दुर्भाग्य की बात समझता हूं कि ऐसा नहीं हो सका । अब सरकार को तो विश्वविद्यालय के हित के लिए कार्यवाही करनी ही होगी ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने आधे घंटे की चर्चा के लिए कहा, यद्यपि मैं इस चर्चा के पक्ष में नहीं था परन्तु फिर सदन के आदेश अनुसार आपके समक्ष प्रस्तुत हूं । परन्तु मैं इस दिशा में यह कहना चाहता हूं कि श्री वाजपेयी के वक्तव्यों से विश्वविद्यालय को बहुत ही हानि पहुंची है । श्री वाजपेयी ने इस मामले में उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य नहीं किया है । जब जांच समिति ने उन्हें साक्षी के लिए बुलाया तो वह उपस्थित ही नहीं हुये । यह भी मैं स्वीकार करता हूं कि उपकुलपति को किसी प्रकार के वक्तव्य नहीं देने चाहिएं। परन्तु समिति ने जिस परिश्रम से कार्य किया है उसके प्रति मैं अवश्य आभार प्रदर्शन करता हूं । मैं फिर यह बात कहता हूं कि विश्वविद्यालय को जांच समिति की सभी सिफारिशें स्वीकार कर लेनी चाहिए थीं परन्तु उसने ऐसा नहीं किया । हम समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार करते हैं। जहां तक इन्हें कार्यान्वित करने का प्रश्न है सरकार इसके लिए सभी व्यवहारिक साधनों का प्रयोग करेगी और इस समिति को परिदर्शक समिति मानेगी । एक बात इसमें यह भी है कि यह समिति विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा नियुक्त की गयी थी अतः संविधि ३(१) के अन्तर्गत उपकुलपति को अधिकार था कि वह समिति की बैठकों में उपस्थित हो कर और उसमें भाषण दे । परन्तु यह बहुत ही अच्छा होता यदि वह समिति की बैठकों में भाग न लेते ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने कहा है कि समिति के सामने प्रस्तुत होने वाले लोगों को डराया धमकाया गया है और वह कुछ पत्र मुझे देने वाले हैं । निस्सन्देह, यदि समिति के आगे पेश होने वाले गवाहों को डराने धमकाने का कोई मामला सरकार के सामने लाया जायेगा, तो सरकार उसकी छानबीन करायेगी । परन्तु सरकार अपने इस सिद्धान्त

से नहीं हट सकती कि विश्वविद्यालयों को आन्तरिक मामलों में स्वतन्त्रता दी जाय । हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का निर्माण ही इसीलिए किया था कि विश्वविद्यालयों को राजनीति की दलदल से परे रखा जा सके । साथ ही सरकार अपने लोगों से यह भी आशा करती है कि वे अपने संविधान के प्रति वफादार रहेंगे । इस पर तो किसी प्रकार का समझौता करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता । विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता को यह अनुमति नहीं दी जा सकती कि वह देश की स्वतंत्रता के मार्ग में बाधायें पैदा करती रहे । यह खतरा हम महसूस करते हैं परन्तु सरकार सचेत है और वह इस प्रकार के खतरे का मुकाबला करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है । संविधान के प्रति निष्ठा का जहां तक सम्बन्ध है इसको ठेस पहुंचाने के लिए यदि कोई भी व्यक्ति प्रयत्न करेगा, तो सरकार उसके विरुद्ध बड़ी कठिन कार्यवाही करेगी ।

एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि सभा एक मत से यह निश्चय करे कि बनारस तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालयों के नाम से हिन्दू और मुस्लिम शब्द हटा दिये जायें, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं । यह सुझाव स्वीकार किया जा सकता है । यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रतिवेदन में विश्वविद्यालय के प्रशासन की कोई प्रशंसा नहीं की गयी है । मैं इस बात पर जोर दूंगा कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों को शीघ्र ही विश्वविद्यालय की अवस्था सुधार लेनी चाहिए । सरकार सदैव के लिए इस दिशा में उदासीन नहीं रह सकती ।

†**श्री खुशवक्त राय** (खेरी) : क्या माननीय मंत्री समिति के समक्ष प्रस्तुत होने वाले गवाहों के नाम बता सकते हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मेरे पास गवाहों की सूची नहीं है । यह जांच अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने करी थी परन्तु प्रमुख लोगों का कहना है कि भेदभाव का व्यवहार किया गया है । मुझे इस बात का हर्ष है कि इस समय भारत भर में किसी भी विश्व-विद्यालय में भेदभाव नहीं है । मेरे पास इस दिशा में पूरी जानकारी है और मैं उसे सभा पटल पर रखने को तैयार हूं । जहां जहां भी प्रविधिक संस्थाओं में अथवा विश्वविद्यालयों में मुस्लिम विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कहीं भी भेदभाव के व्यवहार का उदाहरण नहीं मिल सकता । इस दिशा में यदि किसी के मन में गलत सन्देह है तो उसे वे दूर कर लेने चाहिए । हमने अपने प्रधान मंत्री के महान नेतृत्व में कुछ स्वस्थ परम्पराओं का निर्माण किया है । और हमें इस बात का गौरव है कि हमने इस विश्वविद्यालय की जहां तक भी सम्भव हो सका है, सहायता की है । आज आपको देश भर में किसी भी विश्व-विद्यालय में साम्प्रदायिकता की बू नहीं मिलेगी । मेरा विचार है कि अब इन बातों में हमें नहीं जाना चाहिए । पुरानी बातें भूल कर भविष्य में विश्वविद्यालय का निर्माण अच्छी परम्परा के आधार पर करना चाहिए । मुझे श्री बलराज मधोक का संशोधन स्वीकार नहीं, मेरा उनसे अनुरोध है कि वह उसे वापिस ले लें ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं इन सारी चर्चाओं को सुनने के बाद फिर अपने शब्दों को बलवती भाषा में और संतुलित शब्दों में दुहराना चाहता हूं कि इन चर्चाओं के पश्चात मेरा यह निर्णय और भी पुष्ट हो गया है कि इस विश्वविद्यालय की स्थिति को सुरक्षित

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

रखने के लिए राष्ट्रपति जी की ओर से जांच कमेटी अवश्य बिठायी जाए और तब विश्वविद्यालय की सही स्थिति का पता लगाया जाए ।

कुछ सदस्यों ने तो इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में चर्चा की कि वाइस चांसलर गवाही के समय उपस्थित थे लेकिन जिस समय निर्णय लिए गए थे उस समय वाइस चांसलर उपस्थित नहीं थे । यह कितनी हास्यास्पद सी बात है । उन गवाहियों के आधार पर ही तो कमेटी को निर्णय लेना था । गवाहियों से अतिरिक्त आधार पर तो कमेटी निर्णय नहीं ले सकती थी । जब उन सारी बातों के समय वाइस चांसलर उपस्थित थे तो निर्णय के समय पीछे हट भी गए तो कमेटी किसी और आधार पर कैसे निर्णय ले सकती थी ।

दूसरी जो सब से बड़ी बात मैं ने कही और मैं चाहता था कि शिक्षा मंत्री जी शायद अपने वक्तव्य में उसका स्पष्टीकरण करेंगे, वह यह थी कि जब आपने इस हाउस में और राज्य सभा में ये शब्द कहे कि यह चार आदमियों की जो कमेटी एपाइंट हुई थी यह विजीटर कमेटी के समान थी, तो मैं जानना चाहता था और उनकी ओर से यह उत्तर भी आना चाहिए था कि फिर क्या कारण था कि उस कमेटी में दो और व्यक्तियों की वृद्धि रहस्यमय ढंग से क्यों की गयी, किस प्रकार का रोल उन दो व्यक्तियों का रहा वह तो रिपोर्ट को देखने से ही पता चल सकता है, मुझे उसे अपने शब्दों में कहने की आवश्यकता नहीं ।

एक साहब ने कहा कि जितने भी आरोप लगाए गए थे वे सारे के सारे निराधार साबित हुए । कमेटी स्वयं अपनी रिपोर्ट में कहती है कि बहुत बातों के लिए जो सामग्री कमेटी प्राप्त करना चाहती थी वह नहीं दी गयी । एडमिशन के सम्बन्ध में रिकार्ड नहीं दिए गए, एग्जामिनेशन्स के सम्बन्ध में रिकार्ड नहीं दिए गए । मैडिकल कालिज के संबंध में उन्होंने कहा कि उसमें १,२९,४७५ रुपए की रकम की बात थी, उसके रिकार्ड पेश नहीं किए गए ।

डा० का० ला० श्रीमाली : रिकार्ड हैं ही नहीं तो कहां से देंगे ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी ने यह कहा कि जब रिकार्ड हैं ही नहीं तो वह कहां से लाएं । कमेटी ने लिखा है कि विश्वविद्यालय के रिकार्ड रूम में सन् १८७७ और १८७८ तक के रिकार्ड तो मौजूद हैं पर ये रिकार्ड वहां नहीं हैं । इसका सीधा सादा मतलब क्या है यह मैं स्पष्ट भाषा में पूछना चाहता हूं । यह कहना सही नहीं है कि इसमें पैसे की कोई बात नहीं थी । विश्वविद्यालय का ७८ हजार रुपया बट्टे खाते डाल दिया जाता है वह व्यक्ति हिन्दुस्तान में कानपुर में बैठ कर पेंशन ले रहा है, और लिख दिया जाता है कि वह पाकिस्तान चला गया ।

जांच समिति ने लिखा है कि उसकी नियुक्ति से पूर्व १३ लाख रुपए के सम्बन्ध में पता नहीं था । और इसी कारण यह रिपोर्ट पूर्ण नहीं है कि उसको सारी सामग्री नहीं दी गयी ।

मैं फिर अपने वक्तव्य को संक्षिप्त सी भाषा में दुहराता हूं कि जहां तक उन चार व्यक्तियों का सम्बन्ध है जिनको समिति में नियुक्त किया गया था उनकी नीयत पर किसी को सन्देह नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको पूरी सामग्री न मिलने के कारण वह सचाई से निर्णय कैसे ले सकते थे ।

एक दो बातें और कह कर मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहता हूं ।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है बहुत से महानुभावों ने मेरी बात को प्रभावहीन करने के लिए कहा कि इस विश्वविद्यालय ने खान अब्दुल गफ्फार खां से व्यक्ति पैदा किये । मैं ने तो विश्व-विद्यालय के सन् १९४७ के पहले के किसी एक शब्द को छुआ तक नहीं । अब अगर मैं यह कहता कि इस विश्वविद्यालय ने शेख अब्दुल्ला और लियाकतअली पैदा किये तो अल त्ता उस के जबाव में आप यह कह सकते थे । जब सन् १९४७ के पहले के किसी रेकार्ड को छआ तक नहीं गया तब उन बातों की दुहाई देने की क्या आवश्यकता थी । लेकिन जहां तक विश्व विद्यालय की पुरानी स्थिति का सम्बन्ध है मैंने क हा कि डा०जाकिर हुसैन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस विश्वविद्यालय की स्थिति को सम्हालने का प्रयास किया, इसको राष्ट्रीय स्वरूप देना चाहा और इस में मिली जुली संस्कृति का विकास करना चाहा लेकिन उस के पश्चात् विश्वविद्यालय का स्वरूप बिगड़ गया । आक्षेप तो मेरा वहां पर है । चर्चा में एक साहब खड़े हुए लेकिन बजाय इसके कि वह मेरे ठोस आक्षेपों का जबाब देते, पानी पी ी कर गालियां ही देते रहे । बजाय इस के कि वह कोई तथ्य पेश करते और मैं उसका जबाब देता वह मुझे कोसते ही रहे । उन्होंने यह कहा कि मैंने श्री प्रकाशवीर शास्त्री को एक पत्र लिखा था लेकिन शास्त्री जी ने उसका कोई जब ब नहीं दिया । मैं ऐसे महत्वहीन पत्रों का जबाब देना अपने समय की बर ादी समझता हूं । पत्र अगर जवाब देने लायक होता तो मैं उसका जवाब देता । आप से यह पूछा गया था कि प्रेस के पीछे जितनी जमीन है और जिसको कि तीन रुपये गज के हिसाब से लिया गया है उसी जमीन से लगती जमीन ३५ न पैसे, १७ नये पैसे, और ५ नये पैसे गज बिक रही है । वह एग्रीकलचरल लैंड है और इस से ज्यादा उसकी कीमत क्या होगी । विश्वविद्यालय में लगने वाला पैसा राष्ट्र के गाढ़े पसीने की कमाई है और एक एक कौड़ी को हमें सावधानी से खर्च करना चाहिए ।

श्री राजेन्द्र सिंह (छपरा) : श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने ख्वाजा साहब के पत्र का उत्तर क्यों नहीं दिया ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : यह मेरा व्यक्तिगत मामला है । उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर मुझे एक पत्र लिखा लेकिन मैं ने उस पत्र को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा कि उसका उत्तर दिया जाय । मैं किसी को इतना आवश्यक नहीं समझता कि उसका पत्र चाहे वह महत्वपूर्ण न भी हो तो भी उसका उत्तर दिया ही जाय ।

यह मेरा व्यक्तिगत मामला है और इसका उत्तर आप मुझ से नहीं पूछ सकते । मैं चाहता हूं कि अभी तक उस भूल को नहीं सुधारा गया है तो अब इस भूल को सुधारा जाय क्योंकि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापिस आ जाय तो उसको भूला नहीं समझा जाता है । जांच समितियों को आवश्यक सामग्रियां नहीं मिल सकीं और इन्हीं कारणों से वह पूरी अपनी सम्मति नहीं दे सकीं ।

श्री राजेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे यह अर्ज करना है कि श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने जब यहां पर यह अभियोग लगाये थे और उन अभियोगों को साबित करने के लिए श्री जमाल ख्वाजा ने उनको चिट्ठी लिखी और उसकी जानकारी मुझ को भी है और मैं ने भी उन से विनय की थी कि वे ख्वाजा साहब को उनकी चिट्ठी का जवाब भेज दें । अब शास्त्री जी यह कह रहे हैं कि ख्वाजा साहब का पत्र इतना महत्वपूर्ण नहीं था कि उसका उनको जवाब दिया जाता तो क्या शास्त्री जी ही अकेले यहां पर बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ? यहां पर सारे माननीय सदस्य महत्वपूर्ण हैं और उनमें हमें कोई फर्क नहीं करना चाहिए ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : आपको मालूम होना चाहिए कि मैं ने व्यक्ति को महत्वपूर्ण होने न होने को नहीं कहा बल्कि मैंने तो कहा था कि मैंने उनके द्वारा लिखे हुए उस पत्र को इतना महत्व-पूर्ण नहीं समझा कि उसका जवाब मैं देता ।

अध्यक्ष महोदय : दोनों पक्षों को सुनने के बाद, मैं केवल इतना कह सकता हूं कि यह प्रतिवेदन माननीय मंत्री को स्वयं चर्चा के लिये सदन में प्रस्तुत करना चाहिए था । क्योंकि इस पर बहुत मतभेद है ।

डा० का० ला० श्रीमाली : मेरा इरादा तो यही था किन्तु मैं इस पर पूरी तरह विचार करने के बाद ही इसे सदन के सामने लाना चाहता था । इस के अलावा कार्य पालिका समिति ने इस के सम्बन्ध में कुछ निर्णय करने थे । जब तक सरकार इन पर विचार न कर लेती मैं प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत करना चाहता था । मुझे अपने उत्तरदायिव का पूरा ज्ञान है ।

समिति ने स्वयं कहा है कि इस विश्वविद्यालय की प्रशासनीय व्यवस्था कुशल नहीं है और मैंने भी विश्वविद्यालय की प्रशासनीय व्यवस्था की सराहना नहीं की । प्रतिवेदन में भी बहुतसे आरोप लगाये गये हैं जो कि विश्वविद्यालय के लिये बहुत हानिकारक हैं । मैं ने सारा मामला स्पष्ट कर दिया है और यह नहीं कहा जा सकता कि मैं ने अपना कर्तव्य पालन नहीं किया ।

संशोधन संख्या २ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति के प्रतिवेदन पर, जो २१ अप्रैल, १९६१ को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति

पचासीवां प्रतिवेदन

सरदार अमर सिंह सहगल (जंजगीर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबन्धी समिति के पचासीवें प्रतिवेदन से, जो ९ अगस्त , १९६१ को प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पचा-सीवें प्रतिवेदन से, जो ९ अगस्त , १९६१ को प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

व्यक्तिगत आय के बारे में संकल्प

अध्यक्ष महोदय : अब सदन निम्न संकल्प पर जो श्री कालिका सिंह ने २८ अप्रैल, १९६१ को प्रस्तुत किया था आगे चर्चा करेगा :

> "इस सभा की यह राय है कि समाजवादी समाज के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों की आय को इस तरह पर विनियमित किया जाय कि अधिकतम और न्यूनतम आय के अन्तर में कमी हो कर १० और १ का अनुपात रह जाये ।"

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : संकल्प को पढ़ने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संकल्प का उद्देश्य बहुत सराहनीय है । किन्तु मैं पूछता हूं कि क्या इस प्रकार की कोई चीज़ विश्व के किसी देश में की गई है ? किसी भी देश में आय की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है । समाजवादी देशों में भी न्यूनतम और अधिकतम आय में १:१० का अनुपात नहीं है , यद्यपि प्रत्येक देश में श्रमिकों की शुरू की आय को बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

दुर्भाग्य से हमारे देश में पदाधिकारियों को चार श्रेणियों में बांटा गया है । इस वर्गीकरण से मैं संतुष्ट नहीं हूं और मैं चाहता हूं कि इस प्रशासनीय वर्गीकरण को हटाया जाये ।

स्वतंत्रता से पहले असमता का अनुपात १:८० था । अब यह कम हो कर १:३० हो गया है । मैं आशा करता हूं कि समय के साथ यह और भी कम होगा ।

एक और बात जिसके लिये मैं बहुत उत्सुक हूं यह है कि समस्त जीविकाओं में न्यूनतम मजूरी का सामान्य सिद्धांत लागू किया जाये । सब प्रकार के श्रमिकों के लिये मजूरी बोर्ड स्थापित करने चाहिये ।

[श्री जगन्नाथराव पीठासीन हुये]

गैर-सरकारी क्षेत्र में वेतनों पर कोई सीमा नहीं है । समाजवादी समाज स्थापित करने के लिये यह आवश्यक है कि इस पर नियंत्रण किया जाये । सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्रों में मिलने वाली आयों में असमता नहीं होनी चाहिये ।

संकल्प के प्रस्तावक से मैं सहमत हूं कि उनका सिद्धांत ठीक है किन्तु हमें एक परिवर्तनशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिये और यह प्रयत्न करना चाहिये कि निम्न वर्ग के लोगों की आय बढ़े और उच्च वर्ग के लोगों की आय कम हो ताकि असमता में कमी होती जाये ।

श्री सरजू पांडेय (रसड़ा) : सभापति जी, मैं प्रस्तावक महोदय को यह प्रस्ताव लाने के लिये धन्यवाद देता हूं । इस सदन के सीनियर मेम्बर शर्मा जी ने एक अजीब सवाल उठाया है कि समाजवादी समाज की स्थापना के लिये हमको बहुत रिजिड तरीके से पेश नहीं आना चाहिये और उनकी समझ में यह आ रहा है कि यह प्रस्ताव बहुत रिजिड है । मैं समझता हूं कि मूल स्थापना समजवाद या समाजवादी समाज की यह है कि देश की अधिक से अधिक जनता को भौतिक सुविधाओं से लाभान्वित किया जाये । यह तो उसके लिये पहली जरूरी चीज है । हमने समाजवाद का नारा तो दिया लेकिन काम हम उसका उलटा कर रहे है । इस नारे को लगाकर कहा जाता है कि हम धीरे धीरे समाजवाद की ओर जा रहे हैं, मगर असलियत यह है कि हम धीरे धीरे पूंजीवाद की ओर जा रहे हैं । यह प्रस्ताव हमको समाजवादी समाज की ओर ले जाने के लिये एक आवश्यक कदम है । इस प्रस्ताव की मुख्य धारा यह है कि सरविसेज में जो लोग हैं उनके बीच एक और दस से

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सरजू पांडेय]

अधिक अन्तर तनख्वाह में नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं कि समाजवादी नारे को पूरा करने के लिये लोक सभा को ही सबसे पहले यह कदम उठाना चाहिये।

अगर हम चाहते हैं कि देश के अधिक से अधिक लोग अधिक से अधिक चीजों का उपभोग कर सकें तो लाजिमी तौर पर हमको ऊपर के लोगों की आमदनी पर रोक लगानी चाहिये और नीचे के लोगों की आमदनी को बढ़ाना चाहिये। मेरे पास आंकड़े मौजूद नहीं हैं, लेकिन अगर पिछले १४ वर्षों की स्थिति को देखा जाये तो पता चलेगा कि इस समय में पूंजीपतियों का मुनाफा बढ़ा है, बड़े बड़े अफसरों की तनख्वाहें बढ़ी हैं। छोटे छोटे अफसरों की तनख्वाहें बढ़ायी गयीं मगर उसी अनुपात में महंगाई बढ़ जाने से उस बढ़ोतरी का उनको कोई लाभ नहीं मिला। ये जो छोटे कर्मचारी हैं यही मुल्क की रीढ़ हैं, उनकी सुविधा की ओर खास ध्यान देना चाहिये था। उनकी ओर हम ध्यान नहीं देते और ऐसा प्रयत्न नहीं करते कि वे भी पूरी तरह भौतिक सामग्री का इस्तेमाल करें। बल्कि हम बड़े अफसरों के लिये हर प्रकार की सुविधाओं का प्रबन्ध करते हैं ताकि उनकी एफीशेंसी बढ़े और वे ज्यादा अच्छी तरह काम कर सकें। उनके लिये यह जरूरी समझा जाता है कि उनको एअरकंडीशन्ड महलों में रहना चाहिये, उनके पास बड़ी बड़ी मोटरें होनी चाहियें, उनको ज्यादा से ज्यादा आराम मिलना चाहिये। अगर यह देखा जाये कि राष्ट्र इन अफसरों के ऊपर कितना खर्च करता है और ये राष्ट्र की उसके बदले में कितनी सेवा करते हैं, तो मैं समझता हूं कि इनको सजा का भागीदार समझा जायेगा। और जो यह काम करते हैं उसका तो आपको पता ही होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि अगर हमको वास्तव में समाजवाद की ओर चलना है तो हमको इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिये। आज आप इस देश में समाजवाद की बात करते हैं लेकिन एक लड़का जो स्कूल में पढ़ने जाता है वह देखता है कि उसको भी उतना ही पैसा देना होगा जितना उसको जिसका बाप तीन और चार हजार रुपये मासिक वेतन पाता है। ऐसे हालात में यह कैसे मुमकिन है कि गरीब आदमी का लड़का भी वैसी ही तालीम पा सके जैसी कि धनी आदमी का लड़का पा सकता है। आज देश में अवस्था यह है कि गरीब आदमी अपने लड़कों को ऊंची तालीम नहीं दे सकता। जिनके पास पैसा है केवल वे ही अपने लड़कों को अच्छी तालीम दे सकते हैं, अच्छे टीचर रख सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिल करवा सकते हैं।

हमारी सरकार की नीति क्या है उसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं एक आदमी आठ दिन का भूखा है और दूसरा आदमी ६ दिन का भूखा है। मैं पूछता हूं कि ऐसी हालत में पहले खाना किसको दिया जाना चाहिये। स्पष्ट है कि उसको दिया जाना चाहिये जो आठ दिन का भूखा है। लेकिन हमारी सरकार की नीति यह है कि जो ६ दिन का भूखा है उसको खाना दिया जाता है। और इतना दिया जाता है कि चाहे उसको हजम भी न हो और जो आठ दिन का भूखा है उससे कहा जाता है कि तुम सब्र करो। यह आपका समाजवाद है। होना तो यह चाहिये कि जो आठ दिन का भूखा है पहले उसको खाना दिया जाये और जो ६ दिन का भूखा है उससे कहा जाये कि तुम कुछ सब्र करो। लेकिन हमारी सरकार उससे उलटी चल रही है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि गरीब आदमी की मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं और दूसरी तरफ अमीर लोगों की ऐश और आराम में वृद्धि होती चली जा रही है। मैंने देखा है कि हमारे छोटे छोटे जो नौकर हैं जो इस मुल्क की शान हैं और जो इस मुल्क को चलाने वाले हैं उनसे हम बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं। हम पुलिस के सिपाही से यह उम्मीद करते हैं कि वह ईमानदार रहे मगर पुलिस के आई० जी० से हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह दरअसल देखें कि उनका स्टाफ ठीक से काम करता है या नहीं। आई० जी० घरों से निकलते भी नहीं हैं और न ही यह देखते हैं कि हमारा स्टाफ

ईमानदारी से ड्यूटी दे रहा है अथवा नहीं। हमारे मंत्री लोग भी नहीं आकर देखते कि दरअसल हमारे नीचे काम करने वाले लोगों में क्या विचार बन रहा है। अगर देश में यही अवस्था कायम रही तो एक तरफ तो ऊंची ऊंची अट्टालिकायें, बड़े-बड़े महल ऐशोआराम, मोटरकारें और दूसरी फिजूलखर्चियां देखने को मिलेंगी और दूसरी तरफ आम इंसान गंगे और भूखे फिरते नजर आयेंगे ।

हमारे शर्मा जी ने कहा कि प्राइवेट सैक्टर में चूंकि लोगों को तनख्वाहें ज्यादा मिलती हैं इसलिये पबलिक सैक्टर में हमें योग्य और अनुभवी व्यक्ति प्राप्त न हो सकेंगे। मैं शर्मा जी से इस में सहमत नहीं हो सकता। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि प्राइवेट सैक्टर को कौन प्रोत्साहन देता है और उसके वास्ते कौन जिम्मेदार है ? आखिर यह सरकार ही तो उसके वास्ते जिम्मेदार है ।

यह दलील देना कि अगर हम अपने यहां तनख्वाहें घटा देंगे तो हमको अच्छे और योग्य व्यक्ति नहीं मिल सकेंगे, मैं इसको नहीं मानता। लेकिन प्राइवेट सैक्टर में भी जो इतनी लम्बी-लम्बी तनख्वाहें मिलती हैं उसके लिये यह सरकार ही तो जिम्मेदार है । उनको इतना मौका देती है कि वह इतना लम्बा मुनाफा कमायें और लम्बी-लम्बी तनख्वाहें देकर बड़े-बड़े लोगों को अपनी तरफ खींच लें। समय आ गया है जब हमें प्राइवेट सैक्टर के भारी मुनाफे पर कोई रोक लगानी चाहिये ताकि इस तरह से वे लोगों को लम्बी तनख्वाहों पर इन्गेज न कर सकें। इसलिये मैं चाहूंगा कि अगर दरअसल हम समाजवाद की ओर जाते हैं तो हमें आज यह जो भारी आर्थिक असमानता विद्यमान है उसको दूर करना होगा। कुछ मुल्कों में समाजवाद है लेकिन मैं नहीं जानता कि हिन्दुस्तान का समाजवाद क्या है ? अब यह तो एक सीधी सी बात है कि एक कुर्ता मैंने पहन रक्खा है और मैं दर्जी से कह सकता हूं कि मेरा एक ऐसा ही कुर्ता और बना दो लेकिन जिस कुर्ते का हमें कोई आइडिया न हो तो उसको कैसे बनवाया जा सकता है ? ठीक यही बात हमारे समाजवादी सिद्धांत के बारे में लागू होती है। हमारी सरकार के पास हिन्दुस्तान के समाजवाद का कोई आइडिया नहीं है कि उसमें क्या होगा और वह किस तरीके से मुल्क में लाया जायगा। विभिन्न मुल्कों से इधर उधर की कुछ चीजों को लेकर एक अजीब तरीके का समाजवाद गढ़ लिया गया है जोकि एक चूं चूं का मुरब्बा बन कर रह गया है। कोई साफ रास्ता आपके सामने नहीं है कि दरअसल आप समाजवाद लोक-सभा में किस प्रकार से और कैसे लायेंगे ?

अब अपनी लोक सभा को ही आप ले लीजिये। जैसे आसार हैं उसके मुताबिक यह मालूम पड़ता है कि लोक सभा में कोई भी गरीब आदमी नहीं आ सकेगा। लोक सभा के चुनावों में उम्मीदवारों को काफी खर्चा करना पड़ता है और उसकी वजह से लोक सभा में गरीब आदमियों का आना मुश्किल हो जायगा क्योंकि वह चुनावों में इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते। दो, चार साल में यहां सब बड़े-बड़े लोग और पैसे वाले आकर बैठ जायेंगे और वह सरकार की रीति नीतियों पर प्रभाव डालेंगे। होना तो यह चाहिये कि ऐसे लोग जो पैसे के प्रभाव से सारी चीजें खरीद लेते हैं उन पर रोक लगाई जाय और ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा लिया जाय जोकि साधनहीन हैं। लेकिन हमारे यहां इसका बिलकुल उलटा है। एक तरफ चुनाव में ऐसा आदमी खड़ा हो जोकि इंसाफ को खरीद सकता हो, तालीम को खरीद सकता हो और बड़ी-बड़ी फाइलों को खरीद सकता हो और दूसरी तरफ उसके मुकाबले में यदि कोई छोटा-मोटा गरीब आदमी उम्मीदवार हो तो वह कैसे जीत सकता है ? साधनहीन लोग कैसे उन बड़े-बड़े लोगो का मुकाबला कर सकते हैं।

उन साधनहीन और गरीब लोगों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सब्र करें और मुल्क के लिये सैक्रीफाइस करें। अगर मजदूर लोग अपनी तनख्वाह बढ़ाने की मांग करते हैं तो फौरन

[श्री सरजू पांडे]

उन पर गोलियां चलने लगती हैं। छोटा-मोटा कर्मचारी तो अपनी मांगों के लिये हड़ताल कर ही नहीं सकता। अभी पिछले दिनों उन्होंने एक हड़ताल की थी। उन्होंने मांग की थी कि उन्हें जीने लायक तनख्वाह दी जाय। लेकिन उन बेचारों को हड़ताल करने का मजा अच्छा खासा मिल गया और काफी तादाद में अभी भी उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है अर्थात् उन्हें सरकारी नौकरी में वापिस लिया भी जाता है कि नहीं। उन्हें सोशलिज्म का मजा मिल गया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या वह कोई बगावत कर रहे थे? वह तो केवल जीने लायक तनख्वाह की ही मांग कर रहे थे। लेकिन सरकार ने उसके लिये यह बहाना किया कि दूसरे मुल्कों ने उनको बहकाया है और भड़काया है और उनकी जो वाजिब मांग थी उसको उन्होंने सुनने से इंकार कर दिया। यह क्या समाजवाद हुआ कि एक तरफ तो अफसरों के कुत्ते पुलाव खायें और दूसरी तरफ हमारे कर्मचारियों के बच्चे दाने पानी के बगैर मरें?

मैं समझता हूं कि प्रस्तावक महोदय के इस प्रस्ताव को सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिए तमाम लम्बे-लम्बे मुनाफों पर कुछ रोक लगनी चाहिये और अधिक से अधिक पैसा उन लाखों करोड़ों लोगों के पास जाना चाहिये जो कि आज उसकी बहुत तंगी महसूस कर रहे हैं। समाजवाद का सीधा अर्थ यह है कि आज देश में जो भारी असमानता फैली हुई है उसे दूर किया जाय। अभी पिछले दिनों स्विटजरलैंड का आदमी मेरे साथ जा रहा था। उसने लाल किले के पास की गंदी बस्तियों को देख कर कहा था कि मैं नहीं समझता कि दुनिया के किसी कोने में इस तरीके से खराब हालत में इंसान अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जिन चीजों के वास्ते आज हम अपने मल्क में लड़ रहे हैं हजारों वर्ष पहले वह चीजें उन मुल्कों में हो चुकी हैं। अगर १ और १० का अनुपात तनख्वाहों में रक्खा गया तो यह एक समाजवाद की ओर बढ़ा हुआ कदम होगा और उसको सरकार को मानना चाहिये। इससे ज्यादा तनख्वाहों में फर्क नहीं होना चाहिये। अब लम्बी-लम्बी तनख्वाहों में कटौती न करने के लिये यह दलील दी जाती हैं कि अगर हमने तनख्वाहें कम की तो हमें अच्छे और योग्य आदमी सुलभ न हो सकेंगे। लेकिन मेरे पास इसकी मिसालें मौजूद हैं कि ५००० तनख्वाह पाने वाले अफसर भी ठीक काम नहीं करते हैं। इसलिये यह कोई बात नहीं है कि अगर हमने लम्बी तनख्वाहें नहीं दीं तो लोग काम नहीं करेंगे। मेरा तो कहना है कि अगर हमें इस मुल्क को समाजवाद की ओर ले चलना है तो हमें कुछ जरूरी और बुनियादी कदम उठाने पड़ेंगे और यह बुनियादी कदम यहीं से शरू होगा कि हम तनख्वाहों के भेद को कम करें। प्राइवेट सैक्टर में जो लोग भारी मुनाफा कमा रहे हैं उन पर रोक लगायें। हम इस तरह के कायदे व कानून बनायें जिससे हम अधिक से अधिक नीचे के लोगों को, जो शोषित और पीड़ित हैं उनको हम अधिक से अधिक लाभ पहुंचायें तभी हम सही मायनों में सोशलिज्म कायम करने की बात कह सकते हैं वरना होगा यह कि बात तो हम सोशलिज्म की करते हैं और चलते हैं पूंजीवाद के रास्ते पर और जिसमें कि पूंजीपतियों का मुनाफा दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है और वह अधिक से अधिक चीजों को एवैल करते हैं और गरीबों की गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। मैं सदन से यह अपील करूंगा कि इस प्रस्तुत प्रस्ताव को पास करें क्योंकि यह हमारे देश को समाजवाद की ओर ले जाने का एक रास्ता है।

श्री मेलकोटे (रायचूर) : संकल्प में दिये गये सुझाव के अनुसार प्रश्न केवल १:१० के अनपात का नहीं है। हमें यह देखना है कि इस का हमारे सामान्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और सरकार हमें क्या सुविधायें देगी और हम पर क्या कर लगायेगी?

न्यूनतम मजरी के ढांचे में कुछ सुधार अवश्य हुआ है किन्तु इतना नहीं जितना कि होना चाहिये था। वेतन स्तरों में भी कुछ सुधार हुआ है। चिकित्सा, आवास आदि की सुविधाएं भी बढ़ी हैं।

केवल १:१० का अनुपात लाना काफ़ी नहीं है। हमें ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां जीवन व्यय लगभग चार गुणा हो गया है, अधिक सुविधाएं देनी चाहियें ताकि अमीर और गरीब में जो असमाताएं हैं, वे दूर हो जायें। इसलिये मेरा सुझाव है कि असमता १:१० या १:५ तक कम होनी चाहिये और इस के साथ गरीबों को अधिक सुविधाएं देनी चाहिये।

वित्त उपमंत्री(श्री ब० रा० भगत) : सभा ने १९५६ में एक संकल्प पारित किया था जिसमें सरकार को आय में असमता को कम करने के लिये उचित उपाय करने को कहा गया था। सरकार और सदन इस सिद्धांत को स्वीकार कर चके हैं और हमारी योजनाओं में इस पर ज़ोर भी दिया गया है। मुझे हर्ष होगा यदि असमता को घटा कर १:१० या १:५ के स्थान पर १:५ या १:३ कर दिया जाये या बिल्कुल ही हटा दी जाये। माननीय सदस्यों ने यरोप के उन्नत देशों में पाये जाने वाले वेतन या मजूरियां बतलाई हैं और कहा है कि वहां अनुपात १:१० या १:१२ है और अधिकतम वेतन १०००० रुपये से अधिक नहीं है। किन्तु संकल्प में आय के बारे में कहा गया है। संयुक्त राज्य में वेतन १०००० रुपये हो सकता है किन्तु आय इससे अधिक हैं। अतः इन का अनुपात १:१० या १:१२ नहीं है।

मेरा कहना है कि संकल्प में जो १:१० के अनुपात का उल्लेख है, उसे अभी तक संसार के किसी भी देश ने प्राप्त नहीं किया है। बड़े-बड़े प्रगतिशील देश भी उस स्तर तक नहीं पहुंच सके। एक बात है कि आर्थिक विकास का जो कार्य द्रुत गति से हो रहा है उसका वास्तविक उद्देश्य यही है कि असमानता को दूर किया जाय। पूंजीवादी देशों में यह बात और भी अधिक है। साम्यवादी देशों में भी वेतन कम करके असमानता को मिटाने का कार्यक्रम छोड़ दिया गया है। विकास के प्रभाव के परिणामस्वरूप असमानता कम हो रही है। और यह विशेष ढंग इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये ही अपनाया गया है। इस दिशा में हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना है। वेतन कम करने वाली बात से समाजवाद स्थापित नहीं होगा। हमें तो इस दृष्टि से सोचना है कि अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक कल्याण हो। परन्तु मेरा मत यह है कि जो विभिन्न प्रकार के आर्थिक साधन अपनाये जा रहे हैं, उससे यह प्रभाव कम जरूर होंगे। परन्तु असमानता मिटाने के लिये कठोर उपायों से काम नहीं लेना चाहिये। पूंजीवादी और समाजवादी दोनों प्रकार की विचारधारा को मानने वाले देशों में इस दिशा में कठोरता से काम लेने वाली बात को छोड़ दिया गया है। अतः कठोरता इस लक्ष्य के लिये ठीक नहीं है। हमें व्यवहारिक दृष्टिकोण अपना कर लोगों को प्रेरणा देने वाली नीति अपनानी चाहिये।

मेरा मत यह है कि यह संकल्प इस लिये व्यवहारिक है क्योंकि इसमें कठोर दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा दी गई है। १९५६ में इस सदन ने जो नीति स्वीकार की है उसके अनुसार हमें शनैः-शनैः पग उठाते हुये असमानता को दूर करना है। इस दिशा में सरकार अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन करेगी। हम इसके लिये किसी भी सीमा तक जा सकते हैं जो कि स्थिति के अनुसार उचित और सम्भव होगा। समाजवादी समाज का निर्माण करना और इसी आधार पर देश का आर्थिक निर्माण करना हमारा लक्ष्य है। १ और ५ तथा १ और १० का अनुपात ही नहीं, प्रत्युत हम असमानता को बिलकुल ही मिटा देने का प्रयत्न करेंगे।

[श्री हेडा पीठासीन हुऐ]

[श्री ब० रा० भगत]

यह तो व्यवहारिक बात है । यदि आप तीसरी पंचवर्षीय योजना का अध्ययन करेंगे तो आप को पता चलेगा कि असमानता दूर करने के लिये उसके अन्तर्गत बड़ा ही व्यवहारिक कार्य-क्रम बनाया गया है। दूसरे कृषि श्रम जांच समिति के प्रतिवेदन के अनुसार प्रत्येक कृषि श्रमिक की उड़ीसा में आय ३१९ से ७५५ रुपये वार्षिक के बीच है। ५०० रुपया औसतन फैला। तो आप समझ सकते हैं कि एक कृषि श्रमिक साल भर में लगभग ५०० रुपये कमाता है। और इस संकल्प के अनुसार देश में किसी भी व्यक्ति की आय ५०००/वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिये । क्योंकि वह एक और दस का अनुपात चाहते हैं ।

यदि इस संकल्प को मान लिया जाये तो ऊपरि सीमा ५००० रुपया प्रतिवर्ष स्वीकर करनी होगी । २½ प्रतिशत के स्थान पर १०० प्रतिशत आय कर लेना होगा । और मेरा विचार नहीं कि सदन इसे स्वीकार करेगा । जहां तक संकल्प के सिद्धान्त का सम्बन्ध है वह सदन स्वीकार कर ही चुका है। सरकार उसके लिये बचनबद्ध है, परन्तु संकल्प को कार्यान्वित करना नितान्त अव्यवहारिक है । विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने कहा है कि सरकार के समक्ष समाजवाद का कोई निश्चित रूप ही नहीं है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि हम दूसरे देशों की इस दिशा में नकल नहीं करना चाहते । समाजवादी व्यवस्था स्थापित कर लेने वाले देश भी जिन राहों का परित्याग कर रहे हैं हम उन पर नहीं चलेंगे । हमारा समाजवाद क्या है ? इसके लिये आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना का अध्ययन करना होगा । मेरे विचार में उसे माननीय सदस्य ने पढ़ा नहीं है। वहां उस समाजवाद का बड़ा सुन्दर चित्र दिया है। यह तीसरे अध्याय में है जिसका शीर्षक है 'समाजवाद की ओर प्रगति' उसकी मैं उनसे सिफारिश करता हूं । यह पुस्तक माननीय सदस्यों में परिचालित की गई है ।

इस समस्या का सही समाधान वही है जिसका उल्लेख तीसरी योजना में किया गया है। ऐसा उल्लेख अध्याय ४ पृष्ठ १६-१७ पर "आय में विषमता" शीर्षक के अन्तर्गत मिलता है। इस बारे में हम क्या करेंगे इसकी चर्चा माननीय सदस्यों को उस अध्याय में मिल जायेगी । मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि इस प्रकार का संकल्प लगभग सभी सत्रों में रखा जाता है । चूंकि इसकी व्यवस्था तीसरी योजना में कर दी गई है और यह स्वाभाविक ही है कि सभा उस पर विचार करेगी अतः मेरा विचार है कि अब इस समस्या को समाप्त ही कर दिया जाये। क्योंकि इस संकल्प में विहित सिद्धान्त को पहले ही स्वीकार किया जा चुका है ।

आर्थिक प्रगति के रुक जाने के कारण ही आर्थिक विषमता बढ़ी है। आर्थिक प्रगति जितनी अधिक होगी उतनी ही आर्थिक विषमता कम हो जायेगी जैसा कि यूरोप तथा अमरीका और सोवियत संघ में देखने को मिलता है। इस आर्थिक असमानता का कारण हमारे देश की परम्परागत परिस्थितियां हैं जहां एक वर्ग को तो काफ़ी आय होती है और दूसरे वर्ग को बहुत कम। यह इसलिये होता था कि हमारी आर्थिक प्रगति प्रतिबन्धित थी। इस असमानता का यही मूल कारण था ।

संकल्प के प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्य ने कहा है कि गत दस वर्षों में जो प्रगति हुई है उससे आर्थिक असमानता के बढ़ने में वृद्धि ही हुई है। अन्तर्कालीन स्थिति में यह वृद्धि और भी अधिक हुई है। उदाहरण के लिये वेतन ढांचा ही लीजिये । गैर-सरकारी क्षेत्र में काफी अच्छे वेतन दिये जा रहे हैं। विदेशी समवायों में भारतीय कर्मचारियों को कम पैसा मिल रहा है और विदेशियों को अधिक पैसा मिल रहा है। वास्तविक स्थिति तो यह है कि विदेशी व्यक्ति गैर-सरकारी

समवायों में बाहर से आ रहे हैं। सराकारी क्षेत्रों में भी विदेशी प्रविधिक व्यक्तियों को अच्छा वेतन दिया जा रहा है। इस का कारण यह भी है कि प्रविधिक व्यक्तियों की बहुत कमी है। अतः कुछ मामलों में हमें ऐसा करना पड़ता है।

हमारे देश में, चाहे वह सरकारी क्षेत्र हो अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र प्रविधिक व्यक्तियों की कमी है। यही कारण है कि तीसरी योजना में हम प्रविधिक सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं। ताकि प्रतिवर्ष हमारे यहां २०,००० प्रशिक्षित व्यक्ति तैयार हो सकें। लेकिन वांछित व्यक्तियों की तैयारी तक उनकी मांग अधिक से अधिक बढ़ती जायेगी। चूंकि गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रविधिक व्यक्तियों को अच्छा वेतन दिया जाता है अतः सरकारी क्षेत्र में भी प्रविधिक व्यक्तियों को अधिक पैसा देना पड़ता है यही अन्तकार्लीन स्थिति है।

गावों में भी भूमि से होने वाली आय में काफी वृद्धि होगी क्योंकि हम उन्हें उर्वरक, सिंचाई की सुविधायें, ऋण सम्बन्धी सुविधाओं की अधिक व्यवस्था कर रहे हैं। शुरू में हम लोगों की आय बढ़ सकती है। लेकिन निरंतर हम भूमि की अधिकतम सीमा कम करके तथा सहकारी खेती पद्धति को लागू करके यह प्रयत्न कर रहे हैं कि आय की असमानता कम से कम हो जाये। कुछ लोगों का कहना है कि जब आप शहरी इलाकों में आय कम नहीं कर रहे हैं तो आप गांवों में भूमि की सीमा कम क्यों कर रहे हैं। किन्तु बात यह नहीं है। लेकिन असलियत यह है कि भूमि का प्रबन्ध इतना भद्दा एवं पुराना है कि जब तक हम इन परम्परागत बुराइयों से नहीं छुटकारा पायेंगे तब तक आर्थिक असमानता को दूर नहीं कर सकेंगे। भूमि के क्षेत्र मे अधिकतम सीमा का कदम इस लिये ही ठीक है। इसका उद्देश्य प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाना भी है। सहकारी आधार पर यदि हम भूमि का त्रिभाजन करते हैं अथवा भूमि को छोटे-छोटे खंडों में बांटते हैं तो हम वर्तमान खेती प्रणाली को प्रोत्साहन देते हैं और प्रति एकड़ उत्पादन की वृद्धि को भी प्रोत्साहन देते है। यदि आज किसी व्यक्ति के पास भूमि तो कम है लेकिन उसके उत्पादन में वृद्धि हो जाती है तो उसकी आय कम नहीं होगी। अतः भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करके हम ग्रामीणक्षेत्रों में आय कम करना नहीं चाहते। कृषि का भविष्य भी इसी में निहित है।

जहां तक शहरी इलाकों की बात है वहां सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं जो निरंतर वृद्धि कर रहे हैं। हम कुछ सहकारी क्षेत्र भी बनाने वाले हैं। सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में होने वाले तीव्रगामी उपायों से यह आर्थिक असमानता कम होती चली जायेगी। पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में तथा आगामी पंचवर्षीय योजनाओं में हमारा उद्देश्य यही है और रहेगा कि किसानों की, कृषिकरों की; कृषक मजदूरों की अथवा औद्योगिक मजदूरों की अथवा मध्यवर्ती लोगों की आय में वृद्धि हो। आवश्यकतानुसार इस आय में वृद्धि करना होगा।

यही वह तरीका है जिसके द्वारा आय की असमानता दूर हो सकती है तथा यही एक ऐसा ढंग है जिसके द्वारा समाज वाद लाया जा सकता है। समाजवाद का अभिप्राय बड़े लोगों की आय में कमी करना ही नहीं है बल्कि निर्धनता को हटाना भी है। छोटे लोगों की आय बढ़ कर हम यह सब संभव प्रयत्न करेंगे कि आय की असमानता कम हो जाये। हमारा प्रयत्न यह होगा कि यह असमानता घट कर एक पांच के अनुपात में आ जाये। इतना ही मुझे कहना है और मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

†**श्री कालिकासिंह** (आजमगढ़) : संकल्प का प्रयोजन एक प्रकार से सिद्ध हो गया है। क्योंकि सरकार ने आय की असमानता को दूर करने के बारे में अपनी नीति का पुनः उल्लेख किया है। इस विचार से संकल्प की भावना को सरकार ने पहले ही स्वीकार कर लिया है। सरकार के इस

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बालिका सिंह]

आश्वासन के बावजूद कि सरकार आर्थिक असमानता को घटाकर कम से कम करने का प्रयत्न करेगी ऐसी स्थिति में इस संकल्प पर बल देना मेरे लिये हितकर नहीं है। तीसरी योजना में इस विषय पर एक पूरा अध्याय लिखा गया है तथा इस दिशा में उचित कार्यवाही करने का भी आश्वासन दिया गया है। मेरा उद्देश्य तो यह था कि सरकार समाजवादी ढंग के समाज की मूलभूत बातों की ओर ध्यान दे। और सरकार ने ऐसा करने के लिये आश्वासन दिया है अतः मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं। और निवेदन करता हूं कि इस संकल्प को वापस लेने की अनुमति दी जाये।

संकल्प, सभा की अनुमति से, वापिस लिया गया।

सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पुनः सवा में लगाये जाने पर प्रतिबंध लगाने के बारे में संकल्प

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया (इटावा): सभापति महोदय, मैं जिस संकल्प या प्रस्ताव को सदन में उपस्थित कर रहा हूं वह बिल्कुल ही निर्दोष और पवित्र है। संकल्प की भाषा इस प्रकार है :—

> "इस सभा की राय है कि सरकार को सेवा से मुक्त या निवृत सरकारी कर्मचारियों के किसी भी सरकारी या गैर-सरकारी नौकरी या सेवा में पुनः लगाये जाने या प्रवेश पर शीघ्र से शीघ्र प्रतिबन्ध लगाने के लिये उपयुक्त विधान पेश करना चाहिये।"

मैंने जो यह संकल्प इस सदन में उपस्थित किया है मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि इस संकल्प स किसी को भी कोई विरोध नहीं होगा। इस सदन का चाहे कोई भी दल या कोई भी व्यक्ति हों क्यों न सभी को एक मत होगा, सभी की एक राय होगी। और सभी लोग आज इस मुल्क से बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं। सभी लोग इस मुल्क को गरीबी से ऊपर लाना चाहते हैं। अगर मुल्क को गरीबी से ऊपर उठाना है तो फिर बेरोजगार को काम देना होगा। ऐसे लोग जो लाखों की संख्या में बेरोजगार पड़े हुये हैं, ऐसे युवक जो कहीं पर धंधा नहीं पा रहे हैं उनको यहां हमको धंधा देना है तो उसके वास्ते हर हालत में हमें इस संकल्प को स्वीकार करना पड़ेगा। और ऐसे लोग जो रिटायर होने के बाद, पेंशन और ग्रैचुएटी मिलने के बाद या अपनी सेवा अवधि पूरी करने के पश्चात् पुनः किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी कम्पनी या फर्म आदि में नौकरी करें, तो उन पर यह प्रतिबन्ध होना ही चाहिये कि उनको किसी भी सरकारी या गैर-सरकारी किसी भी कम्पनी या फर्म में कोई काम नहीं मिलना चाहिये।

में यहां किसी व्यक्ति विशेष की कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं न ही मुझे किसी व्यक्ति विशेष से कोई शिकायत है। यहां पर तो चर्चा कुछ सिद्धांतों की और वर्तमान सरकार की नीतियों की है। अगर व्यक्ति विशेष इस से कुछ अपने मन में समझें कि किसी व्यक्ति विशेष के लिये यह चर्चा है तो मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि उनका यह सोचना बिल्कुल ही गलत होगा।

कुछ लोग यह प्रश्न करेंगे कि वह सरकारी लोग जिहोंने योग्यता हासिल की है जिन्होंने काम सीखा है तो उनके अन्दर जो योग्यता है उसका उनके रिटायर होने के बाद फायदा क्यों न उठाया जाय? यह सवाल अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है लेकिन फायदा उठाने का मतलब यह हरगिज नहीं है कि उनको फिर किसी दूसरे ऐसे स्थान पर बिठलाया जाय जिस स्थान पर कि कोई दूसरा आदमी

हुंच करके कुछ रोजी पा सकता था। मेरा कहना यह है कि उन्होंने अपनी ५५ वर्ष की आयु में जो कुछ भी सीखा वह उन्होंने हिन्दुस्तान के लिये सीखा और सीखने के बाद जब वह रिटायर होते हैं तो उनका यह धर्म और नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने पेंसन काल मे कुछ देश के लिये अवैतनिक कार्य भी करें। जो उनमें योग्यता है वह योग्यता अपने आप नहीं आ गई है। वह योग्यता उन्होंने तब हासिल की जब राष्ट्र ने उनको अपने किसी पद पर बिठाया और बाहर के स्थानो पर भी कुछ वजीफा देकर भेजा। कुछ ऊंचे पदों पर जब उनको भेजा गया तब उनमें यह योग्यता आई और जब राष्ट्र के अन्दर ऐसे लाखों लोग बेकार हैं तो फिर उनका भी यह कर्तव्य हो जाता है कि राष्ट्र के इस बड़े काम में वह भी अपना योगदान प्रदान करें। उनको काम न देने के और भी अनेक कारण हैं। एक कारण यह भी है कि सरकारी अफसरों को ऊंचे ओहदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को अपने कार्यकाल में बहुत से ऐसे काम दूसरी कम्पनियों से कराने पड़ते है, उनसे सम्पर्क स्थापित करना पड़ता है उनको ठेका देना पड़ता है और दूसरा कारण यह भी है कि जनतंत्र में केवल शासन और उसके कर्मचारियों को केवल ईमानदार होना ही जरूरी नहीं है बल्कि साथ ही साथ उनको यह भी साबित करने की जरूरत पड़ती है कि वह बिल्कुल ईमानदार हैं जिससे कि देश की और देश की जनता की निष्ठा उस राष्ट्र में और राष्ट्र के कर्मचारियों में जमे। लेकिन अगर इस कसौटी पर जब हम अपने इस विचार को कसते हैं तो हम को इससे बहुत बड़ी निराशा होती है और हम कुछ अपने काम को आगे बढ़ा नहीं पाते हैं।

आज हमारे डिप्टी होम मिनिस्टर साहब यहां पर तशरीफ रखते हैं और वह भी शायद यह समझते होंगे कि सरकारी दफ्तरों की फाइलें हमारे पास दफ्तरों में सुरक्षित हैं, लेकिन हम ऐसा महसूस करते है कि वह लोग जो ऊंचे ओहदों पर काम करने के बाद विभिन्न कम्पनियों में जा करके या विभिन्न उद्योगपतियों के यहां जाकर काम करते हैं वे उन सरकारी दफ्तरों की फाइलों की आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं और उनकी आत्मा उन उद्योगपतियों के भवनों में जाकर कैद होती है जहां कि वह बैठते हैं और सरकारी दफ्तरों में पीछे केवल मृत फाइलें पड़ी रहती हैं।

इस तथ्य को समझने के लिये यह देखना होगा कि कुछ उच्च अफसर सरकारी सेवा से निवृत्त होने के बाद कहां गये हैं उन्होंने कहां सर्विस प्राप्त की है। चूंकि सभी समाचारपत्रों में उन के नाम निकल चुके हैं, इसलिये इस सदन में उनका नाम लेना अवैधानिक या अनुचित नहीं है। १९५८-५९ में इस विषय पर काफ़ी वाद-विवाद हो चुका है।

मुझ यहां पर उन लोगों के नाम नहीं लेना है, जिनकी चर्चा हो चुकी है। मुझे यहां पर उन लोगों के नाम भी नहीं लेना है, जो विवाद के विषय बने हुए हैं, हां, अलबत्ता ऐसे लोगों के सम्बन्ध में देश के अनेक अखबारों में चर्चा हुई है और उनके नाम दिये गये हैं। अगर हम उन लोगों के मामलों पर विचार करें, तो पता लगता है कि जबतक वे सरकारी सर्विस में रहे, उनकी एक आंख सरकारी काम पर थी और दूसरी आंख उन पूंजीपतियों के दफतरों पर लगी हुई थी, जहां रिटायरमेंट के बाद उन को सर्विस प्राप्त करनी थी। उनका मन भी बंटा हुआ था—उनका आधा मन अपने काम में था और आधा मन रिटायरमेंट के बाद काम ढूंढने में लगा हुआ था।

१९५४ में एस्टीमेट्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के पैराग्राफ ४१ में सुझाव दिया था कि सेवा से निवृत्त अधिकारियों को निजी कम्पनियों या फर्मों में लिये जाने पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये। उस सुझाव के बावजूद भी मैं देखता हूं कि आज भी उन लोगों के लिये वह रास्ता खुला हुआ है और इस प्रकार योग्यता और काबलियत का सारे का सारा स्रोत उसी दिशा में जा रहा है, जो मुल्क को बनाने की दिशा नहीं है, जो मुल्क को बिगाड़ने की दिशा है। रिटायर्ड कर्मचारियों के प्राइवेट नौकरियों

[श्री अर्जुन सिंह भदौरिया]

में प्रवेश पर इस लिये भी प्रतिबन्ध लगना चाहिये कि राष्ट्र के शासन की कोपनीयता स्थापित रहे और जो ज़रूरी काग़ज़ हैं वे दूसरे लोगों तक न पहुंच सकें। मैं यहां पर कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम ले रहा हूं, जिन के नाम देश के अनकों अख़बारों में आ चुके हैं।

श्री सी० सी० देसाई : वह भारतवर्ष में अनेकों उच्च पदों पर काम करने के बाद पाकिस्तान में हाई कमिश्नर रहे। आज-कल वह दिल्ली में बिड़ला के सलाहकार हैं।

मैं केवल उन्हीं लोगों के नाम लेना चाहता हूं, जो सारे के सारे रिटायर होने के बाद दिल्ली में बैठ हुए हैं। यद्यपि पूंजीपतियों के कोई बहुत बड़े कारखाने दिल्ली में नहीं हैं, लेकिन उन उच्च अफसरों को इसलिये यहां पर रखा जाता है कि वे यहां पर रह कर भारत सरकार के उच्च अधिकारियों, मिनिस्टर और दूसरे कर्मचारियों से सम्पर्क रखें। यह एक तथ्य है कि जब कोई भी अधिकारी रिटायर होने के बाद कहीं जाता है, तो उस समय भी उसके अधीनस्थ सरकारी कर्मचारी उस के इनफ्लुएन्स और प्रभाव में रहते हैं। अगर मुझ से पूछा जाये, तो मैं ऐसे उदाहरण दे सकता हूं कि हालांकि किसी प्राइवेट कम्पनी में काम करने वाले रिटायरशुदा सरकारी कर्मचारी को कोई जानकारी हासिल करने के लिये सम्बन्धित दफतर में जाना चाहिये, लेकिन ऐसा न करके उस टेलीफोन पर अपने अधीनस्थ सरकारी कर्मचारी को, अपने डिप्टी को, बुला कर दफतर की सारी फ़ाइल अपने यहां मंगाई और उनकी कापी टाइप कराई, उनको नक़ल कराई और उसके बाद वे फ़ाइलें फिर दफ़तर में भेज दी गई।

सरदार दलीप सिंह : वह पहले दिल्ली में इनकम टैक्स आफिसर और बाद में सेल्ज़ टैक्स आफिसर और अन्त में इंडस्ट्रियल फ़िनान्स कार्पोरेशन के आफ़िसर रहे हैं।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** क्या नामोंका उल्लेख करना आवश्यक है। नामों का उल्लेख किये बिना ही वे अपनी बात कह सकते हैं। उन व्यक्तियों के लिये यह बात अच्छी नहीं होगी। पता नहीं कि उन्होंने किन परिस्थितियों में गैर-सरकारी क्षेत्रों में नौकरी की है। यह बात मैं मानता हूं कि कुछ लोगों ने अवकाश प्राप्त करने के पश्चात् गैर-सरकारी क्षेत्रों में नौकरी स्वीकार की है। नामों के उल्लेख करने के पक्ष में मैं नहीं हूं।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : लेकिन उदाहरण तो देना ही होगा।

†**सभापति महोदय :** एक दूसरी बात भी हममें निहित है। माननीय सदस्य जिस ढंग से बात कह रहे थे उससे यह स्पष्ट होता है कि मानों वे उन व्यक्तियों पर आरोप लगा रहे थे। जो सदस्य यहां उपस्थित नहीं हैं अथवा जिनके बारे में माननीय मंत्री महोदय उत्तर देने के लिये तत्पर नहीं हैं। उनके बारे में ऐसे गम्भीर आरोप नहीं लगाने चाहियें। और ऐसा करना सभा की परम्परा के अनुकूल भी नहीं है। माननीय सदस्य उदाहरण देते समय पद एवं राज्यों का उल्लेख कर सकते हैं। यदि वह केवल तथ्यों का ही उल्लेख करें तो और भी अच्छा होगा। यदि वह एक दो नामों का उल्लेख करें लेकिन ऐसे गम्भीर आरोप न लगायें तो अच्छा रहेगा।

†**श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** मैं ने यहां पर सिर्फ इतना ही कहा है कि ऐसे बहुत से उच्च अफसर हैं जो रिटायर होने के बाद किसी प्राइवेट कम्पनी में सर्विस करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर सरकारी दफतरों की फाइलें अपने यहां मंगाकर उनकी नकल करवाते हैं। मैं ने किसी व्यक्ति

---

†मूल अंग्रेजी में

अथवा अधिकारी का नाम नहीं लिया है। मैंने नाम तो केवल उन व्यक्तियों के लिये हैं, जो रिटायर होने के बाद प्राइवेट कम्पनियों में काम कर रहे हैं। उनके नाम लेना इर्रेलिवेंट नहीं है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने पहले एक सज्जन का ज़िक्र किया और उसके बाद एक दूसरे सज्जन का ज़िक्र किया और दोनों के बीच में यह कहा कि घर पर फाइलें मंगा कर उनकी नक़ल की जाती है। उससे गलतफ़हमी हो सकती है। यह ठीक है कि माननीय सदस्य का यह मंशा नहीं था, लेकिन ग़लतफ़हमी हो सकती है कि घर पर फ़ाइलें मंगार कर नक़ल करने का सम्बन्ध उन व्यक्तियों से है, जिनका ज़िक्र माननीय सदस्य ने किया।

श्री अर्जुन सिंह भदोरिया : मैं ने शुरू में ही अपनी बात कही कि मैं यहां पर किसी व्यक्ति-विशेष की आलोचना नहीं कर रहा हूं और न ही यह मेरे संकल्प का मंशा है। मेरे संकल्प का मंशा सिर्फ यह है कि जो लोग सरकारी सेवा से मुक्त हो कर बाहर जाते हैं, उनको बाहर जाने के बाद सरकारी वेतन से अधिक दिया जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि उनका मन सकारी काम में नहीं लगता है और रिटायर होने के बाद वे अपने पुराने दफ़्तर के माध्यम से नाज़ायज लाभ उठाने की कोशिश करते हैं और उस की रोक-थाम की जानी चाहिये।

मैं यहां पर उन्हीं लोगों का नाम लेना मुनासिब समझता हूं, जिनका हैडक्वाटर रिटायर होने के बाद दिल्ली में है और जो दिल्ली में रह कर अपनी कम्पनियों और फ़र्म्ज़ के लिये काम करते हैं।

इस के बाद बग़ैर किसी किस्म का इल्ज़ाम लगाते हुए मैं ऐसे दूसरे लोगों के नाम बताना चाहता हूं।

श्री हरबंश लाल : वह पोस्ट्स एंड टैलीग्राफस के डायरेक्टर-जनरल रहे हैं और रिटायर होने के बाद अब ब्लैकवुड हाज की फ़र्म में डायरेक्टर हैं।

लेफ्टिनेंट जनरल थापर : रिटायर होने के बाद वह ईस्ट एशियाटिक कम्पनी के डायरेक्टर हैं और आज-कल दिल्ली में ही रह रहे हैं।

श्री एम० आर० सिल्ले : वह विदेश विभाग के सेक्रेटरी थे और अब इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी के डायरेक्टर हैं और आज-कल उनका हैक्वार्टर दिल्ली में है।

डा० कटियाल : वह पहले श्रम विभाग में थे और रिटायर होने के बाद आज-कल दिल्ली में इंडियन एल्यूमिनियम कम्पनी में डायरेक्टर हैं।

श्री हरिदत्त मलिक : वह भारत में अनेक पदों पर रहने के बाद फ्रांस और कनेडा में भारतीय राजदूत के पद पर रहे और आज-कल इंडियन एल्यूमिनियम कम्पनी, दिल्ली में डायरेक्टर हैं।

श्री एम० सी० बद्धवार : वह चैयरमैन, रेलवे बोर्ड रहे हैं और रिटायर होने के बाद दिल्ली में बर्ड एंड कम्पनी के डायरेक्टर हैं।

श्री टी० पी० भल्ला : वह डायरेक्टर जेनरल आफ सिविल एवियेशन रहे हैं और रिटायर होने के बाद आज साहू जैन एंड कम्पनी में डायरेक्टर हैं।

श्री एम० के० कौल : वह उत्तरी रेलवे में जेनरल-मैनेजर रहे हैं। रेल विभाग में उनकी क्या ख्याति थी, यह किसी से छपी नहीं है। इस सम्बन्ध में मुझे कहना नहीं है। वह भी एक कम्पनी के डायरेक्टर हैं और वहां पर उनको क्या मिलता है इसी से उनकी योग्यता को आंका जा सकता

[श्री अर्जुन सिंह भदौरिया]

है। श्री के० बी० माथुर जोकि रेलवे बोर्ड के चैयरमैन रहे हैं, आजकल हैवी ईलैक्ट्रिकल प्राजैक्ट भोपाल में हैं। श्री सारंगपानी भारतीय रेलवे में उच्च अधिकारी थे। रिटायर होने के बाद वह हैवी ईलैक्ट्रिकल प्राजैक्ट भोपाल में मेनेजिंग डायरेक्टर हो कर चले गये हैं। इस समय वह क्या पाते हैं और पहले क्या पाते थे, इसका भी आपको पता लगाना चाहिये। श्री नागेश आजकल स्टील प्राजैक्ट में हैं। ऐसे कई दर्जन नाम हैं जिन को मैं यहां पर कोट करना उचित नहीं समझाता हूं।

मेरा जो खास मंशा कहने का है वह यह है कि ऐसे लोग जो रिटायर होने के बाद फर्मों और कम्पनियों में चले जाते हैं, और उन्होंने दिल्ली में ही अपने दफ्तर बनाये हुए हैं, क्यों उन्होंने यहां अपने दफ्तर बनाये हुए हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छिपा हुआ है? अगर इस सवाल को आपको हल करना है तो फिर आपको इस संकल्प को स्वीकार कर लेना होगा। आज मुल्क के वे नौजवान जिन के अन्दर काम करने की क्षमता है, योग्यता है, जो अवसर मिलने पर अच्छे और योग्य अफसर और अधिकारी साबित हो सकते हैं, उनके रास्ते में बड़ी रुकावट खड़ी हो गई है, क्योंकि इन तमाम स्थानों को ऐसे लोग घेर लेते हैं जिसकी वजह से ये लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मैं होम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि उनको रिटायर होने के बाद नौकरी इस तरह की करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिये। यह भी देखा गया है कि ऐसे लोगों को सरकार जो बहुत सी जो कमेटियां बनाती है या सब-कमेटियां बनाती है, उनमें रख लिया करती है। मैं समझता हूं कि यह भी उचित नहीं है, मुनासिब नहीं है कि उनको इस तरह की कमेटियों में रख कर उनको प्रोत्साहन दिया जाये।

मैं देश के उद्योगपतियों और फर्मों तथा कम्पनियों की तरक्की में रुकावट नहीं डालना चाहता। मैं चाहता हूं कि उनकी तरक्की हो। मैं चाहता हूं कि वे अपने आदमियों को खुद ढूंढें लेकिन ऐसे लोगों को जो भारत सरकार की सेवाओं में रह चुकने के बाद रिटायर होते हैं उनसे अगर जरूरी हो तो कोई और काम लिया जाये मगर ऐसा काम न लिया जाए कि काम तो वे आनरेरी करते हों और बंगले उनको मुफ्त मिले हों सरकार की तरफ से और उनको भारत सेवक समाज का अध्यक्ष भी बना दिया जाता हो और उसे मुफ्त के बंगले में किसी कम्पनी के दफ्तर चलते हों और उस कम्पनी की बुनियाद वहां पर पड़ती हों। इस पर भी सरकार को विशेष तौर से ध्यान देना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प को सदन के सामने पेश करता हूं।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव पेश हुआ।

†**डा० क० ब० मेनन** (बडागरा) : यह संकल्प उन अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारियों के बारे में है जो सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में रोजगार लेते हैं। यह बात ठीक है कि सरकार ने अवकाश प्राप्त करने की आयु सीमा ५५ वर्ष कर दी है। कहीं कहीं जैसे कि शिक्षा एवं विज्ञान के क्षेत्र में यह आयुसीमा बढ़ा कर ६० या ६३ वर्ष तक भी की गई है। कुछ मामलों में सरकारी कर्मचारियों की सेवायें कुछ काल के लिये बढ़ाई भी जाती हैं लेकिन ऐसा प्रायः कम मामलों में ही होता है। मेरे विचार में अतः ऐसे लोगों को फिर से नौकरी देना कोई बुरी बात नहीं है।

जहां तक उन लोगों को सेवा में लेने की बात है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले यह सवाल नहीं था क्योंकि सरकारी सेवाओं में उच्च पदों पर ब्रिटिश पदाधिकारी हुआ करते थे और दूसरे तब तक गैर-सरकारी क्षेत्रों का इतना विकास भी नहीं हुआ था। यह समस्या आज उत्पन्न हुई है और जैसे

---

†मूल अंग्रेजी में

जैसे औद्योगिकरण बढ़ता जायगा त्यों त्यों यह समस्या और भी बढ़ती जायगी । तथा इसका महत्व भी बढ़ता जायगा । सरकार आजकल सब से अधिक रोजगार देने वाली निकाय है । जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ता जायगा वैसे वैसे ही सरकार की स्थिति कमजोर पड़ती जायगी । आज सरकार की इस क्षेत्र में डिक्टेटरशिप है । लेकिन आगे चलकर औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ती जायगी । गैर-सरकारी क्षेत्र में लोगों को अच्छा वेतन दिया जाता है अतः व उन क्षेत्रों की ओर आकिषत होते हैं । व्यावसायिक क्षेत्र का उद्देश्य लाभ कमाना है और जब तक उन का यह उद्देश्य बना रहेगा तब तक किसी भी क्षेत्र में उनसे नैतिकता की आशा करना व्यर्थ है । इसी कारण वे ऐसे सरकारी कर्मचारियों को अपने यहा नौकरी देते हैं जो सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हैं क्योंकि ऐसा करने से उन्हें लाभ होता है ।

यह बिल्कुल ठीक है कि ये गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रम इन अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को अच्छा वेतन, अच्छी सुविधायें आदि देते हैं । जो कि सरकार भी अपने उच्च पदाधिकारियों को नहीं दे पाती । ये गैर-सरकारी उपक्रम इसलिये अच्छा वेतन देते हैं कि ये कर्मचारी सरकारी नौकरी में अच्छे पदों पर रहे हैं और उनको जानकारी भी अच्छी होती है एवं उनके सम्बन्ध भी बड़े मधुर एवं लाभदायक होते हैं । बस इन्हीं सम्बन्ध एवं जानकारी का लाभ उठाया जाता है । बस यही एक बात है जो नौकरी करने वाले तथा नौकरी देने वाल दोनों को ही भ्रष्ट करता है । एक बात और भी है हर आदमी अपने भविष्य में रुचि रखता है । इस प्रकार ये सरकारी कर्मचारी इन गैर-सरकारी क्षेत्रों में कार्य करके अपना भविष्य बनाते हैं ।

इन सब बातों की ओर सरकार को जागरूक रहना चाहिये और यह देखना चाहिये कि इस कठिन समस्या का किस प्रकार समाधान हो । अवकाश प्राप्त करने के पश्चात् और सेवानिवृत्ति पर पेंशन करने के बाद सरकार का उन पर नियंत्रण करना कठिन है । लेकिन सरकार को चाहिये कि वह व्यापारिक संस्थाओं को बता दे कि वह इस बात को अच्छा नहीं समझेगी कि वे सेवानिवृत्त सरकारी नौकरों को अपने यहां नौकर रखे । इसलिये इस समस्या का कोई न कोई निदान ढूंढना आवश्यक है ।

†**श्री रमेश प्रसाद सिंह** (औरंगाबाद) : श्री भदौरिया के इस संकल्प का मैं विरोध करता हूं क्योंकि सिद्धान्तः यह स्वीकार नहीं किया जा सकता । अन्य विकसित देशों के मुकाबले में हम बहुत पिछड़े हैं । विज्ञान एवं प्राविधिक क्षेत्र में अभी हमें बहुत उन्नति करनी है । देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक एवं इंजीनियर हमें विदेशों से लाने होंगे । अगर हम इस संकल्प को स्वीकार कर लेते हैं तो इसका अभिप्राय यह होगा कि कुछ महत्वपूर्ण लोगों की सेवाओं से हम वंचित रह जायेंगे । उनकी महत्वपूर्ण सेवाओं से हम वंचित रह जायेंगे । इस संकल्प को स्वीकार करनें का अभिप्राय तो यह होगा कि हम अपना तथा अपने देश का नुकसान करेंगे । अतः यह मेरा निवेदन है कि यह संकल्प स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री सरजू पांडेय : सभापति महोदय, यह जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख उपस्थित किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

मुख्य रूप से दो कारणों से मैं इसका समर्थन करना चाहता हूं । पहला कारण यह है कि अगर सरकारी कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद फिर काम पर लग जाने का लालच रहेगा तो उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी । हमारे देश में जितने रिटायर्ड जज़ेज हैं उनको वाइसचांसलर बनाया गया है । और हमारे प्रान्त के चीफ मिनिस्टर ने तो यह नियम ही बना दिया है कि रिटायर्ड जजों को वाइसचांसलर बनाया जाएगा । अगर जजों को यह ख्याल होगा कि उनको रिटायर होने

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सरजू पाण्डेय]

के बाद फिर वही आराम और सुविधायें मिल जायेंगीं तो उनकी स्वतंत्रता कम हो जाएगी। इस प्रकार के कार्य करना देश के हित में नहीं है, और जब ऐसी स्थिति है तो हम उन से सही मानों में स्वतंत्रता की आशा कैसे कर सकते हैं। हमारा यह उसूल है कि हमारी अदालतें स्वतंत्र होनी चाहिये। अगर आप कहिए कि ऐसे लोगों के नाम गिना दो जिनको रिटायर होने के बाद दूसरे पदों पर रखा गया तो मैं नाम गिना सकता हूं, पर उससे कोई लाभ नहीं होगा। यह बात सरकार के नोटिस में है कि उन लोगों को इस तरह का लालच है इसलिये उनकी स्वतंत्रता गायब होती जाती है।

मुझे मालूम है कि एक बड़े इनकम टैक्स आफिसर ने रिटायर होने के बाद एक प्राइवेट कम्पनी में काम कर लिया। अब लाजिमी तौर से वह उस कम्पनी को इनकम टैक्स से बचने के उपाय बतलायेंगे और सरकार की गलतियों से फायदा उठाने का रास्ता दिखायेंगे। अब यह तो उनका काम हो गया।

अभी हमारे साथी अरजुन सिंह भदौरिया ने बीसों नाम पेश किये। मैं भी दस बीस नाम दे सकता हूं। लेकिन उन नामों के देने से क्या लाभ। सरकार को मालम है कि यह हो रहा है। इसलिये सरकार को इस पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये कि सरकारी अफसर रिटायर होने के बाद फिर काम पर न लगें।

अभी थोड़ी देर पहले यहां कहा गया था कि अगर हम सरकारी अफसरों को ज्यादा वेतन नहीं देंगे तो उनको प्राइवेट कम्पनीज़ ज्यादा वेतन देकर अपने यहां ले सकती हैं। यह बात हम मानते हैं कि सरकारी अफसरों को ज्यादा चार्म आजकल प्राइवेट कम्पनीज में ही है क्योंकि उनको ज्यादा मुनाफा होता है। अगर सरकारी अफसर रिटायर होने के बाद प्राइवेट कम्पनियों में जाएंगे तो वे उन कम्पनियों को लाभ पहुंचाने और सरकारी गलतियों से फायदा उठाने की तरकीबें बतलायेंगे और इससे बड़े सरकारी कर्मचारियों का पतन होगा। इसलिये सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिये कि सरकारी कर्मचारी रिटायर होने पर फिर किसी प्राइवेट कम्पनी में या सरकारी काम पर न लिए जाएं।

यहां पर श्री एन० आर० पिल्ले का नाम आया कि वह पहले एक्सटरनल एफेअर्स विभाग में थे और रिटायर होकर प्राइवेट कम्पनी में चले गए। इसी तरह से जस्टिस महाजन का नाम लिया जा सकता है। इसी तरह से नवाब अली यावर जंग बहादुर का नाम पेश किया जा सकता है। इसी तरह के और नाम भी दिए जा सकते हैं। लेकिन मैं इस समय कोई बड़ा लेक्चर देने की जरूरत नहीं समझता मैं समझता हूं कि सरकार को इस प्रश्न पर गौर करना चाहिए। हमको इस पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए जैसा कि प्रस्ताव में कहा गया है। जो बड़े बड़े अफसर रिटायर होते हैं उन पर इस प्रकार का नियंत्रण अवश्य लगाना चाहिए। अगर इस प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाया जाएगा तो वे लालच में पड़ सकते हैं। मेरे पास इस बात का प्रमाण नहीं है कि वे इस प्रकार लालच में पड़ें या नहीं, लेकिन जब वे कम्पनियों की सरविस में जाएंगे तो उनको कम्पनियों के बीसियों काम करने होंगे और कम्पनियों को बचाना होगा और उनको कानूनी गलतियों का लाभ उठाने का रास्ता बताया जाएगा। इसलिए इसके साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इन बातों को मानेगी। मुल्क में जो आने वाला खतरा है उससे हमारी स्वतंत्रता को बाधा उत्पन्न होगी। आज समय का तकाजा है कि हम उन प्राइवेट कम्पनियों के हाथ में न खेलें और हम इस किस्म का कानून बनाएं ताकि हमारे अफसर और कर्मचारी रिटायर्ड होकर दूसरी प्राइवेट कम्पनियों में काम न कर सकें। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

†**श्री नरसिंहन्** (कृष्णगिरि) : मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं । इस संकल्प में जिस उपचार का सुझाव दिया गया है, वह व्यवहारिक नहीं है। इस संकल्प का उद्देश्य सेवानिवृत कर्मचारियों द्वारा फिर से रोजगार लेने पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाना है। सेवानिवृत कर्मचारियों को पुनः सेवा में रखे जाने पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता क्योंकि बहुत से सेवानिवृत कर्मचारी बहुत ही सक्रिय होते हैं जैसे कि सैनिक कर्मचारी। विशेष रूप से सेना के पदाधिकारियों के सम्बन्ध में यह बात और अधिक सही है । न तो इसमें कोई बुरी नियत की बात है यदि गैर-सरकारी क्षेत्र सेवानिवृत सरकारी पदाधिकारियों को अपने यहां रखें । हां इस सम्बन्ध में अवश्य कार्यवाही की जानी चाहिये कि सेवानिवृत होने के बाद सरकारी कर्मचारी को गैर-सरकारी क्षेत्र में नौकर रखने के आधार पर उनके पद व स्थान का अनुचित लाभ न उठाया जा सके। सरकार इस बात को भी ध्यान में रखे कि आपत्तिजनक लेनदेन न हो। इसलिये मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं । और निवेदन करता हूं कि इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं । यदि सरकार ने वेतन आयोग द्वारा निवृत्ति आयु ५५ से बढ़ाकर ५८ वर्ष कर देने की सिफारिश स्वीकार कर ली होती तो सेवानिवृत कर्मचारियों को नौकरी में पुनः लगाने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। निवृत्त कर्मचारियों को सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में नौकरी करने देने से अस्वीकार करने के पीछे जो सरकार का उद्देश्य था वह विफल हो गया है। वे सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की भांति काम करते हैं। सरकार को यह देखना चाहिये कि जो लोग प्रति मास लगभग ५०० रुपये पेन्शन और उपदान के तौर पर पा रहे हैं वे सरकारी क्षेत्र की किसी परियोजना में काम कर और ४०० रुपये प्रतिमास न कमायें ।

कई प्रख्यात सरकारी नौकर निवृत्त होने के बाद सरकारी क्षेत्र में काम करने लगे हैं। सरकार को कम वेतन पाने वाले उन कर्मचारियों के लिये भी कुछ प्रबन्ध करना चाहिये जिन्हें निवृत्त होने के बाद अनेक आर्थिक कष्टों का सामना करना पड़ता है ।

सरकार को उच्च वेतन प्राप्त उन निवृत्त कर्मचारियों के बारे में जानकारी देनी चाहिये जो इस समय गैर-सरकारी या सरकारी क्षेत्र में इस समय नियुक्त हैं और सरकार यह भी बताये कि वे क्या वेतन ले रहे हैं। अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि यह संकल्प ठीक है और सभा इसको अवश्य ही पारित करेगी ।

†**डा० मेलकोटे** (रायचूर) : मैं इस संकल्प का इस रूप में विरोध करता हूं। यद्यपि यह संकल्प निर्दोष प्रतीत होता है तथापि यह इतना व्यापक है कि इससे देश तथा उसकी अर्थ-व्यवस्था पर घातक प्रभाव हो सकता है ।

इसमें संदेह नहीं कि बहुत बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ कर गैर-सरकारी फर्मों में हिस्सा लेते हैं। मेरे विचार से इस सम्बन्ध में सरकारी नियम बने हुये हैं कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी २ वर्षों की अवधि में दूसरी जगह नौकरी करना चाहता है तो उसे सरकार की अनुमति लेनी होती है। कई मामलों में यह अनुमति नहीं दी जाती है। तथापि मेरा सुझाव यह है कि सचिव और संयुक्त सचिव के स्तर के अधिकारियों के लिये यह अवधि ५ वर्ष कर दी जाय। ऐसा करने से इस उपबंध की बुराइयां बहुत हद तक दूर हो जायेंगी। इस सम्बन्ध में मैं एक संशोधन पेश कर रहा हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० मेलकोटे]

सरकार के अधीन बहुत से टैकनीकल अधिकारी भी काम करते हैं जिनकी सेवाओं की बाहर आवश्यकता हो सकती है । तथापि यह संकल्प ऐसे व्यक्तियों पर भी बाहर नौकरी करने पर रोक लगाता है ।

इस संकल्प में सभी सरकारी कर्मचारियों पर आक्षेप किया गया है और एक छोटी सी त्रुटि को दूर करने के लिये इस संकल्प को बहुत व्यापक रूप दिया गया है । अतः मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : सभापति महोदय, जो प्रस्ताव श्री भदौरिया ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं । अभी हमारे एक बुजुर्ग सदस्य ने उसका विरोध किया । अब शायद कुछ ऐसा है कि हम लोगों की आदत पड़ गई है समर्थन करने की और माननीय सदस्य ने हर चीज़ का विरोध करने का फैसला किया है । अगर ऐसा है, तो मुझे कुछ नहीं कहना है । उन्होंने यह दलील दी है कि जो सरकारी नौकर रिटायरमेंट के बाद किसी प्राइवेट नौकरी में जाना चाहते हैं, वे बिना सरकार की आज्ञा लिये हुये नहीं जा सकते और सरकार ने सब को आज्ञा नहीं दी है, उसने विशेष परिस्थितियों में ही आज्ञा दी है । मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के नाम अभी माननीय सदस्य ने सुनाये थे, वे साधारण सरकारी नौकर नहीं थे । इसके अतिरिक्त यह भी प्रश्न विचारणीय है कि कौन सी स्थिति ऐसी हो सकती है, जिस में उन को आज्ञा दी गयी थी और कौन सी स्थिति ऐसी होगी, जिसमें उनको आज्ञा नहीं दी जायगी । एक कारण तो यह हो सकता है कि किसी सरकारी नौकर की रिटायरमेंट के बाद आर्थिक दशा खराब हो, वह रोटी के टुकड़ों के लिये मोहताज हो और सरकार उसको नौकरी दिला दे । यह तर्क किसी मतलब का नहीं है । इस प्रस्ताव के विरोध में इस तर्क को रखने से वह बात सिद्ध नहीं होती है ।

जहां तक इस प्रस्ताव के समर्थन का सम्बन्ध है, मैं इन कारणों से चाहता हूं कि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो । आज हमारे देश में पूंजीवादी व्यवस्था चल रही है, जिसे सत्तारूढ़ दल समाजवादी व्यवस्था कह सकता है । अभी पिछले प्रस्ताव पर बोलते हुये मंत्री महोदय ने तीसरी पंचवर्षीय योजना का जिक्र किया और समाजवाद की बड़ी बड़ी बातें कीं । हमें डर लग रहा है कि समाजवाद का नक्शा जिस तरह से पेश किया जा रहा है और जिस तरह से समाजवाद बन रहा है, उससे ऐसी स्थिति बन रही है कि गरीब लोग समाजवाद का नाम सुन कर ही उसका विरोध करना शुरू कर देंगे ।

इस वक्त पूरी पूंजीवादी व्यवस्था चल रही है और जब पूंजीवादी व्यवस्था चलती है तो उसमें सरकारी नौकरों को और विशेष तौर से क्लास १ के अफसरों को निजी नौकरियों में या पुनः सरकारी नौकरियों में आने की अगर सुविधा दी जाती है तो मैं समझता हूं कि जनतंत्र को खतरा पैदा हुये बिना नहीं रह सकता है । इससे पक्षपात बढ़ेगा और साथ ही साथ भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा । चाहे राज्य सरकारें हों या केन्द्रीय सरकार हो, लोगों को पुनः नौकरी में लाना या प्राइवेट नौकरी में जाने की इजाजत देना एक ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है जिसमें कि वे टकटकी लगाये हुये सरकार की तरफ देखते रहें और हमेशा ही उसको खुश करने की कोशिश करते रहें ताकि उनके रिटायर हो जाने के बाद वह उनको पुनः किसी काम पर लगा दे । ये लोग ऐसी अवस्था में पूंजीपतियों की ओर या मंत्रियों की ओर देखते हैं और उनको खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं ताकि उनको सेवा से निवृत होने के बाद कोई न कोई अच्छी नौकरी मिल जाये । वे किस तरह से खुश करने की कोशिश करते हैं ? अगर कोई जज होता है तो उसके सामने कई चुनाव के मुकदमे फैसला होने के लिये जाते हैं और कभी कभी ट्रिब्यूनल भी चुनाव केसिस का फैसला करने के लिये बनाये जाते हैं, कभी कभी फंडेमेंटल राइट्स को या कुछ

अधिकारों को तय करने के लिये उनके सामने चीज़ जांच पड़ताल के लिये जाती है, तो उन केसिस में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वे संविधान का गला घोंट दें और ऐसा इसलिये कर दें कि सरकार उन से खुश हो जाये और उनके सेवा-निवृत्त होने के बाद उनको कोई अच्छी सी नौकरी दे दे।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा है कि ऐसे कितने लोग होंगे जो कि सेवा-निवृत्त होने के बाद लगे होंगे और उनकी संख्या बहुत कम ही होगी। लेकिन सवाल यहां थोड़े से लोगों का नहीं है, यहां पर तो सवाल सारे लाट का है, पालिसी का है। नौकरी में पुनः कुछ ही लोग लिए जाते हैं लेकिन उस रास्ते की तरफ टकटकी लगाये हुए सभी देखते रहते हैं और पुनः नौकरी पाने के लिए वे ऐसे काम करते हैं जो अनुचित होते हैं। अपने ध्येय की पूर्ति के लिए ऐसे लोग सैंकड़ों और हज़ारों होते हैं जो कार्यालयों की गोपनीयता को नष्ट करते हैं, अन्दर की बात दूसरों तक पहुंचाने लग जाते हैं जिससे जो पूंजीपति हैं या जो सरमायेदार हैं, लाभ उठाते हैं।

मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर यह ५५ साल की उम्र रिटायरमेंट के लिए क्यों रखी गई है। इसका कारण यह है कि एक अमुक उम्र तक पहुंच जाने के बाद आप यह समझते हैं कि उसकी ही कार्यकुशलता कम हो जाती है, वह काम नहीं कर सकता है। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि उसमें कार्यकुशलता नहीं है इसलिए उसको रिटायर किया जा रहा है और दूसरी तरफ कहा जाता है कि उसकी कार्यकुशलता बढ़ गई है, उसका अनुभव बढ़ गया है, इसलिए पुनः उसको जगह दी जा रही है। यह जो दोहरा तर्क है यह समझ में नहीं आता है। इस तरह का तर्क वितर्क ही हो सकता है।

हमारे माननीय सदस्य श्री स० म० बनर्जी साहब ने कहा कि जो चौथी श्रेणी के कर्मचारी हैं, उनके लिए एक तर्क चलता है और जो बड़े अफसर हैं उनके लिए दूसरा ही तर्क चलता है। मैं चाहता हूं कि जो तर्क एक के लिए दिया जाए वह दूसरे के लिए भी दिया जाए और तर्क को वितर्क न बनाया जाए।

इस वास्ते यदि हम चाहते हैं कि पक्षपात न चले, भ्रष्टाचार न चले, भाई भतीजावाद न चले तो इस प्रस्ताव पर आपको गम्भीरता से विचार करना होगा। आज आप देखते हैं कि इनकम टैक्स वगैरह की चोरियां होती हैं। ये कैसे होती हैं? इस प्रकार की चोरियों की जानकारी, इस प्रकार की गतिविधियों की जानकारी सरकारी अधिकारियों को अधिक होती है और वे अधिक जानते हैं कि किस तरह से चोरियां की जा सकती हैं। इस वास्ते जब किसी इनकम टैक्स के अधिकारी को रिटायर होने के बाद किसी प्राइवेट फर्म में नौकर रख लिया जाता है तो वह इस प्रकार से इनकम टैक्स के मामले में उसकी मदद करता है।

आखिर यह ५५ साल की उम्र या ५८ या ६० साल की उम्र रिटायर होने की क्यों रखी गई है? क्यों कहा जाता है कि ५५ साल घिस चुकने के बाद उनकी कार्यकुशलता नष्ट हो जाती है और उसके बाद वे काम करने के काबिल नहीं रहते हैं? मैं चाहता हूं कि अगर सरकार समझती है कि वे उसके बाद किन्हीं कारणों से नौकरी के काबिल नहीं रह जाते हैं, तो उनको पुनः क्यों नौकरी में ले लिया जाता है या क्यों उनको निजी फर्मों में जा कर काम करने की छूट दी जाती है? क्यों उनके सामने इस तरह के अवसर उपस्थित किए जाते हैं कि वे टकटकी लगाये आपकी तरफ देखते रहें और आपको खुश करने में लगे रहें? या तो यह कहा जाए कि अनाज ज्यादा दिन तक रखने के बाद सड़ जाता है, चना ज्यादा दिन रखने के बाद सड़ जाता है लेकिन चावल एक ऐसी चीज़ है जो जितना पुराना हो जाएगा उतना ही अच्छा होता जाएगा

[श्री रामसेवक यादव]

और ये बड़े अधिकारी चावल की किस्म में आते हैं तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है तो रिटायर होने के बाद इनको पुनः सर्विस में नहीं लिया जाना चाहिये ।

५५ साल की उम्र तक कार्यकुशलता बनी रहती है, उसके बाद नहीं, जब इस सिद्धान्त को आप स्वीकार करते हैं तो फिर आपको सोचना होगा कि बड़े बड़े पूंजीपति क्यों इन बड़े बड़े अधिकारियों की तरफ टकटकी लगाये देखते रहते हैं और इस ताक में रहते हैं कि कब ये रिटायर हों और इनको गोदी में बिठा लिया जाए, मुहब्बत से बिठा लिया जाए और इनको बड़ी बड़ी तनख्वाहें दी जाएं । आखिर इसके पीछे कोई न कोई रहस्य तो अवश्य है । क्या वजह है कि जब उनका आराम करने का समय होता है और ऐसी हालत होती है कि उनको काम न कर आराम करना चाहिये, उनको नाजायज़ लाभ उठाने दिया जाता है जिसका असर जनतंत्र पर भी पड़ता है और देश में भ्रष्टाचार, कुनबापरस्ती और पक्षपात भी बढ़ता है ।

यह एक सीधा सादा सा प्रस्ताव है जिसको स्वीकार कर लिया जाना चाहिये । यह कहा जा सकता है कि बहुत थोड़े लोग ऐसे होंगे जो इससे प्रभावित होंगे । मैं कहना चाहता हूं कि अगर थोड़े से लोगों का ही सवाल है तो क्यों उन थोड़े से लोगों को भी इसकी छूट दी जाती है और क्यों इसको स्वीकार नहीं कर लिया जाता है । जिन का न्याय में, इंसाफ में, जनतंत्र में विश्वास है और जो चाहते हैं कि पक्षपात, भ्रष्टाचार और कुनबापरस्ती न बढ़े और उस पर अंकुश लगे, उनका फर्ज़ है कि वे इसका समर्थन करें । समाजवाद का भी यह तकाज़ा है कि इस प्रस्ताव को पास किया जाए ।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : मैं इस प्रस्ताव पर एक दूसरी ही दृष्टि से विचार करता हूं । यह प्रस्ताव भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय धर्म के अनुरूप है और मैं इसका समर्थन करता हूं । आप देखें तो आपको पता चलेगा कि सारा भारतीय वाङ्मय चार चीजों पर आधारित है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम । इसी के आधार पर रोम के समय में, ग्रीक के समय में और आजकल भी रिटायरमेंट अर्थात् अवसर प्राप्ति को एक लक्ष्य रखा गया है कि मनुष्य की जिन्दगी में वह अवस्था भी आती है जब उसको पूर्ण अनुभव प्राप्त हो जाता है और पूर्ण अनुभव प्राप्त होने के बाद उसकी शक्ति कुछ भी क्यों न हो, उसको वानप्रस्थ व्यवस्था अर्थात् अवसर ग्रहण कर लेना चाहिए ताकि उसके अनुभव से समाज कुछ लाभ उठा सके । मैं एग्जेम्पल दूं कि बौद्ध देश जितने हैं उनमें साक्षरता का परसेंटेज ८० है जब कि हिन्दुस्तान में या दूसरे और देशों में वह ८० तो क्या ४० भी नहीं है । वहां इतना अधिक परसेंटेज होने का क्या कारण है ? बौद्ध देशों में एक सिस्टम है जिसको उन्होंने हिन्दुओं से, भारतवासियों से लिया है वह सिस्टम यह है कि ५० या ५५ बरस के ऊपर हर एक व्यक्ति के ऊपर लाजिमी है कि वह भिक्षु बने । हां एक अपवाद इसमें किया गया है और वह राजा के सम्बन्ध में किया गया है और कहा गया है कि राजा केवल तीन महीने के वास्ते भिक्षु हो सकता है । राजा के अलावा और जितने लोग हैं सब को अपने जीवन में भिक्षु होना पड़ेगा । बौद्ध देशों में जो आदमी भिक्षु होते हैं वे अपने गांवों में बैठ जाते है, दुनिया को त्याग देते हैं और उनका यह काम होता है कि अपने गांव के बच्चों को शिक्षा दें, उन्हें अपने अनुभव बतायें । इसी वास्ते आप देखें तो आपको पता चलेगा कि थाईलैंड में, बर्मा में, कम्बोडिया में तथा बौद्ध जगत के देशों मे एजुकेशन के लिए बजट छोटा होते हुए भी साक्षरता हमसे अधिक है । इसका कारण यह है कि वे लोग जब रिटायर होते हैं तो उनकी एकमात्र भावना यह होती है कि हम जाकर समाज की सेवा करें ।

इसी प्रकार से आप अंग्रेजों की एग्जेम्पल लें। वे भी रिटायर होने के बाद कुछ न कुछ इसी तरह का काम करते हैं। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। वे जब रिटायर होते हैं तो उसके बाद कहीं पर भी काम करने के लिए आम तौर पर नहीं जाते हैं। एक एग्जेम्पल बम्बई के चीफ जस्टिस की मेरे पास है। उनका नाम बेमांट है। वे जब रिटायर हुए तो आनरेरी मैजिस्ट्रेट का काम जा करके उन्होंने इंग्लैंड में शुरू किया। हमारे यहां कितने हाई कोर्ट के जज हैं जो सोचते हैं कि रिटायर होने के बाद उनको जाकर बार एसोसिएशन में बैठ जाना चाहिए, या आनरेरी मैजिस्ट्रेट के तौर पर काम करना चाहिए, या जो यंग लायर्ज होते हैं, उनको अपने अनुभव से लाभ उठाने का मौका देना चाहिये। हिन्दुस्तान में आप कोई भी हाई कोर्ट का जज ऐसा नहीं देखेंगे जिसने रिटायर होने के बाद जाकर आनरेरी मैजिस्ट्रेट का काम किया हो। इसका कारण यह है कि हम इसको छोटा काम समझते है, हम समझते हैं कि हम बड़े अफसर हैं और इतनी लम्बी चौड़ी तनख्वाह पाकर क्या हम उसको जा कर कर सकते है? यह जो मनोवृत्ति है, इसको बदलना होगा और जब यह बदलेगी तभी समाज का सुधार हो सकेगा।

भारत में लोकतंत्र की सब से बड़ी आवश्यकता क्या है, इसकी रीढ़ क्या है, मेरुदंड क्या है। इसकी रीढ़, इसका मेरुदंड सामाजिक और सार्वजनिक संस्थायें हैं, जहां से सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, धार्मिक कार्यकर्ता निकलते हैं। जिस दिन इन सामाजिक कार्यकर्ताओं का लोप हो जाएगा, जिस दिन इन राजनीतिक कार्यकर्ताओं का लोप हो जाएगा जिस दिन इन सार्वजनिक संस्थाओं में काम करने वालों का लोप हो जाएगा, उस दिन हिन्दुस्तान मे यह लोकतंत्र भी आप नहीं चला सकेंगे। आप देखिये कि वेस्टर्न डिमाक्रेसीज़ में क्या होता है, लोग क्या करते हैं रिटायर होकर। कोई किसी अस्पताल में काम करने चला जाता है, कोई कहीं किसी स्कूल में काम करने चला जाता है, कोई चर्च में जाकर काम करते है। उसका फल यह होता है कि उनके अनुभव का लाभ उठा कर नई नई विभूतियां देश में पैदा होती हैं। वे उन नए पौधों में सिंचाई का काम करते हैं। वे अपने ज्ञान से उन नव अंकुरित पौधों को सींचते है। ये पौधे बड़े होकर देश हित के कामों में लगते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह प्रस्ताव भारतीय संस्कृति के बिल्कुल अनुरूप है और इसको मानना चाहिए। मेलकोटे साहब ने और नरसिंहन साहब ने जो तर्क दिया मैं उससे सहमत नहीं हूं कि रिटायर होने के बाद आदमी को काम करना चाहिए। अगर उसको रिटायर होने के बाद काम करना है तो उसको रिटायर ही क्यों किया जाए।

जब आदमी को रिटायर किया जाता है तो क्यों किया जाता है, उसका सिद्धान्त क्या है। उसको रिटायर करने का सिद्धान्त यह है कि इसमें अब आगे काम करने की शक्ति नहीं है लिहाजा दूसरे आदमी को उसका स्थान दिया जाए। इसी खयाल से रिटायरमेंट की अवस्था ५५ साल रखी गई है। मगर हमारे यहां ५५ की अवस्था के बाद भी अफसरों को तीन, चार, पांच साल का एक्सटेंशन दिया जाता है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि नया खून आना चाहिए, नौजवानों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और दूसरी तरफ उनकी वृद्धि को इस तरह रोका जाता है ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं और इसी कारण हमारी तरक्की नहीं हो रही है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आज अवस्था यह है कि रिटायरमेंट के बाद भी हमारे लोग रुपये के पीछे दौड़ रहे हैं। हमारे यहां तो यह सिद्धान्त था और बौद्ध देशों में भी यह सिद्धान्त है कि वानप्रस्थ ग्रहण करने के पश्चात् आदमी को भिक्षा पर गुजर करना चाहिए। उसी परिष्कृत अन्न से अपना पालन करना चाहिए, उसे कुधान्य या राज धान्य नहीं खाना चाहिए। जो इस प्रकार का भोजन करता है उसकी

[श्री रघुनाथ सिंह]

बुद्धि भी परिष्कृत होती है और तब वह देश के नौजवानों का मार्गदर्शन करते हैं। यही कारण है कि हिन्दुस्तान की संस्कृति, हिन्दुस्तान की सभ्यता आज तक जीवित है। मुसलमान जहां गए सारा देश समाप्त हो गया। लेकिन हिन्दुस्तान आज तक क्यों स्थिर है। हिन्दुस्तान इसी वास्ते स्थिर है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था इतनी सुन्दर थी, इतनी उत्तम थी और उसकी जड़ें बहुत नीचे तक गई हुई थीं। लेकिन बाद में हमारे देश में वह व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गयी, बौद्ध देशों में कायम रही। इसलिए कोई भी बौद्ध देश, बर्मा को छोड़ कर जो ४०–५० साल पराधीन रहा, पराधीन नहीं हुआ। उसका कारण क्या है। उसका कारण यह है कि जो आदमी ५० वर्ष से अधिक का होता है वह समाज में जाता है, नगरों में जाता है, गांवों में जाता है और अपना सारा जीवन समाज के उत्थान के लिये और देश के उत्थान के लिए और गांवों के उत्थान के लिए लगा देता है। वह अपने अनुभव से दूसरे नौजवानों को लाभ पहुंचाता है। इसी वास्ते आप देखेंगे कि सिवा बर्मा के, जो कि ४०–५० वर्ष पराधीन रहा, कोई बौद्ध देश पराधीन नहीं हुआ। लेकिन हिन्दुस्तान के लोग इस सिद्धान्त को भूल गये और हमारा पतन आरम्भ हो गया।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : आज इसको अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया जाए।

श्री रघुनाथसिंह : दूसरी बात हमें यह कहनी है कि हमें आर्मी का उदाहरण दिया गया। आप देखेंगे कि आर्मी में बहुत थोड़ी उम्र में रिटायरमेंट होता है। वह इसलिए किया जाता है कि आर्मी से प्रशिक्षित आदमी अपने गांवों में जाएं और खेती बाड़ी करें और उनके अनुभव से दूसरे लोग फायदा उठाएं। इसलिए मैं थोड़े में यही कहना चाहता हूं कि मैं इस प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करता हूं और इस वास्ते समर्थन करता हूं कि मैं काशी का रहने वाला हूं और भारतीय आचरण, भारतीय नीति और भारतीय नैतिकता मुझे इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए बाध्य करती है। अगर हमें भारत में सचमुच में लोकतंत्र की स्थापना करनी है तो हमें इस प्रस्ताव को अवश्य स्वीकार करना चाहिए।

सभापति महोदय : इस पर अब अगली बार चर्चा की जायेगी।

कार्य मंत्रणा समिति

पैंसठवां प्रतिवेदन

†**श्री राणे** (बुलडाना) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का पैंसठवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

†**सभापति महोदय** : सभा अब सोमवार के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, १४ अगस्त, १९६१ / २३ श्रावण, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

शुक्रवार, ११ अगस्त, १९६१

२० श्रावण, १८८३ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		८०५—३२
तारांकित प्रश्न संख्या		
३७१	आकाशवाणी द्वारा ट्रांसमीटरों की स्थापना	८०५–०६
३७२	एक्सप्रेस डाक वितरण पद्धति	८०६–०७
३७३	केन्द्र में सड़क बोर्ड	८०७– ८
३७४	सिलीगुड़ी रेल दुर्घटना	८०९–१०
३७५	भारत-पाक रेल सेवा	८१०–११
३७६	सिन्धु जल सन्धि	९१२
३८२	स्थायी सिन्धु आयोग	८१२—१५
३७७	अन्तर्राष्ट्रीय चीनी परिषद्	८१५—१७
३७८	इन्टीग्रल कोच फैक्टरी, पैरम्बूर में रेल कारों का निर्माण	८१७—१९
३७९	दिल्ली में घरेलू कामों के लिये गैस का उपयोग	८१९–२०
३८०	यंत्रीकृत कृषि फार्म	८२०—२३
३८१	बम्बई पत्तन के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ का प्रतिवेदन	८२३–२४
३८३	अर्जेन्टाइना द्वारा भारतीय सवारी गाड़ियों का क्रय	८२४–२५
३८४	तीसरी योजना में उत्तर प्रदेश में नई रेलवे लाइन बनाना	८२६–२७
३८५	भारत से निर्यात की जाने वाली चाय के भाड़े की दरें	८२७–२८
३८६	दुर्गापुर तापीय विद्युत् केन्द्र	८२८–२९
३८८	इन्टीग्रल कोच फैक्टरी में पहले दर्जे के डिब्बे का निर्माण	८२९–३०
३९०	गोदावरी घाटी परियोजना	८३१–३२
३९१	तीसरी योजना में नयी रेल लाइनें	८३२
प्रश्नों के लिखित उत्तर		८३३—९३६
तारांकित प्रश्न संख्या		
३८७	गुना-मकसी लाइन	८३३
३८९	खायी जाने वाली स्वदेशी गर्भ निरोधक औषधियां	८३३

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः		
तारांकित प्रश्न संख्या		
३९२	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के कर्मचारियों के लिये अंशदायी स्वास्थ्य योजना	८३३–३४
३९३	हल्दिया में बन्दरगाह का विकास	८३४
३९४	मध्य प्रदेश के लिए रिहान्ड की बिजली	८३५
३९५	पश्चिम बंगाल में उद्योगों के लिये बिजली की आवश्यकतायें	८३५
३९६	हावड़ा और वाल्टेयर के बीच रेल सेवाओं का चालू होना	८३५–३६
३९७	संविहित केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्	८३६
३९८	त्रिपुरा में राज्य परिवहन	८३६
३९९	नौवहन विकास निधि के लिये ऋण	८३६–३७
४००	थियेटर रोड डाकखाना, कलकत्ता	८३७
४०१	गन्ने की उत्पादन लागत	८३७–३८
४०२	विमान और उनके पुर्जों का निर्माण	८३८
४०३	केन्द्रीय उर्वरक संग्रह	८३८
४०४	केन्सर के इलाज के लिये औषधि	८३९
४०५	मदुरै में बस रेलगाड़ी की टक्कर	८३९
४०६	मिट्टी के बांध	८३९–४०
४०७	वनस्पति में रंग मिलाना	८४०
४०८	अखिल भारतीय सामुदायिक विकास प्रशिक्षण संस्था, मसूरी	८४०–४१
४०९	होटल वित्त निगम	८४१
४१०	विदेशी जहाज कारखानों में विशिष्ट प्रशिक्षण	८४१–४२
४११	भारत अमरीका विमान सेवायें	८४२
४१२	चिनाव परसलाल पन बिजली परियोजना	८४२
४१३	दिल्ली में चेचक के रोगी	८४३–४४
४१४	कलकत्ता बन्दरगाह पर दुर्घटना	८४४
४१५	बिजली के इंजन	८४४–४५
४१६	विजयवाड़ा में यातायात का रुक जाना	८४५
४१७	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना की कार्य प्रणाली की जांच के लिए समिति	८४५
४१८	अनाज का श्रेणीकरण	८४६
४१९	रेलों से कोयला लाना ले जाना	८४६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

४२०	जहाजों से कोयले की ढुलाई	८४७
४२१	हल्दिया जहाज का दोषपूर्ण निर्माण	८४७
४२२	हीराकुद जलाशय	८४८
४२३	कलकत्ता के बड़े डाक घर में न बांटे गये पार्सल	८४८–४९
४२४	केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसन्धान परिषद्	८४९
४२५	उकई परियोजना	८४९
४२६	विदेशी विमान समवायों को भारत होकर विमान चलाने की अनुमति	८४९–५०
४२७	नार्वे का मत्स्य पालन प्रतिनिधिमण्डल	८५०
४२८	रेलवे के माल डिब्बों द्वारा अधिक भार ढोया जाना	८५०–५१
४२९	कलकत्ता बम्बई और मद्रास में अंशदायी स्वास्थ सेवा योजना का विस्तार	८५१

अतारांकित
प्रश्न संख्या

६९८	दिल्ली में चिड़ियाघर	८५१
६९९	बर्दवान-आसनसोल-गया-मुगलसराय सेक्शन का विद्युतीकरण	८५२
७००	खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम	८५२
७०१	रेलवे द्वारा कोयले का वहन	८५३
७०२	बांसवाड़ा को चम्बल की बिजली	८५३
७०३	नागार्जुनसागर परियोजना के लिये दिये गये ऋण पर ब्याज	८५३–५४
७०४	केरल में मीटर लाइन के माल डिब्बों का कारखाना	८५४
७०५	रेलवे वर्दी समिति का प्रतिवेदन	८५४
७०६	विश्व कृषि मेले के लिये हिमाचल प्रदेश की सहकारी समितियों से प्राप्त वस्तुएं	८५४–५५
७०७	हिमाचल प्रदेश में सहकारी समितियां	८५५
७०८	पठानकोट जंकशन के लिए मास्टर प्लान	८५५
७०९	दिल्ली में पंचायतें	८५५–५६
७१०	गुरुदासपुर जिले (पंजाब) में डाकघर	८५६
७११	मध्य प्रदेश में टेलीग्राफ कार्यालय	८५६
७१२	मध्य प्रदेश में पुल	८५६–५७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

७१३	महाराष्ट्र में सार्वजनिक टेलीफोन	८५७
७१४	पूर्व रेलवे पर स्टेशनों का विद्युतीकरण	८५७
७१५	मध्य रेलवे में रेलवे क्वार्टर	८५८
७१६	दीवा-पनवेल-यूरल लाइन	८५८
७१७	हल्दिया पत्तन	८५८
७१८	मैसूर में चीनी की मिलें	८५९
७१९	पर्यटन निगम	८५९
७२०	इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन	८५९–६०
७२१	नगला डाकघर से लापता राशि	८६०
७२२	दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नए जन्मे बच्चों की मृत्युएं	८६०
७२३	तांबे के तार की चोरी	८६१
७२४	बर्मा के लिए भारतीय डाकघर	८६१
७२५	फुलेरा के लोको शेड में चोरी	८६१–६२
७२६	राज्यों में कृषि संस्थायें	८६२
७२७	बैठने या सोने की जगह रिजर्व कराना	८६२
७२८	इन्दौर में सोने की जगह रिजर्व कराना	८६२–६३
७२९	भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के प्रकाशन	८६३
७३०	रेलवे सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन	८६३
७३१	रेलवे के डिब्बों में सूचनायें	८६३–६४
७३२	दिल्ली के उपनगरीय स्टेशन	८६४
७३३	दिल्ली दुग्ध वितरण योजना के डिपुओं से घी की बिक्री	८६४
७३४	नर्सों के लिये रेलवे रियायत	८६४–६५
७३५	तृतीय योजना में खाद्यान्न का लक्ष्य	८६५
७३६	नार्वे-भारत सरकार	८६६
७३७	बिहार में रेलवे डाक-सेवा के मुख्यालय का स्थान	८६६
७३८	सिंचाई क्षमता के उपयोग के लिये प्रत्येक परियोजना सम्बन्धी समिति	८६७
७३९	भारतीय सड़क कांग्रेस की रिपोर्ट	८६७
७४०	चीनी का मूल्य	८६७
७४१	रावी नदी पर बांध	८६७–६८
७४२	रावी तथा व्यास को मिलाना	८६८

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः	
अतारांकित प्रश्न संख्या	
७४३ उत्तर रेलवे पर यात्री सुविधायें . . .	८६८
७४४ रिवाड़ी भटिण्डा लाइन पर लाइन का पुनर्निर्माण .	८६९
७४५ कलकत्ता के चारों ओर वृत्ताकार रेलवे . .	८६९
७४६ कोयला खान क्षेत्रों में नई रेलवे लाइनें .	८६९
७४७ हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक .	८६९–७०
७४८ लिंग परिवर्तन	८७०–७१
७४९ हरिद्वार में कुम्भ मेला का प्रबन्ध	८७१
७५० उदयपुर में लक्ष्मी विलास महल . . .	८७१
७५१ जलमग्न तथा कन्द्रा भूमि को कृषि योग्य बनाना .	८७१
७५२ गेहूं का न्यूनतम मूल्य	८७१–७२
७५३ जमाये हुए तेलों का उपभोक्ताओं पर प्रभाव .	८७२
७५४ अमृतसर तथा पठानकोट के बीच बम विस्फोट . .	८७३
७५५ गन्ना उत्पादन	८७३
७५६ परिवहन संचालकों को उधार की सुविधाएं . . .	८७३–७४
७५७ एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग की पर्यटन सम्बन्धी गोष्ठी . . .	८७४
७५८ उत्तर प्रदेश में चीनी का स्टाक .	८७४–७५
७५९ सिंगरेनी कोयला खान . .	८७५
७६० रेलवे कर्मचारियों के लिये पेंशन एवं उपदान	८७६
७६१ रेलों में विभागीय भोजन की व्यवस्था	८७६
७६२ पोंग में व्यास का बाध	८७६–७७
७६३ पूर्वोत्तर रेलवे के बरसोई स्टेशन के निकट रेल का पटरी से उतरना .	८७७
७६४ मलाया के परिवहन मन्त्री का दौरा . . .	८७७
७६५ लेडी हार्डिंग मेडीकल कालेज तथा अस्पताल कर्मचारी संघ के सदस्यों द्वारा भूख हड़ताल	८७८
७६६ कैंसर के लिये अनुसन्धान केन्द्र	८७८
७६७ बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं के लिये केरल राज्य को सरकार की वित्तीय सहायता	८७८–७९
७६८ कल्लर और वल्लापट्टनम् परियोजनाएं .	८७९–८०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
७६९	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा अस्पताल के कर्मचारीरियों की छंटनी	८८०
७७०	अवकाश गृह	८८०–८१
७७१	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ नगरों को मिलाने वाली नई रेलवे लाइन	८८१
७७२	भारत में बाल पथ प्रदर्शन चिकित्सालय	८८१–८२
७७३	फलोत्पादन के विकास के लिये उत्तर प्रदेश को ऋण	८८२
७७४	बलीगंज स्टेशन का नाम बदलना	८८२
७७५	मलाया में दक्षिण पूर्वी एशियाई कृषि अनुसन्धान और प्रशिक्षण संस्था	८८२–८३
७७६	सिंधु जल सन्धि के अधीन दिये गये जल का उपयोग	८८३
७७७	मोगा लेवल क्रासिंग पर उठने वाला फाटक	८८३
७७८	तीसरी योजना में पंजाब के लिये भूमिपरिरक्षण योजनायें	८८४
७७९	लोक स्वास्थ्य इंजीनियर पथ प्रदर्शन पुस्तिका	८८४
७८०	औषधि अधिनियम के अधीन होमियोपैथिक औषधियों का नियन्त्रण	८८४
७८१	वस्तु विनिमय के आधार पर चीनी का निर्यात	८८५
७८२	महाजनों का विस्थापन	८८५
७८३	पटना में डाक वितरण	८८५–८६
७८४	कृषि स्नातक	८८६
७८५	चम्पारन (बिहार) में गलगंड रोग	८८६
७८६	वंशधारा परियोजना का स्थान	८८७
७८७	बम्बई में पीलिया फैलने की जांच	८८७
७८८	बर्मा से चावल	८८७
७८९	शांताक्रुज स्टेशन के निकट गाड़ी का पटरी से उतरना	८८८
७९०	कल्याण के निकट मालगाड़ियों का पटरी से उतरना	८८८
७९१	परिवहन तथा संचार मन्त्रालय के सचिव की विदेश यात्रा	८८८–८९
७९२	पम्बा जल विद्युत् योजना	८८९
७९३	केरल में समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकने का कार्य	८८९–९०
७९४	कुछ उपक्रमों द्वारा रेलवे में भोजन व्यवस्था के ठेके	८९०
७९५	प्रादेशिक चीनी अनुसन्धान केन्द्र	८९०
७९६	त्रिपुरा भूमि सुधार	८९ –९१

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

७९७	गिराना कोग्रोपरेटिव शुगर फैक्टरी, मालेगांव	८९१
७९८	केरल को केन्द्रीय अभ्यंश के चावल का सम्भरण	८९१–९२
७९९	ट्रेन का पटरी से उतरना	८९२
८००	भेजे जाने वाले माल का गलत विवरण	८९२–९३
८०१	परिवार नियोजन	८९३
८०२	चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स	८९३–९४
८०३	दक्षिण रेलवे के रायचूर मद्रास सैक ।न में रल दुर्घटना	८९४
८०४	दक्षिण रेलवे पर लेवल क्रासिंग	८९४–९५
८०५	कुष्ठ चिकित्सा के लिये पंजाब को ोय सहायता	८९५
८०६	योग अभ्यास .	८९५–९६
८०७	फिरोजपुर जिले में परिवार नियोजन केन्द्र	८९६
८०८	फिरोजपुर में रेलवे क्वार्टर	८९६
८०९	पंजाब राज्य के लिये दुग्ध संभरण	८९६–९७
८१०	दक्षिण अमरीका से पर्यटक .	८९७
८११	पंजाब में डाक तार सम्बन्धी सुविधायें .	८९७–९८
८१२	पूर्वी प्रादेशिक रेलवे उपकरण सलाहकार समिति	८९८
८१३	पान अनुसन्धान केन्द्र .	८९८
८१४	विशेष प्रकार के बाजरे के बीज .	८९८
८१५	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में हिरन	८९९
८१६	बालीगंज स्टेशन को नया रूप दिया जाना	८९९
८१७	पूर्व रेलवे में उल्टाडंगा में टर्मिनल स्टेशन	८९९–९००
८१८	केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत् बोर्ड का वार्षिक अनुसन्धान सम्मेलन	९००–०१
८१९	यूगोस्लाव कम्पनी द्वारा लाइटहाउस टेंडर का निर्माण	९०१
८२०	पंजाब के गांवों में बिजली का लगाया जाना	९०१–०२
८२१	दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें	९०२
८२२	बिना टिकट यात्रा	९०२
८२३	पंजाब से स्लीपरों का संभरण .	९०२
८२४	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग	९०३
८२५	मालडिब्बों का उपलब्ध न होना	९०३
८२६	भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्	९०३–०४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
८२७	कृषि तथा पशु पालन कालेजों में प्रशिक्षण सुविधायें . .	९०४
८२८	केन्द्रीय नारियल अनुसन्धान केन्द्र	९०४–०५
८२९	प्रादेशिक वन अनुसंधान केन्द्र	९०५–०६
८३०	हिन्दी में तार	९०६
८३१	प्रोटीन बनाना . .	९०७
८३२	दिल्ली के चिड़ियाघर के लिए जर्मन सलाहकार	९०७—०९
८३३	सहायक खाद्य पदार्थ .	९०९–१०
८३४	इमारती लकड़ी का निर्यात .	९१०
८३५	केन्द्रीय भारतीय तम्बाकू समिति	९१०–११
८३६	केन्द्रीय भारतीय गन्ना समिति .	९११
८३७	पश्चिम बंगाल में डेरी .	९११
८३८	चम्पारन जिला में रेलवे लाइनें. .	९११–१२
८३९	मंगलौर पत्तन . .	९१२
८४०	बम्बई पत्तन के समीप नावें के एक परिवार का डूब जाना .	९१३
८४१	मछली का निर्यात . .	९१३–१४
८४२	फल और वनस्पति परिरक्षण उद्योग .	९१४
८४३	उत्तर रेलवे पर चाय और फलों के स्टाल.	९१४
८४४	वायु अनुकुलित पहली श्रेणी के यात्री . . .	९१५
८४५	उत्तर रेलवे की फाजिलका–फीरोजपुर लाइन पर यात्री सुविधायें	९१५
८४६	पंजाब के लिये रासायनिक उर्वरक	९१५–१६
८४७	पंजाब में ग्राम जल संभरण योजना .	९१६–१७
८४८	जालन्धर डिवीजन के पुलिस थानों के टेलीफोन .	९१७
८४९	पंजाब में बिजली की कमी .	९१७
८५०	पंजाब की मंडी गिद्दड़वाहा में टेलीफोन	९१८
८५१	रेलवे सुरक्षा बल, उत्तर रेलवे	९१८
८५२	उत्तर रेलवे द्वारा प्रादेशिक भाषाओं में रिक्त स्थानों का विज्ञापन	९१८–१९
८५३	उड़ीसा में पत्तन .	९१९
८५४	गारो पहाड़ियों में बिजली घर .	९१९
८५५	तीसरी योजना में दिल्ली में आयुर्वेदिक अस्पताल . .	९१९–२०
८५६	त्रिपुरा में अधिक अन्न उपजाओ योजना . . .	९२०
८५७	कछार के डाक व तार कर्मचारी . . .	९२०–२१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

८५८ लीचियों का जलमोचन . . ९२१
८५९ बचत बैंक के लावारिस खाते ९२१
८६० आधिस्वामिक औषधियां . ९२१–२२
८६१ फलोत्पादन का विस्तार ९२२
८६२ सिंचाई का प्रशिक्षण लेने के लिए विदेश गये कर्मचारी ९२२
८६३ पंजाब की पीने के पानी की योजनायें ९२३
८६४ पंजाब में टेलीफोन . ९२३
८६५ केरल राज्य में चीनी का संभरण . ९२३
८६६ विदेशी नौवहन . ९२३–२४
८६७ अर्थ-कन्डक्टर उपसाधन . . ९२४
८६८ रेलवे के विधि निरीक्षकों के वेतन क्रम . . ९२४
८६९ लाजपत नगर, दिल्ली के पास ऊपरी पुल . ९२५
८७० पूर्वोत्तर रेलवे के सरैया स्टेशन पर रेलवे दुर्घटना . . ९२५
८७१ तृतीय योजना में उड़ीसा के लिए सिंचाई की छोटी परियोजनायें . ९२५–२६
८७२ पूना बाढ़ से दूर संचार विभाग को हुई हानि . . ९२६
८७३ छत्तीसगढ़ (मध्य प्रदेश) से चावल और धान की खरीद . ९२६
८७४ कलकत्ता–कटक सड़क के लिए ऋण ९२७
८७५ भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था . ९२७–२८
८७६ उड़ीसा में नारियल अनुसंधान केन्द्र . ९२८
८७७ रेलवे सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिये संरक्षण . ९२८
८७८ रेलवे में विभागीय भोजन-व्यवस्था . ९२९
८७९ रेलवे में रूसी ढंग के माल डिब्बे . ९२९
८८० चितरंजन लोको वर्कशाप में इंजनों का उद्घाटन . ९२९–३०
८८१ तीसरी योजना में रेलवे के लिए विदेशी सहायता . ९३०–३१
८८२ किचनर रोड, नई दिल्ली पर प्रसूती केन्द्र की इमारत . ९३१–३२
८८३ रेलवे में चोरियां और डकैतियां . ९३२
८८४ तीसरी श्रेणी के रेलवे डिब्बे . . . ९३२
८८६ पूर्वोत्तर रेलवे में कार्यालय क्लर्कों की भर्ती . ९३२–३३
८८७ दिल्ली में धर्मार्थ होम्योपैथिक औषधालय . ९३३
८८८ होम्योपैथी . . ९३३–३४

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः	
अतारांकित प्रश्न संख्या	
८८९ किराये की वापसी	९३४
८९० उत्तर रेलवे का टाइपिस्ट संवर्ग	९३४–३५
८९१ ब्रेक वैन में बम फटना	९३५
८९२ मदुरै में दुर्घटना का टलना	९३५
८९३ मदुरै में चीनी सम्भरण	९३५
८९४ नदी बोर्ड	९३६
८९५ डी० डी० टी० का स्टाक	९३६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	९३७–३८
श्री अ० मु० तारिक ने इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा २० जुलाई, १९६१ को पटना से दिल्ली आने वाले उनके हवाई जहाज़ में राष्ट्रपति के निजी चिकित्सकों को जगह न देने के समाचार की ओर परिवहन तथा संचार मंत्री का ध्यान दिलाया ।	
परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	९३८—४२
(१) दूसरी लोक-सभा के विभिन्न अधिवेशनों में मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति :—	
(क) अनुपूरक विवरण संख्या ३ तेरहवां अधिवेशन, १९६१	
(ख) अनुपूरक विवरण संख्या ६ बारहवां अधिवेशन, १९६०	
(ग) अनुपूरक विवरण संख्या १० ग्यारहवां अधिवेशन १९६०	
(घ) अनुपूरक विवरण संख्या १५ दसवां अधिवेशन, १९६०	
(ङ) अनुपूरक विवरण संख्या १६ नवां अधिवेशन, १९५९	
(च) अनुपूरक विवरण संख्या १९ आठवां अधिवेशन, १९५९	
(२) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—	
(एक) दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ की धारा २६ के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकार की वर्ष १९५९–६० के कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट ।	
(दो) दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ की धारा २५ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकार के वर्ष १९५७–५८ के प्रमाणित लेखे, उन पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित ।	

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र--क्रमश:

(३) वणिक् नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा ४५८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :--

(एक) दिनांक १३ अगस्त, १९६० के अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९३८ में प्रकाशित नौवहन विकास निधि समिति (सामान्य) नियम, १९६० ।

(दो) दिनांक २९ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२६७ में प्रकाशित नौवहन विकास निधि समिति (सामान्य) संशोधन नियम, १९६० ।

(४) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :--

(एक) दिनांक ४ मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६६२ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) दूसरा मूल्य नियंत्रण (पांचवां संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(दो) दिनांक ४ मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६६३ में प्रकाशित चावल (पंजाब) दूसरा मूल्य नियंत्रण (पांचवां संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(तीन) दिनांक १६ मई, १९६१ को अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६८३ में प्रकाशित चावल (दक्षिणी खण्ड) यातायात नियंत्रण संशोधन आदेश, १९६१ ।

(चार) निम्नलिखित को रद्द करने वाली दिनांक २८ मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या ७३० :--

(क) महाराष्ट्र और गुजरात रोलर फ्लोर मिल्स (गेहूं के प्रयोग का विनियमन) आदेश, १९५९

(ख) उत्तर प्रदेश रोलर फ्लोर मिल्स (गेहूं के प्रयोग का विनियमन) आदेश, १९५९

(ग) मध्य प्रदेश रोलर फ्लोर मिल्स (गेहूं के प्रयोग का विनियमन) आदेश, १९६१ ।

(पांच) दिनांक ३ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७४६ में प्रकाशित गेहूं रोलर फ्लोर मिल्स (लाइसेन्स देना और नियंत्रण) (तीसरा संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(छै) आन्ध्र प्रदेश चावल (सूचना, जांच और पकड़ना) आदेश, १९५८ को रद्द करने वाली दिनांक ३ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७४७ ।

(सात) दिनांक १ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७६० में प्रकाशित चावल (पंजाब) दूसरा मूल्य नियंत्रण (छठा संशोधन) आदेश, १९६१ ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—क्रमशः

(आठ) दिनांक १ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७६१ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) दूसरा मूल्य नियंत्रण (छठा संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(नौ) दिनांक ७ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७८४ में प्रकाशित गेहूं रोलर फ्लोर मिल्स (लाइसेंस देना और नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, १९६१ ।

(दस) दिनांक ९ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७८५ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) दूसरा मूल्य नियंत्रण (सातवां संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(ग्यारह) दिनांक ९ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७८६ में प्रकाशित चावल (पंजाब) दूसरा मूल्य नियंत्रण (सातवां संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(बारह) कलकत्ता चावल (यातायात नियंत्रण) आदेश, १९५९ को रद्द करने वाली दिनांक १२ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७८७ ।

(तेरह) दिनांक ८ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८८९ में प्रकाशित दिल्ली रोलर फ्लोर मिल्स (गेहूं की चीजें) दूसरा मूल्य नियंत्रण (संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(चौदह) दिनांक १५ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९१४ में प्रकाशित बम्बई चावल (निर्यात नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६१ ।

(पन्द्रह) दिनांक १५ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११५ में प्रकाशित चावल (दक्षिणी खण्ड) यातायात नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(सोलह) दिनांक १५ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९१६ में प्रकाशित बिहार खाद्यान्न (यातायात नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, १९६१ ।

(सत्रह) दिनांक १५ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९१७ में प्रकाशित मध्य प्रदेश चावल (यातायात नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६१ ।

(अट्ठारह) दिनांक १५ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९१८ में प्रकाशित उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (यातायात नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६१ ।

(उन्नीस) दिनांक १५ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९१९ में प्रकाशित चावल (उत्तरी खण्ड) यातायात नियंत्रण संशोधन आदेश, १९६१ ।

विषय

सभा पटल पर रखे गये पत्र—क्रमशः

(बीस) दिनांक १५ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९२० में प्रकाशित उत्तर प्रदेश धान और चावल (यातायात पर प्रतिबन्ध) संशोधन आदेश, १९६१ ।

(इक्कीस) दिनांक १५ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या ९२१ में प्रकाशित उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (सीमा पर लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध) दूसरा संशोधन आदेश, १९६१ ।

(बाईस) दिनांक १५ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९२२ में प्रकाशित राजस्थान खाद्यान्न (सीमा पर लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध) दूसरा संशोधन आदेश, १९६१ ।

(तेईस) दिनांक १५ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९२३ में प्रकाशित मध्य प्रदेश खाद्यान्न (सीमा पर लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध) तीसरा संशोधन आदेश, १९६१ ।

(चौबीस) दिनांक १५ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९२४ में प्रकाशित चावल (पूर्वी खण्ड यातायात नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(पच्चीस) दिनांक १५ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९२५ में प्रकाशित चावल राजस्थान (चावल आयात पर प्रतिबन्ध) संशोधन आदेश, १९६१ ।

(छब्बीस) दिनांक १५ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९३२ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) दूसरा मूल्य नियंत्रण (आठवां संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(सताईस) दिनांक १५ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९३३ में प्रकाशित चावल (पंजाब) दूसरा मूल्य नियंत्रण (आठवां संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(अट्टाईस) दिनांक १७ जलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९३४ ।

(उन्तीस) दिनांक ५ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०११ जिसमें खाद्यान्न यातायात (मीट्रिक तोल में बदलना) आदेश, १९६१ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

प्राक्कलन समिति के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखा गया . . ९४२

प्राक्कलन समिति की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी उप-समिति के सामने दिये गये साक्ष्य के कार्यवाही-सारांश और वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) —भारत का जीवन बीमा निगम, बम्बई के बारे में एक-सौ-चौंतीसवीं रिपोर्ट से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति के बैठक के कार्यवाही-सारांश टेबल पर रखे गये ।

विषय पृष्ठ

विधेयक पर राय ९४२

सिख गुरुद्वारा विधेयक, १९५८ के, जिसे ३० मार्च, १९५९ तक उस पर राय जानने के लिये परिचालित किया गया था, पत्र संख्या ५ को सभा पटल पर रखा ।

विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन--उपस्थापित . ९४२-४३

तेरहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य ९४३-४४

(एक) वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने ब्रिटेन के यूरोपीय आर्थिक समुदाय में शामिल होने के लिये बातचीत करने के निर्णय और भारत के व्यापार पर उसके सम्भावित प्रभाव के बारे में एक वक्तव्य और भारत तथा राइट आनरेबल पीटर थार्नीक्राफ्ट मिशन के बीच हुई वार्ता की समाप्ति पर जारी की गई विज्ञप्ति की एक प्रति भी टेबल पर रखी ।

(दो) खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) ने राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में पैट्रोल की खोज के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और फ्रांसीसी पैट्रोल संस्था के बीच हुए करार के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

विधेयक पुरःस्थापित ९४५

(१) संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक, १९६१ ।

(२) दादरा और नगर हवेली विधेयक, १९६१ ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . ९४५-७८

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि सभा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति के प्रतिवेदन पर, जो २१ अप्रैल, १९६१ के सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है। प्रस्ताव पर रखा गया संशोधन अस्वीकृत हुआ तथा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत ९७८

पच्चासीवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प--वापिस लिया गया . . . ९७९-८६

२८ अप्रैल, १९६१ को कालिका सिंह द्वारा प्रस्तुत व्यक्तिगत आय के विनियमन करने वाले संकल्प के बारे में अग्रेतर चर्चा जारी रही । संकल्प वापिस लिया गया ।

विषय **पृष्ठ**

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प विचाराधीन ९६६-९८

अर्जुन सिंह भदौरिया ने सेवानिवत्त सरकारी कर्मचारियों के पुनः सेवा में लगाये जाने के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन--उपस्थापित . . . ९९८

पसठवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

सोमवार, १४ अगस्त, १९६१/२३ श्रावण, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि

संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक, तथा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक पर विचार तथा पारित करना ।

GMGIPND—LS III—983 [AI] LSD—11-9-61—125